रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2008/आश्विन 3, 1930
No. 157] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2008/ASVINA 3, 1930

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2008

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं.1-सीए(5)/59/2008.- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

59 वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् "परिषद्" कहा गया है) को 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष की 59वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । इस रिपोर्ट के माध्यम से, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2007-2008 की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएआई) के वर्ष 2007-2008 के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करने के साथ-साथ, परिषद् द्वारा इस अवसर पर इस रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान और जुलाई, 2008 के प्रथम सप्ताह तक, विशेष रूप से अभिप्राप्त किए गए एक और मील के पत्थर के संदर्भ में, अर्थात् राष्ट्र की सेवा में अपनी विद्यमानता के 60वें वर्ष में, जो लोकप्रिय रूप से हीरक जयन्ती वर्ष के रूप में ज्ञात है, प्रवेश करते हुए, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरों को भी समाविष्ट किया गया है । हीरक जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में जो कि एक राष्ट्रीय महत्व की और एक ऐतिहासिक घटना है, और जो ऐसा अवसर है जब अपने अद्वितीय विकास का उल्लास मनाया जाए और साथ ही ऐसा अवसर है जिसमें वृत्ति की प्रसिद्धी का आनंद लिया जाए, परिषद् यह संकल्प लेती है कि वह उत्कृष्टता और अखंडता की भावना के साथ अपने राष्ट्र और अन्य पणधारियों की सेवा करना जारी रखेगी । परिषद्, प्रारंभ में, उस प्रतिष्ठा के लिए सदस्यों और छात्रों की प्रशंसा करती है, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वृत्ति को आज समाज में प्राप्त है । इसे सभी सदस्यों और छात्रों द्वारा इस दौरान प्रदर्शित उत्कृष्टता, स्वतंत्रता, और अखंडता के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया है ।

वर्ष 1949 में संसद् के अधिनियम द्वारा 1 जुलाई, 1949 को आईसीएआई की स्थापना से, लेखांकन वृत्ति में सदस्यता और छात्र आधार के निबंधनों में अद्वितीय विकास हुआ है । संस्थान, जिसे केवल 1,700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, आज विकास के ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां इसके सदस्यों की संख्या 1,45,000 और छात्रों की संख्या 2,20,000 को पार कर चुकी है । इस महान विकास यात्रा के दौरान, भारत में लेखांकन वृत्ति

ने पुनःसंरचना, समुन्नति, मूल्य परिवर्धनों, नाना रूपकरण और वैश्विक एकीकरण के महत्वपूर्ण प्रक्रमों को पार किया है । आज, जब लेखांकन वैश्विक कारबार की आधारिक भाषा बन चुका है, आज के वृत्तिक को 'बीन काउंटर' के रूप में नहीं देखा जाता अपितु उसे आधुनिक कारबार का एक सर्वोन्मुखी उपकरण माना जाता है । "य एष सुप्तेषु जागर्ति" (ऐसा व्यक्ति जो अन्य सुप्त व्यक्तियों में जाग रहा है) के सिद्धांत से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला वृत्ति का सदस्य (सीए) अधिकाधिक रूप से एक सकल कारबार समाधान प्रदान करने वाले वृत्तिक के रूप में देखा जा रहा है । आईसीएआई पिछले 59 वर्षों से लेखांकन वृत्ति के मानकीकरण का पर्याय रहा है और वह यह सुनिश्चित करने के प्रति सदैव सचेत रहा है कि एकाउन्टेन्टों का प्रशिक्षण विश्व के सर्वोत्तम प्रशिक्षणों के समतुल्य हो । अपने 60 वर्ष के जीवन में, यह उल्लेख करना अत्यधिक संतोषप्रद है कि हमारे राष्ट्र के नेताओं ने सदैव राष्ट्र निर्माण के प्रति आईसीएआई के सहयोग को अभिस्वीकार किया है ।

आर्थिक उदारता, वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी ने लाखों अवसरों को जन्म दिया है और भारत में लेखांकन वृत्ति इस अवसर का सकल उपयोग करने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है । यह उपदर्शित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं कि भारतीय लेखांकन वृत्ति द्वारा रखी जाने वाली जानकारी प्रौद्योगिकी नवीनताओं और वैश्वीकरण की ऐसी नई लहरों के प्रभाव को उपदर्शित करती है, जो इस समय पूरे विश्व को समाविष्ट कर रही है । परिषद् का यह भी दृढ़ विश्वास है कि किसी देश में सुदृढ़ वित्तीय अवसंरचना बनाने के लिए एक सुदृढ़ लेखांकन वृत्ति सफलता की कुंजी है और यह प्रत्यक्ष रूप से उस देश और व्यष्टिक कंपनियों की उस सक्षमता को उपदर्शित करती है जिसके भीतर वह *प्रतिस्पर्धात्मक* लागत पर पूंजी जुटा सकते हैं । इस उद्देश्य के लिए, *आईसीएआई* ने सर्वोत्तम *अंतर्राष्ट्रीय* व्यवहारों को सम्मिलित करते हुए सर्वश्रेष्ठ भारतीय लेखांकन, संपरीक्षा और आश्वासन मानकों को समाविष्ट करने वाले भारतीय लेखांकन मानकों को विकसित किया है और उनकी अधिसूचना को समर्थ बनाया है ।

1. परिषद्

32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित 8 सदस्यों वाली बीसवीं परिषद् का गठन 5 फरवरी, 2007 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था । वर्ष 2007-2008 के लिए परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है ।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित) की धारा 17 और धारा 21घ, जो 17 नवंबर 2006 से प्रवृत्त है, के अधीन, 5 फरवरी, 2008 को वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में चार स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन किया था । विज़न वक्तव्य, 2021 बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन समिति का गठन किया गया था । 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 153 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान 155 बैठकें की गई थीं ।

3. संपरीक्षक

सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल, एफसीए और सीए प्रमोद जैन, एफसीए वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे । परिषद् उनकी सेवाओं की प्रशंसा करती है ।

4. स्थायी समितियां

4.1 *कार्यपालक* - समिति

यह समिति छात्रों/सदस्यों/फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, उन्हें हटाए जाने और उन्हें पुनःसदस्य बनाने के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र के निर्गमन समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर, छात्रों से संबंधित सब विषयों पर जिनमें कोई अनुज्ञा देना, जहां अपेक्षित हो, छात्रों/सदस्यों/फर्मों की ओर से किए गए विलम्ब की माफी, भी शामिल है, शाखाओं से संबद्ध विषयों, जिनमें नई शाखाएं खोलना, नए चैप्टर खोलना और विदेशों में कार्यालय खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों आदि पर भी विचार करती है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा परिषद् को की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं :

- लेखांकन तकनीशियनों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंसी - पाठ्यक्रम की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एकीकृत स्कीम ।
- कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना ।
- भारत से बाहर आर्टिकल्ड सहायकों के प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन विरचित करना ।
- आर्टिकल्ड सहायकों के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में प्रारूप संशोधन करना ।
- सीए छात्रों के लिए नियमित कक्षा पाठन प्रारंभ करना ।
- प्रारूप संख्या 118 - प्रिंसीपल की प्रास्थिति में परिवर्तन - विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप, यदि वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी नियोजक का त्याग कर देता है किन्तु स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं करता है और वह आर्टिकल्ड सहायकों को शिक्षित करने के लिए हकदार नहीं है ।
- प्रारूप सं. 119 और 120 - आर्टिकल्ड सहायक द्वारा क्रमशः आर्टिकल पूरा करने और आर्टिकल समाप्त होने की दशा में, अपने प्रिंसीपल को सेवा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध करने संबंधी प्रारूप ।
- छात्र संबंधी विषयों का अध्ययन करने संबंधी कार्यकारी समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर सुझाव ।
- साधारण प्रबंध, व्यक्तित्व का विकास और संपर्क संबंधी दक्षता विषय पर तीन मास का आवासी माड्यूलर कार्यक्रम प्रारंभ करना ।
- सीए छात्रों के रजिस्ट्रीकरण के पुनःविधिमान्यकरण संबंधी अपील ।
- बी.कॉम परीक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को आईसीएआई स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता के साथ प्रतिभा निधि का सृजन करना ।
- सामान्य प्रवीणता परीक्षण (सीपीटी) परीक्षा को वर्ष में दो बार आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव ।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की सत्यापन फीस को पुनरीक्षित करके उसे बढ़ाना ।
- सूचना संपरीक्षा प्रणाली निर्धारण परीक्षण को एक वर्ष में चार बार कराए जाने की बजाए वर्ष में दो बार कराए जाने संबंधी प्रस्ताव ।
- पश्चिमी क्षेत्र में नासिक, जलगांव, थाणे और वसई में तथा दक्षिणी क्षेत्र में गुन्टूर में छात्र संगम की शाखाएं स्थापित करना ।
- सदस्यता के भूतलक्षी प्रभाव से रजिस्ट्रीकरण हेतु सदस्यों के लिए ओपन एंडिड साधारण क्षमा स्कीम ।
- प्रमाणपत्र/अध्येता वृत्ति./सीओपी प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति तैयार करने के लिए फीस में वृद्धि ।
- वैकल्पिक विवाद समाधान प्रकोष्ठ का गठन ।
- पश्चिमी क्षेत्र में पिम्परी चिंचवाड़ क्षेत्र तथा अमरावती और मध्य क्षेत्र में अलीगढ़ में शाखाओं की स्थापना ।
- प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं का कार्यकरण ।
- उद्योग में कार्यरत सदस्यों संबंधी समिति द्वारा 'कारपोरेट कम्यूनिकी' न्यूज लेटर का प्रकाशन पुनः प्रारंभ करना ।

- विदेशी सदस्यों के लिए ई-न्यूज लेटर प्रारंभ करना ।
- प्रादेशिक परिषदों द्वारा समितियों के सृजन संबंधी मार्गदर्शन ।
- सदस्यों/गैर-सदस्यों से क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं की भवन परियोजनाओं हेतु अभिदाय स्वीकार करने तथा हॉल/परिसरों को ऐसे दानकर्ताओं के नाम पर नामित करने संबंधी मार्गदर्शनों का पुनर्विलोकन ।
- भारत से बाहर चैप्टरों के कार्यकरण से संबंधित पुनरीक्षित मार्गदर्शन ।
- बाहरी निकाय/निकायों के संबंध में परिषद् के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों की रिपोर्ट/रिपोर्टों पर विचार करने और रिपोर्ट/रिपोर्टों के प्रारूप को विकसित करने के विषय में पुनरीक्षित प्रक्रिया ।
- आईसीएआई की नवसृजित समितियों के निर्देश निबंधनों को तय करना और कतिपय विद्यमान समितियों के निर्देश निबंधनों का पुनरीक्षण ।
- प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं को भवन अनुदान के मान का पुनरीक्षण ।
- शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के अधीन फाइनल परीक्षा में उपसंजात होने के लिए सन्नियमों को शिथिल करना ।
- भारतीय सीए फर्मों के साथ नेटवर्क बनाने के इच्छुक अस्तित्वों से संबंधित प्ररूप 'घ'
- ' दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट' जर्नल के लिए वर्गीकृत विज्ञापनों की दर में वृद्धि ।
- राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में प्रस्थापित वैकल्पिक भूमि का उपापन और उस पर आईसीएआई परिसर का संनिर्माण ।
- मस्कट, ओमान सल्तनत और न्यूयार्क, यूएसए में आईसीएआई की चैप्टरों की स्थापना ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

- सीए पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए आयोजित की जाने वाली एकदिवसीय संगोष्ठियों हेतु शाखाओं को दिए जाने वाले अनुदान के वर्तमान स्तर को पांच हजार रुपए प्रति कार्यक्रम से बढ़ाकर दस हजार रुपए प्रति कार्यक्रम करने के लिए अध्ययन बोर्ड की सिफारिश का अनुमोदन ।
- सीए छात्रों के लिए प्रादेशिक/उप-प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए अनुदान में वृद्धि ।
- अखिल भारतीय/प्रादेशिक स्तर के वक्तृत्व/क्विज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बाहर रहने वाले छात्रों को दैनिक भत्ता प्रदान करने की अवधि में वृद्धि ।
- सतत् वृत्तिक जानकारी के लिए प्रादेशिक कार्यालयों/छात्र संघों को संदेय किए जाने वाले अनुदान का अनुमोदन ।
- वार्षिक रिपोर्टों के तकनीकी पुनर्विलोककों को संदेय मानदेय में वृद्धि करने का अनुमोदन ।
- आईसीएआई में विद्यमान मानव संसाधन व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए मानव संसाधन अभिकरण की नियुक्ति ।
- बैंककारी क्षेत्र प्रसुविधा के लिए एक परामर्शी की नियुक्ति ।
- सदस्यों को ब्लेजरों का प्रदाय ।
- सेक्टर 62, नोएडा में भवन के निर्माण के लिए संविदा प्रदान करना

- सॉफ्टवेयर के प्रदाय तथा सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए टैली (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू को अंतिम रूप देना ।
- निगम टिकट बुक करने संबंधी स्कीम के लिए विभिन्न एयरलाइनों के साथ निगम करार करना ।
- आईसीएआई के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड प्रारंभ करना ।
- लोक वित्त संबंधी समिति के संबंध में राज्य स्तरीय समितियों का गठन करना ।
- विषयवार ध्यान केन्द्रित करते हुए अध्ययन बोर्ड के संकाय को सुदृढ़ बनाना ।
- छात्रों को परामर्शी मानकीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकारी/परामर्शी उपलब्ध कराना ।
- आईसीएआई की प्रकाशन नीति तैयार करना ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करना ।
- ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न विषयों पर व्याख्यानों का प्रसारण करना ।
- आईएसए के परीक्षाओं के लिए संदेय मानदेय की दरों में पुनरीक्षण करना ।
- शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों में लेख/पत्थरों/स्तंभों को प्रतिष्ठापित करने तथा साथ ही प्रयोजन के लिए अवसर को विनिर्दिष्ट करने संबंधी मार्गदर्शनों को तैयार करना ।
- प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को संदेय राजस्व अनुदान को, उनके अंतर्गत आने वाले सदस्यों के आधार पर पुनरीक्षित करना ।

4.2 वित्त समिति

परिषद् की यह स्थायी समिति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण अस्तित्व में आई । केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियमों में संशोधनों का अनुमोदन लंबित रहने के दौरान, यह समिति, पूर्व में केन्द्रीय बजट और वित्त समिति को समनुदेशित कृत्यों और ऐसे किसी अन्य कृत्य का निष्पादन करेगी, जिसे समय-समय पर समनुदेशित किया जाए । विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में, जिन्हें पहले ही टिप्पणियों के लिए प्रकाशित कर दिया गया है, अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर, समिति के कृत्यों में सत्य और सही लेखाओं का रखा जाना, वार्षिक बजट तैयार करना, निधियों का नियंत्रण, निधियों का निवेश, निधि से आहरण करना आदि सम्मिलित हो जाएगा ।

4.3 परीक्षा समिति

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फाइनल, वृत्तिक शिक्षा-II और वृत्तिक शिक्षा- I परीक्षाएं नवंबर, 2007 में अबू धाबी, दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त देश भर के 105 शहरों में क्रमशः 162, 172 और 128 केन्द्रों पर आयोजित की गई और मई, 2008 में अबू धाबी, दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त 105 शहरों में क्रमशः 173 और 175 केन्द्रों पर आयोजित की गई । वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पीसीई) का आयोजन नवम्बर, 2007 में 74 केन्द्रों और मई, 2008*में 129 केन्द्रों पर किया गया था । सामान्य प्रवीणता परीक्षण (सीपीटी) का आयोजन अगस्त, 2007, नवंबर, 2007, फरवरी, 2008 और तत्पश्चात् जून, 2008 में किया गया था । पहली तीन सीपीटी परीक्षाओं का अबू धाबी, दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त देश भर के 112 शहरों में क्रमशः 203, 196, 192 तथा 207 केन्द्रों में आयोजन किया गया था और जून, 2008 की सीपीटी परीक्षा का आयोजन अबू धाबी, दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त देश भर के 111 शहरों में किया गया था ।

नवंबर, 2007 में आयोजित फाइनल, वृत्तिक शिक्षा-II और वृत्तिक शिक्षा- I परीक्षाओं और वृत्तिक सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः 23976, 48306, 1323 और 180 थी और मई 2008 में क्रमशः 25625, 33395 और 2713 (वृत्तिक सक्षमता परीक्षा) थी । अगस्त, 2007, नवंबर, 2007, फरवरी, 2008

और तत्पश्चात् जून, 2008 में कराई गई सीपीटी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः 77691, 74130, 56307 और 76026 थी ।

उपरोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, वर्ष के दौरान सितंबर, 2007, दिसंबर, 2007 तथा जून, 2008 में सूचना पद्धति संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षण (आईएसए-एटी) पर अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम निर्धारण परीक्षाएं भी आयोजित की गई । साथ ही, निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-I) और कर प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-I) की परीक्षाओं के अलावा, जो मई, 2008 में छात्रों की परीक्षाओं के साथ आयोजित की गई थी, प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम (भाग-I) की परीक्षाएं नवंबर, 2007 और मई, 2008 में आयोजित की गई । बीमा जोखिम प्रबंध में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम परीक्षा का सफल आयोजन नवंबर, 2007 और मई, 2008 में किया गया । पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम परीक्षा का सफल आयोजन नवंबर, 2007 और मई, 2008 में हुआ ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित सुविधाएं जारी रही :-

- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् मुख्य परीक्षाओं के लिए नवंबर, 2007 की परीक्षा से बेल्लारी, राऊरकेला और तूतीकोरिन में नए परीक्षा केन्द्रों को स्थापित किया गया है ।
- नवंबर, 2007 और मई, 2008 परीक्षाओं के लिए भी ओएमआर प्रारूप में परीक्षा आवेदन पत्र जारी रखे गए और अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिए गए जिनमें उनके स्कैंड फोटो चित्र और नमूना हस्ताक्षर थे । इससे अभ्यर्थियों को अलग से पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं रही ।
- परीक्षा आवेदन पत्र, आईसीएआई के सभी प्रादेशिक कार्यालयों और प्रादेशिक परीषदों की शाखाओं के अलावा, दिल्ली, कोलकाता, और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराना जारी रखा गया । अभ्यर्थियों को ओएमआर आवेदन पत्र में उनके द्वारा बताए गए निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को आगे बढ़ाया गया ।
- ऐसे स्थानों पर, जहां आईसीएआई के प्रादेशिक/विकेन्द्रिकृत कार्यालय स्थित थे, अर्थात् अहमदाबाद, बंगलोर, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई और पुणे में निवास करने वाले छात्रों को विलंब फीस के साथ आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक संबंधित कार्यालयों में विलंब फीस सहित आवेदन प्ररूप जमा कराने की प्रसुविधा प्रस्थापित की गई थी
- परीक्षाफल और अंकों को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है । वेबसाइट पर योग्यता-सूची से संबंधित सूचना को भी परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही प्रदर्शित किया गया ।
- आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों और प्रादेशिक परीषदों की शाखाओं द्वारा परीक्षाफल और अंक डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही उपलब्ध कराई गई ।
- घोषणा होने पर, परीक्षा फल का पता लगाने के लिए अग्रिम अनुरोध दर्ज करने की सुविधा जारी रखी गई है और उसे दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा फल की घोषणा के तुरंत बाद ई-मेल से उनके परीक्षाफल उपलब्ध कराए गए ।
- नवंबर, 2007 और मई 2008 परीक्षाओं के प्रवेश कार्ड को ई-मेल क्वैरी के द्वारा विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना जारी रखा गया ।
- नवंबर, 2007 और मई, 2008 की परीक्षाओं के परिणाम एसएमएस तरीके से उपलब्ध कराने जारी रखे ।

श्रीलंका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान ने आईसीएआई की तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से सितंबर, 2007 और मार्च, 2008 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) निर्धारण परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की ।

4.4 अनुशासन समिति

यह समिति आईसीएआई द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता का स्तर और मानक बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है । 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 की अवधि में उन सदस्यों के खिलाफ जिनके मामले प्रथम दृष्टया राय पर परिषद् द्वारा उसके पास भेजे गए हैं, अनुशासनिक जांच करने के अपने कृत संकल्प उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए समिति ने देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 21 दिन तक 11 अवसरों पर अपनी बैठकें कीं । वर्ष के दौरान, समिति ने 49 मामलों में अपनी जांच पूरी की । इसमें वे मामले भी शामिल थे जो परिषद् द्वारा पूर्व वर्षों में भेजे गए थे ।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

देश में उत्तम और विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विश्व भर के देश ऐसे लेखांकन मानकों को तैयार कर रहे हैं जिन्हें साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपनाया जाएगा । भारत में, लेखांकन मानकों को तैयार करने का कार्य आईसीएआई द्वारा किया जाता है, जो देश का सर्वोच्च लेखांकन निकाय है । आईसीएआई द्वारा वर्ष 1977 में गठित लेखांकन मानक बोर्ड इस दिशा में विनिर्दिष्ट रूप से कार्य कर रहा है । इसकी स्थापना से ही, एएसबी नए लेखांकन मानकों को उपलब्ध कराके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों को, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस)/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप बनाने के लिए पुनरीक्षण करके देश की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में सकल गुणात्मक सुधार लाने के लिए कार्य कर रहा है । लेखांकन मानक बोर्ड, विभिन्न घोषणाएं भी जारी करता है, जिससे कि लेखांकन मानकों का एक समान उपयोजन सुनिश्चित किया जा सके और लेखांकन मानकों के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके ।

आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानकों को, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 211(3क), (3ख) और (3ग) के अंतःस्थापन के साथ ही अक्तूबर, 1998 में विधिक मान्यता प्रदान की गई थी । कंपनी अधिनियम की धारा 211 (3ग) यह उपबंध करती है कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा एनसीएएस के परामर्श से विहित किया जा सकेगा और धारा 211(3ग) के परंतुक के अनुसार, सरकार द्वारा लेखांकन मानकों को अधिसूचित किए जाने तक, कंपनियों से आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है । वर्ष 2006 में, भारत सरकार के, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन राजपत्र में अपनी तारीख 7 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना द्वारा लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को विहित किया है, जो इन लेखांकन मानकों के प्रकाशन की (अर्थात् 7 दिसंबर, 2006) या उसके पश्चात् की लेखांकन अवधियों के संबंध में प्रभावी होंगे ।

वर्तमान समय की प्रमुख विशिष्टता वैश्वीकरण है और पूरे विश्व के कारबारी अपने संकर्मों का विस्तार करने और उनमें विविधता लाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए किसी अस्तित्व के वित्तीय विवरणों के उपयोक्ता किसी एक देश तक ही सीमित नहीं हैं । अतः पूरे विश्व द्वारा स्वीकृत और उच्च क्वालिटी के लेखांकन मानकों के एक एकल सेट की मांग को प्रायः मान्यता प्रदान की गई है । आईएएसबी द्वारा जारी किए जा रहे आईएएस और आईएफआरएस को उत्तरोत्तर रूप से वैश्विक रिपोर्टिंग मानकों के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है और अनेक देश या तो आईएएस/आईएफआरएस को अपना रहे हैं या उनके अनुसार समायोजन कर रहे हैं । यद्यपि आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक मुख्यतः आईएएस/आईएफआरएस पर आधारित हैं, फिर भी कतिपय मामलों में देश की विधिक और विनियामक अपेक्षाओं और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन मानकों को आईएएस/आईएफआरएस से विचलित किया गया है । अतः, आईएफआरएस के प्रति वर्तमान वैश्विक झुकाव के अनुरूप और भारत को एक महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हुए आईसीएआई, आईएफआरएस से समाभिरूपता की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है । यह समाभिरूपता, अन्य बातों के साथ, भारतीय अस्तित्वों को कम लागत पर विदेशों से पूंजी उगाहने में सहायता करेगी और चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को भारतीय वृत्तिकों के लिए विदेशों में बढ़ते हुए अवसरों के कारण फायदा प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी । तदनुसार,

आईएफआरएस के साथ पूर्ण समाभिरूपता प्राप्त करने के उद्देश्य से, एएसबी ने आईएफआरएस से समाभिरूपता के प्रति रुख का पता लगाने और आईएफआरएस से समाभिरूपता प्राप्त करने के लिए एक योजना अधिकथित करने हेतु, जिससे कि भारत को आईएफआरएस अनुवर्ती बनाया जा सके, वर्ष 2006 में एक कार्यबल का गठन किया था । इस कार्यबल ने एक अवधारणा पत्र तैयार किया था जिसे एएसबी और परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया था । इस अवधारणा पत्र में की गई प्रमुख सिफारिश यह है कि लोकहित अस्तित्वों, जैसे कि सूचीबद्ध अस्तित्वों, बैंकों और बीमा अस्तित्वों तथा बड़े आकार के अस्तित्वों के लिए, सरकार और अन्य विनियामक निकायों द्वारा इसके पुष्टिकरण के अधीन रहते हुए 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों से आईएफआरएस से समाभिरूपण किया जाए । इस विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए, एएसबी ने वर्ष 2011 से आईएफआरएस के प्रति सुगम अंतरण हेतु विभिन्न कृत्य करने के लिए आईएफआरएस से समाभिरूपण का कार्यान्वयन संबंधी एक समूह का गठन किया है ।

समूह ने, एएसबी की कार्य योजना तैयार करने और आईएएसबी के साथ परस्पर संपर्क करने, सरकार और विनियामक प्राधिकारियों से संपर्क करने, उद्योग संगमों के साथ परस्पर संपर्क करने तथा सदस्यों को समाभिरूपता के लिए तैयार करने हेतु उन्हें आईएफआरएस संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आगे और चार उप समूहों का गठन किया है । सभी उपसमूहों ने कार्यकरण करना आरंभ कर दिया है । इसके अतिरिक्त, एएसबी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत 1 अप्रैल, 2011 से पूर्व ही आईएफआरएस की सारवान संख्या के संबंध में आईएफआरएस-अनुवर्ती बन जाए, एक कार्य योजना तैयार की है । इस संबंध में, एएसबी ने भारतीय एएस के साथ अंतरों और भारतीय परिस्थितियों में उनके महत्व के आधार पर, 18 आईएएस/आईएफआरएस की पहचान की है जिनके संबंध में अगले दो वर्षों या कुछ और समय के भीतर भारतीय - समतुल्य जारी किए जाएंगे ।

इस दिशा में अग्रसर होते हुए, इस अवधि के दौरान आईसीएआई ने अपने लेखांकन मानक बोर्ड के माध्यम से वित्तीय लिखतें : मान्यता और माप तथा वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखांकन मानक (एएस) 30 और 8 लेखांकन मानकों अर्थात् एएस 2, एएस 11 (पुनरीक्षित 2003), एएस 21, एएस 23, एएस 26, एएस 27, एएस 28 और एएस 29 के पारिणामिक सीमित पुनरीक्षण जारी किए हैं । दोनों एएस 30 और एएस 31 पूर्णतया तत्समान अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों, अर्थात् आईएएस 39 और आईएएस 32 के साथ समाभिरूपित हैं । आईएएस 19 की रूपरेखा के अनुसार मानक के संक्रमणकालीन उपबंधों का संशोधन करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 15, कर्मचारी फायदे (पुनरीक्षित 2005) का सीमित पुनरीक्षण भी जारी किया गया है । इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षित लेखांकन मानक एएस 10, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को लेखांकन मानक (एएस)2, सूचियों का मूल्यांकन के सीमित पारिणामिक पुनरीक्षण के साथ, पुनरीक्षित लेखांकन मानक (एएस) 12, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन को, और नए लेखांकन मानक (एएस) 32, वित्तीय लिखतें : प्रकटन को भी, लेखांकन मानक (एएस) 19, पट्टे में पारिणामिक सीमित पुनरीक्षण, के साथ शीघ्र ही जारी किया जाना है, जो तत्समान आईएफआरएस से पूर्णतया समाभिरूपित होंगे । इसके अतिरिक्त, लेखांकन मनक (एएस) 29, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां के सीमित पुनरीक्षण को भी शीघ्र ही जारी किया जाएगा ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड की अन्य गतिविधियों का संक्षिप्त पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

5.1.1 उत्सर्जन अधिकारों हेतु लेखांकन के लिए कार्य बल का गठन

अभी हाल ही में, अनेक भारतीय कंपनियों ने कार्बन व्यापार (उत्सर्जन अधिकारों) से बड़ी राशियां अर्जित करना आरंभ किया है । तथापि, इसके महत्वपूर्ण हो जाने के बावजूद भी, वर्तमान में उत्सर्जन अधिकारों हेतु लेखांकन के संबध में कोई प्राधिकृत उदघोषणाएं विद्यमान नहीं हैं । भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस विषय की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए एएसबी ने प्रस्तावित लेखांकन मानक विकसित करने के लिए नवंबर, 2007 में एक कार्यबल का गठन किया था । इस प्रयास में एएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के साथ, जिसने हाल ही में इस परियोजना को अपनी कार्यसूची में रखा है, सहयोग करने का प्रस्ताव किया है ।

5.1.2 उदघोषणाएं जारी करना

एएसबी ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित उदघोषणाओं की विरचना की है, जिन्हें परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया था :

- 'लेखांकन मानक (एएस)11 (पुनरीक्षित 2003) के अधीन विनिमय अंतरों का उपचार, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 की तुलना में' विषय पर परिषद् द्वारा जारी की गई उदघोषणा को वापस लेना ।
- लेखांकन मानक (एएस) 15, कर्मचारी फायदे (पुनरीक्षित 2005) के संक्रमणकालीन उपबंधों में संशोधन द्वारा अनुज्ञात वैकल्पिक उपचार अपनाने के लिए किसी अस्तित्व को विकल्प प्रदान करना ।
- 'किसी सुदृढ़ प्रतिबद्धता या किसी उच्च संभाव्यता वाले पूर्व अनुमानित संव्यवहार के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए की गई किसी अग्रिम विनिमय संविदा के कारण उदभूत होने वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन' विषय पर उदघोषणा को वापस लेना ।
- आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों के बीच विभिन्न अंतरों को कम करना ।
- व्युत्पन्नों के लिए लेखांकन ।

5.1.3 अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड (आईएएसबी) के क्रियाकलापों में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना

एएसबी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भाग लेने के लिए और आईएएस/आईएफआरएस को लेखांकन मानकों की विरचना का आधार बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर आईएएसबी से परस्पर क्रिया करता है, जैसे कि—

- आईएएसबी के विभिन्न प्रारूप आईएफआरएस की अन्य प्रारूप उदघोषणाओं पर टिप्पणियां भेजना ।
- विश्व मानक निर्धारकों और प्रादेशिक मानक निर्धारकों की आईएएसबी के साथ बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना ।
- आईएएसबी की विभिन्न चालू परियोजनाओं संबंधी चर्चाओं में योगदान ।

इस अवधि के दौरान समाभिरूपण की दिशा में अग्रसर होते हुए, अध्यक्ष और सचिव, एएसबी ने आईएएसबी द्वारा 24 और 25 सितम्बर, 2007 को लंदन में आयोजित विश्व मानक निर्धारकों के सम्मेलन में भाग लिया था, जहां अध्यक्ष, एएसबी ने भारत में आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण-योजनाएं और चुनौतियां, विषय पर एक प्रस्तुतीकरण किया था, जिसकी काफी प्रशंसा हुई थी । ऐसे देशों ने, जहां पहले ही आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण हो चुका है और ऐसे देशों ने भी, जिन्होंने समाभिरूपण की उदघोषणा की है तथा ऐसे देशों ने भी जो समाभिरूपण की योजना बना रहे हैं, समाभिरूपण के संबंध में अपने-अपने अनुभवों का परस्पर आदान-प्रदान किया ।

23 सितम्बर, 2007 को राष्ट्रीय मानक निर्धारकों की लंदन में हुई एक और बैठक में एएसबी के अध्यक्ष और सचिव ने भाग लिया था । इस बैठक में अन्य अनुसंधान पत्रों के अलावा, भारत और कनाडा द्वारा दर-विनियमित अस्तित्वों हेतु लेखांकन विषय पर एक प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

आईएएसबी के दल, सर डेविड ट्विडी, अध्यक्ष, (आईएएसबी) और श्री वारेन मैकग्रेगर, बोर्ड सदस्य के साथ प्रादेशिक मानक निर्धारकों की एक बैठक 27 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के देशों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था । इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आईएएसबी को भारत में आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण की प्रास्थिति से अवगत कराना था और साथ ही आईएएसबी के समक्ष एकाउन्टेन्टों की दक्षिण एशियाई फेडरेशन (एसएएफए) क्षेत्र के देशों की चिंताओं को प्रस्तुत करना था ।

श्री हिरोशी एंडो, प्रबंध निदेशक, वित्तीय लेखांकन मानक फाउंडेशन, (एफएएसएफ) सहित जापान के लेखांकन मानक बोर्ड के एक दल ने मार्च, 2008 में आईसीएआई का दौरा किया था और दोनों बोर्डों ने आईएफआरएस को अपनाए जाने के संबंध में अपने अनुभवों को परस्पर बांटा था तथा आईएफआरएस को अपनाए जाने के संबंध में सन्निकट होकर कार्य करने की वांछा की थी । श्री पियरे डेलसाक्स, निदेशक के नेतृत्व में यूरोपियन कमीशन, इंटरनल मार्केट के एक दल ने भी 7 मार्च, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया था तथा आईएफआरएस को अपनाए जाने के संबंध में आईसीएआई की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया था । यह आशा की जाती है कि वे आईएफआरएस- समतुल्य तंत्र के अधीन भारतीय एएस पर विचार करेंगे ।

5.1.4 लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) के साथ परस्पर क्रिया

एनएसीएएस ने आईसीएआई द्वारा इस अवधि के दौरान विरचित पुनरीक्षित लेखांकन मानक (एएस) 12, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन पर विचार किया । एएसबी ने एनएसीएएस द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया और एएसबी के समाधानप्रद रूप में समुचित रीति से उनका समाधान किया ।

5.1.5 विनियामक निकायों के साथ परस्पर क्रिया

प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण, आईसीएआई, एएसबी के माध्यम से विभिन्न लेखांकन विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया करता है ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, मार्च, 2008 में भारत में आईएएसबी दल के दौरे के दौरान, आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण के संबंध में अपने विचारों पर विचार-विमर्श करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के पदधारियों के साथ बैठकें की गई थीं ।

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन संबंधी समिति

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकाधिक स्थानीय निकाय लेखांकन के नकद आधार से प्रोदभवन आधार पर स्थानांतरित हो रहे हैं, स्थानीय निकायों के लिए उच्च क्वालिटी के वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के एक एकल सेट की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, परिषद् ने मार्च, 2005 में स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी एक स्वतंत्र समिति (सीएएसएलबी) का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रोदभवन आधार पर स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक तैयार करना था ।

सीएएसएलबी की संरचना काफी व्यापक है और यह मानक नियतन प्रक्रिया में सभी हितबद्ध समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करती है । आईसीएआई की परिषद् के सदस्यों के अलावा सीएएसएलबी में शहरी विकास मंत्रालय, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा महानियंत्रक, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, पंचायती राज मंत्रालय, प्रमुख स्थानीय निकायों के निदेशालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभागों के निदेशालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और आईसीएआई द्वारा सहयोजित अन्य सुविख्यात वृत्तिक सम्मिलित हैं ।

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक विरचित करने के अलावा, समिति स्थानीय निकायों की लेखांकन पद्धतियों और प्रणालियों में सुधार करने के लिए भी उपाय करती है और वह स्थानीय निकायों द्वारा प्रोदभवन लेखांकन अपनाने और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों के प्राक्कथन में यथा अधिकथित लेखांकन मानकों को लागू करने में आने वाली समस्याओं के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के मंच के रूप में कार्य करती है ।

स्थानीय निकायों के लेखांकन मानक विरचित करते समय, सीएएसएलबी अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन फेडरेशन (आईएफएसी) के अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों पर सम्यक रूप से विचार करता है और वैश्विक संगतता को सुकर बनाने के विचार से उन्हें यथा संभव रूप से एकीकृत करने की चेष्टा करता है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने स्थानीय निकायों के लिए 'विनियम संव्यवहारों से राजस्व' और 'उधार लेने संबंधी लागत' विषयों पर दो प्रस्तावित लेखांकन मानकों के उदभासन प्रारूप को जारी किया है, जिन पर 31 जुलाई, 2008 तक जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं ।

'स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय रिपोर्टों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए ढांचे' के प्रारूप को, विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और आईसीएआई के परिषद् सदस्यों के बीच उसके सीमित परिचालन पर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर लोक उद्भासन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है । प्रारूप ढांचा ऐसी अवधारणाओं को अधिकथित करता है, जो वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने में आधारिक हैं और जो समिति के स्थानीय निकायों के लिए भावी लेखांकन मानकों के विकास में सहायता करेंगे । 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण' संबंधी स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक के प्रारूप को विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और परिषद् सदस्यों के बीच सीमित परिचालन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है । सीएएसएलबी ने अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के तत्समान स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों को तैयार करने के लिए अनेक अन्य परियोजनाएं भी आरंभ की हैं ।

समिति, अपने अंत उपयोक्ताओं के लिए, उनमें वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधारों के फायदों के बारे में जागरूकता बनाने के लिए कार्यशालाओं/संगोष्ठियों को आयोजित करने का प्रस्ताव कर रही है । समिति चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए भी, उनके बीच स्थानीय निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली सुधार प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप उभरने वाले अवसरों के संबंध में जागरूकता बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने का प्रस्ताव कर रही है ।

आईसीएआई, सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) का सदस्य है और इसे जीएएसएबी द्वारा समय-समय पर विरचित विभिन्न उप समितियों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान आयोजित जीएएसएबी की बैठकों में भाग लिया और बोर्ड की तकनीकी गतिविधियों में योगदान दिया । सीएएसएलबी, जीएएसएबी द्वारा तैयार विभिन्न प्रक्रमों के प्रारूपों पर टिप्पणियां तैयार करता है ।

5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

आईसीएआई के प्रमुख उद्देश्यों में सदैव यह एक उद्देश्य रहा है कि उच्च क्वालिटी के संपरीक्षा मानकों को विकसित करके उनका संवर्धन किया जाए । संपरीक्षा मानकों की विरचना वृत्तिकों के कार्यों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, जो कारबार उद्यमों द्वारा रिपोर्ट की जा रही वित्तीय सूचना के संबंध में समाज का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक है । औपचारिक रूप से 1952 में स्थापित संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी), जो आईसीएआई की गैर - स्थायी समितियों में से एक है, को संपरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासन, क्वालिटी नियंत्रण और संबद्ध सेवाओं से संबंधित उच्च क्वालिटी मानकों की विरचना करने और उन्हें जारी करने का क्रांतिक कार्य सौंपा गया है, इस कार्य में, देश में संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करना अंतर्वलित है और इस प्रकार यह आज्ञापक प्रकृति का कार्य है । इन मानकों को विकसित करते समय, बोर्ड आईएफएसी के अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) द्वारा जारी तत्समान अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अपेक्षाओं और साथ ही भारत में लागू विधियों, प्रथाओं, रिवाजों और कारबार संबंधी परिस्थितियों पर विचार करता है ।

मानकों के अलावा, बोर्ड परिषद् के प्राधिकार के अधीन मार्गदर्शक टिप्पणों की विरचना करता है और उन्हें जारी करता है । मार्गदर्शक टिप्पणों को साधारणतया, संपरीक्षकों के समक्ष संपरीक्षा मानकों के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए तैयार किया जाता है । मार्गदर्शक टिप्पण प्रकृति में साधारण या उद्योग विनिर्दिष्ट हो सकते हैं । बोर्ड, सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए अपने स्वयं के प्राधिकार के अधीन तकनीकी गाइडों, व्यवहार संबंधी मैनुअलों, अध्ययनों और अन्य पत्रों की भी विरचना करता है । क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी मानकों से संबंधित एक कार्यान्वयन गाईड भी तैयार कर रहा है ।

बोर्ड की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानक

- **क्वालिटी नियंत्रण मानक**

क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, " ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं, क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन"

- **नियोजन मानक**

संपरीक्षा संबंधी 30 मानक, जिनके अंतर्गत क्लैरिटी परियोजना के अधीन 4 मानक और 3 साधारण स्पष्टीकरण हैं ।

- पुनर्विलोकन नियोजन संबंधी एक मानक
- आश्वासन नियोजन संबंधी एक मानक
- संबंधित सेवाओं संबंधी 2 मानक
- **संपरीक्षा संबंधी विवरण और मार्गदर्शक टिप्पण**
  - 2 विवरण
  - लेखापरीक्षा मुद्दों पर 32 मार्गदशक टिप्पण, जैसा कि संपरीक्षा संबंधी पुस्तिका में दिए गए हैं ।
- **उदघोषणाएं**
- **उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक टिप्पण**
  - बैंकों की संपरीक्षा (पुनरीक्षित 2008 संस्करण)
  - स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के लेखाओं की संपरीक्षा
  - साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा
  - जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा
- **अन्य प्रकाशन (गैर-आधिकारिक)**
  - ए स्टडी ऑन मनी लौंडरिंग : ऐन एकाउन्टेन्ट्स परस्पेक्टिव
  - प्रैक्टिशनर्स गाईड टू ऑडिट ऑफ स्मॉल एन्टिटीज
  - " वाट इज ऐन ऑडिट - अंडरस्टैंडिंग ऐन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" पर पुस्तिका
  - प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पृष्ठभूमि कार्यक्रम
  - एसक्यूसी 1, " ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं, क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन" संबंधी कार्यान्वयन गाईड

5.3.1 वर्ष 2007-08

वर्ष के दौरान लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की 7 बैठकें हुई थी, जिनमें कुल 10 दिन की पूर्ण बोर्ड परिचर्चाएं हुई थी । बोर्ड ने उच्च पूर्विकता के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समाभिरूपण की महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रारंभ किया है । समाभिरूपण के प्रति पहले कदम के रूप में उसने कड़ी सम्यक् प्रक्रिया समाप्त करने के पश्चात् जुलाई, 2007 में " रिवाइज्ड प्रीफेस टू स्टैंडर्डस ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटिड सर्विसिज" को प्रकाशित किया । 1 अप्रैल, 2008 से लागू पुनरीक्षित प्राक्कथन, संपरीक्षा साहित्य को पूर्णतः परिवर्तित करने वाला है, इसमें विद्यमान अवधारणाओं के अलावा कुछ और मूल अवधारणाएं प्रस्थापित की गई हैं । भविष्य में एएएसबी द्वारा जारी किए जाने वाले नए मानक संयुक्त रूप से नियोजन मानकों के रूप में ज्ञात होंगे

और उनमें संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए), पुनर्विलोकन नियोजन संबंधी मानक (एसआरई), आश्वासन नियोजन संबंधी मानक (एएसई) और संबंधित सेवाओं संबंधी मानक (एसआरएस) अंतर्विष्ट होंगे । प्राक्कथन, संपरीक्षा के उस विनिर्दिष्ट पहलू, जिससे वे संबंधित हैं, के आधार पर मानकों के प्रवर्गीकरण को अनिवार्य बनाता है और तदनुसार उन्हें उस प्रवर्ग से संख्यांक आबंटित किया जाएगा । प्राक्कथन यह भी उपबंधित करता है कि क्लैरिटी परियोजना के अनुसार जारी संपरीक्षा संबंधी मानकों को अब दो खंडों में विभाजित किया जाएगा, एक अपेक्षा संबंधी भाग, जिसमें मानक के मूल सिद्धांत अंतर्विष्ट होंगे और जो इस प्रकार प्रकृति में आज्ञापक होगा, और दूसरा उपयोजन मार्गदर्शन और परिशिष्ट, जिनमें ऐसे सिद्धांतों के कार्यान्वयन पहलुओं के ब्यौरे होंगे जिन्हें अपेक्षा के रूप में अधिरोपित करना आशयित नहीं है । प्राक्कथन में एक सम्यक् प्रक्रिया भी अंतर्विष्ट है, जिसमें ऐसी प्रक्रियाओं के ब्यौरे दिए गए हैं, जिनके द्वारा बोर्ड मानक/विवरण/मार्गदर्शन टिप्पण आदि जारी करेगा । ऐसी औपचारिक और ब्यौरेवार सम्यक् प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता को मजबूत करना, संक्षिप्तता को बढ़ावा देना और उत्तरदायित्व नियत करना है और इसलिए यह प्रकृति में अधिक कठोर है । सभी हितबद्ध समूहों से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, नई सम्यक प्रक्रिया यह उपबंध करती है कि परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति भी एएसबी में प्रतिनिधित्व करेंगे :

- वृत्ति के सुविख्यात सदस्य, चाहे वे उद्योग में हों या व्यवसाय में, बोर्ड के सहयोजित सदस्यों के रूप में ।
- 3 विनियामक निकायों, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में, प्रत्येक से एक विशेष आमंत्रिती ।
- भारतीय प्रबंध संस्थान (संस्थानों), या ऐसे किसी अन्य प्रमुख शैक्षणिक और/या अनुसंधान संगठन से, जिसे उचित समझा जाए, एक विशेष आमंत्रिती ।
- प्रमुख औद्योगिक संगम से एक विशेष आमंत्रिती ।
- लोक हित का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेष आमंत्रिती, उदाहरणार्थ जो अभिलाभ प्राप्त करने वाले संगठन आदि से नहीं है ।

नई सम्यक् प्रक्रिया यह भी उपबंध करती है कि कोई लोक संप्रेक्षक एएएसबी बैठक के ऐसे भाग में अपने स्वयं के व्यय से उपस्थित हो सकता है, जिसमें प्रस्तावित मानक/विवरण के उदभासन प्रारूप और उनसे संबंधित टिप्पणियों पर विचार-विमर्श किया जाना है । नई सम्यक् प्रक्रिया विनिर्दिष्ट रूप से यह अपेक्षा भी करती है कि एएएसबी की ऐसी बैठकों में एएएसबी के कम से कम दो तिहाई सदस्य या तो वैयक्तिक रूप से या एक साथ दूर संचार लिंक के माध्यम से भाग लेंगे, जिसमें किसी मानक या विवरण पर, चाहे वह किसी भी प्रक्रम पर हो, विचार करना प्रस्तावित है । वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा जारी किए गए दस्तावेज निम्नानुसार हैं :

- **आश्वासन नियोजनों के लिए ढांचा**

पुनरीक्षित ढांचा, संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए), पुनर्विलोकन नियोजनों संबंधी मानकों (एसआरई) और आश्वासन नियोजनों संबंधी मानकों (एसएई) को लागू करके आश्वासनों के नियोजनों के निष्पादन के लिए अवधारणाएं अधिकथित करता है ।

- **क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, "ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन"**

यह अन्य सभी मानकों के लिए मूल मानक है तथा क्वालिटी नियंत्रण के संबंध में सर्वव्यापक मानक है । यह मानक 1 अप्रैल, 2008 से सिफारिशात्मक है तथा 1 अप्रैल, 2009 से यह आज्ञापक हो जाएगा । जैसा कि नाम से पता चलता है, एसक्यूसी 1 में एक मात्र व्यवसायियों सहित संपरीक्षा फर्मों में क्वालिटी नियंत्रण (क्यूसी) प्रणाली को स्थापित करने और उसे बनाए रखने के संबंध में व्यापक अपेक्षाएं अंतर्विष्ट हैं । क्वालिटी नियंत्रण की प्रणाली के मुख्य कारक हैं - फर्म के भीतर क्वालिटी के लिए नेतृत्व उत्तरदायित्व ; नैतिक अपेक्षाएं - स्वतंत्रता ; ग्राहक संबंधों की स्वीकार्यता और उन्हें जारी रखना तथा विनिर्दिष्ट नियोजन ; मानव संसाधन - नियोजन दल का समनुदेशन ;

नियोजन कार्यपालन - परामर्श, राय में भेद, नियोजन क्वालिटी नियंत्रण पुनर्विलोकन ; मानीटरी और नियोजन क्वालिटी नियंत्रण पुनर्विलोकन का दस्तावेजीकरण - नियोजन दस्तावेजीकरण ।

- **संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 240, "वित्तीय विवरणों की किसी संपरीक्षा में कपट के संबंध में संपरीक्षक का उत्तरदायित्व"**

यह मानक किसी वित्तीय विवरण की संपरीक्षा में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व के प्रति एक जोखिम आधारित प्रस्ताव को अपनाता है । अतः यह मानक यह स्पष्ट करता है कि एसए 315, "अस्तित्व और इसकी परिस्थितियों के माध्यम से सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना" और एसए 330, "निर्धारित जोखिमों के प्रति संपरीक्षक की प्रतिक्रिया" में वर्णित सिद्धांतों को किस प्रकार ऐसे मामलों पर विचार करने में लागू किया जाएगा, जिनमें किन्हीं वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में कपट किया गया है । यह एसए 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षाओं के लिए प्रभावी है ।

- **संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 300, "वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा की योजना"**

यह संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) किसी संपरीक्षक की वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा की योजना बनाने के उत्तरदायित्व से संबंधित है । यह एसए 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षाओं के लिए प्रभावी है ।

- **संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 315, "अस्तित्व और इसकी परिस्थितियों की समझ के माध्यम से सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना"**

यह मानक संपरीक्षक की, किसी अस्तित्व की और उसकी परिस्थितियों की समझ अभिप्राप्त करने और वित्तीय विवरण स्तर और दृढ़ कथन स्तर पर किसी सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करने और उनका निर्धारण करने हेतु उसका उपयोग करने के उत्तरदायित्व से संबंधित है । यह एसए 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षाओं के लिए प्रभावी है ।

- **संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 330, "निर्धारित जोखिमों के प्रति संपरीक्षक की प्रतिक्रिया"**

यह मानक संपरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरण स्तर पर और दृढ़ कथन स्तर पर एसए 315 के अनुसार पहचान किए गए और निर्धारित किए गए सारवान मिथ्या कथनों के जोखिम की प्रतिक्रिया से संबंधित है । यह एसए 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षाओं के लिए प्रभावी है ।

- **" वाट इज ऐन ऑडिट - अंडरस्टैंडिंग ऐन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" पर पुस्तिका**

यह एक संक्षिप्त प्रकाशन है जिसमें संपरीक्षा की उत्पत्ति, वित्तीय रिपोर्टिंग के महत्व, संपरीक्षा से जुड़े मिथकों, किसी संपरीक्षा में अंतर्निहित परिसीमाओं, कपटों का पता लगाने की तुलना में, आदि के संबंध में स्पष्टीकरण दिए गए हैं । संपरीक्षा रिपोर्ट के उपयोक्ताओं के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए, इस ब्रोशर का उद्देश्य प्रबंध तथा संपरीक्षक के उत्तरदायित्व से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट के महत्वपूर्ण पहलुओं को साधारण भाषा में स्पष्ट करना भी है और साथ ही संपरीक्षा रिपोर्ट में उपयोग की गई विभिन्न किस्मों की रायों को स्पष्ट करना भी है । तथापि, ब्रोशर संपरीक्षा रिपोर्ट के उपयोक्ताओं की आशाओं को स्पष्ट रूप से दर्शित करता है ।

- **प्रैक्टिशनर्स गाईड टू ऑडिट ऑफ स्मॉल एन्टिटीज**

यह गाईड लघु ग्राहकों की संपरीक्षा के प्रति कदम-दर-कदम प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करती है, जो इस गाईड में सूचीबद्ध विशिष्टिताओं का प्रदर्शन करते हैं । यह गाईड नियोजन स्वीकार करने, संपरीक्षा के प्रशासन, योजना और नियंत्रण, कार्यकरण पत्रों, तुलनपत्र मदों, लाभ और हानि लेखा की मदों से प्रारंभ करते हुए " आदर्श कार्यकरण पत्रों" प्ररूप पर आधारित है । इस गाईड में संपरीक्षा और आश्वासन मानकों, निदेशों से संबंधित प्रकटनों, अन्यों द्वारा

धारित सूचियों के पुष्टिकरण के दृष्टांत पत्रों, प्राप्य लेखाओं के पुष्टिकरण और लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटनों के लिए जांच विषय भी अंतर्विष्ट हैं ।

- **गाईडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ बैंक्स (पुनरीक्षित 2008 संस्करण)**

मार्गदर्शक टिप्पण के इस पुनरीक्षित 2008 संस्करण को 4 सुभिन्न भागों में विभाजित किया गया है । भाग 1 में ऐसे अध्याय अंतर्विष्ट हैं जो बैंककारी उद्योग, इसके विधिक ढांचे, लेखांकन और संपरीक्षा ढांचे के बारे में सूचना से संबंधित हैं । इस भाग में महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण मदों, वित्तीय विवरणों में उनकी प्रस्तुति, सुसंगत आरबीआई दिशा निर्देशों आदि से संबंधित अध्याय अंतर्विष्ट हैं । इस मार्गदर्शक टिप्पण के दूसरे भाग को शाखा कार्यालयों में प्रधान कार्यालय की तुलना में आधारिक संपरीक्षा प्रतिफलों, भाग 1 में विचार की गई वित्तीय विवरण मदों में से प्रत्येक के लिए संपरीक्षा प्रक्रियाओं पर आधारित किया गया है । भाग 3 और 4 में क्रमशः प्रधान कार्यालय/शाखा कार्यालय एलएफएआर और विशेष पहलुओं जैसे कि घोष और जिलानी समिति की अपेक्षाओं, एसएलआर प्रमाणन, आदि से संबंधित मार्गदर्शन अंतर्विष्ट हैं ।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री**

पृष्ठभूमि सामग्री, विभिन्न संपरीक्षा मानकों को स्पष्ट करने में एक उपयोक्ता मित्र प्रवृत्ति को अपनाती है और यह 5 भागों में विभक्त है । पहला भाग, प्रस्तावना पाठकों को संपरीक्षा के इतिहास और प्रकृति, संपरीक्षा मानकों के महत्व, आश्वासन नियोजनों के लिए ढांचा आदि के संबंध में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है । दूसरे भाग, प्रस्तुतीकरण में मानकों के उपयोजन का दृष्टांत देने वाले कुछ टिप्पणों के साथ संपरीक्षा और आश्वासन मानकों में अंतर्विष्ट मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट किया गया है । पृष्ठभूमि सामग्री के तीसरे भाग में विभिन्न एएएस से एकत्रित की गई दृष्टांत दस्तावेजीकरण अपेक्षाएं अंतर्विष्ट हैं । पृष्ठभूमि सामग्री के चौथे भाग में मामला अध्ययन और तकनीकी पहलू अंतर्विष्ट हैं तथा भाग 5 में संपरीक्षा संबंधी ऐसे नए मानकों का पाठ अंतर्विष्ट है, जो इस वर्ष से प्रभावी हुए हैं ।

- **क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, " ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन"**

यह गाईड क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, " ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन" में दी गई तकनीकी जानकारी को सुदृढ़ करती है ताकि सुगम कार्यान्वयन और वृहत स्वीकार्यता के लिए मार्ग साफ किया जा सके । यह गाईड ऐसी दृष्टांत नीतियों का एक सैट उपलब्ध कराती है जिसे कोई संपरीक्षा फर्म उपांतरणों सहित या रहित अपना सकेगी । यह गाईड फर्मों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी क्यूसी नीतियों को इस प्रकार तैयार करें कि वे उनके आकार, संरचना, नियोजित या संविदा पर रखे गए वृत्तिकों की संख्या और प्रकृति, दी जाने वाली सेवाओं, ग्राहकों की किस्म आदि के अनुसार सुसंगत हो ।

- **उदभासन प्रारूप**

बोर्ड ने क्लैरिटी परियोजना के अधीन लोक टिप्पणियों हेतु निम्नलिखित संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के उदभासन प्रारूप भी जारी किए हैं :

- संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 250 (पुनरीक्षित), " किन्हीं वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में विधियों और विनियमों के संबंध में संपरीक्षक का उत्तरदायित्व"
- संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 260 (पुनरीक्षित), "ऐसे व्यक्तियों के साथ संपर्क जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है"
- संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 530 (पुनरीक्षित), "संपरीक्षा का नमूना"

- संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 570 (पुनरीक्षित), "गोइंग कंसर्न"
- संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 580 (पुनरीक्षित), "लिखित अभ्यावेदन"
- संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 600 (पुनरीक्षित), "विशेष विचार - समूह वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा (संघटक संपरीक्षकों के संकर्म सहित)"

- **प्रगतिशील परियोजनाएं**

इस सब के अतिरिक्त, बोर्ड ने अनेक अन्य परियोजनाएं भी आरंभ की हैं तथा अपने चालू संकर्म कार्यक्रम के अधीन अनेक परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है ।

5.3.2 अन्य पहलें और विकास

- **विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया**

बोर्ड, आवधिक रूप से विनियामकों और अन्य सरकारी संस्थाओं जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) आदि से लेखांकन विषयों पर प्रतिक्रिया करता है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008 से, नए प्राक्कथन के अनुसार, बोर्ड की संरचना में तीन विनियामक निकायों, अर्थात् सेबी, आरबीआई, आईआरडीए में, प्रत्येक से एक-एक विशेष आमंत्रिती भी सम्मिलित होगा, जो बोर्ड के लिए संपरीक्षा संबंधी मुद्दों को इन विनियामक निकायों के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना सुकर बनाएगा ।

- **आईएएएसबी की गतिविधियों में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना**

चूंकि भारत में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संपरीक्षा संबंधी मानक आईएएसबी दस्तावेजों के आधार पर विरचित किए जा रहे हैं, इसलिए एएएसबी विभिन्न स्तरों पर आईएएएसबी के साथ परस्पर क्रिया करता है । मार्च, 2008 में, आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी), राष्ट्रीय मानक निर्धारकों (एनएसएस) के साथ बैठक में भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए । प्रतिनिधियों ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समाभिरूपण के संबंध में हुई घटनाओं और इस प्रक्रिया के दौरान सामने आई चुनौतियों से अवगत कराया ।

- **जागरूकता का सृजन और सक्षमता का निर्माण**

बोर्ड ने, संपरीक्षा की भूमिका को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करते हुए 5,000 से अधिक संगठनों को " वाट इज ऐन ऑडिट - अंडरस्टैंडिंग ऐन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" की पुस्तिका का परिचालन किया । हाल ही की घटनाओं को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखने और उसे आईसीएआई की जर्नल में प्रकाशित करने के अलावा, बोर्ड नियमित रूप से प्रादेशिक परिषदों और आईसीएआई के शाखाओं को पत्र भी भेज रहा है । इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने " प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि सामग्री" नामक एक प्रकाशन भी जारी किया है, जिसका उपयोग न केवल कार्यालय में बैठने वाले व्यष्टिक सदस्यों द्वारा मानकों के संबंध में साधारण और स्पष्ट रीति में समझ अभिप्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, अपितु इसका उपयोग आईसीएआई के सीपीई कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, एएएसबी ने सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीई) के समन्वयन से 27 जून, 2008 को नई दिल्ली में ' संपरीक्षा वृत्तिकों की सभा' का आयोजन किया है । सभा के विषयों में भारतीय संपरीक्षा और आश्वासन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा मानकों के साथ समाभिरूपण, जोखिम आधारित संपरीक्षाएं - हाल ही की प्रवृत्तियां और क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1 के फर्म के भीतर कार्यान्वयन सहित फर्मों की क्वालिटी में कैसे सुधार लाया जाए - जैसे विषय सम्मिलित थे ।

- **भावी रणनीति और कार्यक्रम**

बोर्ड अगले वर्ष भी पूरे सामर्थ्य के साथ समाभिरूपण की महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य जारी रखेगा । बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिए एक ब्योरेवार समयसीमा तैयार की है और समाभिरूपण पर एक नीति पत्र विकसित

करने के लिए एक समूह का गठन किया है । इसके अतिरिक्त, अगले वर्ष की कार्यसूची निर्धारित करते हुए बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय रूप से विहित किए हुए संपरीक्षा मानकों का विकास करने की आवश्यकता और साथ ही सदस्यों को अन्य उभरते हुए विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराने की आवश्यता के बीच समुचित संतुलन कायम करेगा । इसके अतिरिक्त, बोर्ड सदस्यों के बीच भारत में संपरीक्षा मानकों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए भी नीति तैयार करेगा । इस प्रयोजन के लिए, बोर्ड ने संपरीक्षा मानकों पर संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सभाओं का आयोजन करने के लिए ब्यौरेवार योजनाएं बनाई हैं ।

5.4 अनुसंधान

अनुसंधान एक ऐसा अत्यावश्यक आधार प्रदान करता है, जिस पर कोई भी वृत्ति विकास कर सकती है और समृद्ध हो सकती है । आईसीएआई, अपने प्रारंभ से ही, लेखांकन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कटिबद्ध रहा है । आईसीएआई के सदस्यों द्वारा साधारण रूप से झेली जा रही समस्याओं की बढ़ती जटिलताओं को दूर करने के लिए और साथ ही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में उत्कृष्ट परंपरा और तकनीकी सक्षमता सुनिश्चित करने के विचार से, परिषद् ने वर्ष 1955 में हुई अपनी 17वीं बैठक में एक गैर-स्थायी समिति के रूप में अनुसंधान समिति का गठन किया था । इसकी स्थापना से ही, अनुसंधान समिति अनथक रूप से आईसीएआई के सदस्यों को वृत्तिक दिलचस्पी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर लेखांकन और संपरीक्षा के क्षेत्रों में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है । इस समिति का उद्देश्य लेखांकन वृत्ति के कार्यकरण में एक विश्व स्तरीय ज्ञान आधार का सृजन करना है ।

5.4.1 मिशन तथा उद्देश्य

अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य लेखांकन के क्षेत्र में और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना और वृत्ति द्वारा दी जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के लिए तैयार किए गए साधारणतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों और व्यवहारों पर सिफारिशें प्रदान करना है । समिति, लेखांकन पहलू संबंधी ऐसे मार्गदर्शक टिप्पणों की विरचना करती है जो परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं । समिति ऐसे समकालीन मुद्दों पर जो देश में विधियों के संशोधन और आर्थिक सुधारों से संबंधित अन्य घटनाओं के कारण सामने आते हैं, लेखांकन मार्गदर्शनों की आवश्यकता को पूरा करने में भी तत्पर रही है । यह आईसीएआई के सदस्यों को, उनके वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विचार से अनुसंधान अध्ययनों, तकनीकी गाईडों के रूप में अन्य प्रकाशन भी निकालती है । समिति वार्षिक रूप से "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" के लिए प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन करती है ।

5.4.2 मार्गदर्शक टिप्पण तथा अन्य अनुसंधान प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने दो प्रकाशन, अर्थात् लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटनों के लिए जांच सूची और विशेष संपरीक्षाओं और अन्वेषणों में पद्धतियों पर अध्ययन जारी किए थे ।

'लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटनों के लिए जांच सूची' प्रकाशन लेखांकन मानकों, निर्वचनों, उदघोषणाओं और लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणों के माध्यम से समय-समय पर आईसीएआई द्वारा जारी की गई सभी घोषणाओं का तुरंत संदर्भ उपलब्ध कराता है ।

'विशेष संपरीक्षाओं और अन्वेषणों में पद्धतियों पर अध्ययन' प्रकाशन मुख्य रूप से संपरीक्षा की ऐसी गैर-पारंपरिक पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित करता है, जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में विशेष संपरीक्षाओं और अन्वेषणों में लागू किया जा सकता है । अन्य बातों के साथ, विशेष संपरीक्षा के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य त्रुटियों (जानबूझकर की गई और साथ ही असावधानी से की गई) और कपटों, यदि कोई हों, का पता लगाना भी है । प्रायः और रूटीन रूप से अपनाई जाने वाली पद्धतियां ऐसे समनुदेशनों के लिए उचित नहीं हो सकती हैं । इस प्रकार, संपरीक्षा की गैर-परंपरागत पद्धतियों को लागू करने से संपरीक्षकों को बेहतर रूप में उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायता मिल सकती है । यह प्रकाशन संपरीक्षा परीक्षणों के उपयोग में नए विचार प्रस्तुत करता है । यह संपरीक्षा संबंधी नमूने लेने, डाटा के विधिमान्यकरण, और कतिपय पारंपरिक परीक्षणों को और अधिक तीक्ष्ण और अधिक व्यापक बनाने तथा आंतरिक नियंत्रक प्रणाली का और अधिक प्रभावी रूप से परीक्षण करने को सुकर बनाने हेतु विभिन्न परीक्षणों पर बल

देता है । वित्तीय विवरणों के संपरीक्षक भी, जहां कहीं उन्हें उचित प्रतीत हो, ऐसी तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे ।

उपरोक्त के अलावा, समिति ने सूक्ष्म-वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई) के लिए लेखांकन संबंधी तकनीकी गाईड तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया था । इस तकनीकी गाईड का उद्देश्य, एमएफआई के प्रचालनात्मक पहलुओं में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराना और साथ ही विभिन्न एमएफआई द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न लेखांकन व्यवहारों के मानकीकरण के लिए लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे का सुझाव देना है । तकनीकी गाईड का प्रारूपण पूरा कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही विमोचित किया जाएगा ।

5.4.3 प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा, अनुसंधान समिति ने उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहचाने गए प्रासंगिक कुछ नए विषयों पर अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं । इनका उद्देश्य लेखांकन और संबंधित क्षेत्रों में उभरते हुए विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों को मार्गदर्शन देना है । समिति ने उभरते क्षेत्रों जैसे कि साफ्टवेयर के लिए राजस्व मान्यता, दूर संचार कंपनियों के लिए राजस्व मान्यता, बहुल प्रदाय योग्य वस्तुओं के लिए राजस्व ठहराव, सेवा कर के लिए लेखांकन और लेखांकन मानक (एएस) 14, 'समामेलनों के लिए लेखांकन' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से नए आने वाले मुद्दों के लिए मार्गदर्शन जारी करने का कार्य आरंभ किया है । समिति ने यह भी महसूस किया कि देश में विधियों के संशोधन और अन्य अर्थ संबंधी घटनाओं के कारण विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है । तदनुसार, समिति ने पूर्व में जारी किए गए विद्यमान मार्गदर्शक टिप्पणों और *अध्ययनों के पुनरीक्षण* के लिए *कार्यवाही* आरंभ की है । इसके अंतर्गत *एमओडीवीएटी/सीईएनवीएटी* के लिए लेखांकन उपचार संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण, संनिर्माण अवधि के दौरान व्यय के उपचार संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण, गैर लाभकारी संगठनों में लेखांकन संबंधी तकनीकी गाईड का पुनरीक्षण तथा उन्हें मार्गदर्शक टिप्पणों के रूप में पुनःजारी करना तथा शेयर मूल्यांकन संबंधी अध्ययन, परियोजना मूल्यांकन-भारतीय वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षाएं जैसे अध्ययनों का पुनरीक्षण करना है ।

5.4.4 वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

वित्तीय जानकारी के प्रस्तुतीकरण में उत्कृष्टता को मान्यता देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए, आईसीएआई, अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" के लिए वार्षिक प्रतिस्पर्धा का आयोजन करता रहा है । यह सुविख्यात प्रतिस्पर्धा यह प्रसारित करती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग, जवाबदेही, पारदर्शिता, एकरूपता, विश्वसनीयता, कालातीत तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए । वर्ष 2006-07 में प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्योगों के कृत्यक प्रवर्गीकरण के आधार पर सात प्रवर्गों के अधीन आयोजित किया गया था । प्रवर्ग I के अंतर्गत विनिर्माण तथा व्यापारिक उद्यमों (जिनमें प्रसंस्करण, खनन, पादपीकरण, तेल तथा गैस उद्यम सम्मिलित हैं) को सम्मिलित किया गया था । प्रवर्ग II में वित्तीय क्षेत्र (जिसमें एनबीएफसी, पारस्परिक निधि, विनिधान बैंकर, एचएफसी आदि भी सम्मिलित हैं) को सम्मिलित किया गया था तथा प्रवर्ग III में सेवा क्षेत्र (जिसमें होटल परामर्श, परिवहन, स्टाक एक्सचेंज, अनुसंधान तथा विकास, निजी अस्पताल सम्मिलित हैं) को सम्मिलित किया गया था । प्रवर्ग IV तथा V में क्रमशः बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा आमोद-प्रमोद उद्यमों को सम्मिलित किया गया था । प्रवर्ग VI के अंतर्गत अवसंरचना तथा सन्निर्माण क्षेत्र (जिसमें ऊर्जा उत्पादन तथा प्रदाय, पत्तन न्यास, सड़कें हैं) को सम्मिलित किया गया था तथा प्रवर्ग VII में अवशिष्ट प्रवर्ग को सम्मिलित किया गया था जिसमें ऐसे उद्यम सम्मिलित हैं जो अन्य छह प्रवर्गों में सम्मिलित नहीं है, जैसे धारा 25 की कंपनियां, शैक्षणिक संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन, पूर्त अस्पताल आदि । वर्ष 2006-07 की प्रतिस्पर्धा के लिए विभिन्न प्रवर्गों के 101 उद्यमों ने भाग लिया था । पुरस्कारधारियों का चयन उनकी वित्तीय स्थिति तथा प्रचालन कार्य निष्पादन को ध्यान में रखे बिना 1 अप्रैल, 2006 तथा 31 मार्च, 2007 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के बीच किसी दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भाग लेने वाले उद्यमों द्वारा अंगीकार लेखांकन पद्धतियों के पुनर्विलोकन पर आईसीएआई द्वारा नियुक्त

न्यायाधीशों के पैनल द्वारा किया गया था । तदनुसार, पुरस्कार इस बात के सूचक हैं कि वर्ष के दौरान संबंधित उद्यम द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति उन उद्यमों में सर्वोत्तम है जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया । इस वर्ष सात प्रवर्गों में क्रमशः सर्वोत्तम प्रविष्टि और उसके पश्चात् अगली सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड प्रदान की गई थी । स्वर्ण शील्ड के विजेता थे, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरिज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंफोसिस टेक्नोलाजीज़ लिमिटेड और लारसन एंड टूब्रो लिमिटेड । रजत शील्ड के विजेता थे, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज लिमिटेड । 4 फरवरी, 2008 को होटल ली मेरिडियन, नई दिल्ली में आयोजित आईसीएआई के 58वें वार्षिक समारोह में वर्ष 2006-07 के लिए "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" दिए गए थे । माननीय श्री प्रफुल पटेल, संघ के सिविल विमानन मंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे । माननीय मंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए ।

5.5 निगम विधियां

वर्ष 2007-08, महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष था । समिति ने, उसके द्वारा प्रारंभ की गई अनेक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया ।

5.5.1 प्रारंभ किए गए कार्य

समिति ने निम्नलिखित के संबंध में विचार/सुझाव देने के लिए 6 अध्ययन समूहों का गठन किया था :

(i) निगम विधियों का सरलीकरण,

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 का सरलीकरण और लघु तथा मध्यम आकार की कंपनियों के लिए सरल अनुसूची 6 विहित करना,

(iii) सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2006 के उपबंधों के कारण चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 में परिवर्तन,

(iv) फेमा, 1999 के अधीन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए वृत्तिक अवसरों का विस्तार,

(v) मध्यस्थम (बातचीत, मध्यकता और सुलह सहित) पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ करना और मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करना ।

5.5.2 निगम मानकों की विरचना

वृत्ति की आवश्यकताओं की सराहना करते हुए और वृत्ति को उभरते वैश्विक परिदृश्य में सशक्त करने के लिए, समिति ने निगम विधियों के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में निगम कार्य मानकों को विरचित करने तथा जारी करने का विनिश्चय किया है । परिषद् ने, मई, 2008 में सिद्धांत रूप में सदस्यों के, मार्गदर्शन के लिए निगम कार्य मानक/मार्गदर्शक टिप्पण जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया ।

इसके अनुपालन में, समिति ने (i) विलयन, निर्विलयन - निगम पुनःसंरचना, (ii) शेयरों का मूल्यांकन, (iii) आस्तियों का मूल्यांकन, (iv) संपरीक्षकों की नियुक्ति और पद से हटाया जाना (v) किसी कंपनी का निगमन (vi) एमसीए प्रमाणन, (vii) वार्षिक साधारण बैठक और असाधारण साधारण बैठक, (viii) निगम विवादों का समाधान और (ix) परोक्षी, भूमिका और उत्तरदायित्व तथा संवीक्षक के रूप में कार्य करना (x) वृत्तिक निदेशक- कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व, (xi) संपरीक्षा समिति, (xii) मुख्य वित्तीय अधिकारी - भूमिका और उत्तरदायित्व, (xiii) प्रासपेक्टस पर विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना, (xiv) संपरीक्षक की कर परामर्शी के रूप में नियुक्ति, (xv) उधार लेने की शक्ति का प्रमाणन और (xvi) निगम विधि और व्यवहारों के अन्य क्षेत्र से संबंधित विषयों पर निगम कार्य मानक विरचित करने के लिए उपाय आरंभ किए हैं ।

5.5.3 निगम विधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव/टिप्पणियां

समिति ने, आईसीएआई को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और अन्य सरकारी विभागों, द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि (i) संसदीय स्थायी समिति के समक्ष विदेशी अभिदाय विनियमन विधेयक, 2006 पर प्रस्तुतीकरण, (ii) संसदीय स्थायी समिति के समक्ष सीमित दायित्व विधेयक पर प्रस्तुतीकरण, (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अनुसूची 6 और लघु तथा मध्यम आकार की कंपनियों के लिए सरल अनुसूची 6, (iv) अति लघु, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 22 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 का संशोधन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना पर आगे और विचार/सुझाव देना, (v) एमसीए द्वारा जारी मूल्यांकन वृत्तिकों की परिषद् विधेयक संबंधी अवधारणा पत्र पर विचार/सुझाव, (vi) कंपनी विनियम, 1956 के विनियम 17 (त्रुटियों को शुद्ध करना) के पुनर्विलोकन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित समिति को विचार/सुझाव, (vii) सीएफसी स्कीम को पुनःआरंभ करने संबंधी अभ्यावेदन, (viii) चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को प्रारूप डीआईएन-3 में प्रमाणन कार्य में सम्मिलित करने संबंधी अभ्यावेदन, (ix) सेबी द्वारा अपतटीय व्युत्पन्न लिखत, भागीदारी टिप्पणों पर परिचर्चा के लिए परिचालित पत्र पर विचार, (x) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 594(1) की अपेक्षा से छूट संबंधी प्रारूप अधिसूचना पर विचार, (xi) शेयर प्रीमियम को समादत्त पूंजी का भाग समझे जाने पर विचार, (xii) 2007 में यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 पर विनियम, (xiii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भारत के मूल्यांकन वृत्तिकों की परिषद् विधेयक संबंधी अवधारणा पत्र पर प्राप्त हुई टिप्पणियों की समीक्षा के लिए गठित कार्यकारी समूह को विचार/सुझाव, (xiv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(3)(क) के अधीन एआरसी द्वारा ऋणों को साम्या में परिवर्तित करना ।

5.5.4 एमसीए के साथ परस्पर समझ संबंधी ज्ञापन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय को तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ एक परस्पर समझ संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

5.5.5 अर्हता पश्च पाठ्यक्रम

समिति ने निम्नलिखित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए पहल की है:

- निगम मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- ऋणदाता के अधिकारों का संरक्षण और दीवालिया विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

5.6 वित्तीय बाजार और निवेशकों की संरक्षा

सार्वभौमिक आर्थिक मंदी के बावजूद, भारतीय वित्तीय बाजार एक निवेश केन्द्र के रूप में आकर्षण का केन्द्र बने हुए थे और एफआई, एफआईआई और एनआरआई से पर्याप्त निधियां प्राप्त कर रहे थे । निधियों के नए स्रोतों को, जैसे कि वेंचर पूंजी, प्राईवेट साम्या को देश की अवसंरचना के लिए आकृष्ट किया जा रहा था और वे निवेश के वहनीय और लाभप्रद साधन भी साबित हो रहे थे । वैश्विक संकेतों और घटनाओं के अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों की परिकल्पना करते हुए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की थी और साथ ही भारत के विभिन्न मंत्रालयों और विनियामक अभिकरणों से परस्पर संपर्क भी किया था । नई परियोजनाओं, कार्यक्रमों और प्रकाशनों को, ऐसी व्यापक कार्य योजना के रूप में लक्षित किया जा रहा है, जिन पर समिति प्रमुख रूप से कार्य करेगी ।

परियोजनाएं

- निवेशकों के बीच जागरूकता सृजित - अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना
- वित्तीय साक्षरता के माध्यम से निवेशकों का सशक्तिकरण

- निवेशकों की संरक्षा से संबंधित मुद्दे - ए 13/26 टी.वी. एपिसोडस मास मीडिया प्रोडक्शन । इस संबंध में प्रारंभिक प्रक्रिया भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय के विचाराधीन है ।
- प्रारंभिक लोक प्रस्थापनाओं के संबंध में अंतर्दृष्टि (आईपीओ) - एक अनुसंधान अध्ययन - प्रारूप रिपोर्ट पर इस समय भारत सरकार को अग्रेषित किए जाने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है ।
- बाजारों में मंदी के संबंध में आत्मविश्लेषण (2008 के प्रारंभ में) - इस विषय पर एक प्रस्तुतीकरण को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था ।
- विनियामक निकायों - सेबी और एमसीए के साथ परस्पर क्रिया - नीति/परिचर्चा पत्रों पर प्रस्तुतीकरण/सुझाव
- संस्थागत मानचित्रण - विषय पर राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम), सेबी के साथ वित्तीय साक्षरता के प्रसार और निवेशकों के सशक्तिकरण के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
- भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ संस्थागत गठबंधन - निगम वित्तीय प्रबंध और सेवाओं पर एक संयुक्त आईसीएआई-एनएसई प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्रारूप पाठ्यचर्या पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।
- वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान अध्ययनों के लिए कारबार विद्यालयों/विश्वविद्यालयों और अन्यों के साथ संस्थागत सहयोग । विभिन्न प्रबंध, विदेशी व्यापार संस्थानों और कारबार विद्यालयों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं ।
- अध्यक्ष की सलाह पर फोरेक्स और राजकोष प्रबंध पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा व्युत्पन्नों के संबंध में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है । इस प्रयोजन के लिए एक विशेष अध्ययन समूह का गठन किया गया है तथा प्रारूप पाठ्यचर्या पुनर्विलोकनाधीन है । ये पाठ्यक्रम क्रमशः 1 और 15 सितम्बर, 2008 से प्रारंभ होंगे ।

कार्यक्रम

- निवेशक जागरूकता कार्यक्रम - अखिल भारतीय आधार पर - 2008 को निवेशक जागरूकता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । लगभग 50 स्थानों की पहचान की गई है ।
- निवेशकों की जागरूकता के लिए नुक्कड़ प्रदर्शन
- निवेशकों का शिखर सम्मेलन
- राष्ट्रीय सम्मेलन : आईसीएआई के हीरक जयन्ती समारोहों के भागरूप में, वित्तीय बाजारों सह निवेशक जागरूकता कार्यक्रम संबंधी एक हीरक जयंती राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन 16 जुलाई, 2008 को एर्नाकुलम में किया जाना है ।
- 19 जुलाई, 2008 को कोलकाता में पूंजी बाजार संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन कराया जाना है ।
- वित्तीय सेवाओं और व्यवहारों के नए क्षेत्रों के संबंध में कार्यशालाएं । निजी साम्य विषय पर एक संगोष्ठी/सम्मेलन का आयोजन 5 और 6 अप्रैल, 2008 को मानेसर, गुड़गांव में किया गया था । इसी प्रकार का एक अन्य कार्यक्रम 1 और 2 अगस्त, 2008 को मुम्बई में कराया जाना है । इसी प्रकार के छह और कार्यक्रमों को इस वर्ष के दौरान अनुध्यात किया गया है ।
- सीपीई समिति के साथ संयुक्त रूप से पूंजी बाजार में उभरती प्रवृत्तियों के संबंध में एक टेलीकांफ्रेंस ।
- विद्यालय के छात्रों के लिए वित्तीय कैरियर संबंधी परामर्शी सेवा

प्रकाशन

- सीएफएम एंड आईसी - ग्लिम्पसिस : एक पीआर किट के रूप में समिति की यह निदेशिका इस समय

मुद्रणाधीन है ।

- आईपीओ के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न : इस समय प्रारूप प्रकाशन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है
- निगम शासन के प्रमाणन संबंधी विद्यमान मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण (जैसा कि लिस्टिंग करार के खंड 49 में अनुबंधित किया गया है) : इस समय प्रारूप प्रकाशन पुनरीक्षणाधीन है ।
- परस्पर निधियों के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न : प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।
- प्रस्थापना दस्तावेजों को किस प्रकार पढ़ें और समझें : इस समय प्रारूप प्रकाशन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।
- निवेशकों के लिए जोखिम प्रबंध
- व्युत्पन्नों संबंधी जोखिम - भविष्य और विकल्प
- वित्तीय बाजारों में सर्वोत्तम सार्वभौमिक व्यवहार

5.7 विशेषज्ञ राय

तेजी से परिवर्तित होती और अति प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियां प्रायः संगठनों से यह मांग करती हैं कि वहां ऐसे जटिल कारबार व्यवहार और संव्यवहार किए जाएं, जहां इस प्रयोजन के लिए विकसित किए गए नए-नए लेखांकन मानकों के कारण व्यवसाय के संनियम अभी पूर्णतया स्थापित नहीं हुए हैं या जहां ऐसे संव्यवहारों के लिए लेखांकन, व्यापक और जटिल लेखांकन मानकों के कारण कठिन कार्य बन गया है । इस कारण से ऐसे विषयों में आधिकारिक मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई । ऐसी परिस्थितियों में विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), आईसीएआई के सदस्यों को आधिकारिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाली समिति की भूमिका के साथ पूर्णतया न्याय करती है ।

सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न, उनके सामने आने वाली चिंताओं और कठिनाइयों पर आधारित होते हैं, जो उन्हें, संगठनों के समक्ष, उनके कारबार के संचालन के दौरान आने वाली विशिष्ट और जटिल परिस्थितियों में विभिन्न साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और संपरीक्षा सिद्धांतों को लागू तथा कार्यान्वित करते हुए महसूस होती हैं । यह समिति, अपने प्रारंभ से ही लगभग सभी कारबारों, सेवाओं और उद्योगों में सदस्यों के सामने आने वाले विविध मुद्दों के संबंध में अपनी स्वतंत्र राय प्रदान करती है ।

इतने समय उपरांत, ईएसी की भूमिका को अब, वृत्ति कर रहे और उद्योग में कार्यरत सदस्यों द्वारा एक समान रूप से अभिस्वीकृति प्राप्त हुई है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सामने आने वाले व्यापक किस्म के मुद्दों और जटिल समस्याओं, जैसे कि वित्तीय विवरणों को तैयार तथा प्रस्तुत करना, संपरीक्षकों के मतों में सामंजस्य लाना, प्रबंध, विभिन्न पणधारियों और प्राधिकारियों आदि, का समाधान करने के लिए ईएसी की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं ।

ईएसी प्रश्नों को स्वीकार करती है और परिषद् द्वारा विरचित सलाहकारी सेवा नियमों के आधार पर उनके उत्तर प्रदान करती है । नियमों के अनुसार, समिति लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों और संबद्ध विषयों से संबंधित प्रश्नों के संबंध में कार्यवाही करती है और एक साधारण नियम के रूप में ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों का विधिक निर्वचन अंतर्वलित होता है या वृत्तिक कदाचार अंतर्वलित करने वाले विषयों को भी समिति स्वीकार नहीं करती है । समिति काल्पनिक मामलों के संबंध में भी कार्यवाही नहीं करती है । ईएसी ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है जो ऐसे किसी विषय से संबंधित होते हैं, जो आईसीएआई के अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष, किसी विधि के न्यायालय, आय-कर प्राधिकारियों या सरकार के किसी अन्य समुचित विभाग के समक्ष लंबित हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि ईएसी द्वारा दी गई राय, ईएसी में सम्मिलित सदस्यों की राय होती है और वह अनिवार्य रूप से परिषद् की शासकीय राय नहीं होती है ।

प्राप्त हुए प्रत्येक प्रश्न पर प्रारंभिक रूप से तकनीकी निदेशालय द्वारा अनुसंधान किया जाता है जो उस विषय के, जिस पर राय मांगी गई है, विभिन्न संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दी गई परिस्थिति पर अपनी राय प्रदान करता है । तत्पश्चात्, प्रश्न को ईएसी.के. इसकी आवधिक बैठकों के दौरान, सदस्यों के समक्ष रखा जाता है और वे उस पर सूक्ष्मता से विचार-विमर्श करते हैं ।

ईएसी प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में प्रश्नों का उत्तर देती है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने व्यापक किस्म के मुद्दों, जैसे कि आस्थगित कर दायित्व, सेवा निवृत्ति पश्च फायदा स्कीमों, किसी प्रचलित पट्टे की दशा में अनुसूचित किराया वृद्धियों के लिए लेखांकन, गैर निधि पोषित प्रसुविधाओं के लिए प्रावधानों का सृजन, नकदकरणीय उपार्जित छुट्टी पर प्रोदभूत भविष्य निधि दायित्व के लिए प्रावधान, आदि पर 52 रायों को अंतिम रूप दिया है ।

किसी एक वर्ष के दौरान समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई सभी रायों को, रायों के संकलन में प्रकाशित किया जाता है । अभी तक, संकलन की 25 जिल्दें, जिनमें समिति द्वारा जनवरी, 2006 तक अंतिम रूप दी गई रायें अंतर्विष्ट हैं, ईएसी द्वारा जारी की गई हैं । संकलन की आगे और जिल्दें, जिनमें क्रमशः समिति द्वारा फरवरी, 2006 और जनवरी, 2008 की अवधि के बीच अंतिम रूप दी गई रायें अंतर्विष्ट हैं, शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है । रायों के संकलन की सभी जिल्दों में अंतर्विष्ट सभी रायों को अंतर्विष्ट करने वाली एक सीडी को जिसमें सुगम संदर्भ के लिए उपयोक्ता-मित्र विशिष्टियां होंगी, तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही जारी किया जाएगा । यह सीडी वृत्ति के लिए एक सुदृढ़ ज्ञान संसाधन होगा ।

समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई कुछ रायों को आईसीएआई के जर्नल 'द चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जा रहा है । आईसीएआई की हाल ही की रायें भी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

5.8 सतत् वृत्तिक शिक्षा

5.8.1 सामान्य अवलोकन

रिपोर्टाधीन वर्ष भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रास्थिति को विश्व में केवल सर्वोत्तम के साथ तुलनीय सुयोग्य वृत्तिक के रूप में बनाए रखने के संस्थान के निरंतर प्रयास में एक ऐतिहासिक रहा है । आईसीएआई हमेशा अपने सदस्यों द्वारा दी गई वृत्तिक सेवाओं के मानक में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता आया है । वृत्तिक सेवाओं के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने में सदस्यों की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए तथा इन्हें संस्थान की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति द्वारा कार्यान्वित किया गया ।

सभी सदस्यों को ऐसी सक्षमता बनाए रखने के लिए समर्थ बनाने हेतु, जो उनकी वृत्तिक भूमिका और उनकी सेवाओं के उपयोक्ताओं की मांग है, सीपीई क्रेडिट घंटों की अपेक्षाओं को ऐसे सदस्यों के लिए भी 1.1.2008 से आज्ञापक बनाया गया है, जो व्यवसाय से अन्यथा इस वृत्ति में नियोजित हैं और उनसे प्रतिवर्ष 10 सीपीई क्रेडिट घंटे उपार्जित करने की अपेक्षा की जाती है । अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप, सीपीई अपेक्षाओं को पुनरीक्षित किया गया है :

कलेंडर वर्ष, 2008 से प्रारंभ होने वाली 3 वर्ष की रोलिंग अवधि हेतु सीपीई क्रेडिट अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

- ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं (ऐसे सदस्यों को छोड़कर जो विदेशों में निवास कर रहे हैं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :
    - 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में न्यूनतम 90 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें, जिनमें से 60 सीपीई क्रेडिट घंटे ढांचागत पठन के होंगे ।
    - प्रत्येक वर्ष में ढांचागत पठन के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें ।
- ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं या जो विदेशों में निवास कर रहे हैं (चाहे वे व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं अथवा नहीं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

- 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में ढांचागत/गैर-ढांचागत पठन के न्यूनतम 45 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- प्रत्येक वर्ष में ढांचागत/गैर-ढांचागत पठन के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

परिषद् ने मई, 2008 में, यह विनिश्चय किया था कि 15 मई, 2008 से सीपीई घंटों की अपेक्षाएं आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के लिए भी आज्ञापक बनाई जाएं जो 2008-2010 के भीतर आने वाले किसी विशिष्ट कलेंडर वर्ष में 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं या जो वर्तमान में 60 वर्ष या अधिक आयु के हैं। तथापि, ऐसे सदस्य अपनी सीपीई अपेक्षाओं को या तो ढांचागत या गैर- ढांचागत सीपीई पठन कार्यकलापों से पूरा कर सकेंगे।

ऐसे सभी सदस्यों से, जो 2008-2010 के भीतर आने वाले किसी विशिष्ट कलेंडर वर्ष में 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं या जो वर्तमान में 60 वर्ष या अधिक आयु के हैं और व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं (ऐसे सदस्यों को छोड़कर जो विदेशों में निवास कर रहे हैं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

- 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में या तो ढांचागत या गैर-ढांचागत सीपीई पठन के माध्यम से न्यूनतम 70 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- वर्ष 2008 में न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे और वर्ष 2009 और 2010 में न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

ऐसे सभी सदस्यों से, जो 2008-2010 के भीतर आने वाले किसी विशिष्ट कलेंडर वर्ष में 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं या जो वर्तमान में 60 वर्ष या अधिक आयु के हैं और व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारण नहीं कर रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

- 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में या तो ढांचागत या गैर-ढांचागत सीपीई पठन के माध्यम से न्यूनतम 35 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- वर्ष 2008 में न्यूनतम 5 सीपीई क्रेडिट घंटे और वर्ष 2009 और 2010 में न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

5.8.2 पुनरीक्षित और जारी किए गए दस्तावेज

- परिषद् ने गैर-ढांचागत सीपीई पठन क्रियाकलापों के संबंध में एक नई सीपीई सलाह जारी की है। यह सलाह ऐसे सदस्यों के लिए मार्गदर्शन और निदेश के रूप में है, जो गैर-ढांचागत पठन क्रियाकलापों के माध्यम से सीपीई क्रेडिट का लाभ लेना चाहते हैं। इस सलाह में गैर-ढांचागत पठन क्रियाकलापों के ब्यौरे और ऐसे उपाय सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीपीई घंटों का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए वर्ष में एक बार आईसीएआई को स्व घोषणा प्ररूप प्रस्तुत करें।
- समिति ने गैर-ढांचागत पठन क्रियाकलापों के रूप में पठन प्रौद्योगिकियों के उपयोग संबंधी सीपीई सलाह का पुनरीक्षण किया है, जो वर्ष 2008 से लागू हो गई है।
- समिति ने बैंक शाखाओं की संपरीक्षा के संबंध में एक सीपीई वीडियो व्याख्यान श्रृंखला, 2008 का भी विमोचन किया है। यह दो डीवीडी का एक सेट है, जिसकी एक डीवीडी में बैंक शाखाओं की संपरीक्षा के संबंध में आयोजित किया गया टेलीकांफ्रेंस कार्यक्रम सम्मिलित है तथा दूसरी डीवीडी में बैंक शाखाओं की संपरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू हैं।
- समिति ने, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से एक सीडी का भी विमोचन किया है, जिसमें बैंक शाखाओं से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर ऑडियो वीडियो व्याख्यान अंतर्विष्ट हैं।
- समिति ने आईसीएआई के कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली इकाइयों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने हेतु प्रमुख व्यक्तियों (प्रभावशाली पदों पर नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, केन्द्रीय/राज्य स्तरीय मंत्रियों

और साथ ही केन्द्रीय/ राज्य स्तरीय पदधारियों/ अधिकारी वर्ग) को आमंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं ।

8.8.3 सीपीई पोर्टल

समिति ने संस्थान के सदस्यों द्वारा उपार्जित सीपीई घंटों की निगरानी तथा उनके अभिलेखों को बनाए रखने के लिए आन लाइन सीपीई पोर्टल (http://www.cpeicai.org) को विकसित किया है जिसे 17 अक्तूबर, 2005 से कार्यरत बनाया गया था । समिति, इस पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल/ मित्र बनाने के लिए इसे समुन्नत कर रही है ।

प्रणाली सदस्यों को, उनके द्वारा उपार्जित सीपीई क्रेडिट घंटों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करती है । सदस्य अपनी आई डी तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीपीई पोर्टल को खोलकर सीपीई घंटों की प्रास्थिति का जायजा ले सकते हैं । पोर्टल केन्द्रीय समिति, प्रादेशिक परिषद्, शिखाओं/ सीपीई चैप्टरों, सीपीई अध्ययन सर्कल और सीपीई अध्ययन समूहों जैसे विभिन्न पीओयू द्वारा भारत तथा विदेश में आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में भी जानकारी प्रदान करता है ।

उक्त सीपीई पोर्टल देश भर में सामान्यतया रूप में पूर्णत कार्य कर रहा है ।

8.8.4 कार्यक्रम आयोजित करने वाले यूनिटों को अध्ययन सामग्री

सीपीई कार्यक्रम आयोजन यूनिट (पीओयू) द्वारा आयोजित किए जाने वाले विषयों में एकरूपता को बनाए रखने तथा संस्थान के सीपीई निदेशालय में पाए गए विभिन्न सीपीई क्रेडिट घंटों को आवंटित करने में कठिनाई आने के परिहार के उद्देश्य से, सीपीई कार्यक्रम को एकरूप पाठ्यक्रम प्रक्रिया को सुधारा गया है, जिसमें ऐसे व्यावहारिक विषय सम्मिलित थे, जो प्रेक्टिस कर रहे सदस्यों के लिए ही सुसंगत नहीं हैं अपितु नौकरी कर रहे सदस्यों के लिए भी सुसंगत हैं । मेट्रो, बड़े तथा छोटे शहरों/ सुदूर तथा दुर्गम स्थानों में पदस्थापित सीपीई कार्यक्रमों को संचालित करने में अत्यधिक आवश्यकता महसूस हो रही थी । पूर्व वर्षों की भांति ही, सीपीई कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को अर्थात् अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय में विभाजित किया गया था । वर्ष 2008-09 के लिए अनिवार्य विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

लेखांकन तथा संपरीक्षा

1. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक

2. आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा, आश्वासन तथा क्वालिटी मानक

3. विभिन्न सेक्टरों/उद्योगों (बैंककारी सेक्टर, भू संपदा सेक्टर, बीमा उद्योग आदि) में लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन : तकनीकी और उनसे संबंधी मुद्दे

4. लेखांकन मानकों में कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे, आशाएं और विभिन्न सेक्टरों/उद्योगों (बैंककारी सेक्टर, भू संपदा सेक्टर, बीमा उद्योग आदि) में साधारण रूप में अपेक्षाओं का अनुपालन

5. लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी आईसीएआई की उद्घोषणाएं तथा अन्य प्रकाशन

6. सेक्टरवार/उद्योगवार व्यावहारिक प्रस्तुतीकरण के साथ लेखांकन कार्यक्षेत्र

7. लेखांकन मानक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)

8. आईएफआरएस के प्रति संक्रमण

9. यू.एस.और यू.के. जीएएपी

10. आंतरिक संपरीक्षा मानक

11. पीयर रिव्यू - प्रेक्टिस यूनिट के लिए प्रणाली, प्रक्रिया तथा कार्यप्रणाली

12. क्वालिटी पुनर्विलोकन के अधीन तकनीकी मानक

13. सर्बेन्स आक्सले अधिनियम

14. सर्बेन्स आक्सले अधिनियम की आंतरिक संपरीक्षा पर विवक्षाएं

15. शहरी स्थानीय निकायों का लेखांकन

16. सहकारी सोसाइटियों के लेखा

17. लघु अस्तित्वों की संपरीक्षा

18. न्यायालयिक लेखांकन तथा संपरीक्षा

19. आंतरिक संपरीक्षा - जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा सहित

20. आंतरिक संपरीक्षा और कपट संबंधी जोखिम

21. आंतरिक नियंत्रण - जोखिम आधारित परिप्रेक्ष्य सहित

22. आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में आश्वासन प्रदान करना

23. सेवा कर संपरीक्षा

24. वैट संपरीक्षा

25. गैर निगमित उद्यमों और उनके संपरीक्षकों से संबंधित मुद्दे

26. खंड 49 और आंतरिक संपरीक्षा की भूमिका

27. लेखांकन मानकों और अन्य रिपोर्टिंग तथा प्रकटन अपेक्षाओं के अनुपालन पहलू

28. वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन पहलू

29. आईसीएआई द्वारा जारी एएएस और अन्य आज्ञापक मार्गदर्शनों के अनुपालन पहलू

30. आंतरिक संपरीक्षक का ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध, जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है

लागत और वित्तीय प्रबंध

31. संतुलित स्कोर कार्ड

32. कारबार प्रक्रिया सुधार

33. वैश्विकृत कारबार माहौल में पूंजी संबंधी बजट तैयार करना

34. वित्तीय पूर्वानुमान

35. लागत प्रबंध

36. वित्तीय सम्यक् उद्यम

37. वित्तीय लिखतें

38. वित्तीय मॉडलिंग

39. सीमापार निवेशों से संबंधित मुद्दे

40. निगम वित्तीय रिपोर्टिंग

41. यूएस के जीएएपी और आईएएस के अधीन वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन

सूचना प्रौद्योगिकी

42.. निम्नलिखित पर व्यावहारिक कार्यशाला

क. बैंकों/बैंककारी उपयोजनों की आईएस संपरीक्षा

ख. सीएएटी के/साधारण संपरीक्षा साफ्टवेयर का उपयोग

ग. स्टॉक ब्रोकर सीटीसीएल प्रसुविधा की आईएस संपरीक्षा

घ. एमएस-एक्सेल-संपरीक्षा के लिए उपकरण

ङ. नेटवर्क संरक्षा संपरीक्षा/पुनर्विलोकन

च. विंडोज एक्सपी संरक्षा पुनर्विलोकन

छ. विंडोज 2000/2003 संरक्षा पुनर्विलोकन

ज. एमएस एक्सेल - वित्तीय विश्लेषण/रिपोर्टिंग के लिए उपकरण

झ. वित्तीय प्रबंधन के लिए एमएस-एक्सेल

ञ. एमएस-एक्सेल की प्रोन्नत विशिष्टियां और सुविधाएं

ट. लेखांकन/वित्तीय अपेक्षाओं के लिए आंकड़ों का निष्कर्षण/विश्लेषण

ठ. एमएस-वर्ड का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग/दस्तावेजीकरण

ड. कोर बैंकिंग उपयोजनों (सीबीए) की आईएस संपरीक्षा/पुनर्विलोकन

ढ. सूचना प्रणाली संपरीक्षा

43. एक्सबीआरएल वित्तीय रिपोर्टिंग भाषा

44. आंतरिक नियंत्रणों का प्रमाणीकरण - खंड 49/सर्बेंस आक्सले अधिनियम

45. लेखांकन सॉफ्टवेयर संरक्षा संपरीक्षा / पुनर्विलोकन और प्रोन्नत सुविधाएं/विशिष्टियां

46. अंकीय हस्ताक्षर और ई-फाइलिंग (आयकर/एमसीए 21)

47. ईआरपी को समझना (2 दिन)

48. ईआरपी कार्यान्वयन/परीक्षण/अनुरक्षण (8/21 दिन)

49. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

50. उभरती हुई सूचना प्रौद्योगिकी चुनौतियां और अवसर

51. बीपीओ/केपीओ सनराइज क्षेत्रों में बढ़ते अवसर

52. सूचना प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम व्यवहार - एक पुनर्विलोकन

53. कंप्यूटर से सहायता प्राप्त कार्यपालन मूल्यांकन

54. ई-कॉमर्स/ई-शासन

55. प्रबंध सूचना प्रणालियां (एमआईएस)

56. प्रौद्योगिकी प्रबंध

57. सूचना प्रणालियां - सुरक्षा और नियंत्रण

58. आंतरिक संपरीक्षा - उभरते सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों से जूझना

कराधान

59. आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा - तैयारी, प्रस्तुतीकरण और दस्तावेजीकरण

60. अवक्षयण : लेखांकन, कराधान तथा कंपनी विधि के मुद्दे

61. अप्रत्यक्ष कराधान में उभरते हुए मुद्दे

62. व्यवसाय कराधान संबंधी मुद्दे

63. अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी मुद्दे (अनिवासी भारतीय कराधान, डीटीएए, अंतरण मूल्य और विदेशों में कराधान सहित)

64. राष्ट्रीय कर अधिकरण सहित कर अधिकरण - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका

65. प्रत्यक्ष कर विधियों संबंधी वर्तमान निर्णय

66. सेवा कर - विधि और व्यवहार

67. अनिवासी भारतीयों का कराधान - हाल की घटनाएं

68. कर विधियों के अधीन स्थगन, कर वसूली तथा अन्य सहबद्ध उपबंध

69. अंतरण कीमत

70. निगम कराधान

71. सीमांत फायदा कर (एफबीटी)

72. मूल्य वर्धित कर (वेट)

73. सर्वेक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण - हाल की घटनाएं

74. डेस्क पुनर्विलोकन

75. निर्यात आयात व्यापार/सीमाशुल्क मूल्यांकन विधि - नियम और अनुपालन

76. केन्द्रीय विक्रय कर (सीएसटी)

77. ऐसे स्थान जहां करों में छूट दी गई है

78. धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा

79. आय-कर निर्धारण

80. अपीलें तैयार करना और सीआईटी और आईटीएटी के समक्ष प्रस्तुत करना

81. भारतीय कर प्रणाली

कारबार प्रबंध

82. विरोध प्रबंध

83. उपभोक्ता और संगठनात्मक क्रय संबंधी व्यवहार

84. संविदा प्रबंध - व्यावहारिक मुद्दे

85. प्रतिस्पर्धात्मकता : अवधारणाएं और चुनौतियां

86. वाणिज्यिक सम्यक उद्यम

87. क्रेडिट विश्लेषण और क्रेडिट प्रबंध

88. प्रबंध नीतियों का मूल्यांकन ढांचा

89. परिवर्तन संबंधी प्रबंध

90. सृजन संबंधी प्रबंध

91. कर्मचारी अत्यधिकता संबंधी प्रबंध

92. विनिर्माण परिस्थितियों में एबीसी का कार्यान्वयन

93. औद्योगिक संबंध

94. मूल्य आधारित प्रबंध

95. सकल क्वालिटी प्रबंध

96. रणनीति संबंधी विनिश्चय – करना

97. संवहनीयता विकास

98. उत्साहवर्द्धक तकनीकें

99. संक्षिप्त रिपोर्टिंग

100. ज्ञान संबंधी प्रबंध

101. संकर्मों की योजना बनाना और नियंत्रण

102. कार्यपालन संबंधी प्रबंध

103. प्रभावी समय प्रबंध

104 क्वालिटी संपरीक्षाएं

105. मूल्य आधारित कारबार नियंत्रण – जोखिम प्रबंध का सही तरीका

106. प्रबंध संपरीक्षा

107. जोखिम और अनिश्चय की परिस्थितियों के अधीन विनिश्चय करना

108. संसाधन जुटाने में लागत कम करने संबंधी तकनीकें

निगम विधियां

109. अनुसूची 6

110. एमसीए 21 के अधीन ई-प्ररूप

111. माध्यस्थम अधिनियम, 1996

112. मूल्यांकन तकनीकें

113. विलयन और निर्विलयन

114. कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ)

115. सीएआरओ के कंपनी अधिनियम के अधीन संपरीक्षक की रिपोर्ट – सीएआरओ, दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग और प्रकटन अपेक्षाओं संबंधी मुद्दे

116. एनसीएलटी विधि तथा व्यवहार

117. एमसीए 21 – वृद्धि के लिए चुनौतियां तथा अवसर

118. सीमित दायित्व भागीदारी

119. एक्जिम नीति और प्रक्रियाएं

आचार संहिता

120. आईसीएआई की नीतिगत संहिता और उभरते हुए सुसंगत मुद्दे

वित्त तथा पूंजी बाजार

121. व्युत्पत्तियां : भावी तथा विकल्प

122. व्युत्पत्तियां : लेखांकन और कराधान

123. ओटीसी व्युत्पत्तियां - एक विधिक परिप्रेक्ष्य

124. निधियां जुटाने के स्रोत

125. वित्त तथा पूंजी बाजार का वर्तमान रूझान

126. अंतर्राष्ट्रीय वित्त

127. अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थानों की भूमिका

128. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नियम

129. परियोजना रिपोर्ट तथा मूल्य निर्धारण

130. परियोजना वित्त पोषण

131. सूचीबद्ध करने संबंधी करार

निगम शासन

132. संपरीक्षा समिति चार्टर

133. संपरीक्षा समिति तथा स्वतंत्र निदेशक

134. सीओएसओ, सीओबीआईटी और ईआरपी

135. व्हिसल ब्लोअर नीति - ढांचा

136. उद्यम शासन

137. वहनीय विकास और सार्वभौमिक रिपोर्टिंग सूचकांक (जीआरआई)

138. निगम शासन में सीए की भूमिका

139. निगम शासन की रेटिंग

140. निगम शासन की संपरीक्षा

141. ग्लोबल वार्मिंग/मौसम में परिवर्तन

142. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

143. कार्बन क्रेडिट

144. सुशासन के माध्यम से बोर्ड की प्रभावकारिता में सुधार

145. सार्वभौमिक विकास में निगम शासन का प्रभाव

बीमा और जोखिम प्रबंध

146. बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण

147. पेंशन निधि में विकास

148. बीमा क्षेत्र में प्रति-धनशोधन

149. जोखिम प्रबंध

150. बीमा कंपनियों का मूल्यांकन

151. तृतीय पक्षकार बीमा

152. एएस-15 और बीमांकन विज्ञान

लोक वित्त

153. वित्त नीति और आर्थिक विकास

154. भारत में लोक ऋण

155. बाह्य ऋण और विदेशी मुद्रा आरक्षितियां

156. लोक व्यय के प्रभाव

157. भारतीय फेडरल वित्त

158. कृषि क्षेत्र में कराधान

159. रेल संबंधी वित्त

160. कराधान का विस्तार और प्रभाव

161. भारत में पब्लिक सेक्टर उपक्रम

162. अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाओं की भूमिका

163. धनशोधन

164. ग्रामीण बैंकिंग

सुगत दक्षताएं

165. व्यक्तित्व का विकास

166. ग्राहकों से संबंध का प्रबंध

167. आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष प्रभावी प्रस्तुतीकरण

168. तनाव प्रबंध

169. प्रस्तुतीकरण और संवाद संबंधी दक्षताएं

170. अंतर्व्यक्ति क्षमताएं

अन्य

171. परामर्श और सलाहकारी सेवाएं

172. कारबार सलाहकारी सेवाएं

173. सूचना का अधिकार अधिनियम

174. छह सिगमा

175. कपट अन्वेषण, रिपोर्टिंग और निवारण

176. न्यायशास्त्र, विधि का निर्वचन तथा साक्ष्य अधिनियम

177. धन शोधन, जोखिम और प्रबंध – निवारण सहित

178. सीए संशोधन अधिनियम, 2006

179. सीए फर्मों का विलय, अविलय और निर्विलयन तथा क्षमता निर्माण

व्यवहार तथा उद्योग में आईसीएआई के सदस्यों की प्रासंगिकता वाले वैकल्पिक विषयों में 191 विषय सम्मिलित हैं । इसके अलावा, कलेण्डर के, विषयों में 8 मुख्य शीर्ष भी सम्मिलित हैं जो विशेषकर उद्योग वाले सदस्यों के लिए प्रासंगिक हैं ।

सीपीई क्रेडिट घंटों की बढ़ी हुई मात्रा को पूरा करने के लिए सदस्यों को समर्थ बनाने हेतु, आईसीएआई का सीपीई कार्यक्रम आयोजक यूनिट विशेषकर प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की शाखाएं, सीपीई अध्ययन सर्किल तथा सीपीई चैप्टरों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे सदस्यों, जो ऐसे पीओयु में कार्य कर रहे हैं, के साथ न्यूनतम सीपीई कार्यक्रमों का संचालन करें ।

प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् और शाखा को, अन्य कार्यक्रमों के अलावा आईएफआरएस संबंधी श्रृंखला कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए ।

प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् और शाखा को प्रैक्टिस इकाइयों के लिए लेखांकन मानकों/संपरीक्षा और आश्वासन मानकों/ क्वालिटी पुनर्विलोकन मानकों के संबंध में दो कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए ।

पीओयू को आंतरिक संपरीक्षा से संबंधित ऐसे विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिन्हें सीपीई कलेंडर 2008-09 में सम्मिलित किया गया है ।

पीओयू को वर्ष के दौरान डब्ल्यूटीओ से संबंधी मुद्दों पर कम से कम एक संगोष्ठी का आयोजन करना चाहिए ।

5.8.5 सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखना

सीपीई समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सीपीई पीओयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता को मानीटर करने के लिए प्रादेशिक सीपीई मानीटरी समितियों का पुनर्गठन किया है । जैसा कि सीपीई एडवाइजरी आन मानीटर्स एंड सुपरवाइजर्स के अंतर्गत अपेक्षित है, ऊपर कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीपीई कार्यक्रम आयोजक यूनिटों के लिए मानीटर तथा पर्यवेक्षक नामनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं ।

5.8.6 सीपीई समिति की अन्य पहलें

सीपीई समिति निम्नलिखित रणनीति संबंधी पहलों पर भी कार्य कर रही है :

- चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति से सुसंगत विभिन्न विषयों पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करना ।
- देश भर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) पर कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- लेखांकन मानकों/संपरीक्षा और आश्वासन मानकों/ क्वालिटी पुनर्विलोकन मानकों पर कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे कि संस्थान के सदस्यों को सीपीई पद्धति के माध्यम से गहन अध्ययन और अनुकूलन प्रदान किया जा सके ।
- संस्थान के सदस्यों के तकनीकी और वृत्तिक कौशल में सुधार करने हेतु उन्हें गहन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों, एसओएक्स, निवेश बैंककारी, बीएएसईएल II, सम्यक् अभ्यास, भावी और वित्तीय सूचना का पूर्वानुमान, सेवाकर और क्वालिटी नियंत्रण जैसे विषयों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन ।

- देश भर में कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिससे कि 1, 45,000 से अधिक सदस्यों वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर वरिष्ठ सदस्यों को कंप्यूटर से मित्र बनाया जाए और इस प्रकार उन्हें सक्रिय कार्यकरण पद्धति के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए *नवीनतम प्रौद्योगिकी* का उपयोग करने में समर्थ बनाया जा सके ।

- समिति द्वारा जारी किए गए सभी प्रकाशनों को अद्यतन/पुनरीक्षित करना, जिससे कि वे वर्तमान संदर्भ में सुसंगत सिद्ध हो सकें ।

- उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए और अधिक घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

- विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान के सीपीई संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षक कार्यशालाओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना ।

- सदस्यों के लिए स्मार्ट कार्ड समाधान कार्यान्वित करना ।

- टेलीकांफ्रेंसिंग कार्यक्रम संबंधी विज्ञापन करना और इन कार्यक्रमों को देखने वाले सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाना ।

5.9 वृत्तिक विकास समिति

प्रस्तावना :

वृत्तिक विकास समिति को आईसीएआई द्वारा वर्ष 1982 में एक गैर-स्थायी समिति के रूप में स्थापित किया गया था । वृत्तिक विकास समिति आईसीएआई की सर्वाधिक सक्रिय समितियों में से एक है, जिसने सदैव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीएआई के सदस्यों के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करने, उन्हें व्युत्पन्न करने, विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं । यह ऐसे नए क्षेत्रों की पहचान करती है और उनका पता चलाती है, जहां वृत्तिक विकास के लिए पर्याप्त संभावना है । अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह समिति ऐसे नए और विद्यमान क्षेत्रों में खोजबीन/क्रियाएं करके, जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशल को और अधिक उत्पादक और फायदाप्रद रीति में उपयोग किया जा सकता है, आईसीएआई के सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए प्रयास कर रही है । इस समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर उपलब्ध हों । इस प्रक्रिया के भागरूप में, समिति निरंतर विभिन्न विनियामकों/पैनलबद्ध करने वाले प्राधिकारियों तथा वृत्तिकों की सेवाओं के उपयोक्ताओं के साथ परस्पर क्रिया कर रही है ।

अपने मिशन की पूर्ति के लिए, वृत्तिक विकास समिति ने वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं । इन पहलों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ पदधारियों से की गई बैठकें, विनियामक निकायों से की गई बैठकें हैं, जिससे कि उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित हो सके । समिति ने, सदस्यों के कौशल और विशेषज्ञता में सुधार लाने के उद्देश्य से, उन्हें ऐसे नए नियमों और विनियमों से अवगत कराने के लिए, जो वृत्तिक परिदृश्य में सामने आ रहे हैं और इस प्रकार उन्हें उत्तम सार्वभौमिक स्तर की सक्षमता प्रदान करने के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वृत्तिक विकास समिति की प्रमुख उपलब्धियां/प्रयास नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

- बहुप्रयोजन इम्पैनलमेंट आवेदन प्ररूप को वेबसाइट पर रखने की प्रक्रिया, कानूनी बैंक शाखा संपरीक्षा कराने के लिए पात्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों/फर्मों का पैनल तैयार करने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों के शाखाओं की कानूनी संपरीक्षा की आबंटन सूची को भी सफलतापूर्वक वेबसाइट पर रखा गया था और ऐसे कुछ विधिमान्य मामलों को, जहां पात्र आवेदक संपरीक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे, भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष रखा गया था ।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अपने परिपत्र सं.डीबीएस.एआरएस.सं.बीसी.06/08.92. 001/2006-07 तारीख 6 जून, 2007 द्वारा वर्ष 2006-07 से पब्लिक सेक्टर बैंकों के कानूनी केन्द्रीय तथा शाखा संपरीक्षकों को संदेय पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया था ।

- समिति ने आरआरबी के कानूनी संपरीक्षकों की संपरीक्षा फीस और भत्तों का भी सफलतापूर्वक पुनरीक्षण किया था ।

- वृत्तिक हित के विभिन्न मुद्दों, जैसे कि कानूनी संपरीक्षकों की संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण, संपरीक्षकों को प्रशिक्षण तथा क्वालिटी सेवा परिदान को सुकर बनाना आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए नाबार्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक ।

- वृत्तिक हित के विभिन्न मुद्दों, जिनके अंतर्गत कर संपरीक्षकों की नियुक्ति, कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति में स्वायत्तता, एनबीएफसी से संबंधित मुद्दे आदि हैं, पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पदधारियों से चर्चाएं ।

- ऐसे व्यक्तियों के साथ, जिनके विचार, उद्देश्य और भविष्य की रणनीति एक समान हैं और जो नेटवर्क में भाग लेने वालों की दृढ़ता को संपूरित करते हैं, नेटवर्क स्थापित करने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को एक मंच उपलब्ध कराने हेतु सीए नेटवर्किंग और सुदृढ़ीकरण के लिए पोर्टल, जो www.canet.co.in लिंक पर उपलब्ध है, ने अपनी पहले जारी रखीं ।

- वृत्तिक विकास समिति का ज्ञान पोर्टल www.pdicai.org सदस्यों को निरंतर समय पर अपनी सेवाएं और व्यवसाय में होने वाली नई घटनाओं के संबंध में अनिवार्य सूचना तथा विभिन्न क्षेत्रों में नए वृत्तिक अवसरों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा है । वृत्ति के सदस्यों के लिए इस पोर्टल की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए इस पोर्टल में और सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के साथ वृत्तिक हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई थीं ।

- भारतीय बैंकों के संगम के मुख्य कृत्यकारी के साथ, वृत्तिक संबंधों को मजबूत करने तथा उन्हें आईसीएआई के क्रियाकलापों से अवगत कराने और बैंकों के अभिमत को समझने के लिए बैठक की गई थी ।

- सचिव, बैंककारी विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भी, उन्हें आईसीएआई के विभिन्न क्रियाकलापों और पहलों तथा कार्यकरण से अवगत कराने के लिए बैठक की गई थी ।

- आवास क्षेत्र के हित का संवर्धन करने तथा उसमें सहयोग करने और सीए के लिए नए अवसरों का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आईसीएआई की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है ।

- वैट संपरीक्षा के मुद्दे पर महाराष्ट्र के माननीय वित्त मंत्री के साथ बैठक की गई थी ।

- चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए वैश्विक कारबार में संभावित वृत्तिक विषयों के संबंध में राज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक बैठक की गई थी ।

- कुवैत सरकार द्वारा सीए की अर्हता को मान्यता न देने के संबंध में संयुक्त सचिव, विदेशों में बसे भारतीयों संबंधी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक बैठक की गई थी ।

- पूर्वोक्त के अलावा, नए वृत्तिक अवसरों का सृजन करने और पूर्व में विद्यमान अवसरों के अनछुए क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित संगमों और प्राधिकरणों के साथ भी बैठकें की गई थी :

    - ➢ सीए के लिए नए क्षेत्र का पूर्वानुमान लगाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के वरिष्ठ पदधारियों ।

- प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक (सीसीए)
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वरिष्ठ पदधारी
- राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के सीएमडी
- सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
- बंबई स्टॉक एक्सचेंज के पदधारी
- अग्रिम बाजार आयोग के पदधारी
- कार्यकारी निदेशक, (वित्त और लेखा), भारतीय जीवन बीमा निगम
- वित्तीय सतर्कता इकाई - भारत के वरिष्ठ पदधारी
- सदस्य (वित्त) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ पदधारी
- अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अपर महानिदेशक
- प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न पदधारी
- भारतीय निर्यात क्रेडिट और प्रत्याभूति निगम
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएचएआई) के कार्यालय के पदधारी
- वरिष्ठ नियंत्रक अधिकारी, एशियाई विकास बैंक का भारतीय आवास मिशन, नई दिल्ली
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के पदधारी
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के पदधारी .

• सामयपूर्ण वृत्तिक अवसरों को सुनिश्चित करने और अधिकाधिक कार्य उपलब्ध कराने की वृहत मांग के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित प्राधिकरणों ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों/चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट फर्मों के पैनलों की मांग की :

- यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई ।
- आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, मुंबई ।
- सीआईटी- II, कानपुर
- शासकीय परिसमापक का कार्यालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पुडुचेरी
- सर्व शिक्षा अभियान, वारंगल
- रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, महाराष्ट्र
- उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड
- पब्लिक सेक्टर पुनर्संरचना और आंतरिक संपरीक्षा बोर्ड, केरल
- यूपीएसई सिक्योरिटीज लिमिटेड, कानपुर
- राष्ट्रीय वस्तु और व्युत्पत्तियां विनिमय लिमिटेड

- अपने सदस्यों के कौशल और योग्यता में सुधार करने के लिए विनिर्दिष्ट सहायता उपलब्ध कराने के मार्गों और उपायों पर विचार करने के अपने प्रयासों में, समिति ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया :

  - 14 सितम्बर, 2007 को भोपाल में "उत्कृष्टता के लिए सक्षमता निर्माण" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी भोपाल शाखा ने की थी ।
  - पब्लिक सेक्टर बैंकों के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन 18 सितम्बर, 2007 को मुम्बई में किया गया था ।
  - देश भर में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ संयुक्त रूप से पांच पूर्ण दिवसीय संगोष्ठियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था ।
  - पब्लिक सेक्टर बैंकों के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के साथ दूसरी परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन 14 नवम्बर, 2007 को दिल्ली में किया गया था ।
  - 23 और 24 नवम्बर, 2007 को अहमदाबाद में "अवसर.................असीमित" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी अहमदाबाद शाखा ने की थी ।
  - पब्लिक सेक्टर बैंकों के सीए और गैर-सीए निदेशकों की संपरीक्षा समिति की एक गोलमेज बैठक का आयोजन 18 दिसम्बर, 2007 को प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुड़गांव में किया गया था ।
  - 8 जनवरी, 2008 को, नई दिल्ली में सार्वभौमिक सीए नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन, 2008 का आयोजन किया गया था । वृत्तिक विकास समिति द्वारा कानूनी केन्द्रीय संपरीक्षकों के लिए पहली परस्पर क्रियाशील राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 24 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् द्वारा की गई थी ।
  - समिति द्वारा 26 अप्रैल, 2008 को हैदराबाद में 'गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा ने की थी ।
  - डब्ल्यूआईआरसी द्वारा बैंकों के कानूनी संपरीक्षक, 2008 के लिए बेसल II विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 27 और 28 मई, 2008 को मुम्बई में किया गया था ।
  - एसआईआरसी की त्रिचूर शाखा द्वारा 31 मई, 2008 को त्रिसूर में एनबीएफसी की संपरीक्षा और बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था ।

5.10 पियर रिव्यू बोर्ड

वर्ष 2002 में, आईसीएआई की परिषद् द्वारा गठित पियर रिव्यू बोर्ड, जिसमें परिषद् के सदस्य तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सीएंडएजी, उद्योग तथा आरबीआई जैसे निकायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अग्रसर हो रहा है कि सर्वोत्तम सार्वभौमिक व्यवहारों के अनुसार पुनर्विलोकन किया जाता है ।

इस क्रम में कि पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा सुसंगता और एकरूपता के साथ पुनर्विलोकन किया जाता है, बोर्ड पुनर्विलोकनकर्ताओं को प्रेक्टिस यूनिटों का पुनर्विलोकन करने के लिए, समनुदेशन करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है । प्रशिक्षण माड्यूल जो "ट्रेनिंग माडयूल फॉर पियर रिव्यूअरस" नामक पुस्तक के रूप में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, पुनर्विलोकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा प्रशिक्षण सुसाध्यकों के लिए मार्गदर्शन भी देता है कि पुनर्विलोकनकर्ताओं का प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है ।

प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के दौरान, पियर रिव्यू प्रक्रिया, प्रेक्टिस यूनिटों की बाध्यताएं, पुनर्विलोकनकर्ता की भूमिका, बोर्ड की शक्तियां, अनुशासनिक अधिकारिता आदि से संबंधी असंख्य प्रश्न उठाए गए थे । जबकि प्रशिक्षकों

ने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया था। बोर्ड इन प्रश्नों को बुकलेट रूप में संकलित करना उपयुक्त समझता है तथा तदनुसार एफएक्यू संबंधी प्रपत्र को भी जारी किया गया था।

पियर रिव्यू प्रक्रिया का उद्देश्य तीन चरणों में क्रमबद्ध रीति से चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सभी फर्मों को सम्मिलित करना है। पीयू का चयन विशेष रूप से विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से रेन्डम आधार पर किया जाता है। चरण 1 में सम्मिलित पी.यू. का तीन क्रमबद्ध रीति से चयन किया गया है तथा जो अभी प्रक्रम 2 के अंतर्गत सम्मिलित है, उसका 4 चरणों के लिए चयन किया गया है। प्रक्रम 3 के अधीन पीयू का चयन उसके फेज 1 के अधीन भी किया गया है।

बोर्ड ने यह विनिश्चय किया है कि प्रक्रम I, II और III के लिए विभिन्न प्रक्रमों के अधीन पुनर्विलोकन करने के लिए आवधिकता अर्थात् 3, 4 और 5 वर्षों के लिए पीयू को, पीयू को जारी किए गए अंतिम पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र की तारीख से जारी की जानी चाहिए। वर्ष के दौरान प्रक्रम I के अंतर्गत आने वाली ऐसी फर्मों की दशा में पुनर्विलोकन के दूसरे चक्र को प्रारंभ किया गया है, जहां अंतिम पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् तीन वर्ष का अवसान हो गया है और तदनुसार 107 फर्मों को पुनर्विलोकन के उनके दूसरे चक्र के विषय में संसूचित किया गया था।

वर्ष के दौरान, परिषद् द्वारा "पियर पुनर्विलोकन संबंधी कथन" का पुनरीक्षण किया गया था, तथा "पियर पुनर्विलोकन मैन्यूअल", "पियर पुनर्विलोकनों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल" और "बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न" को भी पुनरीक्षित किया जाना है।

पियर रिव्यू बोर्ड ने, पियर पुनर्विलोकन की लागत को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया है, जिसके अंतर्गत पुनर्विलोकनकर्ता और उसके अर्हता प्राप्त सहायक को संदेय मानदेय तथा वाहन भत्ता/दैनिक भत्ता भी है :-

प्रक्रम I

प्रेक्टिस इकाई के अधिप्रमाणन सेवा ग्राहकों से कुल राजस्व	वर्तमान लागत	पुनरीक्षित लागत	वर्तमान अधिकतम सीमा	पुनरीक्षित अधिकतम सीमा
प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से न्यून	5,000/.-रु.	75 00/.-रु.	10,000/.-रु.	15,000/.-रु.
प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच	10,000/.-रु.	15,000/.-रु.	15,000/.-रु.	22,500/.-रु.
प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से अधिक	15,000/.-रु.	22,500/.-रु.	20,000/.-रु.	30,000/.-रु.

प्रक्रम II और प्रक्रम III

प्रेक्टिस इकाई के अधिप्रमाणन सेवा ग्राहकों से कुल राजस्व	वर्तमान लागत	पुनरीक्षित लागत	वर्तमान अधिकतम सीमा	पुनरीक्षित अधिकतम सीमा
प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से न्यून	25 00/.-रु.	3,000/.-रु.	5,000/.-रु.	6,000/.-रु.
प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच	5,000/.-रु.	6,000/.-रु.	75 00/.-रु.	9,000/.-रु.
प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से अधिक	75 00/.-रु.	9,000/.-रु.	10,000/.-रु.	12,000/.-रु.

5.11 उद्योग में सदस्यों के लिए समिति

5.11.1 पर्यावलोकन

उद्योग में लगे सदस्यों संबंधी समिति, आईसीएआई तथा विभिन्न हैसियत से उद्योगों में कार्य कर रहे चार्टर्ड

एकाउन्टेन्टों के बीच निकट संपर्क बढ़ाने में लगी हुई है जिससे कि सरकारी संगठनों तथा अभिकरणों के साथ गहन तथा व्यापक नातेदारी के विकास के माध्यम से ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल तथा व्यष्टिक कैरियर विकास में सहायता दी जा सके ताकि उन्हें नियोजन के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग जगत तथा शासन को हर संभव अधिकतम अभावरण प्रदान किया जा सके ।

समिति, उद्योग में अवसरों का पता लगाने में संस्थान के सदस्यों को सहायता प्रदान करती है । इस संबंध में, समिति संस्थान के सदस्यों तथा छात्रों के निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में लगी है :

(i) कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से नए अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ।

(ii) अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - जो वर्तमान में उद्योग में सेवा कर रहे हैं ।

सभी उपरोक्त सेवाएं प्लेसमेंट पोर्टल www.placements-icai.org. के माध्यम से प्रशासित की जा रही हैं । आईसीएआई प्लेसमेंट पोर्टल वृत्तिकों को वित्त तथा उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय बेहतर पद्धति उन्मुख वित्त तथा लेखांकन संस्कृति और भारतीय उद्योग के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है ।

5.11.2 उद्योग में कार्यरत/व्यवसाय कर रहे सदस्यों से संबंधित आंकड़े

पिछले 3 वर्षों के रूझान

कलेण्डर वर्ष	नामांकित सदस्य	वर्तमान सीओपी प्रास्थिति		
		सीओपी धारित न करने वाले	पूर्णकालिक	अंशकालिक
2005	7856	5191	2333	332
2006	9954	6757	2761	436
2007	8025	5837	1845	343
11.3.2008 तक	1461	1061	364	36
योग	27296	18846	7303	1147
प्रतिशतता		69 %	27%	4%

सदस्यता संबंधी वर्तमान प्रोफाइल

	सीओपी धारित न करने वाले	पूर्णकालिक सीओपी	अंशकालिक सीओपी	योग
सदस्य - 2008	65569	68808	9043	143420
प्रतिशतता	46%	48%	6%	100%

5.11.3 कैम्पस साक्षात्कार

समिति वर्ष में दो बार क्रमशः नवंबर और मई के प्रयासों में अर्हित सदस्यों के नियोजन के लिए फरवरी - मार्च और अगस्त - सितम्बर में कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन करती है ।

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम फरवरी-मार्च, 2008

कुल मिलाकर 3761 अभ्यर्थियों को इस सेवा का लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ । इन वृत्तिकों के बायोडाटा को केन्द्रवार वर्गीकृत किया गया था और उन्हें 16 केन्द्रों पर 188 संगठनों के 243 साक्षात्कार बोर्डों से मिलने का अवसर प्रदान किया गया था । इस कार्यक्रम में कुल उपलब्ध अभ्यर्थियों में से लगभग 32 प्रतिशत अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया था ।

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का तुलनात्मक संक्षिप्त विवरण :

- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पद के लिए 16.17 लाख रुपए प्रतिवर्ष के अधिकतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में घरेलू पद के लिए 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष के अधिकतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की लगभग 1590 नौकरियों की प्रस्तावना की गई थी ।
- अर्हता प्राप्त करने वाले नए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को लगभग 6 लाख रुपए प्रति वर्ष के औसत वेतन की प्रस्तावना की गई थी ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान 109 कंपनियों ने भाग लिया था ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान 243 साक्षात्कार पैनलों ने भाग लिया था ।
- सभी क्षेत्रों में से बैंककारी क्षेत्र ने सर्वाधिक संख्या में भर्ती की थी (13.97 %), किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर (11.30 %), तेल और गैस परिष्करण (8.87%), वित्तीय सेवाएं (8.32%), खनन (5.85 %) जैसे क्षेत्र प्रमुख भर्तीकर्ता थे ।
- इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में 26 नए भर्तीकर्ता अस्तित्वों ने पहली बार भाग लिया था ।
- अर्हता प्राप्त करने वाले ऐसे नए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की, जिन्हें 6 लाख रुपए या अधिक के वेतन की प्रस्तावना की गई है, संख्या में 128% की वृद्धि हुई है ।
- अभ्यर्थियों को उनके साक्षात्कारों के लिए उचित रूप से तैयारी करने में समर्थ बनाने के लिए उद्योग में कार्यरत सदस्यों संबंधी समिति ने 'त्वरित पुनर्विलोकन प्रश्न' और 'साक्षात्कार बोर्ड का सामना कैसे करें' नामक प्रकाशन निकाले थे ।
- समिति ने अभ्यर्थियों के सॉफ्ट कौशलों को तीक्ष्ण करने और उन्हें तकनीकी पक्ष में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुकूलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया था ।

5.11.4 व्यवसाय से भिन्न अन्यथा नियोजित सदस्यों के लिए सीपीई अपेक्षाएं

ऐसे सभी सदस्यों के लिए, जो व्यवसाय में नहीं हैं, 1.1.2008 से सीपीई अपेक्षाओं को आज्ञापक बनाया गया है, जिसे नीचे उपदर्शित किया गया है :

'............ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं या जो विदेशों में निवास कर रहे हैं (चाहे वे *व्यवसाय का प्रमाणपत्र* धारित कर रहे हैं अथवा नहीं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

- 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में संरचागत/गैर-संरचागत पठन के न्यूनतम 45 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें ।
- प्रत्येक वर्ष में संरचागत/गैर-संरचागत पठन के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें ।'

5.11.5 सीएफओ का संघ (निगम एकाउन्टेन्ट संघ)

उद्योग में लगे सदस्यों से संबंधित समिति एक सीएफओ संघ को बनाए रखती है। यह संघ आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के लिए है जो उद्योग में वरिष्ठ पदों पर हैं। ऐसे संघ को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित करना है, जहां विभिन्न संगठनों के उच्च कोटि के बुद्धिजीवी और प्रतिभाशाली व्यक्ति साधारणतया वृत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकें और यह विशेष रूप से उद्योग में लगे सदस्यों के लिए है। वे उद्योग की दृष्टि में चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की छवि सुधारने के लिए योजनाएं, नीतियां और रणनीति बना सकते हैं। उद्योग से संबंधित विषयों पर चर्चा करने और उन्हें वृत्ति का ब्रांड राजदूत बनाने के लिए उद्योग विनिर्दिष्ट संगोष्ठियां/सम्मेलन/गोलमेज बैठकों की भी योजना बनाई जाती है। वर्तमान में सीएफओ संघ की सदस्य संख्या 2100 है।

5.11.6 उद्योग संघ में सदस्य

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, समिति ने उद्योग में काम कर रहे सदस्यों के लिए एक संघ विकसित किया है। ऐसे संघ को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य उद्योग में सेवा कर रहे संस्थान के सदस्यों का एक उद्योग-वार डाटाबेस विकसित करना और उसे बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त, यह संघ एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां वृत्ति और विशेष रूप से उद्योग में लगे सदस्यों पर चर्चा की जा सकती है।

उद्योग से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए और उन्हें वृत्ति का ब्रांड राजदूत बनाने के लिए उद्योग विनिर्दिष्ट संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ गोलमेज बैठकों का आयोजन भी किया जा सकता है। सदस्यों को समय-समय पर संस्थान की विभिन्न घटनाओं और संबंधित क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी से भी अवगत कराया जाएगा।

5.11.7 उद्योग में कार्य कर रहे सभी सदस्यों के लिए प्रश्नोत्तर

आईसीएआई से उद्योग में लगे सदस्यों की अपेक्षाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीएमआईआई ने एक प्रश्नोत्तर तैयार किया है, जिसे http://www.placements_icai.org/imgs/question_email.doc या http://www.icai.org/icairoot/anouncements /question _email _2june 06.doc से डाउनलोड किया जा सकता है तथा उन्हें placements @icai. org पर ई-मेल किया जा सकता है।

5.11.8 आयोजित किए गए कार्यक्रम / संगोष्ठियां / सम्मेलन :

समिति ने 2007-08 और 2008-09 (7 जुलाई, 2008 तक) उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया :

वर्ष 2007-08 के दौरान :

निगम एकाउन्टेन्टों की बैठक

क्रम सं.	स्थान	तारीख
1.	मुंबई	14 अप्रैल, 2007
2.	इन्दौर	22 जून, 2007
3.	जयपुर	22 सितम्बर, 2007
4.	हैदराबाद	29 दिसम्बर, 2007
5.	कोलकाता	28 जनवरी, 2008
6.	चैन्नई	29 जनवरी, 2008
7.	एरनाकुलम	30 जनवरी, 2008

8.	कोयम्बटूर	31 जनवरी, 2008
9.	बैंगलोर	1 फरवरी, 2008

समिति ने 22 अप्रैल, 2008 को मुंबई में वरिष्ठ सीएफओ/सीईओ के लिए संस्थान - उद्योग एकीकरण सीएफओ बैठक का भी आयोजन किया था ।

उद्योग *विनिर्दिष्ट कार्यक्रम*

क्रम सं.	विषय	तारीख और स्थान
1.	आईएफआरएस और यूएस के जीएएपी पर चौथी कार्यशाला	मुंबई में 19 से 22 अप्रैल, 2007
2.	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन	बैंगलोर में 25 और 26 मई, 2007
3.	बैंककारी क्षेत्र में प्रणाली संपरीक्षा पर कार्यशाला	मुंबई में 22 से 24 जून, 2007
4.	'निगम व्यवहारों में उत्कृष्टता-आधुनिक रुझान' विषय पर एक अखिल भारतीय आवासी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	माउंटआबू, राजस्थान में 13 से 15 जुलाई, 2007
5.	आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन	मुंबई में 28 और 29 जुलाई, 2007
6.	वृत्तिक उत्कृष्टता पर अखिल भारतीय सम्मेलन	गोवा में 10 से 12 अगस्त, 2007
7.	'सर्बेन्स *आक्सले अधिनियम* और सूचना *प्रौद्योगिकी* अधिनियम' पर 3 दिवसीय कार्यशाला	*मुंबई में* 21 से 23 *सितम्बर* 2007
8.	'भू संपदा और संनिर्माण उद्योग' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	चेन्नई में 29 जनवरी, 2008

निगम मंच

समिति ने 'कारपोरेट इवेंट' नामक एक विशाल आयोजन किया था जिसमें 4 समवर्ती आयोजन सम्मिलित थे, अर्थात् :-

- **करियर एसेंट (17 से 19 जनवरी, 2008)** - एक या अधिक वर्षों का उद्योग संबंधी अनुभव रखने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए करियर विकास की संभवनाएं उपलब्ध कराने वाला आयोजन । लगभग 1195 अभ्यर्थियों ने इस आयोजन के लिए स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया था और इस आयोजन में लगभग 54 अनुभव प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था ।

  माननीय श्री राम नायक, संसद् सदस्य और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने 17 जनवरी, 2008 को इस आयोजन का उद्घाटन किया था ।

- **कैपिटल एडवांटेज (17 से 19 जनवरी, 2008)** - यह एक ऐसा आयोजन है, जिसमें चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों से सुसंगत वित्तीय और अन्य उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है । इस आयोजन में लगभग 8 सुविख्यात कंपनियों ने भाग लिया था और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था ।

- **फिन शिखर सम्मेलन (18 से 20 जनवरी, 2008)** - यह एक ऐसा आयोजन था, जिसमें 3 उद्योग विनिर्दिष्ट शिखर सम्मेलन सम्मिलित थे, अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, संनिर्माण उद्योग और निवेश बैंककारी उद्योग संबंधी शिखर सम्मेलन, जिनका आयोजन उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए किया गया था । देश के विभिन्न क्षेत्रों से विख्यात संकाय को, इन शिखर सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

माननीय श्री पृथ्वीराज चवण, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शिखर सम्मेलन का उदघाटन किया था ।

- **सीए निगम नेता - "एग्जेक्ट पुरस्कार" - 20 जनवरी, 2008**

उद्योग में कार्यरत सदस्यों के उत्कृष्ट कार्य का सम्मान करने के लिए समिति ने वर्ष के दौरान एक पुरस्कार अर्थात् सीए निगम नेता - "एग्जेक्ट पुरस्कार" को प्रारंभ किया था । विभिन्न क्षेत्रों से अनेक प्रमुख व्यक्तियों को इन पुरस्कारों को प्रदान किए जाने के लिए योग्य सदस्यों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए न्याय सभा का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

माननीय श्री प्रकाश जायसवाल, राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय 20 जनवरी, 2008 को आयोजित किए गए सीए निगम नेता - "एग्जेक्ट पुरस्कार" समारोह के मुख्य अतिथि थे ।

ऐसे व्यक्ति, जिन्हें सीए निगम नेता - "एग्जेक्ट पुरस्कार" प्रदान किए गए थे, निम्नलिखित हैं:-

सीए. नितीन अग्रवाल	सीए युवा नेता	पुरूष
सीए. आशीष अवस्थी	सीए युवा नेता	पुरूष
सीए. उपेन्द्र गुप्ता	सीए युवा नेता	पुरूष
सीए. पूजा गुप्ता	सीए युवा नेता	स्त्री
सीए. विशाखा म्यूले	सीए युवा नेता	स्त्री
सीए. नीतू काशीरमका	सीए युवा नेता	स्त्री
सीए. निलेश शाह	सीए वृत्तिक प्रबंधक	निजी क्षेत्र
सीए. एस.के.गुप्ता	सीए वृत्तिक प्रबंधक	निजी क्षेत्र
सीए. एम. रामदौस	सीए वृत्तिक प्रबंधक	पब्लिक/सरकारी क्षेत्र
सीए. एस.के. गर्ग	सीए वृत्तिक प्रबंधक	पब्लिक/सरकारी क्षेत्र
सीए. सी. रामूलू	सीए वृत्तिक प्रबंधक	पब्लिक क्षेत्र
सीए. रमण रॉय	सीए कारबार नेता	एसएमई
सीए. रमण दीप सिंह बावा	सीए कारबार नेता	एसएमई
सीए. दिनेश नंदवाना	सीए कारबार नेता	एसएमई
सीए. रमेश डी. चंढाक	सीए कारबार नेता	निगम
सीए. निर्मल जैन	सीए कारबार नेता	निगम
सीए. दीपक गैसास केशव	सीए कारबार नेता	निगम
सीए. आर. सेशासाई	आजीवन उपलब्धि पुरस्कार	

निम्नलिखित को, लोक जीवन में उनके योगदान को मान्य ठहराते हुए पुरस्कार प्रदान किए गए थे :

- डॉ. किरीट सोमैया, पूर्व संसद् सदस्य, संस्थापक और अध्यक्ष, निवेशक शिकायत मंच
- सीए सुरेश प्रभु, महाराष्ट्र के राजापुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य

- सीए के. रहमान खान, उपसभापति, राज्य सभा

वर्ष 2008-09 के दौरान :

सीएफओ/निगम एकाउन्टेन्ट बैठकें

- समिति ने 22 अप्रैल, 2008 को मुंबई में सीएफओ की बैठक का आयोजन किया (विशेषकर उद्योग में कार्यरत वरिष्ठतम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए) ।
- समिति ने 22 जून, 2008 को भिलाई में निगम एकाउन्टेन्टों की एक बैठक का आयोजन किया (विशेषकर उद्योग में कार्यरत मध्यवर्ती स्तर के चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए) ।

उद्योग विनिर्दिष्ट कार्यक्रम

समिति ने 5 से 7 जून, 2008 के दौरान मुंबई में आईएफआरएस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था ।

5.11.9 समिति के प्रकाशन

उद्योग में कार्यरत सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए हैं । उन्हें अनुकूलन कार्यक्रम के समय अर्हता प्राप्त करने वाले नए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को निःशुल्क वितरित किया गया था :-

- साक्षात्कार बोर्ड का सामना कैसे करें
- त्वरित पुनर्विलोकन प्रश्न

5.11.10 बाहरी निकायों से विशेष आमंत्रिती/प्रतिनिधि

समिति की 66वीं बैठक में, निम्नलिखित सदस्यों को विशेष आमंत्रितियों के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था :

(i) सीए वी. मुरली, केन्द्रीय परिषद् के सदस्य

(ii) सीए सुबोध कुमार अग्रवाल, केन्द्रीय परिषद् के सदस्य

(iii) सीए मुस्तफा कासिम

समिति की 67वीं बैठक में, सीए. वी बालाकृष्णन, सीएफओ, इंफोसिस लिमिटेड को एक विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

सीए संजय सिंघल ने एक विशेष आमंत्रिती के रूप में समिति की 69वीं और 70वीं बैठकों में भाग लिया था ।

समिति निम्नलिखित रणनीति संबंधी पहलों पर कार्य कर रही है :

- अर्हता प्राप्त करने वाले नए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के अंतिम नियोजन में आगे और सुधार करने के लिए नियोजन सेवाओं का विपणन
- नियोजन पोर्टल को लोकप्रिय बनाना
- सदस्यों और निगमों के बीच अनुभव प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के नियोजन पोर्टल को लोकप्रिय बनाना ।
- उद्योग में कार्यरत सदस्यों के लिए सुसंगत सामग्री का प्रकाशन ।
- विख्यात सदस्यों और ऐसे सदस्यों के डाटाबेस का सृजन, जो उद्योग में प्रमुख पदों पर तैनात है ।
- आईसीएआई के क्रियाकलापों में उद्योग में कार्यरत सदस्यों की भागीदारी में बढ़ोतरी करने के लिए मार्गों और उपायों पर विचार करना ।

- उद्योग/विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- मुंबई/दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई में सीएफओ की बैठकों का आयोजन करना ।
- निगम एकाउन्टेन्टों की बैठकों का आयोजन करना ।
- आवासी पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना - प्रत्येक क्षेत्र में एक ।
- विभिन्न स्थानों पर मानव संसाधन बैठकों का आयोजन करना ।
- डीसीओ अध्यक्षों की बैठकों का आयोजन करना ।
- पुरस्कार समारोहों का आयोजन करना ।
- सीएमआईआई के ई-न्यूज लेटर 'कारपोरेट कम्यूनिकी' का प्रकाशन ।

अर्हता प्राप्त करने वाले नए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भर्ती के लिए मैसर्स ईरेवना रिसर्च सर्विसिज और मैसर्स इन्फोसिस टेक्नोलोजिज लिमिटेड के साथ एमओयू और करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके कारण वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भर्ती की गई थी ।

5.12 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

5.12.1 पर्यावलोकन

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्व में कारबार सामर्थ्यकर्ता की अल्प भूमिका से परिवर्तित होकर चयनित कारबार प्रचालक के रूप में उभरी है । नए डब्ल्यूटीओ को देखते हुए और विश्व के एक वैश्विक गांव में परिवर्तन के साथ भारतीय कारबार परिदृश्य में अधिकाधिक आईटी समर्थ सेवाएं (आईटीईएस) सम्मिलित हो रही हैं, जैसे कि ईआरपी, कारबार प्रक्रिया बाहरी स्रोत (बी.पी.ओ)/सूचना प्रक्रिया बाहरी स्रोत (केपीओ) ।

परिषद् ने, नियमित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी चुनौतियों का मूल्यांकन करने और उचित शिक्षा तथा विकासशील कार्यक्रमों जैसे कि अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/व्यावहारिक कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें वृत्ति के लिए लाभप्रद वृत्तिक अवसरों के रूप में संपरिवर्तित करने और साथ ही अध्ययन गाईडों, संसाधनों, ई-लर्निंग/ कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण पद्धतियों को तैयार करने के लिए वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया था ।

समिति की प्रथम पहल, सीए को सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठ्यक्रम (पीक्यूएस) के माध्यम से आईएस संपरीक्षा/प्रणाली और प्रक्रिया संपरीक्षा आश्वासन (एसपीए) मूल्यवर्धित सेवाएं प्रस्तावित करने के लिए सुसज्जित करना था, जिनके लिए दिनोंदिन मांग बढ़ती जा रही है । समिति ने संकर्मों की दक्षता और प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी व्यावहारिक कार्यशालाओं की प्रस्थापना करना प्रारंभ कर दिया है । समिति कंप्यूटर से सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीकों/साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर विषय पर त्वरित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीएएटी विषय पर सीपीई पाठ्यक्रम की प्रस्थापना भी कर रही है और साथ ही उसने सीएएटी संसाधन सीडी भी जारी की है ।

समिति आईएस संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाईड को पुनरीक्षित करने और स्टॉक ब्रोकर सीटीसीएल प्रसुविधा की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाईड को विकसित करने के लिए प्रक्रियाएं कर रही है ।

समिति ने वृत्ति के विकास के लिए अग्रिम क्षेत्र के रूप में ईआरपी परामर्श की पहचान की है और उसने एसएपी एफआईसीओ, ओरेक्ल 11 आई, फाइनैंशिएल्स और माइक्रोसॉफ्ट डाइनेमिक्स एनएवी संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रस्थापना करना आरंभ कर दिया है । समिति 12 जुलाई, 2008 को टैली कारबार आश्वासन व्यवहार (बीएपी) संबंधी कार्यशाला भी प्रारंभ कर रही है, जो सीए को, टैली का दूर से और साथ ही स्थानीय रूप से उपयोग करते हुए, उनके ग्राहकों को अनुपालन और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ संपरीक्षा सेवाएं प्रस्तावित करने में समर्थ बनाएगी ।

समिति ने आईसीएआई की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति के साथ "बैंक शाखा संपरीक्षा -एक पर्यावलोकन" विषय पर ई-लर्निंग/कंप्यूटर आधारित लर्निंग पद्धति प्रारंभ की है और "सीएएटी/जीएएस का उपयोग करना - एक प्रस्तावना" और "एमएसएक्सेल का सीएएटी/जीएएस के उपकरण के रूप में उपयोग करना" विषय पर एक मोड्यूल जारी करने के लिए प्रक्रिया कर रही है। समिति सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीए की सक्षमताओं को विकसित करने और उनके लिए वृत्तिक अवसर तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।

समिति ने आईसीएआई की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति के सहयोग से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृत्ति सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है, आईसीएआई की पहल के भाग रूप में वरिष्ठ सदस्यों के लिए कंप्यूटर मूल्यांकन पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। इस पाठ्यक्रम के बैचों का आयोजन, आईसीएआई के 100 सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों में स्थापित आईटीटी केन्द्रों में किया जाता है।

5.12.2 सूचना प्रणाली संपरीक्षा पर पश्च अर्हता पाठ्यक्रम

आईएस संपरीक्षा/ प्रणाली और प्रक्रिया आश्वासन की बढ़ती आवश्यकता पर विचार करते हुए, समिति ने सदस्यों के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा पर एक पश्च अर्हता पाठ्यक्रम आरंभ किया। इसकी पाठ्यचर्या और पृष्ठभूमि सामग्रियों में अंतिम पुनरीक्षण जनवरी, 2006 में किया गया था। इस वर्ष एक बार फिर पाठ्यचर्या और पृष्ठभूमि सामग्रियों की समीक्षा करने का कार्य किया गया था, जिसके लिए पाठ्यक्रम को विश्व में सर्वोत्तम बनाने के विचार से चैन्नई में एक संकाय बैठक का आयोजन किया गया था और यह इस समय पुनर्विलोकन/सुदृढ़ीकरण के अंतिम चरण पर है।

5.12.3 सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं (आईटीईएस)- ईआरपी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कारबार आश्वासन सेवाएं

समिति ने सदस्यों के प्रशिक्षण और विकास के लिए, विशिष्ट रूप से ईआरपी हेतु आईटीईएस की पहचान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है। इस पहल के भाग रूप में, समिति ने ओईएम विक्रेताओं के माध्यम से एसएपी एफआईसीओ, ओरेक्ल 11आई फाइनेंशियल्स और माइक्रोसॉफ्ट डाइनेमिक्स एनएवी विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। यह पाठ्यक्रम आसान समयावली और छूट प्राप्त फीसों के दोहरे फायदों का प्रस्ताव करते हैं। इन पाठ्यक्रमों के संबंध में और अधिक ब्यौरे, सदस्य - पाठ्यक्रमों के अधीन www.icai.org पर उपलब्ध हैं।

5.12.4 वरिष्ठ सदस्यों के लिए कंप्यूटर मूल्यांकन पाठ्यक्रम

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने आईसीएआई की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीए कंप्यूटर मित्र बनें, आईसीएआई के सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों पर वरिष्ठ सदस्यों के लिए एक सुसंरचित कंप्यूटर मूल्यांकन पाठ्यक्रम की प्रस्थापना की है। इस पाठ्यक्रम के लिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, अहमदाबाद और फरीदाबाद में बैचों का आयोजन किया गया है। अधिकाधिक शाखाओं को इन पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

5.12.5 ई-लर्निंग/कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण

इस वर्ष समिति की प्रमुख पहलों में से एक पहल है, एक ऐसा ई-लर्निंग/कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण मोड्यूल उपलब्ध कराना, जिससे देश भर के और विदेशों में स्थित सीए किसी भी समय अपने कार्यालय/घर से शिक्षा प्राप्त कर सकें। समिति ने पहले ही आईसीएआई की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति के सहयोग से, नए सीपीई गैर ढांचागत पठन क्रियाकलाप के भाग रूप में "बैंक शाखा संपरीक्षा - एक पर्यावलोकन" विषय पर ई-लर्निंग मोड्यूल जारी कर दिया है। समिति शीघ्र ही "सीएएटी/जीएएस का उपयोग करना - एक प्रस्तावना" और "एमएस-एक्सेल का सीएएटी/जीएएस के उपकरण के रूप में उपयोग करना" विषय पर एक मोड्यूल जारी करने के लिए प्रक्रिया कर रही है।

5.12.6 सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन, संगोष्ठियां, व्यावहारिक कार्यशालाएं

समिति ने सदस्यों को बेहतर व्यावहारिक उद्भासन प्रदान करने के लिए रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अनेक सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलनों/संगोष्ठियों/व्यावहारिक कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन 21 जून, 2008 को अहमदाबाद में किया गया था, जिसमें 450 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था । 17-19 जुलाई, 2008 को थेकड़ी, केरल में एक तीन दिवसीय हीरक जयन्ती एसओएक्स कार्यशाला का आयोजन कराया जाना है । वर्ष 2008-09 के दौरान प्रमुख नगरों और महानगरों में अनेक अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलनों का आयोजन कराया जाना है ।

5.12.7 आईएस संपरीक्षा के लिए मानक/मार्गदर्शन/प्रक्रियाएं

समिति, आईएसए अर्हताप्राप्त सीए (आईएस संपरीक्षक) को प्रथम चरण के रूप में आईएस संपरीक्षाएं करने के लिए एक व्यापक ढांचे तक पहुंच बनाने में समर्थ करने के लिए आईएसएसीए से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन आईएस संपरीक्षा के मानकों/मार्गदर्शनों/प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के अंतिम चरण में है ।

5.12.8 कंप्यूटर से सहायता प्राप्त तकनीकों (सीएएटी/साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर) - सीएएटी संसाधन सीडी(वी 2.1) पर प्रशिक्षण संसाधन

इलेक्ट्रानिक रूप से किए गए अनेक वित्तीय संव्यवहारों की बढ़ती संख्या के संबंध में कार्यवाही करने के लिए कंप्यूटर से सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीकों /साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता बढ़ रही है । इस आवश्यकता को मान्यता देते हुए, समिति ने, सदस्यों के लिए कंप्यूटर से सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीकी (सीएएटी)/साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर (जीएएस) का उपयोग करने के लिए साफ्ट दक्षता विकसित करना सुकर बनाने के लिए एक सीएएटी संसाधन सीडी (वी 2.1) जारी की है । इस सीडी में वॉकथ्रूस (श्रव्य स्पष्टीकरणों के साथ प्रक्रम-वार प्रक्रियाएं), उपयोक्ता मार्गदर्शक, प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन और अनेकों सीएएटी/जीएएस उपकरणों की कार्यकरण प्रतियां अंतर्विष्ट हैं ।

5.12.9 " कंप्यूटर लेखांकन और संपरीक्षा तकनीकों" (सीएएटी) पर सीपीई पाठ्यक्रम

समिति ने कंप्यूटर लेखांकन और संपरीक्षा तकनीकों पर सीपीई पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करने के लिए पहल की । पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अद्यतन बनाए रखने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है । यह पाठ्यक्रम सदस्यों के लिए अब आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/ कार्यालयों/ शाखाओं/सीपीई चैप्टरों के माध्यम से उपलब्ध है ।

5.12.10 आई एस संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

समिति ने सदस्यों के उपयोग के लिए आईएस संपरीक्षा का ढांचा उपलब्ध कराने के लिए आईएस संपरीक्षा संबंधी एक तकनीकी गाइड का प्रकाशन किया है । समिति, आईएस से सदस्यों को आईएस संपरीक्षाएं करने में समर्थ बनाने हेतु मार्गदर्शन करने तथा समर्थन प्रदान करने के लिए एक व्यापक रूप से पुनरीक्षित तथा अद्यतन गाईड निकालने के लिए प्रक्रिया कर रही है ।

5.12.11 आईएसए पोर्टल

समिति ने, पाठ्यक्रम जानकारी, ऑन लाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए सुविधा, ऑनलाइन ईटी और सदस्यों के फायदे के लिए समिति की गतिविधियों के ब्यौरे, जैसी सेवाओं को प्रस्थापित करने के लिए www.isaicai.org आईएसए पोर्टल स्थापित किया है । आईएसए पोर्टल, आईएसए और सीएएटी पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ संवाद करने का प्रमुख साधन है ।

5.12.12 आरओएसएम और ओएलपीटी की दोहरी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आईएसए कॉम साइट

समिति ने, ऑनलाइन प्रेक्टिस टेस्ट (ओएलपीटी) और रिसर्चड ऑनलाइन स्टडी मैटीरियल (आरओएसएम) की दोहरी सेवाओं की प्रस्थापना करते हुए एक अद्वितीय पठन और परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आईएसए कॉम साइट की स्थापना की है । ओएलपीटी सुविधा, अभ्यर्थियों को परीक्षाओं के लिए अपने ज्ञान/तैयारी के स्तर का पुनर्विलोकन करने में समर्थ बनाती है और आरओएसएम सुविधा, सदस्यों को अवधारणाएं स्पष्ट रूप से समझने में समर्थ बनाने के लिए पूछे गए प्रश्नों के संबंध में पूरे एक पृष्ठ के ब्यौरे प्रदान करती है ।

5.12.13 स्टॉक ब्रोकरों की प्रणाली संपरीक्षा पर तकनीकी गाइड और प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति स्टॉक ब्रोकरों की प्रणाली संपरीक्षा पर एक तकनीकी गाइड को अंतिम रूप देने और आईएसए सदस्यों को स्टॉक ब्रोकर सीटीसीएल प्रसुविधा की प्रणाली संपरीक्षा संचालित करने, जो एनएसई /बीएसई की आज्ञापक अपेक्षा है, हेतु सुसज्जित करने के लिए व्यावहारिक कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए भी कार्यवाही कर रही है ।

5.12.14 टेली एमओयू

आईसीएआई ने मैसर्स टेली सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं । इस पहल के भागरूप में मैसर्स टेली पांच चरणों में एक टेली कारबार सलाह व्यवहार (बीएपी) कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है । टेली बीएपी का उपयोग करके, सीए कानून अनुपालन सेवाएं, एमआईएस और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ संपरीक्षा सेवाओं को दूर से और साथ ही स्थानीय रूप से उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे । टेली बीएपी के प्रथम चरण के पायलेट प्रारंभ का उदघाटन अध्यक्ष द्वारा 12 जुलाई, 2008 को दिल्ली में किया जाना है ।

5.13 आरंभ की गई जनसंपर्क गतिविधियां

वर्ष 2007-08 में, जैसे ही आईसीएआई ने अपने 60वें वर्ष में प्रवेश किया जनसंपर्क क्रियाकलापों में एकाएक अत्यधिक वृद्धि हुई है । वैश्विक रूप से तथा देश के भीतर वृत्ति और आईसीएआई के ब्रांड को आगे और संनिर्मित करने की बृहत्तर आवश्यकता थी । इस वर्ष, आईसीएआई ने एक महान उपलब्धि प्राप्त की है, अर्थात् इसने अपने हीरक जयन्ती वर्ष में प्रवेश किया है । इस ऐतिहासिक वर्ष में, मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई । आईसीएआई के भीतर "इसके सदस्यों, शाखाओं और प्रादेशिक कार्यालयों के बीच परस्पर क्रियाओं में भी कई गुणा वृद्धि हुई । जनसंपर्क विभाग द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दिवस, अर्थात् 1 जुलाई, 2007 को माननीय संघ कारपोरेट कार्य मंत्री श्री पी.सी.गुप्ता के हाथों एक सीए लोगो का विमोचन किया गया था, जिसका उपयोग सदस्यों/ फर्मों द्वारा अपने परिचय कार्डों और अन्य सामग्रियों पर किया जाना है, जिससे कि विश्व को उनके विशिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व्यवसाय के संबंध में जानकारी मिल सके ।
- लेखांकन वृत्ति के तकनीकी पहलूओं के संबंध में प्रेस और मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए एक अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिससे कि उनके प्रेस लेखनों को और अधिक वास्तविक और प्रमाणिक बनाया जा सके ।
- वर्ष के दौरान आईसीएआई कैटालॉग निकाला गया था ।
- आईसीएआई को, भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी के लिए प्रमुख शिक्षण संस्थान तथा पारदर्शक कार्यकरण के साथ एक विनियामक निकाय के रूप में स्थापित करने के लिए नीतिगत सहायता प्रदान करने हेतु विज्ञापन अभिकरणों को पैनलबद्ध करना ।
- नियमित परस्पर क्रिया के माध्यम से, आमने-सामने साक्षात्कारों, मीडिया को पाठ्यचर्या, वृत्ति, नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने, सीए के लिए नए मार्गदर्शनों, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरों, अन्य क्रियाकलापों और घटनाओं के संबंध में नवीनतम जानकारियों से निरंतर अवगत् कराते हुए मीडिया से परस्पर क्रियाओं में वृद्धि हुई थी ।
- लेखों और साथ ही परस्पर क्रियाशील बैठकों/राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर प्रेस को जारी विज्ञप्तियों और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, आज की सक्रिय अर्थव्यवस्था में चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की संभावना और विस्तार का समर्थन किया ।
- एक त्रैमासिक प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसमें मुद्रण मीडिया में आईसीएआई के संबंध में प्रमुख समाचारों, आईसीएआई के प्रमुख क्रियाकलापों, आयोजनों/घटनाओं के संक्षिप्त विवरणों को संकलित किया जाता है । इसे एक पुस्तिका- " इन टच" के रूप में निकाला जाता था । इसकी एक ऐसे माध्यम के रूप में

परिकल्पना की गई है, जो सूचना का प्रसार करता है और साथ ही विख्यात विदेशी व्यक्तियों, मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण पदधारियों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति में होने वाली घटनाओं से अवगत कराते हुए ब्रांड निर्माण का कार्य भी करता है ।

- हीरक जयन्ती वर्ष में आईसीएआई के अभिलेखागार की स्थापना करने के लिए, उसमें सम्मिलित की जाने वाली प्रस्तावित मदों की प्रारंभिक सूची की पहचान की गई है और उसे पृथक रूप से रखा गया है ।
- आईसीएआई और इसके कार्यालयों/संबंधित संगठनों के बीच संपर्क विकसित करने के विचार से आईसीएआई के भीतर विभिन्न विभागों, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन गठित समितियों को संभार तंत्र समर्थन प्रदान करना ।
- जन संपर्क कार्य के भाग रूप में, आईसीएआई द्वारा, उसकी विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/ आयोजनों/आईसीएआई के पुस्तक विमोचनों को मुद्रण तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया में समुचित कवरेज प्रदान की गई थी ।
- वर्ष 2006 में आईसीएआई प्रोफाईल निकाला गया था । उसे समुन्नत करने के लिए, सभी विभागों/समितियों से नवीनतम जानकारी एकत्रित की गई है । समुन्नत पाठ को शीघ्र ही निकाला जाएगा ।
- जन संपर्क, हीरक जयन्ती समारोह का अभिन्न भाग था और सृजन तथा मीडिया प्रचार से संबंधित कार्यों को जन संपर्क प्रकोष्ठ को समनुदेशित किया गया था । एक हीरक जयन्ती लोगो तैयार किया गया था, जो समारोहों से संबंधित सभी प्रकार की संसूचनाओं का अभिन्न भाग था । इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट लेखन सामग्री तैयार की गई थी, जिसका उपयोग लोगो के साथ वर्ष भर किया जाएगा ।
- हीरक जयन्ती समारोहों के लिए संपूर्ण संसूचनाओं - आमंत्रणों, ब्रोशर, स्मृति चिन्हों, पोस्टरों, स्टिकरों, विज्ञापनों, न्यूजलेटर आवरण पृष्ठों आदि को तैयार किया गया था । उन्हें, संसूचना पत्रों में एक समानता बनाए रखने के लिए सभी शाखाओं/प्रादेशिक कार्यालयों को अग्रेषित किया गया था ।
- हीरक जयन्ती समारोहों की समुचित कवरेज के लिए तीन इलैक्ट्रानिक चैनलों - सीएनबीसी, यूटीवी, जी.के साथ गठबंधन किया गया था । सभी तीन चैनलों ने इस अद्वितीय अवसर के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों को व्यापक प्रचार प्रदान किया था । इन चैनलों को टीवी विज्ञापन तैयार करने के लिए भी कहा गया था जो वर्ष भर इन चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे ।
- हीरक जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मृति चिन्ह जारी करने का विनिश्चय किया गया था । राष्ट्रीय राजनैतिक नेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अध्यक्षों जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संपर्क किया गया था और उन्हें इस अवसर पर संदेश भेजने का अनुरोध किया गया था । इन सभी संदेशों और साथ ही निगम नेताओं से प्राप्त संदेशों का संकलन करते हुए एक विशेष स्मृति चिन्ह निकाला गया था ।
- आईसीएआई, इसके प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा, आईसीएआई तथा सदस्यों के बीच उनकी प्रतिक्रिया के लिए एक संचार लिंक विकसित करने के विचार से वृत्ति से संबंधित लोक परिचर्चा में समकालीन मुद्दों पर बल दिया गया था ।

5.14 व्यापार विधियां और विश्व व्यापार संगठन

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, वैश्वीकरण ने विश्व भर की अर्थ व्यवस्थाओं के पैटर्न को परिवर्तित कर दिया है । कोई भी अर्थव्यवस्था, उस परिवर्तन की आंधी से आंख नहीं मूंद सकती है जो चारों ओर से उठ रही है । अधिकांश अर्थ व्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा और सर्वाधिक तीव्रता से विकसित होता क्षेत्र बन गया है, जिसका विश्व जीडीपी में वर्तमान में योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है । अधिकांश अर्थ व्यवस्थाओं में सेवाओं का क्षेत्र उत्पादन और नियोजन में बड़ा हिस्सा रखता है और वह वस्तुतः विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए सेवाओं

संबंधी व्यापार में उदारता को आवश्यक बनाते हुए, विकास के प्रत्येक प्रक्रम पर देशों के आर्थिक क्रियाकलापों में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

विकासशील देश बहुधा काफी बड़ी लागत से, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सन्निकट रूप से एकीकरण करने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि समायोजनों और समझौतों की कतिपय मात्रा अपरिहार्य है, फिर भी परस्पर बातचीत बाजार तक पहुंच और घरेलू चिंताओं के मुद्दों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए मार्गदर्शित होनी चाहिए जिससे कि नई विश्व व्यापार व्यवस्था के परिणाम कम विकसित देशों के लिए घातक न हों। दुःसाध्य बातचीत और मोलभावों की मांगों और दबावों की पृष्ठभूमि में, प्राकृतिक रूप से यह प्रश्न उठता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार तेजी से विकसित होते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के संबंध में प्रतिक्रिया देगी। हमारे सामने यह एक कठिन कार्य है और इसके लिए भारतीय समाज के सभी वर्गों से सावधानी और सचेतन प्रयास तथा सहयोग अपेक्षित होगा। एक अर्हित वृत्तिक के रूप में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक ऐसी फायदाप्रद स्थिति में है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नियोजित विभिन्न वर्गों को कौशल और सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। इस भूमिका को प्रभावी रूप से निभाने के लिए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए यह आवश्यक है कि वह डब्ल्यूटीओ व्यवस्था को भलिभांति समझें और ऐसे विभिन्न नियमों के महत्व और विवक्षाओं का निर्धारण करें, जो देश के व्यापार संबंधी क्रियाकलापों और संबंधों का अतिक्रमण कर सकते हैं। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को, भारतीय अर्थव्यवस्था में किन्हीं विशिष्ट व्यापार विधियों के कार्यान्वयन या गैर-कार्यान्वयन के परिणामों के प्रति जागरूक बनना होगा। इस व्यापक संदर्भ में, आईसीएआई ने व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति को वर्ष 2001 में एक गैर स्थायी समिति के रूप में गठित किया था।

व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति, व्यापार से संबंधित विधि, जिसमें विशिष्ट रूप से माल और सेवाओं में व्यापार सम्मिलित हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के कार्यान्वयन, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप से साधारणतया विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था भी सम्मिलित है, से संबंधित सभी विषयों में विशेषज्ञता और प्राधिकार स्थापित करने और उसे सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और संस्थान की सदस्यता के बीच इन विषयों में ऐसे साधनों और युक्तियों के माध्यम से, जो अधिक प्रभावकारी साधन समझे जाते हों, विशेषज्ञता के आधार को सृजित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए गठित की गई थी जिससे कि इस संबंध में निश्चित और अनिश्चित राष्ट्रीय आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके तथा चिंताओं को दूर किया जा सके।

समिति की संरचना में, परिषद् के सदस्य, देश के विभिन्न भागों से समिति को सहयोजित सदस्य और समिति के विचार-विमर्शों में समय-समय पर आमंत्रित किए गए अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, समिति, चुनौतियों का सामना करने तथा नई विश्व व्यापार व्यवस्था में उनकी विशेषज्ञता की परिधि को व्यापक बनाने के फायदों को प्राप्त करने के लिए संस्थान के सदस्यों को तकनीकी रूप से लैस करने की दृष्टि से बदलते हुए विश्व परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए तथा भारत के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी के लिए निरंतर प्रयास करती रही है।

5.14.1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम

समिति ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों में, उन्हें सक्रिय तथा चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने तथा उनके निमित्त तैयार करने हेतु आवश्यक तथा वांछनीय सक्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था। इस पाठ्यक्रम को सदस्यों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

- नवंबर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल एंड डब्ल्यूटीओ) में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम में सफल प्रारंभ के पश्चात्, देश भर से 294 से अधिक सदस्यों ने पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण कराया है।
- आईटीएल और डब्ल्यूटीओ में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 30 दिन के वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के दो बैचों का सफल संचालन इस वर्ष के दौरान नई दिल्ली में 15 जून, 2007 से 30 जून, 2007 और 1 अगस्त, 2007 से 14 अगस्त, 2007 तथा 3 दिसम्बर, 2007 से 17 दिसम्बर, 2007 और 4 जनवरी,

2008 से 14 जनवरी, 2008 के दौरान किया गया था । इसके अतिरिक्त, आईटीएल और डब्ल्यूटीओ में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के लिए वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के प्रथम चरण को भी 1 जुलाई, 2008 से 15 जुलाई, 2008 के दौरान नई दिल्ली में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है । वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय, रक्षोपाय निदेशालय, विदेशी व्यापार निदेशालय, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड में वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के संकाय, भारतीय उद्योग का कंफेडरेशन, प्रमुख विधि फर्मों, व्यापार और उद्योग के लोगों, वृत्तिकों, परामर्शियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा डब्ल्यूटीओ क्षेत्र में अनुसंधान आधारित अन्य संगठनों से मिलकर बने संकाय ने पीसीपी. के दौरान प्रस्तुतियां दीं और व्याख्यान प्रस्तुत किए ।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन सामग्री और ढांचे को, पाठ्यक्रम की सकल संरचना को एक संकेन्द्रित रूप प्रदान करने के विचार से पुनः संतुलित करने का प्रस्ताव किया गया है । तथापि, यह स्कीम सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए लंबित है ।

- समिति इस पाठ्यक्रम को देश भर में सदस्यों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए और साथ ही इस पाठ्यक्रम को उद्योग, सरकार और अन्य संभावित उपयोक्ता समूहों के बीच संवर्द्धित करने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे कि इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र में प्रशिक्षित सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों का सृजन किया जा सके ।

- पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के साथ विभिन्न शहरों में परस्पर क्रियाएं की गई ।

- 5 मई, 2008 को आईसीएआई, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों से परस्पर क्रियाएं की गई थीं जिनमें इस क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए संभावित योजना पद्धतियों के संबंध में उनके विचार मांगे गए थे ।

5.14.2 संगोष्ठियां/सम्मेलन/जागरूकता कार्यक्रम/ कार्यशालाएं

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया :-

- 11 अगस्त, 2007 को मुंबई में विश्व व्यापार संगठन में वृत्तिक अवसरों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी ।
- 25 अगस्त, 2007 को बंगलोर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की बंगलोर शाखा द्वारा की गई थी ।
- 8 सितम्बर, 2007 को इंदौर में डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में उभरते वृत्तिक अवसरों पर एक संगोष्ठी, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की इंदौर शाखा द्वारा की गई थी ।
- 28 फरवरी, 2008 को आईसीएआई, नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा विधियों और पीटीए/एफटीए संबंधी एक परस्पर क्रियाशील कार्यशाला ।
- 26 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में भारत स्थित दूतावासों के व्यापार काउंसलरों के साथ परस्पर क्रिया ।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति और आर्थिक तथा वाणिज्यिक विधियों संबंधी समिति द्वारा 17 मई, 2008 को मुंबई में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विदेश व्यापार नीति विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी ।

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन विषय पर एक पृष्ठभूमि सामग्री का प्रकाशन भी निकाला है ।

5.14.3 अनुसंधान क्रियाकलाप

व्यवसाय कर रहे और सेवारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न क्षेत्रों और उसकी संगतता संबंधी मुद्दों की समझ प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के आधारिक उद्देश्य से, समिति ने इस अवधि के दौरान 'कनाडियन एडवांटेज - ए रिसर्च स्टडी ऑन कनाडियन बिजनेस ऑपरचुनीटिज' शीर्षक वाला एक प्रकाशन जारी किया है ।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति ने निम्नलिखित देशों के लिए देश विशिष्ट अनुसंधान अध्ययन भी प्रारंभ किए हैं । इन अनुसंधान अध्ययनों का प्राथमिक उद्देश्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों और व्यापार विधि /नियमों में रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो बड़े भागीदार के रूप में (क) इन देशों में अपना कारबार स्थापित करना चाहते हैं ; और (ख) इन देशों में वृत्तिक लेखाकार के रूप में काम करना चाहते हैं :-

- यूनाइटेड अरब अमीरात
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- आस्ट्रेलिया
- सिंगापुर
- फ्रांस
- इटली
- ओमान

व्यवसाय कर रहे और सेवारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न क्षेत्रों और उसकी संगतता संबंधी मुद्दों की समझ प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के आधारिक उद्देश्य से, समिति ने संकेन्द्रित अनुसंधान प्रकाशन निकालने के लिए *निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलाप* भी किए हैं :-

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में वृत्तिक अवसर
- विदेश व्यापार नीति
- अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम
- सीमापार विलयन और अर्जन
- अधिमानी व्यापार करारों के फायदे

5.14.4 ज्ञान साझेदारी

समिति ने ज्ञान साझेदारी पृष्ठ विकसित किया है जिसे संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है और यह निरंतर डब्ल्यूटीओ की बुनियादी समझ संबंधी उपयोगी और सुसंगत जानकारी प्रदान करता है । यह पृष्ठ विश्व व्यापार के परिप्रेक्ष्य में तेजी से होने वाले नवीनतम विकास के बारे में सदस्यों को परिचित करता है । इसके अतिरिक्त, समिति ने, सदस्यों की बढ़ती *आवश्यकताओं* की पूर्ति करने के लिए *डब्ल्यूटीओ* संबंधी एक पृथक व्यापक पोर्टल विकसित करने के लिए भी पहल की है ।

5.15 बीमा और पेंशन संबंधी समिति

5.15.1 सीए के लिए वृत्तिक अवसरों का विकास करना

- सभी पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनी (गैर जीवन) को, केन्द्रीय कानूनी संपरीक्षकों/कानूनी प्रमागीय संपरीक्षकों/ कानूनी शाखा संपरीक्षकों को सदेय पारिश्रमिक को बढ़ाते हुए पुनरीक्षण करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन पत्र भेजे गए थे ।
- बीमा कारबार कर रही कंपनियों को, उन्हें आईसीएआई को, चार्टर्ड एकउंटेंसी पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने-अपने संगठनों के साथ नामांकित करने के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन पत्र भेजे गए थे ।

5.15.2 बीमा और जोखिम प्रबंध तथा पेंशन के क्षेत्रों में सीए के बीच डोमेन विशेषज्ञता विकसित करना

प्रकाशन

- 'इंश्योरेंस ब्रोकिंग' शीर्षक वाली एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है । इस पुस्तक में बीमा कारबार के विभिन्न पहलूओं और इस क्षेत्र में तथा विशेषकर साधारण तथा बीमा दलाली में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए उपलब्ध अवसरों को सम्मिलित किया गया है ।
- नवम्बर, 2006 और मई, 2007 में आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों को आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के फायदे के लिए प्रकाशित किया गया है, जो डीआईआरएम पाठ्यक्रम कर रहे हैं ।

समिति ने सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के फायदे के लिए प्रकाशने निकालने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

1. जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षण)
2. साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षण)
3. जीवन बीमा कारबार में सम्मिलित अस्तित्वों के लिए लेखांकन मुद्दे
4. साधारण बीमा कारबार में सम्मिलित अस्तित्वों के लिए लेखांकन मुद्दे
5. बीमा कंपनियों के निवेश कृत्य पर तकनीक गाइड (पुनरीक्षण)
6. बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों पर एक अध्ययन (पुनरीक्षण)
7. बीमा उद्योग - वृत्तिक अवसरों का उभरता युग, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंटों की साधारण बीमा और जीवन बीमा में सलाहकार के रूप में भूमिका है ।
8. बीमा कंपनियों की प्रबंध संपरीक्षा
9. बैंक आश्वासन संबंधी मुद्दे और परिप्रेक्ष्य (जिसके अंतर्गत बेसिक्स, लेखांकन, संपरीक्षा और अन्य अनुपालन मुद्दे है)
10. कृषि बीमा
11. बीमा कपट की पहचान करना और रोकना
12. आतंकवाद जोखिम बीमा
13. साधारण बीमा के बीमा कारबार में बीपीओ
14. पुनर्बीमा (जिसके अंतर्गत पुनर्बीमा बाजार, पुनर्बीमा के विशेष क्षेत्र, अंतर्मुखी पुनर्बीमा, पुनर्बीमा व्यवहार और पुनर्बीमा प्रशासन है।)

15. पुनर्बीमा माध्यस्थम

16. तृतीय पक्षकार दावा प्रबंध

17. उद्यमों के लिए बीमा मैन्यूअल

18. बीमा कंपनियों का मूल्यांकन

19. शहरी बीमा मुद्दे

20. बीमा कारबार में सूचना प्रौद्योगिकी

21. बीमा उद्योग में सकल क्वालिटी प्रबंध (टीक्यूएम)

22. तृतीय पक्षकार आश्वासन सेवाएं

23. वित्तीय जोखिम प्रबंध

24 बीमा कारबार में विनिमय नियंत्रण

25. बीमा कारबार में आस्ति दायित्व प्रबंध

26. बीमा कंपनियों में कराधान मुद्दे

27. आतंकवाद जोखिम बीमा

अपने उद्देश्य की पूर्ति के प्रयास रूप में, समिति ने एक इलैक्ट्रानिक न्यूज लेटर की वेब होस्टिंग प्रारंभ की है, जिसमें बीमा और पेंशन के क्षेत्र में दैनिक नवीनतम समाचार अंतर्विष्ट होते हैं, इस न्यूज लेटर को दैनिक आधार पर, शनिवार, रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टी दिवसों को छोड़कर, इसके पोर्टल (www.insuranceicai.org) पर अपलोड किया जाता है । इस न्यूज लेटर में निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है :

- जीवन बीमा : विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों के समाचार प्रदान करते हुए
- गैर जीवन बीमा: विभिन्न साधारण बीमा कंपनियों के समाचार प्रदान करते हुए
- स्वास्थ्य बीमा से संबंधित घटनाएं
- पुनर्बीमा से संबंधित घटनाएं
- पेंशन/पीएफएस से संबंधित घटनाएं
- आईआरडीए से संबंधित घटनाएं
- बीमा कंपनियों के सीईओ, सीएफओ और सीएमडी के साथ साक्षात्कारों से उद्धरण
- लॉयड्ज, स्विस रे और म्यूनिख रे जैसी वैश्विक कंपनियों से संबंधित समाचार (भारत से संबंधित)

यह न्यूज लेटर हाइपरलिंक : http:// www.insuranceicai. org/press clipping s.aspx पर उपलब्ध है ।

समिति ने, चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों को बीमा क्षेत्र में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए "एमर्जिंग ऐज ऐन इंश्योरेंस प्रोफेशनल : ए सजेस्टिव अप्रोच" नामक एक लेख तैयार किया है । उक्त लेख को जून, 2008 के "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेंट" के अंक में प्रकाशित किया गया है।

कार्यक्रम :

- 6 नवम्बर, 2007 को हैदराबाद में आईआरडीए के साथ संयुक्त रूप से बीमा कंपनियों की लेखांकन, संपरीक्षा और विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन पहलूओं पर एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया गया था । इस

गोलमेज बैठक में जीवन, साधारण और पुनर्बीमा कारबार में लगी कंपनियों के सीईओ, सीएफओ, सीआईओ, सीएमडी और अन्य वरिष्ठ पदधारियों के साथ साधारण/जीवन बीमा क्षेत्र के संगठनों में कानूनी/आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में संबद्ध आईसीएआई के सदस्यों ने भी भाग लिया था । आईआरडीए और आईसीएआई के वरिष्ठ पदधारी (बीमा और पेंशन संबंधी समिति के प्रधान, अध्यक्ष तथा आईसीएआई की केन्द्रीय परिषद के सदस्यों सहित) भी इस गोलमेज बैठक में उपस्थित हुए थे ।

- 21 जून, 2008 को मुंबई में कर्मचारी फायदों से संबंधित एएस-15 (पुनरीक्षित), चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए बीमांकक विज्ञान संबंधी अंतर्निवेशों सहित विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम की मेजबानी आईसीएआई की पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् द्वारा की गई थी ।
- 23 जून, 2008 को नई दिल्ली में बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण, लाभकारी पॉलिसियों के हानि के विशेष संदर्भ सहित विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था और जिसकी मेजबानी आईसीएआई की उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् द्वारा की गई थी ।
- बीमा के क्षेत्र में सदस्यों की मूल सक्षमताओं को विकसित करने और उन्हें बनाए रखने हेतु बीमा, पेंशन और जोखिम प्रबंध आदि विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और चयनित शाखाओं को 20 हजार रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई । प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

पीओयू का नाम	स्थान और तारीख	सम्मिलित किए गए विषय
एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा	7 जुलाई, 2007 को हैदराबाद में	• डी टेरिफ व्यवस्था : बीमा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां-पैनल परिचर्चा • बीमा क्षेत्र में लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी मुद्दे • बीमा दावों के सर्वेक्षण और हानि निर्धारण में परामर्शी सेवाएं - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए एक नया वृत्तिक अवसर • बीमा, जोखिम प्रबंध और वैयक्तिक वित्तीय योजना - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए अवसर
आईसीएआई की ईआईआरसी	28 जुलाई, 2007 को कोलकाता में	• बीमा दलाली • बीमा क्षेत्र से संबंधित लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दे • लेखा और संपरीक्षा • वित्तीय जोखिम प्रबंध • बीपीओ और साधारण बीमा कारबार • बीमा क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए अवसर
डब्ल्यूआईआरसी की ठाणे शाखा	8 सितंबर, 2007 को ठाणे में	• डी टेरिफ व्यवस्था में चुनौतियां विषय पर पैनल परिचर्चा

		• बीमा क्षेत्र से संबंधित लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दे • स्टॉक हानि/धन/दायित्व पॉलिसियों के क्षेत्र में सर्वेक्षण और हानि निर्धारण तथा बीमा परामर्शी क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका • बीमा क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए अवसर (जोखिम प्रबंध - अनुकूल लागत पर जोखिम प्रबंध करना - और वैयक्तिक वित्तीय योजना और बीमाकृत)
एसआईआरसी की त्रिवेंद्रम शाखा	8 सितंबर 2007 को त्रिवेंद्रम में	• बीमा और कराधान • बीमा क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए अवसर • सर्वेक्षण और हानि निर्धारण
आईसीएआई की एसआईआरसी	27 सितंबर 2007 को चेन्नई में	• डी. टेरिफ व्यवस्था में चुनौतियां विषय पर पैनल परिचर्चा • बीमा क्षेत्र से संबंधित लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दे - गैर जीवन • स्टॉक हानि/धन/दायित्व पॉलिसियों के क्षेत्र में सर्वेक्षण और हानि निर्धारण तथा बीमा परामर्शी क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका • बीमा कंपनियों का निवेश निरीक्षण और बीमा क्षेत्र में अन्य अवसर - सीए के परिप्रेक्ष्य में
आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी नागपुर शाखा	6 अक्तूबर 2007 को नागपुर में	• डी टेरिफ व्यवस्था में चुनौतियां विषय पर पैनल परिचर्चा • बीमा क्षेत्र से संबंधित लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दे • सर्वेक्षण और हानि निर्धारण तथा बीमा क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका (स्टॉक हानि/धन/दायित्व पॉलिसियों के क्षेत्र में परामर्श) • बीमा क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए अवसर (जोखिम प्रबंध - अनुकूल लागत पर जोखिम प्रबंध करना - और वैयक्तिक वित्तीय योजना और बीमाकृत)
आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी अहमदाबाद शाखा	8 दिसंबर 2007 को अहमदाबाद में	• जोखिम प्रबंध • लाभप्रद बीमा की हानि • जीवन बीमा और चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका • बीमा दलाल के रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

		• डी टेरिफ पर पैनल परिचर्चा • दायित्व बीमा • चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के परिप्रेक्ष्य से उत्तरजीविता

- चूंकि वर्ष 2007-08 में, समिति प्रादेशिक परिषदों को और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद की 3 सबसे बड़ी शाखाओं को 50 हजार रुपए तथा एतद्‌ से आर्थिक सहायता प्राप्त न करने वाली शाखाओं को 20 हजार रुपए की वित्तीय सहायता (अंतर्गत आने वाली शाखाओं की संख्या के निबंधनानुसार विस्तारित क्षेत्र के साथ) वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है जिससे कि वे आईसीएआई के सदस्यों के फायदे के लिए बीमा, पेंशन और जोखिम प्रबंध पर कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें । बीमा और पेंशन क्षेत्र में हमारे सदस्यों की मूल क्षमताओं को विकसित करने और उन्हें बनाए रखने की समिति की पहल, समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के सहयोग से फलदायक सिद्ध हो रही है, जैसा कि क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से पता चलता है :

क्रम सं.	आयोजनकर्ता का नाम	स्थान और तारीख	सम्मिलित किए गए विषय
1.	आईसीएआई की सीआईआरसी की सहारनपुर शाखा	28 मई, 2008 को सहारनपुर में	• बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण • कर्मचारी फायदों संबंधी एएस-15
2.	आईसीएआई की सीआईआरसी	31 मई, 2008 को कानपुर में	• बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण • जोखिम प्रबंध - इसकी अनिवार्य प्रक्रिया • तृतीय पक्षकार बीमा • बीमा दलाली
3.	आईसीएआई की सीआईआरसी की भोपाल शाखा	31 मई, 2008 को भोपाल में	• बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण
4.	आईसीएआई की सीआईआरसी की अलवर शाखा	1 जून, 2008 में अलवर में	• बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण • बीमा में जोखिम प्रबंध • बीमा के वृत्तिक दायित्व • पेंशन निधि में विकास • सूचना प्रौद्योगिकी और जीवन बीमा कारबार • बीमा क्षेत्र में वृत्तिक अवसर
5.	आईसीएआई की ईआईआरसी की आसनसोल शाखा	22 जून, 2008 को आसनसोल में	• जोखिम प्रबंध • बीमा कंपनियों की संपरीक्षा • धन प्रतिशोधन

6.	आईसीएआई की एनआईआरसी की फरीदाबाद शाखा	14 जून, 2008 को फरीदाबाद में	• एस-15(पुनरीक्षित) • बीमा क्षेत्र और चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका
7.	आईसीएआई की सीआईआरसी की गोरखपुर शाखा	6 जुलाई, 2008 को गोरखपुर में	• जोखिम प्रबंध • एस-15(पुनरीक्षित) • धन प्रतिशोधन

आईसीएआई के लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी आईआईटी और आईआईएम के निदेशकों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेवारत वरिष्ठ शिक्षाविदों को, उन्हें अपनी-अपनी संस्थाओं के संकाय सदस्यों को बीमा और पेंशन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनुरोध करते हुए पत्र भेजे गए हैं।

कार्यालय ने **'पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट इन ऐज फंड्स'** नामक एक प्रपत्र तैयार किया है, जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है, इस प्रपत्र को समिति के सदस्यों, जिनके अंतर्गत विशेष आमंत्रिती भी हैं, को उन पर अपनी-अपनी टिप्पणियां दिए जाने के लिए परिचालित किया गया है।

'इनहांसिंग दि इंश्योरेंस पेनीट्रेशन इन दि रूरल इंडिया' विषय पर एक अवधारणा पत्र समिति के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है जिसे आगे आईआरडीए को प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति ने, चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों को बीमा क्षेत्र में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **"एमर्जिंग ऐज ऐन इंश्योरेंस प्रोफेशनल : ए सजेस्टिव अप्रोच"** नामक एक लेख तैयार किया है।

समिति के तत्वावधान में एक विशेषज्ञ अध्ययन समूह (जीवन बीमा कारबार और साथ ही गैर जीवन बीमा कारबार के लिए पृथक रूप से) का गठन किया गया है।

इस अध्ययन समूह द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है :

- या तो स्व प्रेरणा से या उद्योग से समुचित अंतर्निवेश प्राप्त करते हुए बीमा उद्योग में लेखांकन व्यवहारों और रिपोर्टिंग में संगतता लाने के लिए सुझाव देना।
- बीमा कारबार के विभिन्न क्षेत्रों (जीवन-पारंपरिक, जीवन-यूलिप, गैर जीवन, पुनर्बीमा, स्वास्थ्य) के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाओं संबंधी सुझावों का प्रस्ताव देना।
- बीमा उद्योग के विभिन्न कृत्यकारी पहलुओं, जिनके अंतर्गत बीमा कंपनी के निवेशों का निरीक्षण भी है, समुचित प्रकाशन/मार्गदर्शक टिप्पण निकालना।
- आंतरिक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को बीमा उद्योग की बदलती आवश्यकताओं से सुसंगत बनाने के लिए सुझाव देना।
- बीमा उद्योग में प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विकास तथा संपरीक्षा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- आईआरडीए के साथ नियमित आधार पर परस्पर क्रिया करना, जिससे कि आईसीएआई आईआरडीए के विनियामक प्रयासों में यथासंभव योगदान कर सके।
- आईसीएआई को बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में अपनी स्वयं की आंतरिक सक्षमता निर्मित करने हेतु सुसज्जित करने की पद्धतियों का सुझाव देना, जिससे कि आईसीएआई के सदस्यों को भारत में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए संकेन्द्रित योगदान करने में समर्थ बनाया जा सके।

- आईसीएआई और आईआरडीए की विभिन्न समितियों के लिए सुझाव विरचित करने संबंधी प्रमुख केन्द्र बनना ।

बीमा और जोखिम प्रबंध से संबंधित विषयों की सूची को सीपीई समिति को, उसे वर्ष 2008-2009 के सीपई कलेंडर में सम्मिलित किए जाने के लिए उपलब्ध कराया गया है । सीपीई पीओयू को बीमा और पेंशन क्षेत्रों पर कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है ।

समिति ने अपनी कार्ययोजना 2008-09 को अंतिम रूप दे दिया है । इस कार्य योजना 2008-09 की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

वृत्ति की सक्षमता में वृद्धि करना

- बीमा और जोखिम प्रबंध में विशेषज्ञता प्राप्त सदस्यों के ब्यौरों का प्रचार करने और साथ ही अन्य व्यक्तियों को उनके साथ नेटवर्किंग की संभावनाओं का पता लगाने में समर्थ करने के लिए बीमा पोर्टल का उपयोग करना ।
- विभिन्न बीमा कंपनियों के सभी कानूनी संपरीक्षकों को, उन्हें गहन और संकेन्द्रित कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए समान मंच पर लाना ।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समाभिरूपण स्थापित करना और अनुपालन को बढ़ावा देना

- बीमा संविदाओं से संबंधित आईएफआरएस 4 के संबंध में कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा समितियों के सदस्यों की एक बैठक का आयोजन करना, जिसमे उनसे "बीमा संविदाओं"से संबंधित आईएफआरएस 4 के अनुपालन के संबंध में टीका-टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।
- आईआरडीए और आईआरडीए की अन्य समितियों/परिषदों की सभी बैठकों में भाग लेते हुए अध्यक्ष को तकनीकी अंतर्निवेश उपलब्ध कराना ।
- पेंशन क्षेत्र में वृत्ति की भूमिका को बनाए रखने के लिए पीएफआरडीए के साथ संनिकट होकर कार्य करना ।
- क्रमशः बीमा और पेंशन उद्योग से संबंधित लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दे के संबंध में एएसबी और एएएसबी के साथ संयुक्त रूप से कार्य करना ।
- आईआरडीए के साथ संयुक्त रूप से बीमा कंपनियों की लेखांकन, संपरीक्षा और विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन पहलुओं पर गोलमेज बैठकों का आयोजन जारी रखना ।

वैश्विक अनिवार्यताओं के साथ वृत्ति का वृहत एकीकरण

- जोखिम प्रबंध पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वृत्तिक संस्थाओं के साथ नीतिगत सहयोग करना ।

क्वालिटी बनाए रखते हुए वृत्ति के विकास की योजना बनाना

- डीआईआरएम पाठ्यक्रमों और ऐसे सदस्यों की, जिन्होंने डीआईआरएम अर्हता प्राप्त की है, विशेषज्ञता को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का विज्ञापन अभियान चलाना (जिसके अंतर्गत सीए जर्नल और प्रादेशिक तथा शाखा न्यूज लेटर भी है)
- सरकार को सीए विनियमों की अनुसूची छ का पुनरीक्षण करने के लिए मनाना ।
- प्रभागीय कंपनी संपरीक्षा के संबंध में बीमा कंपनियों की संपरीक्षा पर एक श्रृंखला संगोष्ठी कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- बीमा, पेंशन और एएस-15 पर कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को बजट संबंधी सहायता प्रदान करना ।

- नवम्बर, 2008 मास के दौरान मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रबंध संगठनों की भागीदारी के साथ जोखिम प्रबंध संबंधी एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करना ।

शैक्षिक और अन्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

- *डीआईआरएम अभ्यर्थियों* के लिए ई-लर्निंग मोड्यूल *अपनाना* ।
- बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में सदस्यों की क्षमताओं को बनाए रखने के लिए बीमा पोर्टल को उत्कृष्ट बनाना ।

राष्ट्र निर्माण में एक वृहत्तर भूमिका के लिए आईसीएआई और वृत्ति की स्थिति को मजबूत करना

- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पहुंच संबंधी वित्तीय साक्षरता विषय पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया जाए और उसे विचार किए जाने के लिए आईआरडीए को अग्रेषित किया जाए, जिसके अंतर्गत लोगों को बीमा जागरूकता के प्रति शिक्षित करने के लिए बीमा जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना भी है (आईआरडीए और देश भर में स्थित आईसीएआई के संगठनों के सम्यक् सहयोग से) ।
- निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत बीमा और पेंशन उत्पादों से संबंधित कुछ विषय भी हैं, का आयोजन करने के लिए वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षा संबंधी समिति के साथ सहयोग करना ।

आईसीएआई के कार्यक्रमों में उद्योग में सेवारत सदस्यों को वृहत्त रूप से संश्लिष्ट करना

- चयनित आईआईएम/एएससीआई/एनआईए/आईएआई के साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

अनुसंधान क्रियाकलापों पर बल देना

- निम्नलिखित को आमंत्रित करना :
  - डीआईआरएम पूरा करने वाले अभ्यर्थी,
  - बीमा कंपनियां,
  - राष्ट्रीय बीमा अकादमी,
  - प्रमुख प्रबंध संस्थाएं,
  - आईआईटी के प्रबंध विभाग,
  - विश्वविद्यालयों के प्रबंध स्कूल,
- ऐसे स्वयंसेवियों को, जो देश के फायदे के लिए बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने को इच्छुक हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर (लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से) बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव उपाय करना ।
- बाहरी वित्तीय रिपोर्टिंग में एकसमानता लाने के विचार से, बाहरी वित्तीय रिपोर्टिंग में विविधता की पहचान करने के लिए बीमा कारबार में लगी विभिन्न कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन करना ।

समर्थनकारी संस्थागत और संगठनात्मक ढांचा तैयार करना

- सदस्यों को सार्वभौमिक सीपीई के प्रदाय के लिए और छात्रों को दूर शिक्षा प्रदान करने के लिए सैटेलाइट प्रौद्योगिकी का उपयोग ।
- बीमा और पेंशन के क्षेत्र में सदस्यों के फायदे के लिए रिलायंस वेब वर्ल्ड कक्षाओं का उपयोग ।

5.15.3 पश्च अर्हता पाठ्यक्रमों और अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रमों की प्रस्थापना करके बीमा और पेंशन क्षेत्रों में सदस्यों को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना

- नवम्बर, 2006 से नवम्बर, 2007 के दौरान आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं (कुल तीन परीक्षा) के सुझाव दिए गए उत्तरों को तैयार किया गया और आईसीएआई की वेबसाइट पर और साथ ही समिति के बीमा पोर्टल पर भी रखा गया । समिति ने नवम्बर, 2006 से मई, 2007 के दौरान आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं (कुल दो परीक्षा) के सुझाव दिए गए उत्तरों के मुद्रित पाठ को भी जारी किया है ।
- ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने आईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, कोलकाता, चैन्नई, पुणे, नई दिल्ली और मुंबई में क्रमशः 3- 8 सितंबर, 2007, 12-17 सितम्बर, 2007, 17-22 नवम्बर, 2007, 3-8 दिसम्बर, 2007 और 10-15 मार्च, 2008 के दौरान पांच अनुकूलन पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था ।

समिति, सदस्यों के बीच डीआईआरएम पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उपयुक्त उपाय कर रही है । इसके परिणामस्वरूप 10 जुलाई, 2008 तक रजिस्ट्रीकरणों की संख्या 3337 तक पहुंच गई थी ।

5.15.4 बीमा और जोखिम प्रबंध

समिति के पृथक वेब पोर्टल (http://www.insuranceicai.org) को, इसमें ज्ञान का प्रसार और ऐसे सदस्यों की पहचान करने के लिए, जो बीमा और पेंशन क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं, पणधारियों के लिए एकल पटल समाधान जैसी सुविधाओं को सम्मिलित करने के लिए प्रोन्नत किया जा रहा है । इस पोर्टल को लोकप्रिय बनाने के लिए आईसीएआई के सदस्यों को एसएमएस भेजे गए थे ।

5.16 निगम शासन संबंधी समिति :

निगम शासन संबंधी समिति (सीसीजी) सितम्बर, 2005 को अस्तित्व में आई । इसे स्थापित करने का आधारिक प्रयोजन यह था कि निगम शासन के समुचित स्तर को बढ़ावा दिया जाए, बैंचमार्क अधिकथित करने में सहायता उपलब्ध कराई जाए और वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए निगमों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं के बारे में सक्रिय रूप से अनुसंधान किया जाए । इसके सृजन से ही, इसका प्रमुख उद्देश्य देश भर में, स्वतंत्र निदेशक विषय पर यथासंभव संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है । वर्ष के दौरान ऐसे दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया था ।

इसके अतिरिक्त, सीसीजी ने निगम शासन के विभिन्न विषयों पर आयोजन कराने जारी रखे हैं, चाहे वह स्वतंत्र रूप से हो या आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों या शाखाओं या बाहरी निकायों के साथ संयुक्त रूप से हो । निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीजी), जिसकी स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है, ने भी आईसीएआई, सीआईआई और आईसीएसआई के सहयोग से, भारत में सर्वोत्तम निगम शासन व्यवहारों को लाने के लिए सहायक के रूप में कार्य करते हुए बहुधा सीसीजी के क्रियाकलापों को प्रायोजित किया, चाहे वे कोई आयोजन किए जाने के रूप में हो या संयुक्त रूप से प्रकाशन निकालने हेतु हो ।

बाजार विनियामक सेबी ने भी सीसीजी की पहलों का समर्थन किया है और समिति की योजनाओं में भाग लेने के लिए अपनी सहबद्धता का आश्वासन दिया है ।

5.16.1 आयोजित किए गए सम्मेलन/संगोष्ठियां :

- वर्ष के दौरान, समिति ने कोलकाता और वडोदरा में "स्वतंत्र निदेशकों" से संबंधित 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था और ऐसे ही एक कार्यक्रम का पुनःआयोजन 26-28 जून, 2008 को कोलकाता में किया गया था ।

- एनएफसीजी के साथ संयुक्त रूप से जून, 2007 में नई दिल्ली में - "संपरीक्षा समिति के माध्यम से निगम शासन" विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था ।
- एर्नाकुलम शाखा के साथ संयुक्त रूप से अगस्त, 2007 में एर्नाकुलम में "निगम शासन और कराधान" विषय पर एक अर्द्धदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था ।
- एसआईआरसी, चेन्नई के साथ संयुक्त रूप से दिसम्बर, 2007 में चेन्नई में "सूचना प्रौद्योगिकी और शासन" विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था ।
- एसआईआरसी, चेन्नई के साथ संयुक्त रूप से जनवरी, 2008 में चेन्नई में "निगम शासन में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था ।

5.16.2 प्रगतिशील पहलें/परियोजनाएं

- निगम शासन संबंधी मुद्दों का समाधान करने, निगम शासन में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, प्रभावशाली रेटिंग प्रणाली का सृजन करने, ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के, जो कि संगठनों का उत्तम शासन व्यवहारों का पालन करने में, स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे, गढ़ का निर्माण करने के लिए विनियामकों के साथ मिलकर कार्य करना ।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए सीए. का संवर्द्धन करना ।
- किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति की अध्यक्षता में एक विशेष प्रयोजन समिति का सृजन करना ।
- सभी कारबारों, दोनों प्रकार के सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध के बीच उत्तम शासन व्यवहारों के प्रति जागरूकता तैयार करना ।
- एनजीओ के लिए शासन संबंधी संहिता विकसित करना ।
- स्वतंत्र निदेशकों और संपरीक्षा समिति की भूमिका और उत्तरदायित्वों के संबंध में एक प्रकाशन निकालना ।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग अभिकरणों के साथ संयुक्त रूप से निगम शासन रेटिंग संबंधी एक सॉफ्टवेयर विकसित करना ।
- उभरते हुए क्षेत्रों, जैसे कि : निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), मौसम परिवर्तन/ ग्लोबल वार्मिंग, संवहनीयता संबंधी रिपोर्टिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और शासन, निगम शासन रेटिंग/ संपरीक्षा, कार्बन क्रेडिट विषयों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन ।
- संपरीक्षा समिति की अध्यक्षता करने के लिए सर्वोत्तम रूप से उचित वित्तीय साक्षर वृत्तिकों के रूप में सीए पर विचार करने, निगम शासन रेटिंग के लिए आज्ञापक उपबंधों, स्वतंत्र निदेशकों को युक्तियुक्त पारिश्रमिक के संदाय के संबंध में एक उचित तंत्र स्थापित करने : जैसे मुद्दों के प्रति विभिन्न विधायी/विनियामक प्राधिकारियों से कतिपय मुद्दों पर बातचीत करना ।
- वर्ष 2008-09 के दौरान एनएफसीजी के साथ संयुक्त रूप से पांच राष्ट्रीय और पांच अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

वर्ष 2008-09 के दौरान, अध्यक्ष ने पहली बार निम्नलिखित समितियों का गठन किया है, जिन्होंने 5 फरवरी, 2008 से कार्यकरण करना आरंभ कर दिया, जिनके अंतर्गत तत्कालीन वित्तीय विधि समिति और निगम तथा संबद्ध विधि समिति का क्रमशः प्रत्यक्ष कर समिति तथा अप्रत्यक्ष कर समिति ; और निगम विधि समिति तथा आर्थिक और वाणिज्यिक विधि समिति के रूप में विभाजन है :

(i) सीए फर्मों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

(ii) आर्थिक और वाणिज्यिक विधि समिति

(iii) शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

(iv) प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

(v) लोक वित्त संबंधी समिति

(vi) प्रत्यक्ष कर समिति

(vii) अप्रत्यक्ष कर समिति

(viii) परिप्रेक्ष्य योजना समिति ।

5.17 सीए फर्मों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

सीए फर्मों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति को पहली बार, सीए फर्मों के सुदृढ़ीकरण और सक्षमता निर्माण के लिए व्यापक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के प्रयोजन से फरवरी, 2008 में स्थापित किया गया है ।

यह समिति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करेगी और फर्मों के स्तर पर अवधारणात्मक और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी । यह समिति फर्मों के विलयन और नेटवर्किंग की अवधारणा को प्रोत्साहित करेगी और सुदृढ़ीकरण और नेटवर्किंग को सुनिश्चित करने के लिए उपायों का सुझाव देगी, जिनके अंतर्गत वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना भी है ।

समिति ने इस संबंध में पहले ही अनेक उपाय किए हैं और विलयनों तथा नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करने के माध्यम से व्यवसायरत फर्मों की सक्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर गहन विचार-विमर्श किया है । समिति ने, सुदृढ़ीकरण के लिए दिलचस्पी जाहिर करने वाली फर्मों की पहचान करके कुछ अग्रणी परियोजनाएं आरंभ करने तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर एक कार्यकरण पत्र तैयार करने तथा सदस्यों के वृहत फायदे के लिए इसे औपचारिक रूप से एक मार्गदर्शक मैन्यूअल के रूप में अंतिम रूप देने का विनिश्चय किया है ।

5.18 आर्थिक और वाणिज्यिक विधि समिति

आर्थिक और वाणिज्यिक विधि समिति एक ऐसी नई समिति है, जिसे आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों के क्षेत्र में उभरते हुए वृत्तिक अवसरों पर और अधिक स्पष्टता से ध्यान केन्द्रीत करने के और आर्थिक तथा वाणिज्यिक विधियों को अधिकथित करने/ उनमें संशोधन करने के क्षेत्र में विधायी प्रक्रिया को सुकर बनाने के विनिर्दिष्ट उद्देश्य से तत्कालीन निगम और संबद्ध विधि संबंधी समिति से बनाया गया है ।

समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं :-

विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों से परस्पर क्रिया

सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों की खोज करने के प्रयोजन से सरकारी विभागों/मंत्रालयों के पदधारियों के साथ निरंतर परस्पर क्रिया की गई है और समिति ने इस परस्पर क्रिया को आगे जारी रखने का विनिश्चय किया है ।

विभिन्न आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों के संबंध में सुझाव/टीका टिप्पणियां

समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सीसीआई प्रारूप विनियमों के संबंध में अपने विचार/सुझाव, वित्तीय सतर्कता इकाई-भारत, वित्त मंत्रालय को एफएटीएफ सिफारिशें और भारतीय रिजर्व बैंक से एफसी-जीपीआर प्रस्तुत किए हैं ।

आयोजित की गई संगोष्ठियां/कार्यशालाएं

समिति ने उद्योग के लिए उभरती प्रतिस्पर्धा व्यवस्था और लेखांकन वृत्ति की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां तथा विदेश व्यापार नीति, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां विषय पर संगोष्ठियों तथा सूचना का अधिकार अधिनियम तथा माध्यस्थम पर कार्यशाला का आयोजन किया है ।

समिति के प्रकाशनों का पुनरीक्षण

समिति ने, समिति के विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित करने का कार्य आरंभ किया है । वर्ष के दौरान, समिति ने आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कुछ नए प्रकाशन निकालने का विनिश्चय किया है ।

माध्यस्थम प्रक्रिया को सुकर बनाने में आईसीएआई की भूमिका

परिषद् ने 13 से 15 मई, 2008 के दौरान हुई अपनी 278वीं बैठक में, सिद्धांत रूप से समिति द्वारा सिफारिश की गई वैकल्पिक विवाद समाधान ढांचे की स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया था । यह समिति अब माध्यस्थम संबंधी आईसीएआई के मार्गदर्शनों, माध्यस्थम में चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की भूमिका संबंधी टिप्पण के प्रारूप, माध्यस्थम संबंधी प्रारूप प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु को पुनरीक्षित करने के लिए प्रक्रिया कर रही है ।

पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना

प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में उपस्थित प्रतिनिधियों के बीच परिचालन हेतु अधिनियमों/विधेयकों के संबंध में पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

5.19 शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई लेखांकन सुधार प्रक्रिया के महत्व तथा आईसीएआई की ऐसी क्रांतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जिसे वह सरकार की सहायता करने के लिए निभा सकता है, अध्यक्ष ने फरवरी, 2008 में पहली बार शासकीय लेखांकन संबंधी समिति का गठन किया है। इस समिति की पहली बैठक 6 मई, 2008 को की गई थी । इस बैठक का उदघाटन माननीय संसद सदस्य और आईसीएआई के सदस्य सीए सुरेश पी. प्रभु द्वारा किया गया था । इस बैठक में समिति ने वर्ष 2008 के लिए कार्य योजना तथा समिति के निर्देश निबंधनों पर विचार किया था ।

5.19.1 कार्य योजना

- पूरे समाज में शासकीय लेखांकन के संबंध में जागरूकता तैयार करना, सी एंड एजी, सीजीए और अन्य शासकीय निकायों के कार्यालयों के साथ सहयोग करना ।
- शासकीय लेखांकन में सुधार पर बल देना, पणधारियों को दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के फायदों के बारे में संसूचित करना और इस बात की जानकारी देना कि पारदर्शिता, उत्तम शासन और उपभोक्ता सक्रियता, नागरिक अधिकारों, आरटीआई आदि द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों को पूरा करने के लिए लेखांकन सुधार क्यों महत्वपूर्ण हैं, सरकारी कर्मचारियों, कृत्यकारियों, पूरा समाज, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया सहित सभी पणधारियों के बीच जागरूकता का संवर्धन करना ।
- वृत्ति के लिए सक्षमता निर्माण उपाय प्रारंभ करना, शासकीय लेखांकन की वर्तमान स्थिति पर प्रास्थिति पत्र तैयार करना ।
- सुधार के लिए एप्रोच पत्र और योजना तैयार करना ।
- सरकारी अस्तित्वों को यह संसूचित करना कि समिति इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और ऐसे परिवर्तनों का पता लगाना, जो लेखांकन सुधार प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए विधिक ढांचे में किए जाने आवश्यक होंगे ।

5.19.2 निर्देश निबंधन

- वर्तमान शासकीय लेखांकन प्रणाली का पुनर्विलोकन करना और उसके आधार पर उसमें सुधारों का सुझाव देना, समाज में, विशिष्ट रूप से पणधारियों में, जिनके अंतर्गत अन्य लोगों के साथ सरकारी कर्मचारी, सीएंडएजी के कर्मचारी, वृत्ति के सदस्य, मीडिया, एनजीओ और साधारण नागरिक भी हैं, शासकीय लेखांकन के प्रति जागरूकता सृजित करना ।

- केन्द्र, राज्य, जिला स्तर पर सरकारी निकायों, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के साथ समुचित अंतरापृष्ठ सुकर बनाना तथा ऐसी पद्धतियां विकसित करना जो लेखांकन सुधार प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग समर्थ बनाएंगी, सीएंडएजी, सीजीए और विभिन्न अन्य मंत्रालयों के साथ शासकीय लेखांकन प्रणाली के ढांचे में सुधारों को विकसित करने के लिए सहायता और समन्वय करना, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को लोक सेवा प्रदाय तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता की वृद्धि करने में सहायता करना ।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों को ऐसे लेखांकन सुधारों का सुझाव देना, जो कर आधार को व्यापक बनाने तथा राजस्व संग्रहण के बेहतर प्रशासन और तैनाती तंत्र में सहायता करेंगे, परिणाम मापमान और समुन्नत एमआईएस, रिपोर्टिंग और बजट संबंधी नियंत्रण तंत्रों की प्रक्रिया में सहायता करेंगे ।
- वृत्ति के भीतर शासकीय लेखांकन के संबंध में अध्ययन को बढ़ावा देना तथा उसके संबंध में जागरूकता तैयार करना ।
- वृत्ति को, शासकीय लेखांकन सुधारों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सरकार को सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए सक्षमता निर्माण के उपाय करना तथा इस प्रयोजन के लिए अध्ययन करना, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, पृष्ठभूमि सामग्री आदि का प्रकाशन करना ।

5.20 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

प्रबंध लेखांकन पर ध्यान केन्द्रित करने के विचार से अध्यक्ष ने, 5 फरवरी, 2008 को प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति का गठन किया था । यह समिति इस समय अन्य परियोजनाओं के अलावा, प्रबंध लेखांकन संबंधी अर्हता पश्च पाठ्यक्रम को समुन्नत करने के लिए कार्य कर रही है । यह आशा की जाती है कि समिति प्रबंध लेखांकन से जुड़े मुद्दों पर कार्यवाही करने के अलावा प्रबंध लेखांकन जर्नल को भी पुनःजीवित करेगी ।

5.21 लोक वित्त संबंधी समिति

आईसीएआई की कार्य योजना, 2008 के अधीन, लोक वित्त समिति को पहली बार लोक वित्त के क्षेत्र में वृत्तिक उत्कृष्टता का उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया है ।

इस समिति की स्थापना, निश्चायक रूप से आईसीएआई के, राष्ट्र निर्माण में सरकार की भागीदारी करने के मिशन की ओर एक महान उपलब्धि है । यह आईसीएआई की, निगम क्षेत्र से परे तथा साधारण जनता को सीए की वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराते हुए अपनी सामाजिक बाध्यता को पूरा करने संबंधी एक श्रेष्ठ पहल है । इस समिति के प्रमुख उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के संबंध में पुनर्विलोकन, विश्लेषण करना, उपायों की सिफारिश करना और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, सिविक निकायों और पीएसयू को सहायता प्रदान करना है :

- लोक वित्त के क्षेत्र में नीति निर्धारण, योजना और निष्पादन ।
- अंतर्निहित विकास और आर्थिक विकास के मद्दे पर्याप्त संसाधनों को जुटाने के लिए एक अनुकूल तंत्र विकसित करने हेतु लोक वित्त संरचना ।
- आर्थिक सुधार लागू करने में तकनीकी समर्थन ।

तदनुसार, समिति ने अपने कार्यकरण का ध्यान वित्तीय नीति के अध्ययन, अनुसंधान और उसे रिपोर्ट करने, वित्तीय योजना, राजस्व और व्यय, लोक ऋण प्रबंध, विकास स्कीमों, कल्याण स्कीमों, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के विकास, वित्तीय संसाधनों और केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आय और धन के वितरण पर केन्द्रित रखा है ।

समिति, लोक प्रदाय प्रणाली में संलिप्त सरकारी कार्यालयों, अधिकारी वर्ग और व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं को भी आरंभ तथा आयोजित करती है ।

अपनी कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए, समिति राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों से नियमित रूप से बातचीत करती है और साथ ही पीएसयू के सीईओ, नगरपालिक निकायों के आयुक्तों और भारत में विकासशील कार्यक्रमों को निधिपोषित करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषकों के प्रधानों से भी परस्पर क्रिया करती है।

राज्य और स्थानीय स्तर पर कार्य करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 23 राज्य स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है, जिनमें केन्द्रीय परिषद् के सदस्य, प्रादेशिक परिषदों के सदस्य और वृत्ति के अन्य सदस्य भी सम्मिलित हैं। ये राज्य स्तरीय समितियां, परिषद् द्वारा विनिश्चित निर्देश निबंधनों के अनुसार अपनी बैठकें करती हैं। इन राज्य स्तरीय समितियों को, केन्द्रीय समितियों के अनुरूप उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं और साथ ही वे राज्य सरकारों द्वारा प्रस्थापित समनुदेशनों को पूरा करने के लिए राज्य स्तरीय शिखर सम्मेलनों का आयोजन करती है तथा संबंधित राज्यों के मंत्रियों और पणधारियों के साथ बैठकें करती हैं।

फरवरी, 2008 में इसकी स्थापना से ही, समिति ने लोक वित्त के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। 6 मार्च, 2008 को, समिति ने अपने पहली बैठक का आयोजन किया था जिसमें श्री के. रहमान खान, उपसभापति, राज्य सभा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और जिन्होंने समिति के कार्यकरण की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और उसके कार्य को अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में अपने अनुभवों से अवगत कराया था। इसके अतिरिक्त, 23 जून, 2008 को आयोजित की गई अपनी दूसरी बैठक में, समिति ने श्री यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री, भारत सरकार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। श्री सिन्हा ने आर्थिक और वाणिज्यिक विकास में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका की सराहना की थी और आईसीएआई को यह सुझाव दिया था कि वह सरकार की लेखांकन प्रणाली में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समुचित पद्धति, योजना और प्रणाली तैयार करे।

सीए सुबोध कुमार अग्रवाल, समिति के अध्यक्ष ने, समिति के निर्देश निबंधनों के अनुसार लोक वित्त संबंधी राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों के साथ निम्नलिखित बैठकें भी कीं :

- 13 मार्च, 2008 को लोक वित्त संबंधी समिति की ओर से माननीय अध्यक्ष की महामहिम राज्यपाल, कर्नाटक के साथ बैठक।
- 20 मार्च, 2008 को राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश के साथ बैठक।
- 26 मार्च, 2008 को राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री, केरल के साथ बैठक।
- 10 मई, 2008 को राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की वित्त आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश के साथ बैठक।
- 14 जून, 2008 को लोक वित्त संबंधी समिति की ओर से माननीय अध्यक्ष की वित्त मंत्री, पश्चिमी बंगाल के साथ बैठक।
- 3 जुलाई, 2008 को अध्यक्ष की राज्य बीमा विभाग, त्रिवेंद्रम के साथ बैठक।
- 5 जुलाई, 2008 को राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की मुख्य मंत्री, असम के साथ बैठक।

इसके साथ-साथ, राज्य स्तरीय समितियों ने भी, उन्हें उनके निर्देश निबंधनों के अधीन सौंपे गए क्रियाकलापों को प्रारंभ कर दिया है और निम्नानुसार बैठकों का आयोजन किया है :

- राज्य स्तरीय समिति, उत्तराखंड - 25 अप्रैल, 2008
- राज्य स्तरीय समिति, राजस्थान - 17 मई, 2008
- राज्य स्तरीय समिति पश्चिमी बंगाल - 20 जून, 2008

- राज्य स्तरीय समिति, पंजाब - 21 जून, 2008
- राज्य स्तरीय समिति, झारखंड - 26 जून, 2008
- राज्य स्तरीय समिति, केरल - 3 जुलाई, 2008
- राज्य स्तरीय समिति, असम - 5 जुलाई, 2008
- राज्य स्तरीय समिति, उड़ीसा - 7 जुलाई, 2008

कुछ और राज्य समितियों ने जुलाई, 2008 के अंत में अपनी बैठकें तय की हैं ।

यह समिति, कार्यपालन में उत्कृष्टता के माध्यम से इतिहास रचने वाली आईसीएआई की सर्वाधिक समितियों में से एक है ।

5.22 प्रत्यक्ष कर समिति

पूर्व में वित्तीय विधि समिति प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विषयों में कार्यकरण कर रही थी । वर्ष के दौरान, तत्कालीन वित्तीय विधि समिति के स्थान पर दो नई समितियों, अर्थात् प्रत्यक्ष कर समिति तथा अप्रत्यक्ष कर समिति की विरचना की गई है ।

प्रत्यक्ष कर समिति और अप्रत्यक्ष कर समिति में अपने विभाजन से पूर्व, वित्तीय विधि समिति ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए थे :

5.22.1 सीबीईसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

वित्तीय विधि समिति ने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह "क" परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 58वें बैच के लिए "अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में वित्तीय और लेखांकन उपकरणों का उपयोग" विषय पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी, फरीदाबाद के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था । वित्तीय विधि समिति ने चेन्नई और कोलकाता में आयुक्तों/अपर आयुक्तों/संयुक्त आयुक्तों/उपायुक्तों के लिए सेवा कर संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था ।

5.22.2 आईसीएआई के सुझावों को स्वीकार किया गया

वर्ष के दौरान, सरकार ने विभिन्न मुद्दों के संबंध में वित्तीय विधि समिति द्वारा दिए गए अनेक सुझावों को स्वीकार किया । सरकार ने नए आय-कर विवरणी प्ररूपों के संबंध में भी समिति के सुझावों को स्वीकार किया । समिति ने (क) सेवा कर (संकर्म संविदा के निष्पादन में सेवाओं के लिए संयोजन स्कीम) नियम, 2007, (ख) संकर्म संविदा पर सेवा कर से संबंधित साधारण सुझावों का प्रारूपण किया तथा सरकार द्वारा उनकी सराहना की गई थी । समिति ने वर्ष 2010 में अंतरिम रूप से लागू किए जाने वाले माल और सेवा कर के लिए योजना तैयार करने संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया । तदनुसार, एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया था तथा सरकार को अग्रेषित किया गया था । समिति ने, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2क) के अधीन संपरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को संदेय फीस के संबंध में सीबीडीटी को भी अंतर्निवेश प्रदान किए थे ।

5.22.3 ज्ञापन

वर्ष के दौरान वित्तीय विधि समिति ने पूर्व बजट ज्ञापन - 2008 प्रस्तुत किया था और उसके कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया था तथा वित्त विधेयक, 2008 में सम्मिलित किया गया था ।

5.22.4 प्रकाशन

वित्तीय विधि समिति ने आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन लोक पूर्त संस्थाओं की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण, प्रकाशन का पुनरीक्षण किया था । वित्तीय विधि समिति ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92ड के अधीन अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों पर रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण किया था ।

5.22.5 अभ्यावेदन

सभी प्रकार के निर्धारितियों द्वारा विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 अक्तूबर, 2007 से आगे विस्तारित करने तथा आय-कर विवरणी प्ररूपों की ई-फाइलिंग के लिए अंतिम तारीख को 31 अक्तूबर, 2007 से आगे विस्तारित करने के लिए श्री माननीय वित्त मंत्री को एक ब्यौरेवार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। एनएसडीएल के साथ एक ई-मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के संबंध में सीबीडीटी को एक ब्यौरेवार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था और सीबीडीटी से यह अनुरोध किया गया था कि वह समुचित निदेश जारी करे जिससे कि एनएसडीएल उचित रूप से हमारे सदस्यों के आवेदनों पर कार्यवाही कर सके। समिति ने सीबीडीटी से यह अनुरोध करते हुए भी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि प्ररूप सं. 3गक के टिप्पणों के अधीन मद सं. (iii) का लोप किया जाए जिससे कि वह आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के उपबंधों के अनुरूप हो सके।

5.22.6 अंतर्राष्ट्रीय कराधान और ई-फाइलिंग सहायता केन्द्रों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

वित्तीय विधि समिति ने सदस्यों के लिए मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कराधान में एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जो 28 जुलाई, 2007 को आरंभ हुआ था और 9 सितम्बर, 2007 को समाप्त हुआ था। उक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए काफी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

5.22.7 आय-कर विवरणियों की ई-फाइलिंग विषय पर टेलीकांफ्रेंस और कर जागरूकता कार्यक्रम

वित्तीय विधि समिति ने 11 जुलाई, 2007 को ईमनु आय-कर विवरणियों की ई-फाइलिंग विषय पर एक टेलीकांफ्रेंस का आयोजन किया था तथा इस टेलीकांफ्रेंस को सीबीडीटी और आयकर निदेशालय (प्रणालियां) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया था। समिति ने साधारण जनता और साथ ही सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न स्थानों पर कर जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था।

5.22.8 संगोष्ठियां और सम्मेलन

वित्तीय विधि समिति के समन्वयन से विभिन्न शाखाओं ने देश भर में बड़ी संख्या में संगोष्ठियों, संवादों, कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

प्रत्यक्ष कर समिति, जिसने 5 फरवरी, 2008 से कार्यकरण करना प्रारंभ किया था, के प्रमुख क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं।

5.22.9 29.2.08 को बजट अवलोकन सत्र तथा बजट प्रस्ताव-2008 पर लेख

एक नई समिति के रूप में, इस समिति ने अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से 29 फरवरी, 2008 को एक बजट अवलोकन सत्र का आयोजन करके अपने क्रियाकलापों का प्रारंभ किया। इस सत्र में बजट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, समिति ने प्रमुख सदस्यों से, जर्नल में प्रकाशन हेतु बजट-2008 पर लेखों का योगदान करने का अनुरोध किया।

5.22.10 संघीय बजट - 2008 पर कार्यशाला और बजट पश्च ज्ञापन - 2008

समिति ने 20 मार्च, 2008 को संघीय बजट-2008 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया और इस कार्यशाला में बजट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, समिति ने अपने सुझावों को अंतिम रूप दिया तथा सरकार को बजट पश्च ज्ञापन - 2008 प्रस्तुत किया।

5.22.11 अभ्यावेदन/सुझाव

समिति ने सीबीडीटी को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा कि निर्धारितियों के कतिपय वर्ग के लिए इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से आज्ञापक करों का संदाय करने के समय को विस्तारित किया जाए।

समिति ने एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया, जिसमें "केन्द्रीय कर विधेयक, 2007 पर अग्रिम निर्णयों संबंधी प्राधिकरण" विषय पर आईसीएआई के सुझाव अंतर्विष्ट थे। इसके अतिरिक्त, संसदीय स्थायी समिति द्वारा वांछ

किए गए अनुसार, मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से आईसीएआई के विचार भी प्रस्तुत किए गए थे ।

5.22.12 सीबीडीटी के पदधारियों के साथ परस्पर क्रिया

प्रत्यक्ष कर समिति ने एनआईआरसी के साथ अध्यक्ष, सीबीडीटी के लिए एक रात्रि भोज बैठक का आयोजन किया ।

5.22.13 अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन किया है, जो 7 जून, 2008 को प्रारंभ हुआ था और जिसकी 22 नवम्बर, 2008 तक जारी रहने की संभावना है ।

5.22.14 प्रकाशन

समिति निम्नलिखित ऐसे प्रकाशनों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव करती है जिन्हें तत्कालीन वित्तीय विधि समिति के तत्वावधान में जारी किया गया था :

- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख के अधीन रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण
- पूर्त न्यासों और संस्थाओं का कराधान - एक अध्ययन

इसके अतिरिक्त, समिति "आय-कर अधिनियम की धारा 92ङ के अधीन अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार - एक अध्ययन" नामक एक नया प्रकाशन निकालने का भी प्रस्ताव करती है ।

5.22.15 संगोष्ठियां/सम्मेलन

समिति ने 5-7 जून, 2008 के दौरान होटल कॉर्बेट हाइडवे, राम नगर में अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से कराधान संबंधी एक आवासी पाठ्यक्रम का आयोजन किया था ।

5.23 अप्रत्यक्ष कर समिति

5 फरवरी, 2008 को वित्तीय विधि समिति के प्रत्यक्ष कर समिति तथा अप्रत्यक्ष कर समिति में विभाजन के परिणामस्वरूप, अप्रत्यक्ष कर समिति ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए ।

5.23.1 29.2.08 को संघीय बजट अवलोकन सत्र

समिति ने प्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से 29 फरवरी, 2008 को एक बजट अवलोकन सत्र का आयोजन किया ।

5.23.2 संघीय बजट प्रस्ताव, 2008 पर लेख

संघीय बजट, 2008 से संबंधित मुद्दों पर ख्यातिप्राप्त सदस्यों द्वारा भेजे गए तीन लेखों को जर्नल के अप्रैल, 2008 अंक में प्रकाशित किया गया था ।

5.23.3 संघीय बजट प्रस्ताव, 2008 पर कार्यशाला

समिति ने 5 मार्च, 2008 को संघीय बजट प्रस्ताव, 2008 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसे वित्त मंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री एस. गंगोपाध्याय और श्री आर. शेखर, संयुक्त सचिव, टीआरयू II द्वारा संबोधित किया गया था । इस कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने वित्त विधेयक, 2008 के विभिन्न खंडों पर विचार-विमर्श किया था ।

5.23.4 बजट पश्च ज्ञापन - 2008

नियमित व्यवहार के अनुसार, एक बजट पश्च ज्ञापन तैयार किया गया था और सरकार को प्रस्तुत किया गया था ।

5.23.5 केन्द्रीय कर विधेयक, 2007 पर अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण

समिति ने केन्द्रीय कर विधेयक, 2007 पर अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण पर संसदीय स्थायी समिति को अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किए थे तथा उसके समक्ष मौखिक प्रस्तुतीकरण भी किया था ।

5.23.6 आईआरएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 59वें बैच के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम

समिति ने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह "क" परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 59वें बैच के लिए "अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में वित्तीय और लेखांकन उपकरणों का उपयोग" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था ।

5.23.7 आवासी पाठ्यक्रम

समिति ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राम नगर में प्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से करावान संबंधी एक आवासी पाठ्यक्रम का आयोजन किया था ।

5.24 परिप्रेक्ष्य योजना समिति

परिप्रेक्ष्य योजना समिति को, ऐसी उभरती हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, जो वृत्ति के लिए बनाए गए विनियमित क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकती हैं, पर विचार करने के लिए और गैर-विनियमित क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की भूमिका का संवर्धन करने के लिए मार्गों और उपायों का सुझाव देकर उसे और संपूरित करने संबंधी एक सक्रिय उपाय के रूप में सृजित किया गया था । समिति मुख्य रूप से एक अनुसंधान और विश्लेषण खंड के रूप में कार्य करेगी तथा वह परिषद् और वृत्ति के लिए मस्तिष्क, चक्षु और कान सिद्ध होगी तथा वह एसडब्ल्यूओटी पद्धति को स्थित करके विचारों को एकत्रित करेगी समिति सदस्यों की सक्षमता के निर्माण के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में भी अपना ध्यान केन्द्रित करेगी । समिति एक सूचना नेटवर्क का सृजन करेगी जिससे वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके । समिति ने फरवरी- जुलाई, 2008 की अल्पावधि में 4 बैठकें की हैं और वह अपने निर्देश निबंधनों को अग्रसर करने के लिए प्रयास कर रही है ।

6. अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति

6.1 अन्य लेखांकन निकायों द्वारा भारतीय अर्हता को मान्यता

चयनित विदेशी लेखांकन निकायों द्वारा संस्थान की अर्हताओं के मूल्यांकन के लिए उनके साथ निरंतर संवाद की प्रक्रिया का तेजी से चलते रहना ताकि विदेशी निकायों की अर्हता का भाग बनने वाले प्रशिक्षण और परीक्षा से आईसीएआई के सदस्यों को छूट प्राप्त हो जाए । लंबी प्रक्रिया होने के कारण, जिसमें अर्हता, प्रशिक्षण, सतत वृत्तिक शिक्षा और अनुशासनात्मक अपेक्षाओं का मूल्यांकन और साथ ही साथ जीएटीएस (गेट्स) के अधीन बातचीत की वर्तमान स्थिति तथा देशीय संवेदनशीलताएं भी अंतर्वलित हैं, प्रक्रिया के परिणाम धीमे हैं, फिर भी संस्थान अपने प्रयासों से इस प्रक्रिया को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए सक्रिय है । अर्हता मान्यता की प्रक्रिया यूएसए, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर आदि के लेखांकन निकायों के साथ चर्चा के विभिन्न प्रक्रमों पर है ।

6.2 अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व

आईसीएआई द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण उसके अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों अर्थात् इंटरनेशनल फेडरेशन आफ एकाउन्टेन्ट्स (आईएफएसी), कन्फडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक एकाउन्टेन्ट्स (सीएपीए) और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्ट्स (एसएएफए) की विभिन्न कृत्यकारी समितियों के अलावा उनके शासन बोर्डों में नामनिर्देशन से मिलता है । इस समय आईसीएआई का प्रतिनिधि एसएएफए के अध्यक्ष का पद धारित किए हुए है । निम्नलिखित में इसके नामनिर्देशिती प्रतिनिधित्व करते हैं :-

आईएफएसी की समितियां

- लघु और मध्यम प्रेक्टीशनर समिति
- विकासशील राष्ट्र समिति

- आईएफएसी अनुपालन सलाहकार पेनल

सीएपीए

- अध्यक्ष के रूप में
- बोर्ड सदस्य के रूप में

एसएएफए

- शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी संबंधी समिति
- लेखांकन और लेखांकन मानकों संबंधी समिति
- वृत्तिक आचार संहिता और स्वतंत्रता संबंधी समिति
- पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन में सुधार संबंधी समिति
- कारबार में वृत्तिक एकाउन्टेन्टों संबंधी समिति
- क्वालिटी नियंत्रण संबंधी समिति
- लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति
- वित्तीय और टैरिफ व्यवस्था के सुव्यवस्थीकरण संबंधी कार्यबल
- सचिव, आईसीएआई, स्थायी सचिव, एसएएफए के रूप में

6.3 एमओयू/एमआरए

आईसीएआई द्वारा 13-14 जनवरी, 2008 को कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज के साथ एक परस्पर समझ संबंधी ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे । एमओयू, अन्य बातों के साथ ओमान के लिए अवसंरचना के विकास तथा संस्था निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है ।

इंग्लैंड और वेल्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान और सीपीए-आस्ट्रेलिया के साथ एमआरए संबंधी संवाद, बातचीत के अग्रिम प्रक्रम पर है ।

6.4 विदेशों में चैप्टर प्रारंभ करना

आईसीएआई का एक चैप्टर मस्कट में, मार्च, 2008 में प्रारंभ किया गया था, वह अपनी श्रृंखला का 19वां चैप्टर था और इसे सभी राष्ट्रीयताओं के एकाउन्टेन्ट्स के लिए वृत्तिक विकासशील क्रियाकलाप प्रारंभ करने, ओमान की सल्तनत में अधिवासी या निवास करने वाले सभी राष्ट्रीयताओं के एकाउन्टेन्ट्स के फायदे के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए खोला गया था ।

आईसीएआई ने अपना 20वां चैप्टर न्यूयार्क, यूएसए में खोला । इसका उदघाटन 24 जुलाई, 2008 को किया जाना है ।

आईसीएआई सिंगापुर में अपने 21वें चैप्टर को खोलने के लिए प्रक्रिया कर रही है, इसे शीघ्र ही कार्यरत बनाए जाने की संभावना है ।

6.5 भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल

राष्ट्रीय एकाउन्टेन्ट्स प्रमाणन केन्द्र (एनएसीसी) से प्रतिनिधिमंडल

राष्ट्रीय एकाउन्टेन्ट्स प्रमाणन केन्द्र (एनएसीसी) से एक प्रतिनिधिमंडल ने 29 नवम्बर, 2007 को आईसीएआई का दौरा किया । इस बैठक में, एक साथ कार्य करने के लिए समान हितों के क्षेत्रों की पहचान करके तथा परस्पर संबंधों को बढ़ावा देते हुए द्विपक्षीय सहयोग को सुकर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । इस

प्रतिनिधिमंडल ने आईसीएआई के कोलकाता कार्यालय का भी दौरा किया और आईसीएआई की ईआईआरसी के साथ भी परस्पर संवाद किए थे ।

शंघाई राष्ट्रीय लेखांकन संस्थान से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

18 दिसम्बर, 2007 को एक प्रतिनिधिमंडल ने आईसीएआई का दौरा किया जिसमें ली काउक्विंग, उपाध्यक्ष, शंघाई राष्ट्रीय लेखांकन संस्थान, मी ज़ीहाओ, कार्मिक तथा शिक्षा विभाग, वित्त मंत्रालय, चीन, ज्यु जुहोंग, अध्यापक, शंघाई राष्ट्रीय लेखांकन संस्थान, वांग शुआनग्यान, अध्यापक, शंघाई राष्ट्रीय लेखांकन संस्थान, वांग जिन, अध्यापक, शंघाई राष्ट्रीय लेखांकन संस्थान, याओ फैन, अध्यापक, शंघाई राष्ट्रीय लेखांकन संस्थान सम्मिलित थे । उनके दौरे का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों में लेखांकन और संपरीक्षा की शिक्षा संबंधी प्रणाली को समझना था ।

श्री स्टीव व्यूबेग, सीईओ, सीएमए कनाडा का दौरा

श्री स्टीव व्यूबेग ने 11 जनवरी, 2008 को, कनाडा में आईसीएआई के सदस्यों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आईसीएआई का दौरा किया तथा उन्होंने आईसीएआई से पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के संबंध में अंतर्निवेश प्राप्त किए और उन्होंने तकनीकी मूल्यांकन संबंधी अंतर्निवेशों को परस्पर आदान-प्रदान करने के प्रति भी सहमति दी थी ।

अफगानिस्तान से प्रतिनिधिमंडल

अफगानिस्तान गणराज्य के उप महालेखा परीक्षक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 जनवरी, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य अफगानिस्तान में एक लेखांकन संस्थान का निर्माण करने और पणधारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तकनीकी सहयोग में आईसीएआई की संभाव्य भूमिका पर विचार करना था । इसके अतिरिक्त, एक अन्य प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रो० मोहम्मद शरीफ शरीफी, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और लेखा परीक्षा कार्यालय, अफगानिस्तान सम्मिलित थे, ने 1 फरवरी, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया और आईसीएआई से लेखांकन वृत्ति के संस्थानीकरण के लिए सहायता की वांछा की । उनके साथ श्री एस. सत्यमूर्ति, परिषद् में सी एंड एजी से पूर्व सरकार नामनिर्देशिती भी थे ।

फ्रांस से प्रतिनिधिमंडल

श्री जीन पियरे एलिक्स और श्री विंसेंट बैलोट, अध्यक्ष, सीएसओईसी तथा सीएनसीसी, फ्रांस की अगुवाई में फ्रांसीसी लेखांकन वृत्ति के एक प्रतिनिधिमंडल ने, 11-12 फरवरी, 2008 के दौरान नई दिल्ली के अपने दौरे में, वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच एकाउन्टेन्टों और लेखांकन सेवाओं के संचलन को सुकर बनाने के लिए अपेक्षित उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएआई के साथ ब्यौरेवार परस्पर संवाद किया तथा साथ ही लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संबंध में सामने आ रहे मुद्दों पर संयुक्त रुख अपनाने के लिए भी विचार-विमर्श किया । इस प्रतिनिधिमंडल में श्री जैक्वस पोटडेविन, एफईई के अध्यक्ष, जो यूरोप का एक प्रादेशिक लेखांकन निकाय है और श्री रेने राइकॉल, आईएफएसी के पूर्व अध्यक्ष तथा फ्रांसीसी निवेश समूह के अध्यक्ष भी सम्मिलित थे । इस प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखाओं के महानियंत्रक तथा भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ परस्पर संवाद करने के लिए बैठकें की ।

डेनमार्क से प्रतिनिधिमंडल - दि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट ऑथराइज्ड पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स इन डेनमार्क (एफएसआर)

श्री जेन्स रोडर, अध्यक्ष, दि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट ऑथराइज्ड पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स इन डेनमार्क (एफएसआर) ने 13 फरवरी, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया । परस्पर संवाद के अनुक्रम के दौरान, उन्होंने भारत और डेनमार्क में लेखांकन और संपरीक्षा वृत्ति के क्षेत्र में वृत्ति संबंधी मानकों और हाल ही में हुई घटनाओं के संबंध में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया और साथ ही इस बात पर चर्चा की कि दोनों संस्थानों के सदस्य किस प्रकार एक दूसरे के निकट आ सकते हैं ।

वित्तीय लेखांकन मानक फाउंडेशन (एफएएसएफ) और जापान के लेखांकन मानक बोर्ड से प्रतिनिधिमंडल

श्री हिरोशी एंडो, प्रबंध निदेशक, वित्तीय लेखांकन मानक फाउंडेशन (एफएएसएफ) की अगुवाई में एक

प्रतिनिधिमंडल ने श्री ताकीहिरो अराई, बोर्ड सदस्य, जापान के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबीजे) और श्री काजूहिरो शिमाडा, जापान के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबीजे) के साथ 5 मार्च, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया, उनका उद्देश्य भारत और जापान द्वारा अपनाए जाने वाले संयुक्त रुख पर अपने मतों का आदान-प्रदान करना तथा उसपर परिचर्चा करना था, क्योंकि दोनों देशों ने 2011 तक अपने लेखांकन मानकों को आईएफआरएस के समरूप बनाने के लिए करार किया है ।

यूरोपियन कमीशन इंटरनल मार्केट से प्रतिनिधिमंडल

श्री जेरोएन हूईजर, लेखांकन यूनिट के अध्यक्ष और श्री परगन टीदजे, लेखांकन यूनिट के अध्यक्ष के साथ श्री पियरे डेलसौक्स, अध्यक्ष की अगुवाई में यूरोपियन कमीशन इंटरनल मार्केट से एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत और यूरोपियन यूनियन में लेखा परीक्षा और लेखांकन के क्षेत्र में हुई हाल की घटनाओं पर विचार करने के लिए 7 मार्च, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया । श्री जितेश खोसला, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भी इस बैठक में भाग लिया । श्री एलेक्जेंडर स्पाचिन, प्रतिनिधिमंडल के उपाध्यक्ष और सुश्री संचिता चटर्जी, व्यापार और आर्थिक कार्य खंड की आर्थिक सलाहकार, यूरोपियन यूनियन, भारत, भूटान और नेपाल में यूरोपियन कमीशन, नई दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल ने भी इस बैठक में भाग लिया । इस बैठक के दौरान, यूरोपियन कमीशन की, उनके द्वारा आईएफआरएस, जिसके अंतर्गत नए मानक भी हैं, से पूर्ण समाभिरूपता के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में ब्यौरेवार योजना को प्रमुखता से बताया गया था ।

सर डेविड ट्विडी, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल

श्री वारेन मैकग्रेगर, बोर्ड सदस्य के साथ सर डेविड ट्विडी, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 26-27 मार्च, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया । अपने दौरे के दौरान, उन्होंने प्रेस के साथ परस्पर संवाद किया तथा विश्व भर के विभिन्न देशों द्वारा अपनाए जा रहे आईएफआरएस समाभिरूपण कार्यक्रम पर चर्चा की । उन्होंने सीआईआई, एसोचेम, फिक्की और पीएचडी चैम्बर्स से उद्योग के चैम्बरों के सदस्यों के साथ समाभिरूपता मुद्दों पर भी परस्पर संवाद किया । 27 मार्च, 2008 को, नई दिल्ली में प्रादेशिक मानक निर्धारकों की बैठक के दौरान, एसएएफए सदस्य निकायों अर्थात् नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडलों ने, इन देशों के समक्ष आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण करते समय आने वाली चुनौतियों के संबंध में आईएएसबी के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के साथ परस्पर चर्चा की । सर ट्विडी और श्री मैकग्रेगर ने श्री तरूण बजाज, संयुक्त सचिव, बैंकिंग और बीमा, वित्त मंत्रालय से भी, भारत में आईएफआरएस को अपनाए जाने के लिए सरकारी और विनियामक ढांचे पर विचार-विमर्श करने के लिए मुलाकात की ।

एएमएफ फ्रांस से प्रतिनिधिमंडल

श्री हुबर्ट रेनियर, प्रबंध निदेशक, विनियामक नीति और अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रभार, एएमएफ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री पेट्रिस एग्विसी, अध्यक्ष, वित्तीय प्रकरणों और कारपोरेट वित्त पोषण का विनियमन, एएमएफ और श्री पेट्रिक पेरेंट, उपाध्यक्ष, कारपोरेट लेखांकन और संपरीक्षा प्रभाग एएमएफ के साथ, भारत में लेखांकन मानकों और संपरीक्षा निरीक्षणों के प्रवर्तन पर परस्पर विचार करने के लिए 2 अप्रैल, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया । उनके साथ श्री जितेश खोसला, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सुश्री नीलम भारद्वाज, महाप्रबंधक, इश्युज और लिस्टिंग प्रभाग, सेबी और श्री नितेश भाटी, प्रबंधक, इश्युज और लिस्टिंग प्रभाग, सेबी ने भी इस बैठक में भाग लिया था । बेहतर सहयोग और उचित तथा पारदर्शी बाजार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरवरी, 2008 में एएमएफ और सेबी के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले निदेश निबंधनों के संबंध में सूचना मांगी गई थी । इस बैठक में दोनों *अर्थव्यवस्थाओं* की *आईएफआरएस* और *आईएएस* के साथ *समतुलना* करने की प्रक्रिया के संबंध में एक समान समझ पर बल दिया गया था ।

मंगोलियन एकाउन्टेन्टों का दौरा

आईसीएआई और सीपीए, मंगोलिया ने, दोनों संस्थानों के बीच परस्पर हित और सहयोग का संवर्धन करने के लिए 11 सितम्बर, 2006 को द्विपक्षीय सहयोग पर परिचर्चा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे । तब से, सीपीए -

मंगोलिया अपने एकाउन्टेन्टों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का अयोजन करने के लिए आईसीएआई के साथ सम्पर्क में है । सीपीए, मंगोलिया के अनुरोध पर 3 और 4 अप्रैल, 2008 को आईसीएआई द्वारा उनके 10 प्रतिनिधियों के लिए आईएफआरएस में प्रशिक्षण के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया था । इससे पूर्व, सीपीए, मंगोलिया के एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 12 और 13 नवम्बर, 2007 को आईसीएआई का दौरा किया था और *आईएफआरएस के कार्यान्वयन में अंतर्ग्रसित लेखांकन मुद्दों* पर *जानकारी* प्राप्त की थी ।

जीबूटी छात्रों का दौरा

जीबूटी गणराज्य ने अपने मुम्बई स्थित कार्उसेल जनरल के कार्यालय के माध्यम से आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह उनके छात्रों को लेखांकन और अंग्रेजी बोलने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करे । उन छात्रों को चंडीगढ़ में छह मास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जीबूटी के साथ यह व्यवस्था, जीबूटी छात्रों के बीच भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए आगे और एक कदम है और साथ ही जीबूटी में एक लेखांकन संस्थान स्थापित करके जीबूटी में कदम जमाने का एक और अवसर है । यह आईसीएआई के लिए बिना किसी लागत के आधार पर है ।

लंदन नगर के लॉर्ड मेयर का दौरा

श्री एल्डरमैन डेविड लुईस एमए, लंदन नगर के माननीय सेवानिवृत्त मेयर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इयान लुडर, लंदन नगर के शेरिफ, श्री मार्टिन हेगन, उपाध्यक्ष आईसीएईडब्ल्यू, सुश्री जेन ओवन, निदेशक, यूके व्यापार और निवेश, श्री जेफ ग्लेकिन, उपाध्यक्ष, मुम्बई मिशन और श्री ग्राहम वार्ड, अध्यक्ष, इंडो-यूके लेखांकन कार्यबल में यूके पक्ष के साथ 21 अप्रैल, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया । इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और यूके लेखांकन वृत्ति के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना था । आईसीएआई और आईसीएईडब्ल्यू के बीच एमआरए हेतु चल रही कार्यवाही की वर्तमान स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी लार्ड मेयर ने 22 मई, 2007 को आईसीएआई का दौरा किया था । इस बैठक में श्री ग्राहम वार्ड, पूर्व अध्यक्ष, यूके से आईएफएसी और दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के कुछ पदधारियों ने भी भाग लिया था ।

समारा क्षेत्र, रूस से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एकाउन्टेन्ट्स, समारा रीजन (एसआईपीए), रूस से एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें श्री दमित्री याकोवेंको, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एकाउन्टेन्ट्स, समारा रीजन, श्री यूरी बोडरोव, बोर्ड के सदस्य और श्री एलेक्जेंडर शेस्टाकोव, अध्यक्ष के सहायक ने 22 मई, 2008 को आईसीएआई का दौरा किया था । वृत्तिक अर्हताओं को परस्पर मान्यता देने संबंधी करार की संभाव्यता के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई थी ।

6.6 बाहर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल/अध्ययन दौरे

आईसीएआई के अध्यक्ष और सचिव ने एसएएफए के पदधारियों के साथ 3 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लिया । यह पहली बार था, जब मेजबान निकाय के अध्यक्ष के साथ एसएएफए पदधारियों को सार्क मंत्रालयीय में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

शासकीय वित्त अधिकारियों के संगम के साथ 12 जून, 2007 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । इस करार का उद्देश्य लोक वित्तीय प्रबंध व्यवहारों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान का संवर्धन करना और आईसीएआई को उसके द्वारा नगरपालिक लेखांकन और वित्त के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रम में सहायता देना है ।

तत्कालीन अध्यक्ष, सीए. सुनील तलाती की अध्यक्षता में आईसीएआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने, फ्रांसीसी और भारतीय लेखांकन वृत्ति के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने तथा उन्हें मजबूत करने के लिए फ्रांस का दौरा किया । भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ देशभर से 14 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भी गए थे तथा यह दौरा 9 से 11 जुलाई, 2007 तक चला था । यह दौरा काफी आशापूर्ण रहा है, क्योंकि इससे दोनों वृत्तियां निकट आई हैं और यह संभावना है कि इससे बातचीत को आगे और मजबूत करने का रास्ता साफ होगा ।

भारत सरकार द्वारा निगम शासन विषय पर गठित इंडो-यूके कार्यबल की एक बैठक 7 फरवरी, 2008 को लंदन में आयोजित की गई थी। सीए वेद जैन, अध्यक्ष, आईसीएआई और डा. अशोक हल्दिया, सचिव, आईसीएआई ने इस बैठक में श्री अनुराग गोयल, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, श्री जितेश खोसला, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय बैंक संगम और एसोचेम के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया था। कार्यबल ने निगम शासन, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व, वित्तीय और संबंधित वृत्तियों में मानकों, दिवालियापन संबंधी मुद्दों आदि के क्षेत्र में सरकार-दर-सरकार और संस्था-दर-संस्था के आधार पर सहयोग और सहायता के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

आईसीएआई के अध्यक्ष ने आईसीएआई के उपाध्यक्ष और सचिव के साथ 19 मई, 2008 को न्यूयार्क में बीआरआईसी फारम (संगोष्ठी) को संबोधित किया, जिसमें 20 से अधिक ज्येष्ठ सरकारी पदधारियों और लेखांकन वृत्ति तथा विनियामक निकायों के नेताओं ने भाग लिया था और जिसका आयोजन आईएफएसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाए जाने और चुनौतियों के संबंध में हुई घटनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के श्री शंकर नारायण, मुख्य महालेखाकार (सिविल संपरीक्षा), ने भी बीआरआईसी फारम में भाग लिया था।

आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा पेरिस, फ्रांस में 27 और 28 मार्च, 2008 को आयोजित राष्ट्रीय मानक निर्धारकों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में 13 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिनमें जापान, यूके, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य के मानक निर्धारक और विनियामक सम्मिलित थे।

6.7 सम्मेलन

- आईसीएआई ने 3 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में एसएएफए (संपरीक्षकों की दक्षिण एशियाई फेडरेशन) बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की थी। एसएएफए बोर्ड की बैठक के साथ ही, 4 अप्रैल, 2007 को "एसएएफए को आईएफएसी का उत्कृष्ट केन्द्र बनाना और सार्क-मुद्दे और परिप्रेक्ष्य" विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। एसएएफए बोर्ड सदस्यों के अलावा, केन्द्रीय परिषद के अनेक सदस्य, प्रादेशिक परिषदों के सदस्य, और आईसीएआई तथा आईसीडब्ल्यूएआई के भूतपूर्व अध्यक्ष भी इस मौके पर उपस्थित थे।
- समिति के तत्वावधान में 13-15 दिसम्बर, 2007 के दौरान "लेखाकरण से पारगमन: मूल्य सृजन की ओर" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में लगभग 1075 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह सफल रही थी। इसका उद्घाटन माननीय श्री अश्विनी कुमार, उद्योग के संघ राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन को विनियामकों अर्थात् आईआरडीए के सदस्यों, उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, सदस्य सेबी के अलावा निगम क्षेत्र के सुविख्यात वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया था। सम्मेलन के साथ एसएएफए बोर्ड की बैठक और एसएएफए के उत्कृष्टता केन्द्र की बैठकें भी कराई गई थीं।

7. अन्य गतिविधियां

7.1 मानव संसाधन विकास

किसी संगठन को विकास के नए दौर में स्थापित करने के लिए, उस संगठन के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास ईमानदार, समर्पित और सक्षम मानव संसाधन हों। इस मद्दे परिषद् ने न केवल अपना ध्यान अपने उच्च कार्यनिष्पादन करने वाले कार्य बल को अपने पास बनाए रखने पर केन्द्रित करना जारी रखा, अपितु इस क्षेत्र के सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को संगठन में लाने के लिए उपाय प्रारंभ किए। इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कि प्रशिक्षण, सक्षमता के स्तर में वृद्धि और व्यक्तित्व के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, आईसीएआई के परिसरों के भीतर और बाहर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में भागीदारी करने पर जोर देना जारी रखा गया था।

कौशल और ज्ञान में और अधिक वृद्धि करने तथा सदस्यों, छात्रों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों को क्वालिटी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थान में व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए संस्थान के दिल्ली स्थित मुख्यालय और अन्य प्रादेशिक कार्यालयों में निम्नलिखित ढांचागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था :

- सदस्यों और छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार, *भावनात्मक* प्रमाद, सकल दक्षता और *नीतिशास्त्र* में सुधार करने की नई नीति, उच्च भावनात्मक तत्व-संगठनात्मक सफलता के उपाय, आत्मविश्वास तनाव और उच्च रक्तचाप अपने भीतर ऊर्जा को जागृत करने और कार्य में लगे प्रबंधन व्यक्ति : भविष्य की रणनीतियों के क्षेत्रों में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं ।
- प्रबंधकों और नेतृत्व के लिए *प्रबंधकीय प्रभाविकता,* संपर्क कौशल पर विभिन्न विख्यात संस्थानों में नियमित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दल निर्माण ।
- मध्यम, वरिष्ठ और उच्च स्तरीय *कार्यपालकों* के लिए *प्रबंधकीय प्रभाविकता/कार्यपालक* विकास *कार्यक्रमों* की एक विशेष रूप से डिजाइन की गई श्रृंखला ।
- ज्ञान के आदान-प्रदान पर आवधिक/सतत् सत्र, चिंता/पूर्विक्ता के क्षेत्रों में अनुभव और उनकी पहचान, अस्थायी समितियों के सचिव ।
- नए व्यक्तियों के लिए जागरूकता और परस्पर सक्रिय सत्र
- अधिकारियों और विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए आवधिक परस्पर सक्रिय अनुकूलन पाठ्यक्रम और परस्पर सक्रिय अनुकूलन सत्र
- कंप्यूटर प्रशिक्षण की पश्चातवर्ती श्रृंखला ।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान 10800 कर्मचारी घंटों से अधिक के नियमित मानव संसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ।

रिपोर्ट की अवधि के अंतिम छह मास के दौरान क्षेत्र की सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, संकाय/शैक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समयबद्ध भर्ती कार्यक्रम चलाए गए थे । इस प्रकार की गई पहलों से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं और 120 से अधिक मानव संसाधनों को नियोजित किया गया है, जिनमें से 40 आईसीएआई के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी/शैक्षणिक पदों के लिए हैं । अभी शीघ्र ही कुछ और नई प्रतिभाएं भी नियोजित की जाएंगी ।

शिकायत समाधान, समय पर परामर्श सेवाओं, विकसित प्रसुविधा प्रबंध आदि के उद्देश्य से रिपोर्ट की अवधि के दौरान की गई और मानव संसाधन पहलों में बेहतर और क्वालिटी संकर्म वातावरण, साप्ताहिक विभागीय बैठकें, आवधिक कर्मचारी परामर्श सेवा, शिकायत समाधान तथा कठिनाइयों को दूर करने वाले उपायों के साथ नए मास की शुरूआत करना सम्मिलित है ।

7.2 संपरीक्षा समिति

7.2.1 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- विभिन्न शाखाओं, प्रादेशिक कार्यालयों, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में कानूनी और आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में पुनरीक्षित मानदंडों का कार्यान्वयन ।
- लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व कानूनी और आंतरिक संपरीक्षकों के साथ चर्चा की गई ।
- .विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों का पुनर्विलोकन और आंतरिक संपरीक्षकों के संप्रेषणों को आईसीएआई की *अधिकथित* नीतियों के पालन के लिए नोट किया गया ।
- सुसंगतता और अद्यतन बनाना सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआई की पिछले दस वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में यथा *उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखांकन* नीतियों का व्यापक *पुनर्विलोकन* ।

- विभिन्न विभागों/गैर-स्थायी समितियों के लिए आंतरिक संपरीक्षकों के कार्य के विस्तार और उनकी रिपोर्टिंग संरचना का पुनर्विलोकन ।
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ।
- आधुनिक आईटी परिस्थितियों के संदर्भ में आईटी प्रणाली संरक्षा को और मजबूत करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

7.2.2 पहलें

- आईसीएआई के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और सरल तथा कारगर बनाने तथा उसे मजबूत करने के लिए एक परिचर्चा पत्र तैयार किया गया था और उसे सभी उपयोक्ता विभागों/गैर-स्थायी समितियों, प्रादेशिक कार्यालयों और विकेन्द्रीकृत कार्यालयों को, उनकी टिप्पणियों/विचार जानने के लिए परिचालित किया गया था ।
- शाखाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण मोड्यूल के संबंध में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई है ।
- नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है ।
- प्राधिकार के समुचित प्रत्यायोजन के प्रयोजन के लिए प्रमुख विभागों की पहचान करने की कार्यवाही की जा रही है ।
- सभी प्रादेशिक परिषदों की संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

7.3 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड

देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, आईसीएआई ने वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी) की स्थापना की है । एफआरआरबी स्वप्रेरणा से या किसी विनियामक निकाय (निकायों) द्वारा उसे प्रतिनिर्देश दिए जाने पर या किए जाने पर या मीडिया रिपोर्टों द्वारा गंभीर लेखाकरण अनियमितताएं सामने आई हैं, कतिपय उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का यथासंभव रूप में निम्नलिखित का अवधारण करने के विचार से पुनर्विलोकन करता है :

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन ;

(ख) विनियामक निकायों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं, कानूनों, नियमों और उद्यम के लिए सुसंगत विनियमों का अनुपालन ; और

(ग) संपरीक्षकों की रिपोर्टिंग बाध्यता का अनुपालन ।

एफआरआरबी की प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करते समय तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह बोर्ड की सहायता करते हैं । पुनर्विलोकन के लिए चयन किए गए साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का प्रारंभिक पुनर्विलोकन, बोर्ड द्वारा रखे गए पैनल में से चयन किए गए तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है । साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों के तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा दी गई प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर, बोर्ड द्वारा उनकी अंतिम रूप से समीक्षा किए जाने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है ।

7.3.1 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन

- बोर्ड ने, वर्ष 2008-09 के दौरान पुनर्विलोकन के लिए 50 कंपनियों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का चयन किया है तथा उनके पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है ।

- बोर्ड ने, परिषद् वर्ष 2007-08 के दौरान पुनर्विलोकन के लिए 60 कंपनियों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का चयन किया है और इन 60 कंपनियों में से, बोर्ड ने 4 रिपोर्टों पर विचार किया है तथा 56 कंपनियों का पुनर्विलोकन चल रहा है ।

- बोर्ड ने, परिषद् वर्ष 2006-07 के दौरान पुनर्विलोकन के लिए 53 कंपनियों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का चयन किया है । इन 53 कंपनियों में से, बोर्ड ने 20 रिपोर्टों पर विचार किया है तथा 32 कंपनियों का पुनर्विलोकन चल रहा है ।

- पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के संबंध में, सीएजी के कार्यालय से समुचित समन्वयन किया गया है और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों के पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है ।

- बोर्ड ने यह विनिश्चय किया है कि परिषद् वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान चयन किए गए साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों के संबंध में तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिए परिषद् वर्ष 2008-09 के दौरान 20 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन किया जाए ।

उद्योग में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों और साथ ही ऐसे तकनीकी पुनर्विलोकनकर्त्ताओं, जो ऐसे उद्यमों के, जो बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, लेखाओं को अंतिम रूप देने में अंतर्वलित हैं, को पैनलबद्ध करने में समर्थ होने के लिए तकनीकी पुनर्विलोकनकर्त्ताओं को नामांकित करने संबंधी मानदंडों और प्रारूपों को पुनरीक्षित किया गया है ।

आईसीएआई के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए प्रमुख अननुपालनों से अवगत कराने के लिए, बोर्ड समय-समय पर ऐसे अननुपालनों का संकलन करता है और उन्हें आईसीएआई के जर्नल में प्रकाशित करता है । इसी व्यवहार को जारी रखते हुए, ऐसे अननुपालनों से संबंधित एक टिप्पण का संकलन किया जा रहा है और उसे सीए जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा ।

7.3.2 कार्यक्रमों का संचालन

- लेखांकन मानकों और अन्य रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन पहलुओं से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला के दो बैचों का आयोजन 25-27 जुलाई, 2007 और 2-4 नवम्बर, 2007 को क्रमशः मुम्बई और कोलकाता में किया गया था । कंपनियों के कानूनी लेखा परीक्षकों, सदस्यों और साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने में अंतर्वलित अन्य वरिष्ठ कृत्यकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया था ।

- आईसीएआई के ऐसे सदस्यों ने, जिन्हें आईसीएआई द्वारा पैनलबद्ध किया गया है, साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन संबंधी सक्षमताओं में और वृद्धि करने के लिए तकनीकी पुनर्विलोकनकर्त्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दो बैचों का आयोजन 21 सितम्बर, 2007 और 19 जनवरी, 2008 को क्रमशः चेन्नई और मुम्बई में किया गया था ।

7.4 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति

आंतरिक संपरीक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण वृत्तिक कृत्य है, जिसे आईसीएआई के वृत्ति में लगे सदस्यों और उद्योगों में नियोजित सदस्यों, दोनों द्वारा किया जाता है । आंतरिक संपरीक्षा ऐसे वृत्तिकों द्वारा निष्पादित की जाती है, जिनके पास कारबार संस्कृति, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन समझ है । आंतरिक संपरीक्षा क्रियाकलाप इस संबंध में आश्वासन प्रदान करते हैं कि स्थापित आंतरिक नियंत्रण जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं, शासन प्रक्रियाएं प्रभावी और दक्ष हैं तथा संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है । आंतरिक संपरीक्षा में, वृत्ति के भीतर होने वाले परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में अनेक परिवर्तन हुए हैं तथा संगठनों में यह कड़े आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन और विश्लेषण से परिवर्तित होकर ऐसे क्रियाकलापों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम बन गई है, जो निरंतर संगठनों के मूल्य में वृद्धि करती है और संकर्मों में सुधार लाने में सहायता करती है । जैसे ही परिवर्तन की गति

तीव्र हुई, आंतरिक संपरीक्षकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे संगठनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उभरते हुए अवसरों का अनुमान लगाएं और उनका लाभ उठाएं । इसके परिणामस्वरूप, एक ऐसे नए वर्णन की आवश्यकता थी, जो और अधिक सटीक रूप से वृत्ति की दिशा को उपदर्शित कर सके । अतः आईसीएआई ने वृत्ति और इसके लक्ष्यों को एक ऐसी रीति में वर्णित करने की वांछा की थी जो सदस्यों के लिए सहायक सिद्ध हो सके । तदनुसार, आईसीएआई ने 5 फरवरी, 2004 को आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक अस्थायी समिति का गठन किया था । इस समिति का उद्देश्य भारत में विद्यमान आंतरिक संपरीक्षा व्यवहारों का पुनर्विलोकन करना तथा आंतरिक परीक्षा संबंधी मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणों का विकास करना तथा आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना है ।

7.4.1 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक

वर्ष के दौरान, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति ने आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करते हुए आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में दो मानक जारी किए हैं - **आंतरिक संपरीक्षा को शासित करने वाले आधारिक सिद्धांत** और **दस्तावेजीकरण** ।

इसके अतिरिक्त, समिति ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी चार और प्रस्तावित मानकों के संबंध में उद्भासन प्रारूप जारी किए हैं, अर्थात् **आंतरिक संपरीक्षा में क्वालिटी आश्वासन, नमूना लेने, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं** और **रिपोर्टिंग** । समिति निम्नलिखित क्षेत्रों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का सूत्रीकरण करने की भी योजना बना रही है :

- प्रबंधन के साथ संसूचना
- बाहरी संपरीक्षकों के साथ समन्वयन
- कृत्यकारी अध्यक्षों के साथ समन्वयन
- जोखिम प्रबंध
- साक्ष्य
- आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन
- निर्देश/नियोजन के निबंधन

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा **आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के लिए ढांचा** को भी सूत्रबद्ध किया जा रहा है ।

7.4.2 तकनीकी मार्गदर्शन

मानक निकाले जाने के अलावा, समिति आंतरिक संपरीक्षा संबंधी उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शनों का सूत्रीकरण करने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है ।

वर्ष के दौरान आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति ने सदस्यों तथा तेल और गैस उद्योगों में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के लिए उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा की विशिष्टियों की बेहतर समझ बनाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के अलावा अपस्ट्रीम उद्योग के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपस्ट्रीम तेल और गैस कंपनियों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन जारी किए हैं । दूरसंचार उद्योग में कारबार संस्कृति, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन समझ उपलब्ध कराने के लिए समिति द्वारा दूरसंचार उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन भी जारी किए गए है । यह किसी दूरसंचार कंपनी में आंतरिक संपरीक्षा के दौरान सामने आने वाली विभिन्न तकनीकी समस्याओं को समझने में पाठकों की सहायता करेंगे ।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शनों के सूत्रीकरण के संबंध में समिति द्वारा प्रारंभ की गई अन्य परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :-

- ऑटोमोबाईल उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन

- गैर लाभकारी संगठनों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- औद्योगिक अवसंरचना क्रियाकलापों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- शर्करा उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- विनिर्माता कंपनियों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- विद्युत उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- पोत परिवहन उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- खुदरा सेक्टर में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- बीमा कंपनियों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- विमानन उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- लॉटरी उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- नगरपालिका और स्थानीय निकायों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- विद्युत जनन और वितरण कंपनियों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन
- गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन

7.4.3 साधारण मार्गदर्शन

आज के सार्वभौमिक युग में, नियंत्रणों और नीतिगत निर्णय लेने, जोखिम की पहचान और उसका निर्धारण करने के प्रति एक सूक्ष्म झुकाव का उभरना एक प्रमुख बिन्दु बन गया है । इसे ध्यान में रखते हुए, समिति ने वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर, जो हाल ही में खंड 49 में विनियामक द्वारा प्रस्तुत किए गए शासन व्यवहारों को देखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है, आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण संबंधी मार्गदर्शन जारी किए हैं । पिछले वर्ष के दौरान, समिति द्वारा सम्यक उद्यम संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री जारी की गई थी । समिति, निम्नलिखित क्षेत्रों में साधारण मार्गदर्शनों को सूत्रबद्ध करने की योजना बना रही है :

- बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी मैन्युअल
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मोड्यूल
- उद्यम जोखिम प्रबंध
- आंतरिक संपरीक्षा में सीएएई का उपयोग करना
- आंतरिक संपरीक्षा पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव
- कपट का पता लगाने और उसका निवारण करने संबंधी एक ढांचा विकसित करना
- आंतरिक नियंत्रण निर्धारण अनुपालन कृत्य की तुलना में आंतरिक संपरीक्षा
- आंतरिक संपरीक्षा एवं निर्धारण

7.4.4 सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम

आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के संबंध में जागरूकता बनाने के विचार से, समिति अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन की परिकल्पना करती है । इस प्रयोजन के लिए,

समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संगतता सुनिश्चित करने के लिए एक समान पृष्ठभूमि सामग्री उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता प्रदान करती है ।

समिति ने प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के सहयोग से निम्नलिखित सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया :

- नई दिल्ली में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सभा
- मुम्बई में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सभा
- कोलकाता में " नियंत्रण वातावरण और सुशासन - आर्थिक विकास की कुंजी" विषय पर आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक अखिल भारतीय सम्मेलन
- पटना में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सम्मेलन
- पूणे में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी
- मुम्बई में - एक प्रतिमान परिवर्तन - दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रबंध के साधन विषय पर आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक सम्मेलन

7.4.5 पाठ्यक्रम

समिति, सदस्यों को परिवर्तनशील आवश्यकताओं से अवगत कराने में सहायता करने और ग्राहकों की आशाओं को पूरा करने की अपनी नीति के अभिन्न भागरूप में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक पाठ्यक्रम और साथ ही सम्यक् उद्यम और समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना बना रही है ।

7.5 विजन समिति

विजन दस्तावेज - 2021 संबंधी विशेष प्रयोजन समिति, समाभिरूपण और नई प्रतिमान अर्थव्यवस्था के समय में वृत्ति को और अधिक क्रियाशील तथा संकेन्द्रित बनाने के लिए उसकी पुनःसंरचना हेतु विजन संबंधी अध्ययन पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है । वर्ष '2021' का चयन, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी, भारत सरकार द्वारा किए गए समान कार्यों की प्रवृत्ति के अनुरूप है तथा यह समय के एक ऐसे ढांचे के दौरान किया जाएगा, जिसमें यह आशा की जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, जिसके कारण वृत्ति/आईसीएआई के समक्ष खड़ी चुनौतियों में भारी परिवर्तन होगा ।

विजन 2021, पणधारियों की परिवर्तनशील आशाओं, प्रतियोगी वातावरण की चुनौतियों और उभरते कारबार मॉडलों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन वृत्ति के भविष्य पर ध्यान केन्द्रित करेगा, इस कार्य का मुख्य उद्देश्य भारतीय सीए वृत्ति को वैश्विक गहन जानकारियों और नीतियों के साथ परिवर्तित करना और इसे इसके स्थान पर पुनःस्थापित करना है । इस अध्ययन में, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के दौर में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की भूमिका का निर्धारण करना है और साथ ही ऐसी सेवाओं के विस्तार और क्वालिटी का निर्धारण करना भी है, जो कारबार के परिवर्तनशील आयामों की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित होंगे ।

वर्तमान परिदृश्य, आशाओं में अंतर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुक्रम के साथ समायोजन का अध्ययन और विश्लेषण करने तथा दीर्घकालिक विजन की पूर्ति के लिए नीतियों को सूत्रबद्ध करने के लिए अध्ययन प्रगति पर है । समिति द्वारा योजनाबद्ध अनुसंधान कार्य में विजन दस्तावेज, 2021 के द्वारा आईसीएआई को सुझाए गए क्रांतिक सफलता कारकों को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई हेतु मूल कार्यपालन सूचकों का निर्धारण करना और वृत्ति और साथ ही आईसीएआई की कार्रवाई संबंधी नीतियों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुक्रम में उभरती हुई तथा प्रत्याशित प्रवृत्तियों के साथ समनुरूप बनाना है ।

7.5.1 किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप

वृत्ति की सभी पणधारी शाखाओं से सुसंगत एक व्यापक विजन दस्तावेज - 2021 तैयार करने के विचार

से, इन पणधारी समूहों को सक्रिय बनाने तथा उनसे उनके विशिष्ट और अपरिहार्य अंतर्निवेश प्राप्त करने के लिए विभिन्न लघु परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं :

- अधिकतम संभव संख्या में लक्ष्य समूहों तक पहुंच बनाने के विचार से, वर्ष 2007-08 के लिए समिति ने तदनुसार अपने लक्ष्यों के प्रति छह कार्यबलों के माध्यम से प्रचालन किया ।
- अन्य बातों के साथ, वृत्ति में लगे और सेवारत सदस्यों के लिए विशेष रूप से तैयार और संरचित किए गए प्रश्नोत्तरों, जिन्हें आईसीएआई की वेबसाइट, आईसीएआई के जर्नल, छात्रों के न्यूज लेटर और आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से लक्ष्य समूहों को उपलब्ध कराया गया था, मत/राय/अंतर्निवेश संबंधी सूचना प्राप्त की गई थी ।
- विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों और कारबार की विभिन्न शाखाओं का नेतृत्व करने वाले कारबार प्रतिनिधियों और विभिन्न सुविख्यात शिक्षाविदों के साथ परस्पर संवाद के सत्रों और बैठकों के रूप में समिति द्वारा उप सर्वेक्षणों का आयोजन किया गया था ।

अनुसंधान की विषय वस्तु के अनुरूप, लेखाकरण के क्षेत्र में सर्वोत्तम संभव साहित्य और विश्व के सर्वोत्तम व्यवहारों तक पहुंच बनाने के लिए गहन घरेलू डैस्क अनुसंधान निरंतर प्रगति पर है । भिन्न-भिन्न और व्यापक संसाधनों से संगृहीत डाटा को और बेहतर बनाया गया था तथा उसे उपलब्ध सांख्यिकीय तथ्यों और आंकड़ों के साथ समायोजित किया गया था और इस प्रकार आईसीएआई तथा साथ ही लेखाकर्म वृत्ति के लिए विजन कथन, "विजन - 2021" का प्रारूप तैयार किया गया था तथा उसे विचारार्थ फरवरी, 2008 में परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । समिति ने प्रारूप विजन कथन पर विचार किया तथा समिति के अध्यक्ष को उसे अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया तथा साथ ही सम्यक् अनुक्रम में एक व्यापक विजन दस्तावेज विकसित करने के लिए विजन कार्य के लिए अनुमति दी । यह कार्य प्रगति पर है ।

8. अन्य मामले

8.1 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

आईसीएआई का 58वां वार्षिक समारोह 4 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में हुआ था । श्री प्रफुल पटेल, संघ के माननीय सिविल विमानन मंत्री इस समारोह के मुख्य अतिथि थे । समारोह में 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए 2006-07 का आईसीएआई पुरस्कार', आईसीएआई द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार तथा मेडल और आईसीएआई की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए थे । समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सदस्यों, छात्रों, आईसीएआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित बहुत बड़ी संख्या में आमंत्रितियों ने भाग लिया था । मुख्य अतिथि ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स वृत्ति पर प्रशंसा की बौछार लगा दी ।

8.2 हीरक जयंती समारोह-सह-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स दिवस

हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर, अध्यक्ष ने उसे उचित रीति से मनाने के विचार से 5 फरवरी, 2008 को हीरक जयंती समिति का गठन किया था । समिति ने, जून, 2008 तक हुई अपनी तीन बैठकों में उस रीति की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें 1 जुलाई, 2008 को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दिवस पर और वर्ष भर समारोह आयोजित किए जाएंगे ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दिवस के सुअवसर पर और हीरक जयंती वर्ष होने के कारण, 1 जुलाई, 2008 से, इस दिवस को तथा हीरक जयंती वर्ष के प्रारंभ को मनाने के लिए आयोजनों और सम्मेलनों की एक श्रृंखला आरंभ की गई थी । हीरक जयंती समारोहों को प्रारंभ करने के लिए नई दिल्ली में 5 दिनों के एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी । यह आयोजन नई दिल्ली में 29 जून, 2008 को राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक मैराथन रेस के साथ प्रारंभ हुआ था । श्रीमती शीला दीक्षित, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस आयोजन का उद्घाटन किया था और गुब्बारे छोड़े थे । उसके पश्चात, उन्होंने विजय चौक पर भारी संख्या में एकत्रित सदस्यों और छात्रों को संबोधित किया था । तत्पश्चात्, झंडा फहराकर दौड़ प्रारंभ की गई थी ।

सदस्यों, छात्रों और उनके परिवारों के फायदे के लिए 29 जून, 2008 को होटल अशोक, नई दिल्ली में क्रांतिकारी और विख्यात संत स्वामी रामदेव जी के एक योग व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जिसके पश्चात् शर्मा बहनों द्वारा भजन संध्या का प्रदर्शन किया गया था । इस अवसर पर, स्वामी रामदेव जी ने आईसीएआई के हीरक जयंती के लोगो का अनावरण भी किया था । इस अवसर पर उपस्थित लोग उनके ध्यान संबंधी आध्यात्मिक और अद्वितीय व्याख्यान से अत्यधिक लाभान्वित हुए थे । उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए, हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में योग के महत्व पर उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन भी किया । यह आईसीएआई के इतिहास में एक स्मरणीय दिवस था ।

30 जून, 2008 को प्यारेलाल भवन, नई दिल्ली में उत्प्रेरणा विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री शिव खेड़ा को "सफलता की कुंजी" विषय पर वयाख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था । उसी दिन उक्त शिविर में, सदस्यों और छात्रों ने बड़ी संख्या में राष्ट्र के लिए रक्तदान किया था ।

1 जुलाई, 2008 को आईसीएआई के मुख्यालय में झंडा फहराया गया था । सीए वेद जैन, आईसीएआई के अध्यक्ष ने आईसीएआई का झंडा फहराया था । 1 जुलाई, 2008 को मुख्य महोत्सव का आयोजन, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था । आईसीएआई के हीरक जयंती समारोह का उदघाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था । सदस्य, उनके मार्गदर्शन और वृत्ति के संबंध में उनके विजन से अत्यधिक लाभान्वित हुए थे । माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने भी इस समारोह में भाग लिया था । माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री, श्री प्रेम चंद गुप्ता और राज्य सभा के माननीय उपसभापति, श्री के. रहमान खान ने भी श्रोताओं को संबोधित किया था । इस अवसर पर प्रधान महा पोस्ट मास्टर ने आईसीएआई के हीरक जयंती के उपलक्ष में एक विशेष कवर का विमोचन किया था ।

1 जुलाई, 2008 को सायंकाल में, सुश्री आरती मेहता, दिल्ली नगर निगम की मेयर ने, वृत्ति के विकास और वित्त तथा बजट में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की भूमिका को सम्मान में नई दिल्ली स्थित आईसीएआई के परिसर में एक पौधारोपण किया था, जिसके द्वारा यह उपदर्शित किया गया था कि वृत्ति और चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका का वही महत्व और आवश्यकता है, जो मानव जीवन में वृक्षों की है ।

1 जुलाई, 2008 को सीरी फोर्ट आडीटोरियम, नई दिल्ली में सुश्री हेमा मालिनी, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, पदम भूषण पुरस्कार विजेता और विख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना द्वारा भगवान शिव और देवी पार्वती पर एक आध्यात्मिक नृत्य प्रस्तुत किया था ।

2 जुलाई, 2008 को, होटल अशोक, नई दिल्ली के कन्वेंशन हॉल में "चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी प्रोफेशन इन रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉसपेक्ट" विषयपर एक हीरक जयंती सम्मेलन का आयोजन किया गया था । इस सम्मेलन में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समुदाय के 1,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें एसएएफए देशों के 50 सदस्य, विनियामक और बहु-उद्देशीय अभिकरणों, अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों और सार्क क्षेत्रों के लेखांकन निकायों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे ।

2 जुलाई, 2008 को, सायंकाल में सीरी फोर्ट ऑडीटोरियम, नई दिल्ली में, विख्यात बॉलीवुड गायिका सुश्री श्रेया घोषाल और उनके दल द्वारा कला प्रदर्शन किया गया था । सदस्यों के व्यस्त और कठोर तथा छात्रों के अध्ययनपूर्ण जीवन में उनके द्वारा मनोरंजन और प्रसन्नता के कुछ क्षण सम्मिलित किए गए थे ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी प्रोफेशन इन रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉसपेक्ट - विषय पर हीरक जयंती सम्मेलन 3 जुलाई, 2008 को होटल अशोक में जारी रहा । उपस्थित भीड़ को विद्वान वक्ताओं और विख्यात व्यक्तियों द्वारा संबोधित किया गया था, जिनमें श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, श्री अनुराग गोयल, सचिव, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और वृत्ति के अन्य अनुभवी लोग सम्मिलित थे । श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने 'दि एकाउन्टेन्सी प्रोफेशन एंड इकोनोमिक डेवेलपमेंट इन इंडिया' शीर्षक वाली एक पुस्तक का भी विमोचन किया था ।

आईसीएआई के हीरक जयन्ती समारोह को प्रमुख समाचार पत्रों और इलैक्ट्रानिक मीडिया जैसे कि दूरदर्शन, सीएनबीसी, एनडीटीवी, आस्था चैनल आदि द्वारा कवरेज प्रदान की गई थी ।

उपरोक्त के अलावा, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं ने भी सीए दिवस के उपलक्ष्य में समारोहों/कार्यक्रमों का आयोजन किया था तथा समुचित रीति में हीरक जयन्ती समारोहों का शुभारंभ किया था।

8.3 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1988 में संशोधन

8.3.1 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में संशोधन

(i) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 को केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होने के पश्चात् भारत के राजपत्र, (असाधारण) तारीख 23 मार्च, 2006 में अधिसूचित किया गया था।

(ii) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) तारीख 28 जून, 2007, जो भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जून, 2007 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा एक अध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्यों वाले एक क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया था।

(iii) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् ने, उसे प्राप्त किसी सूचना या शिकायत के संबंध में अन्वेषण करने के लिए एक निदेशक (अनुशासन) वाले अनुशासन निदेशालय की स्थापना की थी। इस प्रभाव की एक अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/104 /2007 तारीख 8 अक्तूबर, 2007 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 तारीख 8 अक्तूबर, 2007 में प्रकाशित की गई थी।

(iv) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् ने यह अवधारित किया कि 1 अप्रैल, 2008 से, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रजिस्टर में अपने नाम की प्रविष्टि कराने के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संदेय फीस केवल एक हजार रुपए होगी। इस प्रभाव की एक अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/109 /2008 तारीख 4 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 तारीख 5 मार्च, 2008 में प्रकाशित की गई थी।

(v) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् ने यह अवधारित किया कि 1 अप्रैल, 2008 से, आईसीएआई के अध्येता के रूप में रजिस्टर में अपने नाम की प्रविष्टि कराने के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संदेय फीस केवल एक हजार पांच सौ रुपए होगी। इस प्रभाव की एक अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/110 /2008 तारीख 4 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 तारीख 5 मार्च, 2008 में प्रकाशित की गई थी।

(vi) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् ने यह अवधारित किया कि 1 अप्रैल, 2008 से, किसी सदस्य द्वारा, उसके वृत्ति प्रमाणपत्र के लिए संदेय वार्षिक फीस केवल एक हजार छह सौ रुपए होगी :

परंतु यह कि ऐसे किसी सदस्य के लिए, जो सुसंगत वर्ष के 1 अप्रैल, को 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, यह फीस केवल एक हजार दो सौ रुपए होगी।

इस प्रभाव की एक अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/111 /2008 तारीख 4 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 तारीख 5 मार्च, 2008 में प्रकाशित की गई थी।

(vii) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 19 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् ने यह अवधारित किया कि 1 अप्रैल, 2008 से, किसी सदस्य द्वारा संदेय वार्षिक फीस निम्नानुसार होगी :

सहबद्ध सदस्य	केवल छह सौ रुपए
अध्येता सदस्य	केवल एक हजार आठ सौ रुपए

परंतु यह कि ऐसा कोई सदस्य, जो सुसंगत वर्ष के 1 अप्रैल, को 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, निम्नानुसार फीस का संदाय करेगा :

सहबद्ध सदस्य	केवल चार सौ पचास रुपए
अध्येता सदस्य	केवल एक हजार तीन सौ रुपए

इस प्रभाव की एक अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/112 /2008 तारीख 4 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 तारीख 5 मार्च, 2008 में प्रकाशित की गई थी ।

(viii) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परीषद् ने यह अवधारित किया कि 1 अप्रैल, 2008 से, किसी सदस्य के नाम को रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट करने के लिए अतिरिक्त फीस, जो ऐसे सदस्यों द्वारा वार्षिक फीस तथा प्रवेश फीस के बकाया के साथ संदेय होगी, केवल एक हजार रुपए होगी । इस प्रभाव की एक अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/113 /2008 तारीख 4 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 तारीख 5 मार्च, 2008 में प्रकाशित की गई थी ।

(ix) परिषद् द्वारा अनुशासन बोर्ड तथा अनुशासन समिति का गठन (धारा 21क और धारा 21ख के अनुसार) ।

8.3.2 चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

(i) वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1988 के निम्नलिखित विनियमों में संशोधनों को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है :-

विनियम 43	आर्टीकल्ड सहायकों का नियोजन
विनियम 44	सदस्यों द्वारा भारत से बाहर लेखांकन संस्थाओं या निकायों में से किसी की उपविधियों के अधीन आर्टीकल्ड सहायकों का नियोजन न करना
विनियम 45(क)	आर्टीकलशिप में प्रवेश
विनियम 48(1)	आर्टीकल्ड सहायकों को वृत्तिका
विनियम 53(1)	भारत में स्थायी रूप से प्रव्रजन करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को छूट
विनियम 54क	भारत से बाहर लेखांकन संस्थाओं या निकायों के पात्र सदस्यों के अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण
विनियम 55	प्रिंसीपल की प्रास्थिति में परिवर्तन
विनियम 56(1)	आर्टीकल का पर्यवसान या समनुदेशन
विनियम 57(4)	नए आर्टीकल
विनियम 59(2),(4) और [illegible]	किसी आर्टीकल सहायक को छुट्टी

स्पष्टीकरण (1)	
विनियम 60	आर्टिकल्ड सहायकों के कार्य घंटे
विनियम 64(1)	परिषद् को रिपोर्ट
विनियम 66(1)	आर्टिकल्ड सहायक के विरूद्ध जांच
विनियम 74(2), (4) और स्पष्टीकरण	संपरीक्षक सहायक को छुट्टी
विनियम 79(1)	संपरीक्षक सहायक के विरूद्ध जांच

उक्त संशोधनों को भारत के राजपत्र (असाधारण) तारीख 17 अगस्त, 2007 के भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं.आई-सीए(7)/102/2007(ड) तारीख 17 अगस्त, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है । उन्हें आईसीएआई के जर्नल के सितंबर, 2007 अंक में भी प्रकाशित किया गया है तथा संस्थान की वेबसाइट पर भी रखा गया है ।

(ii) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1988 के निम्नलिखित विनियमों में प्रारूप संशोधनों का केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव किया गया था । केन्द्रीय सरकार ने इन विनियमों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया है । इस प्रभाव की एक प्रारूप अधिसूचना सं.1-सीए(7)/116/2008 तारीख 5 मई, 2008, टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 8 मई, 2008 में प्रकाशित की गई थी :

विनियम 3क	सदस्यों की सूची
विनियम 5(1)	सदस्यता के लिए आवेदन
विनियम 6	फीस
विनियम 10	किसी वृत्ति प्रमाणपत्र का रद्दकरण
विनियम 11	किसी वृत्ति प्रमाणपत्र को पुनःप्रवृत्त करना
विनियम 12,13,14,15,16 और 17	परिवर्धन केवल संबंधित विनियमों के शीर्षों के पश्चात्
विनियम 17क	निदेशक (अनुशासन), अनुशासन निदेशालय द्वारा किसी शिकायत या सूचना के अन्वेषण के लिए ली जाने वाली फीस और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा अनुशासन समिति द्वारा जांच की प्रक्रिया - 17.11.2006 को या उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली शिकायत या सूचना को लागू ।
विनियम 19	पुनःसदस्यता प्रदान करना
विनियम 53क	अन्य वृत्तिक निकाय
विनियम 53ख	भागीदारी के लिए वृत्तिक निकायों की सदस्यता
विनियम 82 से 126	अध्याय VI-निर्वाचन -हटाए जाने के लिए
विनियम 137(9)	पदधारी और समितियां
विनियम 174क	परिषद् की समितियां

विनियम 175	कार्यकारी समिति
विनियम 175क	वित्त समिति
विनियम 194	लेखाओं का रखा जाना
विनियम 197	बजट संबंधी वास्तविक आंकड़ों की बजट प्राक्कलनों से तुलना

अनुबंधित अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् उन्हें उनके अंतिम अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पश्चात् उन्हें प्रकाशित किया जाएगा ।

8.4 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ा है, पूर्णतया कंप्यूटरीकृत और क्रियाशील है । पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के डाटाबेस सहित पुस्तकालय सामग्री की खोज, विषय, लेखक, शीर्षक, प्रसंग, प्रमुख-शब्द और प्रकाशक-बार की जा सकती है अभिलेख इंटरनेट ऑन लाइन सेवा www.icai.org पर "**नो युअर इंस्टीट्यूट-सेंट्रल काउंसेल लाइब्रेरी**" के अधीन उपलब्ध है । निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों को तथा विशेष मामले के रूप में आईसीएआई का सीपीटी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है । आईसीएआई के प्रत्येक निदेशालय को दिए गए केन्द्र पुस्तकालय के साथ, संस्थान के नोएडा कार्यालय और विश्वास नगर छात्र पुस्तकालय को भी केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

केन्द्रीय परिषद् पुस्कालय www.icai.org पर "**नो युअर इंस्टीट्यूट-सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी**" के माध्यम से विभिन्न पुस्तकालय वेब सेवाएं उपलब्ध कराती है । ये सेवाएं स्व-स्पष्टीकारक है । इनमें से कुछ लिंक जैसे कि ऑन लाईन जर्नलों की सूची, ई-पुस्तकें, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स जर्नलों से लेख और पुस्तकों, जर्नलों का ऑन लाईन डाटाबेस तथा पुस्तकालय में लेख पूर्वोक्त ऑन लाइन डाटाबेस में आगे और सर्च उपलब्ध कराते है । "**सजेस्ट बुक्स/जर्नल कॉलम्स**" के अधीन कोई भी व्यक्ति आईसीएआई को नई पुस्तकों/जर्नलों का सुझाव दे सकता है । यह उल्लेखनीय है कि "**दि एकाउन्टेन्ट्स ब्राउजर**" पिछले 9 वर्षों के संग्रह के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की अनुक्रमणिका है ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, पुस्तकालय ने केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों में, छात्रों, सदस्यों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों द्वारा अपेक्षित सामग्री के लिए सर्च को सुकर बनाने के लिए अनेक आईसीएआई डाटाबेस प्रतिष्ठापित किए हैं ।

8.4.1 वेबसेवाएं :

www.icai.org पर उपलब्ध वेब सेवाएं निम्नलिखित हैं :-

- ऑन लाईन जर्नलों की सूची
- ई-बुक लिंक्स
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जर्नल (1951-2000) से लेख
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जर्नल (2001-2007) से लेख
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय - केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में पुस्तकों, जर्नलों और लेखों के डाटाबेस के लिए एक पूर्ण ऑनलाईन सर्च
- केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय में डब्ल्यूटीओ विषय पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची

- एकाउन्टेन्ट्स ब्राउजर, वृत्ति संबंधी लेखों का संग्रह
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय - नई दिल्ली - सम्मेलन/संगोष्ठी
- पुस्तकालय में उपलब्ध सीडी
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनुक्रमणिका जुलाई, 2002 - जून, 2007
- सिफारिश की गई पुस्तकों की सूची
- पुस्तकालय प्रतिभूति निक्षेप नियम
- पुस्तकालय समाचार और मत
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा मंगाए जाने वाले जर्नलों की सूची
- पुस्तकालय सेवा - सदस्यों से सदस्यता
- पुस्तकालय सेवा - छात्रों से सदस्यता
- पुस्तकालय में उपलब्ध फोटोग्राफ
- हाल ही में हुई परिवृद्धियां - केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में क्रय की गई पुस्तकें
- पुस्तकालय में उपलब्ध एसएएफए पुस्तकें/प्रकाशन
- सुझाई गई पुस्तकें/जर्नल

पुस्तकालय में प्रतिष्थापित ऑन लाईन डाटाबेस निम्नानुसार है :-

- पुस्तकालय साफ्टवेयर - एलिस
- प्रोवेस (सीएमआईई)
- सीटीआर ऑनलाईन
- आईटीआर ऑनलाईन
- मनुपत्राओं डाट काम
- एक्सकस ऑनलाईन
- ई-ज्यूरिक्स
- ईकर्लो डाट काम
- डेलनेट
- इंडियास्टेट डाट काम
- टैक्समैन

ऐसे ऑन लाईन जर्नल, जिनकी ग्राहकी पुस्तकालय के पास है, निम्नलिखित हैं :-

क्रम सं.	जर्नल का नाम	वैबसाइट
1.	आईएएसबी कम्प्रिहेंसिव पैकेज	www.iasb.org.uk http://eifrs.iasb.org

2.	इंडियास्टेट डाट कॉम	www.indiastat.com
3.	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रैक्टिस जर्नल (सीएपीजे)	www.manupatralawreports.in
4.	सर्विस टैक्स जर्नल (एसटीजे)	www.manupatralawreports.in
5.	इंडलॉ डाट कॉम	www.indlaw.com www.arbitration.indlaw.com www.banking.indlaw.com www.companylawonline.com www.consumer.indlaw.com www.crimes.indlaw.com www.employment.indlaw.com www.incometax.indlaw.com www.indirecttax.indlaw.com www.ipr.indlaw.com www.salestax.indlaw.com www.indialaws.info www.scjudgments.com www.tradelawonline.com www.humanrights.indlaw.com www.delhi.indlaw.com www.maharashtra.indlaw.com www.kerala.indlaw.com www.tamilnadu.indlaw.com
6.	डेलनेट	www.delnet.nic.in
7.	टैक्समैन	www.taxmann.net
8.	ग्लोबल जर्नल ऑफ फ्लैक्सिबल सिस्टम्स मैनेजमेंट	www.indianjournals.com (पब्लिकेशन लिस्ट पर जाएं - पब्लिकेशन ऑनली सब्सक्राइब करें - खोलें)
9.	इंडियन जर्नल ऑफ फाइनांस एंड रिसर्च	www.indianjournals.com (पब्लिकेशन लिस्ट पर जाएं - पब्लिकेशन ऑनली सब्सक्राइब करें - खोलें)
10.	जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च	www.indianjournals.com

		(पब्लिकेशन लिस्ट पर जाएं - पब्लिकेशन ऑनली सब्सक्राइब करें - खोलें)
11.	एलबीएस जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च	www.indianjournals.com (पब्लिकेशन लिस्ट पर जाएं - पब्लिकेशन ऑनली सब्सक्राइब करें - खोलें)
12.	मैनेजमेंट एंड चेंज	www.indianjournals.com (पब्लिकेशन लिस्ट पर जाएं - पब्लिकेशन ऑनली सब्सक्राइब करें - खोलें)
13.	प्राजना : दि जर्नल ऑफ मैनेजमेंट अवेयरनेस	www.indianjournals.com (पब्लिकेशन लिस्ट पर जाएं - पब्लिकेशन ऑनली सब्सक्राइब करें - खोलें)
14.	इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रेगुलेशन एंड गवर्नेंस	www.indianjournals.com (पब्लिकेशन लिस्ट पर जाएं - पब्लिकेशन ऑनली सब्सक्राइब करें - खोलें)
15.	एकाउंटिंग एंड बिजनेस	www.accaglobal/members /publication.com
16.	ब्रिटिश एकाउंटिंग रिव्यू	www.sciencedirect/ science/journal.com
17.	सीएफओ एशिया	www.cfoasia.com
18.	हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू	www.hbr.com
19.	इंश्युरेंस टाईम	www.insurancetimes.com.uk
20.	ग्लोबल रिइंश्युरेंस	www.globalreinsurance.com
21.	दि इंश्युरेंस इनसाइडर एंड इनसाइडर विक	www.insuranceinsider.com
22.	जर्नल ऑफ एकाउंटेंसी	www.aicpa.org
23.	आर.बी.आई. बुलेटिन	www.bulletin.rbi.org.in
24.	इन दि ब्लैक (सीपीए आस्ट्रेलिया)	www.cpaaustralia.com.au
25.	दि इकोनोमिस्ट	www.economist.com
26.	टाईम	www.time.com
27.	जर्नल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन	http://JOB.sagepub.com
28.	बिजनेस कम्युनिकेशन क्वार्टर्ली	http://BCQ.sagepub.com
29.	विस्टा : इन्वायरनमेंट ऑडिट	www.witts.org

30.	जर्नल ऑफ एकाउंटिंग एंड पब्लिक पॉलिसी	www.sciencedirect.com
31.	एकाउन्टेन्ट्स टूडे (मलेशियन इन्सटिट्यूट ऑफ एकाउन्टेन्ट्स)	www.mia.org.my
32.	ई-ज्युरिच	www.ejurix.com
33.	दलाल स्ट्रीट जर्नल	www.dalastreetjournal.com

8.5 संपादकीय बोर्ड

आज के तेजी से बढ़ते हुए सार्वभौमिक युग में, विभिन्न विषयों, नए-नए उभरते क्षेत्रों, वृत्ति के पहलुओं और चुनौतियों से आईसीएआई के सदस्यों और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पत्रिका के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय मंडल ने इस रिपोर्ट की अवधि (अप्रैल, 2007 और मई, 2008 के बीच की) के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं ।

यह आईसीएआई का ब्राड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए आईसीएआई के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है । आज चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है चाहे वह अंतर्वस्तु की गुणवत्ता हो, गहन ट्रापिकल कवरेज, परस्पर क्रियात्मक फीचर, अंतर्राष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण या समय से लोगों तक पहुंच हो, सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक मैत्रिक के रूप में इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है । यदि हमारे पाठकों की प्रतिक्रिया से यह सब उपदर्शित होता है तो यह न केवल सदस्यों के लिए बल्कि सहयुक्त वृत्तिकों, संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में आर्थिक जगत के हर वर्ग में अद्यतन वृत्तिक ज्ञान का उपकरण बन गया है ।

इसकी व्यापक पहुंच और पाठन आधार की दृष्टि से इस पत्रिका का कुल परिचालन, आज 1,85,000 से अधिक हो गया है ।

अंतर्वस्तु और ई-जर्नल :

- 1.4.2007 और 31.5.2008 के दौरान, कुल 2160 पृष्ठों और 112 लेखों का मुद्रण किया गया था ।
- हमारे सदस्यों और पाठकों को बेहतर रूप से संसूचित करने के लिए जर्नल में पांच नए फीचर - 'लेटेस्ट-एट ए ग्लांस', 'डूज़ एंड डोंट्स', 'नेशनल अपडेट','डिसिप्लिनरी केसिज़', और 'प्रैक्टिस अपडेट' प्रारंभ किए गए थे ।
- ई-पत्रिका की अवधारणा को आरंभ करते हुए, ऑनलाईन जर्नल को, उसे वास्तविक रूप में ई-जर्नल बनाने के लिए समुन्नत किया गया था और उसे एक अद्वितीय यूआरएल. www.ejournal.icai.org. के साथ आईसीएआई की वैबसाइट पर रखा गया था । यह जर्नल अति आधुनिक और उपयोक्ता-मित्र है, जिसमें उपलब्ध विनिर्दिष्ट साफ्टवेयर की उपेक्षा के बिना तीव्र और सुगम ब्राउज़िंग वाली सर्च सुविधा है । ई-जर्नल के प्रत्येक अंक को, समय से आनलाइन उपलब्ध करा दिया गया था । आईसीएआई वेबसाइट पर जर्नल पृष्ठ और संपादकीय बोर्ड पृष्ठ को व्यापक रूप से समुन्नत और अद्यतन किया गया था ।
- जर्नल के पाठकों की संख्या में वृद्धि करने तथा उसकी सकल अंतर्वस्तु को समृद्ध बनाने के लिए अनेक पत्रकारों, अधिमानतः ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को जिनके पास पत्रकारिता से संबंधित दिलचस्पी और उत्साह है, मानदेय आधार पर नियुक्त किया गया था ।
- केवल उच्च क्वालिटी की अंतर्वस्तु का प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए मुद्रण हेतु प्राप्त हुए लेखों का अंधपुनर्विलोकन करने का व्यवहार अपनाया गया था ।

ले आउट और डिजाइन :

- बेहतर सकल दृश्यता और अनुभव के लिए व्यंग्यचित्रों की क्वालिटी में सुधार करने के अतिरिक्त जर्नल के ले आउट और डिजाइन को और अधिक समुन्नत किया गया था ।

- आवरण पृष्ठ के मास्ट हैड और *आंतरिक* टेम्पलेट में और सुधार किया गया था ।

अन्य पहलें

- पूर्ववर्ती मास के अंतिम तीन दिनों में जर्नल के सुसंगत अंक को प्रेषित करने की प्रणाली अपनाकर जर्नल के प्रत्येक सुसंगत मास के पहले तीन दिनों में समय पर प्रदाय को सुनिश्चित किया गया था ।

- जर्नल की क्वालिटी में हुई सारवान वृद्धि और लागत में पारिणामिक वृद्धि को देखते हुए, संपादकीय बोर्ड ने, अप्रैल, 2007 अंक से ग्राहकों के सभी वर्गों के लिए *अभिदाय* दर को बढ़ाते हुए पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है ।

- विख्यात कारबार घरानों ने पूर्व की तुलना में बड़ी संख्या में अपने विज्ञापन जर्नल में जारी किए, जिससे कि वे जर्नल के बढ़े हुए आकर्षण का फायदा उठा सकें । इन विज्ञापनों के प्रकाशन से आईसीएआई ने सारवान राजस्व अर्जित किया है । विख्यात कंपनियों, बैंकों, परस्पर निधियों, बीमा कंपनियों आदि को इस संबंध में जर्नल के प्रति आकर्षित करने के लिए संपादकीय बोर्ड ने विशेष प्रयास किए थे ।

- जर्नल की सकल क्वालिटी में और सुधार लाने के लिए एक पाठक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके परिणामों में पाठकों से उत्साहवर्धक पुनर्निवेशन प्राप्त हुए हैं ।

- सीए लोगो के उपयोग को बढ़ावा देने तथा उसमें वृद्धि करने के विचार से, बोर्ड ने लोगो स्टिकरों का मुद्रण कराया और आईसीएआई के सभी सदस्यों को लोगो स्टिकरों की दो शीटों का प्रेषण किया ।

- जर्नल के अबाधित और सतत प्रदाय और परिवान को सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र प्रवर्ग के अधीन छूट प्राप्त दरों पर डाक प्रेषण करने की अनुज्ञप्ति तथा बिना पूर्व संदाय संख्या के डाक प्रेषण करने की अनुज्ञप्ति को नवीकृत कराया गया था ।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 7,507 सदस्यों को दर्ज किया गया है, जिससे 1 अप्रैल, 2008 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 1,45,481 हो गई, जिसके अंतर्गत साधारण क्षमा स्कीम के अधीन ऐसे 82 सदस्य भी हैं, जिनकी सदस्यता 20 जून, 2008 तक वापस की गई है ।

पूर्व वर्ष में 2001 की संख्या की तुलना में 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 2,936 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए ।

1.4.2008 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभों का योग (1) और (2)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	49,525	19,454	68,979
अंशकालिक व्यवसाय में	3,222	5,813	9,035
जो व्यवसाय में नहीं हैं	8,541	58,926	67,467
	61,288	84,193	1,45,481

9.2 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स कल्याण निधि

दिसंबर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो आईसीएआई के सदस्य हैं या रहे हैं, उनके आश्रितों को, उनकी पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निधि की वित्तीय विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31.03.2007 को कुल आजीवन सदस्य	= 79,984
2.	31.03.2008 को कुल आजीवन सदस्य	= 87,029
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31.03.2008 तक)	= 7,045
4.	31.03.2008 तक दी गई कुल वित्तीय सहायता	= 135

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

		31.3.2007 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.3.2008 को समाप्त वर्ष के दौरान
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	46,31,500.00	1,64,16,000.00
2.	प्रशासनिक खर्च	50,497.00	11,235.00
3.	निधि में अधिशेष (कमी)	29,16,577.00	(72,46,236.40)
4.	निधि का अतिशेष	2,39,37,416.00	1,66,91,180.00
5.	कोरपस का अतिशेष	6,65,20,000.00	7,35,97,300.00

10. छात्र

10.1 छात्रों के आंकड़े

शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी एक नई योजना 13 सितंबर, 2006 से आरंभ की गई थी और इसके परिणामस्वरूप वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 1) और वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2) के लिए छात्रों के रजिस्ट्रीकरण को 13 सितंबर, 2006 से बंद कर दिया गया था। सामान्य प्रवीणता परीक्षा पाठ्यक्रम और वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का रजिस्ट्रीकरण 13 सितम्बर, 2006 से आरंभ हुआ था। 2003-04 से 2007-08 के पिछले पांच वर्षों और 1 अप्रैल, 2007 से 31 मई, 2008 तक के दौरान रजिस्ट्रीकृत छात्रों के संबंध में ब्यौरे भी उपदर्शित हैं।

वर्ष	पीई (पाठ्यक्रम-1)	पीई (पाठ्यक्रम-2)	फाइनल	13.9.2006 से सीपीटी	13.9.2006 से पीसीसी
2003-2004	38,188	34,232	11,390		
2004-2005	39,000	34,190	11,061		
2005-2006	38,901	39,467	13,010		
2006-2007	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041
2007-2008			19,558	1,42,612	61,186

1.4.2008 से 31.5.2008			1,610	16,079	2,383
योग	1,61,706	1,40,228	68,467	2,87,801	87,610

1 अप्रैल, 2008 से 31 मई, 2008 की अवधि के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 1) के 161 छात्रों ने सामान्य प्रवीणता परीक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का विकल्प लिया (2007-2008 में यह संख्या 8,517 थी) ।

10.2 प्रत्यायन स्कीम

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सीपीटी मौखिक कोचिंग कक्षाएं संचालित करने के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की सूची में 10 और संस्थाओं के नामों को सम्मिलित किया गया था, इस प्रकार उनकी कुल संख्या 127 (117 +10) हो गई है तथा 2 और को पीसीसी मौखिक कोचिंग कक्षाओं के संचालन के लिए सम्मिलित किया गया था, इस प्रकार उनकी कुल संख्या 73 (71+ 2) हो गई है । पीई (पाठ्यक्रम - 2) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की कुल संख्या वही बनी रही, जो कि 96 है और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए विद्यमान 10 संस्थाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

10.3 नए पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री

13 सितंबर, 2006 को, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी एक नई स्कीम प्रारंभ करने के पश्चात्, सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) पाठ्यक्रम, वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) और फाइनल (नए) पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री जारी की गई थी । सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) पाठ्यक्रम के लिए स्व-निर्धारण सीडी, वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) के लिए सीडी और फाइनल (नए) पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री भी जारी की गई है । तत्पश्चात, इन पाठ्यक्रमों के हिन्दी पाठ भी छात्रों को उपलब्ध कराए गए हैं । फाइनल (नए) पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी की अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है ।

वर्ष के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 1), वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 2)/पीसीसी और फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए हैं :-

(i) पूर्व परीक्षाओं में उत्तरों सहित प्रश्नों का संकलन

(ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में चयनित मामले

(iii) सीपीटी और पीसीसी आदर्श परीक्षा पत्र

(iv) एस : 28 वृत्तिक विकास श्रृंखला के अधीन आस्तियों की हानि

(v) जोखिम आधारित लेखा परीक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शन (वृत्तिक विकास श्रृंखला पुस्तिका -2)

10.4 अध्ययन सामग्री का पुनरीक्षण

वार्षिक आधार पर छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को अद्यतन किया गया है और समुचित परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया गया है ।

10.5 100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

250 घंटे के अनिवार्य कंप्यूटर प्रशिक्षण के स्थान पर 100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम 1 दिसंबर, 2006 को प्रारंभ किया गया था । प्रादेशिक/शाखा कार्यालयों को 100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अध्ययन बोर्ड ने प्रारंभ में यह विनिश्चय किया था कि ऐसी 30 निजी संस्थाओं के प्रत्यायन को वापिस लिया जाए, जहां आईसीएआई की शाखाएं 13 नगरों में 100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं । तत्पश्चात् 1 दिसंबर, 2007 को निजी संस्थाओं से यह प्रत्यायन पूर्ण रूप से

वापस ले लिया गया था और 31 मई, 2008 तक देश भर में विभिन्न प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों की अधिकारिता के अधीन 86 सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है ।

1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 और 1 अप्रैल, 2008 से 31 मई, 2008 तक की अवधि के दौरान 100 घंटे के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है :

क्षेत्र	100 घंटे सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	100 घंटे सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण
	1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008	1 अप्रैल, 2008 से 31 मई, 2008
पश्चिमी	16,251	694
दक्षिणी	8,821	852
पूर्वी	7,546	421
मध्य	13,783	864
उत्तरी	14,497	694
योग	60,898	3,525

10.6 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर पाठ्यक्रम

1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देश भर में (दुबई केन्द्र सहित) 45 केन्द्रों पर साधारण प्रबंध और संचार कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रमों के 211 बैचों का आयोजन किया गया था और इन कार्यक्रमों में 7651 छात्रों ने भाग लिया था (2006-2007 में 10431 छात्रों ने भाग लिया था) ।

1.4.2008 से 31.5.2008 की अवधि के दौरान, 22 बैचों के लिए साधारण प्रबंध और संचार कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देश भर में 15 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था और इस अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों में 936 छात्रों ने भाग लिया था ।

10.7 छात्रवृत्तियां

1 अप्रैल, 2007 से 31 मई, 2008 की अवधि के दौरान विन्यास निधियों के माध्यम से 37 छात्रों को गुणता छात्रवृत्तियां, 33 छात्रों को गुणता एवं आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां और 111 छात्रों को आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां तथा 28 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी ।

10.8 छात्रों का संवादपत्र (स्टूडेंट्स न्यूजलेटर)

मासिक सीए छात्र संवादपत्र - **'दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेन्ट'** जिसमें उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, आलेख और अन्य सुसंगत उद्‌घोषणाएं हैं, छात्रों के लिए लोकप्रिय और उपयोगी साबित हुआ है । यह प्रकाशन सदस्यों में भी लोकप्रिय रहा । वर्ष 2007-2008 के दौरान छात्रों और अन्यों को परिदत्त कुल प्रतियां 12,96,800 थीं ।

1 अप्रैल, 2008 से 31 मई, 2008 की अवधि के दौरान छात्रों को 2,65,300 प्रतियां परिदत्त की गई थी ।

10.9 सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए पुरस्कार

सर्वोत्तम लेख के लिए 2000 रुपए का प्रथम पुरस्कार श्री रवि मनस्क को मई, 2007 के छात्र संवाद पत्र के अंक में प्रकाशित उनके लेख "मेकिंग एकाउंटिंग एफबीटी कंप्लाएंट" के लिए दिया गया था तथा द्वितीय पुरस्कार

श्री डी. शिव किशोर को फरवरी, 2007 के छात्र संवाद पत्र - दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेंट के अंक में प्रकाशित उनके लेख "म्यूचुअल फंड्स-ए चेंज इन इंडियन प्रस्पेक्टिव" के लिए दिया गया था

10.10 छात्र आदान-प्रदान स्कीम

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएएन) के 8 छात्रों और श्रीलंका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएएसएल) के 12 छात्रों ने भारत का दौरा किया और 23-24 जून, 2007 को अहमदाबाद में एसएएफए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएएन) के 10 छात्रों ने भारत का दौरा किया और 6-7 जुलाई, 2007 को बड़ौदा में एसएएफए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया ।

10.11 सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के बाद शिक्षा बोर्ड पीएचडी/फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 4 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अलावा 79 विश्वविद्यालयों से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है ।

10.12 एकदिवसीय संगोष्ठियां

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने एक दिवसीय संगोष्ठियों, वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताओं और प्रादेशिक/ राज्य स्तर पर सम्मेलनों और अन्य शैक्षणिक आयोजनों के आयोजन को बढ़ावा देने की नीति जारी रखी । 35 शाखाओं द्वारा 50 एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था । 55 शाखाओं द्वारा शाखा स्तर पर वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं जिनके अंतर्गत 5 प्रादेशिक परिषदें भी सम्मिलित थी, जिन्होंने शाखा स्तर पर वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं । फाइनल वक्तृता/क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 15 और 16 जनवरी, 2008 को नागपुर में हुआ था । 1.4.2007 से 31.5.2008 की अवधि के दौरान 8 शाखाओं में 26 व्याख्यान बैठकों/अर्द्धदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था और दो शाखाओं में 10 क्रैश पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

10.13 अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन और सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सभा

20वें अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन 23 और 24 जून, 2007 को अहमदाबाद में किया गया था तथा चौथी राष्ट्रीय सभा का आयोजन 6 और 7 जुलाई, 2007 को बड़ौदा में किया गया था । इस वर्ष के दौरान 11 स्थानों में प्रादेशिक/उप-प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था ।

10.14 विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां

वर्ष के दौरान, अनेक विश्वविद्यालयों के समन्वयन से 5 संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित की गई थी ।

10.15 करियर काउंसेलिंग कार्यक्रम

पाठ्यविवरणों के बहुत से विषयों में अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु प्रादेशिक मुख्यालयों में काउंसेलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं । 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान देश भर में 42 विभिन्न अवस्थानों पर 112 करियर काउंसेलिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था । 1 अप्रैल, 2008 से 31 मई, 2008 की अवधि के दौरान छात्र समुदाय के साथ परस्पर संवाद के लिए भारत में 12 स्थानों पर 16 करियर काउंसेलिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

10.16 लेखन प्रतियोगिता

चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम और सीए वृत्ति के संबंध में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से मार्च, 2008 में एक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था । छात्रों के लिए 2,000 रुपए से 15000 रुपए तक के पुरस्कारों की प्रस्थापना की गई थी ।

10.17 त्रैमासिक आवासी कार्यक्रम

आईसीएआई ने सीए के छात्रों, विशेषकर ऐसे छात्रों के लिए, जिन्होंने हाल ही में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की है या जो फाइनल पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद (एनआईएफएम) के

सहयोग से साधारण प्रबंध, व्यक्तित्व विकास और संचार कौशल में एक उच्च स्तर पर सहायिकी प्राप्त त्रैमासिक आवासी कार्यक्रम का आयोजन किया था । यह कार्यक्रम 28 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ हुआ था और 55 छात्रों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया था । पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, कैंपस चयन का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक कारपोरेटों ने भाग लिया था तथा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को 5 लाख से 11 लाख के बीच के वेतन वाली नियुक्तियों की प्रस्तावना की गई थी ।

10.18 सीपीटी छात्रों के लिए ज्ञान दर्शन कार्यक्रम

सामान्य प्रवीणता परीक्षण का अध्ययन करने वाले छात्रों के फायदे के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से मई, 2008 मास के दौरान विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान परिदत्त किए गए थे । देश के विभिन्न भागों के छात्रों ने आईएसआरओ द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रणाली के माध्यम से संकाय के साथ परस्पर संवाद किया था । इन व्याख्यानों का आयोजन मई, 2008 में किया गया था ।

10.19 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहकर्मी की भावना विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास आदि के संवर्धन में चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से लगाने की दृष्टि से परिषद् हमेशा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र संघ की शाखाएं खोलने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता रहा है । इस प्रक्रिया में, अब तक छात्र संघों की 42 शाखाएं पहले ही स्थापित हो चुकी हैं ।

10.20 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान, 500 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 60 छात्रवृत्तियां, चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को दी गई । निधि की सदस्यता 31 मार्च, 2007 को 1251 के मुकाबले 31 मार्च, 2008 को 1527 थी । निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2007 को 9,94,197/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2008 को 10,29,295/- रुपए थी ।

11 प्रादेशिक परिषद् और उनकी शाखाएं

11.1 संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं ।

11.1.1 प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 117 है ।

11.1.2 इस समय, भारत के बाहर संस्थान के चैप्टरों की कुल संख्या 20 है ।

11.1.3 इस समय, पूरे भारत में संदर्भ पुस्तकालयों की कुल संख्या 32 है ।

11.2 शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रूचि दिखाती रही हैं । कुछ मिलाकर 64 शाखाओं के अपने भवन हैं ।

11.3 चल शील्ड

संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को हर वर्ष चल शील्ड देता है । पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है । इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को एक पृथक चल शील्ड प्रदान की जाती है । पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है । अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सीए छात्र संघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड प्रदान करने की योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है । 2007 के लिए यह शील्डें 4 फरवरी, 2008 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी :-

- **सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद्** — पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद् और पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् को संयुक्त रूप से

- **प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा**
  - लघु आकार शाखा प्रवर्ग — मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की भिलाई शाखा
  - मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग — एसआईआरसी की सेलम शाखा
  - बड़ी शाखा प्रवर्ग — डब्ल्यूआईआरसी की [illegible] शाखा
  - सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ — पश्चिम भारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र संघ

- **छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :**
  - पश्चिमी क्षेत्र — डब्ल्यूआईसीएएसए की अहमदाबाद शाखा
  - दक्षिण क्षेत्र — एसआईसीएएसए की एर्नाकुलम शाखा
  - मध्य क्षेत्र — सीआईसीएएसए की इंदौर और जयपुर शाखा - संयुक्त रूप

उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से क्रमशः प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिए गए थे :

➤ लघु आकार शाखा प्रवर्ग :
- एसआईआरसी की हुबली शाखा
- एसआईआरसी की पालघाट शाखा
- सीआईआरसी की अलवर शाखा
- सीआईआरसी की ग्वालियर शाखा

➤ मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग :
- डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा
- एसआईआरसी की विजयवाड़ा शाखा
- सीआईआरसी की रांची शाखा

➤ बड़ी शाखा प्रवर्ग :
- डब्ल्यूआईआरसी की बड़ौदा शाखा

उक्त पुरस्कारों के अधिकारण संबंधी नियमों को, प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं आदि को, सदस्यों तथा छात्रों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवधिक रूप से पुनर्विलोकित किया जाता है ।

11.4 नए विकेन्द्रीकृत कार्यालय

तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्व को मानते हुए, जो विकेन्द्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, आईसीएआई की परिषद् मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के अलावा, दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में और मध्य क्षेत्र में जयपुर में पांच और विकेन्द्रीकृत कार्यालय पहले ही खोल चुकी है । प्रादेशिक स्तर पर कार्य/गतिविधियों की वृद्धि पर विचार करते हुए, नागपुर, सूरत, बड़ोदरा और ठाणे (पश्चिमी क्षेत्र), एर्नाकुलम और कोयम्बटूर (दक्षिणी क्षेत्र), इन्दौर (मध्य क्षेत्र) और चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) में सात और विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं ।

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2008 को यथाविद्यमान तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है ।

13. प्रशंसा

13.1 परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अधीन गठित संस्थान की समितियों के सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2007-2008 के दौरान परिषद् की सहायता की ।

13.2 परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2007-2008 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए ।

13.3 परिषद् भारत के माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह, महामहिम सीए. रामेश्वर ठाकुर, कर्नाटक के राज्यपाल, संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम, दिल्ली की माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, राज्यसभा के माननीय उपसभापति सीए. के. रहमान खान, योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह आहलुवालिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय, सचिव, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय श्री अनुराग गोयल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने आईसीएआई के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर उनकी शोभा बढ़ाई । परिषद् राज्य स्तर पर अनेक कृत्यकारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है जिन्होंने आईसीएआई के अंगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई ।

13.4 परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है ।

13.5 संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2007-2008 के दौरान अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय है ।

सदस्य

(1 अप्रैल, 1998 से)

सारणी - 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 1998	सहयुक्त	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	अध्येता	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	योग	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1 अप्रैल, 1999	सहयुक्त	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	अध्येता	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	योग	29988	22457	10341	10220	17375	90366
1 अप्रैल, 2000	सहयुक्त	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	अध्येता	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	योग	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1 अप्रैल, 2001	सहयुक्त	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	अध्येता	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	योग	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1 अप्रैल, 2002	सहयुक्त	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	अध्येता	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	योग	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1 अप्रैल, 2003	सहयुक्त	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	अध्येता	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	योग	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1 अप्रैल, 2004	सहयुक्त	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	अध्येता	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	योग	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1 अप्रैल, 2005	सहयुक्त	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	अध्येता	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	योग	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1 अप्रैल, 2006	सहयुक्त	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	अध्येता	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	योग	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792

	योग	48055	31683	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,852	22,136	58,988
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रगति चार्ट

(31 मार्च, 1997 से)

	फाउंडेशन/पीई (पाठ्यक्रम-I)	इंटरमीडिएट/पीई (पाठ्यक्रम-II)	फाइनल	सीपीटी#	पीसीसी##	योग
वर्ष 1996-97 के दौरान	28,209	21,354	9,275			58,838
वर्ष 1997-98 के दौरान	37,052	24,652	9,394			71,098
वर्ष 1998-99 के दौरान	43,809	28,253	12,227			84,289
वर्ष 1999-2000 के दौरान	44,180	27,508	10,787			82,475
वर्ष 2000-01 के दौरान	36,999	23,405	9,026			68,430
वर्ष 2001-02 के दौरान	34,215*	29,403**	11,524			75,142
वर्ष 2002-03 के दौरान	35,524	33,283	11,102			79,909
वर्ष 2003-04 के दौरान	38,188	34,232	11,390			83,810
वर्ष 2004-05 के दौरान	39,000	34,190	11,061			84,251
वर्ष 2005-06 के दौरान	38,901	39,467	13,010			91,378
वर्ष 2006-07 के दौरान	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041	2,42,945
वर्ष 2007-08 के दौरान			19,558	1,42,612	61,186	2,23,356

* इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-I) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 5006

** इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-II) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 11646

13 सितम्बर, 2006 से सीपीटी

13 सितम्बर, 2006 से पीसीसी

परिषद् की संरचना (2008-09)

परिषद् के सदस्य (2008-09)

अध्यक्ष	**निर्वाचित सदस्य**	
सीए वेद जैन	सीए अभिजीत बंद्योपाध्याय	कोलकाता
	सीए अक्षय कुमार गुप्ता	कानपुर
	सीए अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
	सीए अनुज गोयल	गाजियाबाद
उपाध्यक्ष	सीए अतुल चुन्नीलाल भेड़ा	मुम्बई
सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	सीए भावना दोशी	मुम्बई
	सीए चरणजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली
	सीए जी. रामास्वामी	कोयम्बटूर
	सीए हरिन्दरजीत सिंह	नई दिल्ली
अवधि	सीए जे. वेंकटेश्वरलू	हैदराबाद
5 फरवरी, 2008 से आगे	सीए जयंत गोखले	मुम्बई
	सीए जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
	सीए के. रघु	बंगलोर
	सीए के.पी. खण्डेलवाल	कोलकाता
सचिव	सीए महेश पी. शारदा	जामनगर
डॉ. अशोक हल्दिया	सीए मनोज फड़नीस	इन्दौर
(12 अगस्त, 2008 तक)	सीए पंकज इन्द्रचंद जैन	मुम्बई
	सीए प्रीति प्रदीप महात्मे	गोवा
	सीए राजकुमार एस. अदुकिया	मुम्बई
श्री टी. कार्तिकेयन	सीए एस. गोपालाकृष्णन्	हैदराबाद
(12 अगस्त, 2008 से आगे)	सीए एस. संथानाकृष्णन्	चेन्नई
	सीए संजीव माहेश्वरी	मुम्बई
	सीए शांति लाल डागा	हैदराबाद
संपरीक्षक	सीए सुबोध कुमार अग्रवाल	कोलकाता
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल	सीए सुनील एच. तलाटी	अहमदाबाद
सीए प्रमोद जैन	सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
	सीए वी. मुरली	चेन्नई
	सीए वी. सी. जेम्स	कोच्ची
	सीए वेद जैन	नई दिल्ली
	सीए विजय गर्ग	जयपुर
	सीए विजय कुमार गुप्ता	फरीदाबाद
	सीए विनोद जैन	नई दिल्ली
	नामनिर्दिष्ट सदस्य	
	श्री ए.के. अवस्थी	नई दिल्ली
	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
	श्री जितेश खोसला	नई दिल्ली
	श्री के.आर. महेश्वरी	जयपुर
	श्री मनोज के. सरकार	कोलकाता
	श्री ओ.पी. वैश	नई दिल्ली
	डा. प्रीतम सिंह	गुड़गांव
	श्री आर. शेखर	नई दिल्ली

संपरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान का 31 मार्च, 2008 को यथा विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण की संपरीक्षा की है । इसमें अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केन्द्रों, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखाओं को सम्मिलित किया गया है एवं हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी रिपोर्टों पर समुचित विचार किया गया है । ये वित्तीय विवरण, संस्थान के प्रबंध मंडल का दायित्व हैं । हमारा दायित्व अपनी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसार संपरीक्षा की है । इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्विक गलत कथन से मुक्त हैं । किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधारित जांच करना सम्मिलित है । संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है । हमारा यह विश्वास है कि हमारी संपरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है ।

3. हमारी यह भी रिपोर्ट है कि :-

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

(ख) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुसार हैं ;

(ग) हमारी राय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुपालन में समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं ;

(घ) हमारी राय में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

(ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पठित संलग्न अनुसूचियां और साथ ही विवरण और लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पणों को समग्र रूप से साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुपालन में, निम्नलिखित के संबंध में सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं :

(i) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2008 को संस्थान के मामलों की स्थिति की ;

(ii) आय और व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिशेष की ; और

(iii) नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण की ।

ह/-	ह/-
सीए प्रमोद जैन	सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358	सदस्यता सं.-82918

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 21 अगस्त, 2008

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2008 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

लाख रू. में

	अनुसूची		31.3.2008 को रकम		31.3.2007 को रकम
निधियों के स्रोत :					
आरक्षितियां और अधिशेष	I		17650.62		13427.49
उद्दिष्ट निधियां	II		6968.39		5294.53
योग			24619.01		18722.02
निधियों का उपयोजन :					
नियत आस्तियां :					
सकल ब्लोक	III	12325.29		10676.96	
घटाएं : अवक्षयण और परिशोधन		4247.17		3554.08	
शुद्ध ब्लोक			8078.12		7122.88
चालू पूंजी संकर्म (पूंजी अग्रिमों सहित)			1888.06		414.05
निवेश :	IV				
उद्दिष्ट निधि निवेश		6968.39		5294.53	
कर्मचारी फायदाप्रद निवेश		1631.56		1684.30	
अन्य निवेश		9322.86	17922.81	6652.25	13631.08
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम :					
वस्तु-सूचियां	V	718.82		385.48	
नकद और बैंक अतिशेष		1387.13		1513.37	
ऋण और अग्रिम	VI	1647.58		1410.07	
निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज	VII	2113.61		1249.35	
योग		5867.14		4558.27	
घटाएं : चालू दायित्व और प्रावधान					
चालू दायित्व	VIII	7422.03		5173.09	
कर्मचारियों के फायदों के लिए प्रावधान		1715.11		1831.17	
योग		9137.14		7004.26	
शुद्ध चालू आस्तियां (दायित्व)			(3270.00)		(2445.99)
योग			24619.01		18722.02
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	XII				
लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण	XIII				

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
संजय कुमार गर्ग	सीए अशोक हल्दिया	सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	सीए वेद कुमार जैन
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-	ह/-
सीए प्रमोद जैन	सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358	सदस्यता सं.-82918

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 अगस्त, 2008

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31.3.2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय और व्यय लेखा

	अनुसूची	रकम 31.3.2008 को समाप्त वर्ष	रकम 31.3.2007 को समाप्त वर्ष
आय :			
फीस	IX	13566.69	11420.33
संगोष्ठियां		1634.12	1179.32
अन्य आय		3257.66	2059.16
पूर्व अवधि की आय	X	9.86	14.22
योग		18467.60	14673.03
व्यय :			
वेतन और भत्ते		2201.46	3096.53
मुद्रण और लेखन सामग्री		2777.07	2161.20
संगोष्ठी संबंधी व्यय		1604.76	1075.66
अन्य प्रचालन व्यय		5726.66	4005.30
निर्वाचन व्यय	XI	-	150.14
अवक्षयण और परिशोधन		786.81	616.06
पूर्व अवधि के व्यय		24.06	21.71
योग		13123.16	11646.13
शुद्ध आधिक्य		5344.44	3026.90
निधियों/आरक्षितियों को विनियोग :			
शिक्षा निधि [पॉलिसी सं.3 (ग)]	XII	1730.49	1491.46
कर्मचारी कल्याण निधि [पॉलिसी सं.3(घ)]	XII	10.83	16.00
साधारण आरक्षिती		3603.11	2120.66
योग		5344.44	3026.90
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	XII		
लेखाओं का भाग बनने वाली टिप्पण	XIII		

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
संजय कुमार गर्ग	सीए अशोक हल्दिया	सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	सीए वेद कुमार जैन
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-	ह/-
सीए प्रमोद जैन	सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358	सदस्यता सं.-42916

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 21 अगस्त, 2008

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
नकद प्रवाह विवरण

	(रकम लाख रुपए में)			
	2007-2008		2006-2007	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
शुद्ध अधिशेष		5344.44		3628.90
निम्न के लिए समायोजन :				
अवक्षयण और परिशोधन	706.81		616.00	
निवेशों पर ब्याज	(1085.69)		(666.73)	
		(378.88)		(50.73)
कार्य पूंजी के परिवर्तन के पूर्व प्रचालन अधिशेष		4965.56		3578.17
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	(333.04)		(113.59)	
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज में (वृद्धि)/कमी	(864.56)		(500.98)	
ऋण और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(237.51)		(138.31)	
चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	2248.94		1084.87	
उपदान निधि के उपबंध में वृद्धि/(कमी)	(116.06)		172.83	
		697.77		507.82
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		5663.33		4085.99
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
चालू पूंजी संकर्म सहित नियत आस्तियों का अर्जन (शुद्ध)	(3136.06)		(1345.69)	
निवेशों का अर्जन	(4291.75)		(3133.16)	
निवेशों पर ब्याज	1085.69		666.73	
उद्दिष्ट निधियों के निवेशों से आय (संदायों को शुद्ध)	466.11		293.22	
संक्रमणकालीन प्रावधान	(295.13)		(118.76)	
पूंजी प्राप्तियां	381.57		312.59	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद		(5789.57)		(3325.27)
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/कमी		(126.24)		760.72
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य		1513.37		752.65
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य - अनुसूची सं. VI का संदर्भ लें		1387.13		1513.37

टिप्पण :

1. उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण को आईसीएआई द्वारा जारी एएस-3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है ।
2. संलग्न अनुसूची I से XIII नकद प्रवाह विवरण का अभिन्न भाग है ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
संजय कुमार गर्ग	सीए अशोक हल्दिया	सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	सीए वेद कुमार जैन
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-	ह/-
सीए प्रमोद जैन	सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358	सदस्यता सं.-82918

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 अगस्त, 2008

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची I
आरक्षितियां और अधिशेष

लाख रुपए में

	शिक्षा*		अवसंरचना		साधारण		अन्य *		योग	
	निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम	
	31.03.2008	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2007
प्रारंभिक अतिशेष	5529.35	4866.09	1465.90	1311.86	6275.81	4428.33	156.43	125.50	13427.49	10731.78
आय और व्यय लेखा से विनियोग	-	-	-	-	3595.11	2128.66	-	-	3595.11	2128.66
संक्रमणकालीन प्रावधान	-	-	-	-	(295.13)	(118.76)	-	-	(295.13)	(118.76)
साधारण आरक्षितियों, अवसंरचना आरक्षितियों और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण	-	-	35.49	21.30	(71.85)	(53.02)	36.06	31.72	-	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	824.17	663.26	30.39	-	(68.77)	(107.40)	(0.08)	(0.39)	785.73	555.47
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें	-	-	21.16	24.77	-	-	-	-	21.16	24.77
भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	-	110.88	107.97	-	-	-	-	110.88	107.97
शुद्ध (कमी)/परिवृद्धियां	-	-	-	-	-	-	5.36	(0.40)	5.36	(0.40)
योग	6353.52	5529.35	1663.84	1465.90	9435.47	6275.81	197.79	158.43	17650.82	13427.49

*टिप्पण : चालू वर्ष के दौरान पूंजी आरक्षिती- शिक्षा और पूंजी आरक्षिती - सामान्य की नाम पद्धति को परिवर्तित करके शिक्षा आरक्षिती और अवसंरचना आरक्षिती किया गया है ।

**टिप्पण : अन्य आरक्षितियां ऐसी आरक्षितियां हैं जैसे कि पुस्तकालय आरक्षितियां और शिक्षण कक्षाएं आरक्षितियां, जैसी कि ये क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं की बहियों में विद्यमान हैं ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची II
उद्दिष्ट निधियां

लाख रुपए में

	प्रारंभिक अतिशेष		आय और व्यय लेखा से विनियोग		आवर्तियों और अतिशेष से/(को) अंतरण		वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान/परिवृद्धि		वर्ष के दौरान आय		वर्ष के दौरान व्यय		समायोजन		योग	
	निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम	
	01.04.2007	01.04.2006	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	31.03.2008	31.03.2007
अनुसंधान निधियां	730.99	574.85	-	-	-	1.72	177.66	105.14	72.86	45.26	-	-	-	-	951.31	730.99
लेखाकन अनुसंधान भवन निधि	325.77	300.50	-	-	-	-	-	-	32.49	25.27	-	-	-	-	358.26	325.77
शिक्षा निधि	3413.78	2384.82	1738.50	1491.66	(824.17)	(963.26)	-	-	340.51	200.56	-	-	-	-	4068.62	3413.78
मेडल और पुरस्कार निधि	128.64	103.68	-	-	-	1.23	5.40	17.75	11.03	7.03	(5.75)	(2.68)	(0.25)	(0.30)	137.07	128.64
छात्रों की छात्रवृत्ति निधि	38.46	35.96	-	-	-	-	0.55	0.25	3.64	3.02	(0.94)	(0.77)	-	-	41.91	38.46
कर्मचारी कल्याण निधि	106.82	89.93	10.83	10.58	-	-	-	-	10.65	7.56	(7.85)	(1.26)	-	-	120.45	106.82
अन्य निधियां (क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं)	552.07	384.74	-	-	38.44	164.84	60.54	55.91	22.04	19.88	(12.32)	(13.30)	-	-	660.77	552.07
योग	5296.53	3874.49	1749.33	1502.24	(785.73)	(965.47)	244.15	180.05	493.22	311.60	(26.86)	(18.00)	(0.25)	(0.30)	6338.39	5296.53

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची III
नियत आस्तियां

लाख रुपए में

आस्तियां	सकल ब्लॉक				अवक्षयण और परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2007 को लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2008 को लागत	1.4.2007 तक	वर्ष के लिए	समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2008 तक	31.3.2008 को डब्ल्यू. डी. वी	31.3.2007 को डब्ल्यू. डी. वी
क. मूर्त आस्तियां										
1. भूमि - पूर्ण स्वामित्व	591.90	98.04	-	689.94	-	-	-	-	689.94	591.90
2. भूमि - पट्टाधृत स्वामित्व	3160.51	21.30	-	3181.81	99.28	39.52	-	138.80	3043.01	3061.23
3. भवन	2402.15	428.79	(0.87)	2830.07	594.22	94.40	(0.18)	688.44	2141.63	1807.93
4. विद्युतीय संस्थापन और फिटिंग	313.19	55.06	(1.42)	366.83	131.43	19.99	(0.66)	150.76	216.07	181.76
5. कंप्यूटर्स	1480.11	583.92	(3.30)	2060.73	1186.18	285.04	(1.88)	1469.34	591.39	293.93
6. वातानुकूलन	422.95	54.24	(4.53)	472.66	174.79	39.69	(4.01)	210.47	262.19	248.16
7. फर्नीचर और फिक्सचर्स	873.54	240.60	(7.92)	1106.22	325.29	65.43	(4.85)	385.87	720.35	548.25
8. लिफ्टें	101.65	6.75	-	108.40	43.52	5.98	-	49.50	58.90	58.13
9. कार्यालय उपस्कर	435.87	121.36	(2.91)	554.32	240.26	39.05	(2.10)	277.21	277.11	195.61
10. वाहन	47.24	1.07	(2.51)	45.80	23.75	4.31	(0.04)	28.02	17.78	23.49
11. पुस्तकालय पुस्तकें	397.43	44.14	-	441.57	397.43	44.14	-	441.57	-	-
ख. अमूर्त आस्तियां										
साफ्टवेयर	450.42	16.52	-	466.94	337.93	69.26	-	407.19	59.75	112.49
योग	10676.96	1671.79	(23.46)	12325.29	3554.08	706.81	(13.72)	4247.17	8078.12	7122.88
पूर्व वर्ष के आंकड़े	9350.45	1357.33	(30.82)	10676.96	2963.39	616.00	(25.31)	3554.08	7122.88	-

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची IV
निवेश

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31-03-2008 को	31-03-2007 को
क. दीर्घकालीन निवेश (लागत पर)			
बंधपत्र			
(i) भारत सरकार - 8% (कराधेय) बॉंड - 2003		4750.00	4750.00
अन्य			
(ii) अनुसूचित बैंकों में सावधि निवेश		4991.37	1802.00
ख. चालू निवेश			
अन्य			
अनुसूचित बैंकों में सावधि निवेश		8181.46	7079.08
	कुल निवेश	17922.83	13631.08
निम्नलिखित को आवंटित :			
उद्दिष्ट निधि निवेश		6968.39	5294.53
कर्मचारी कल्याण निवेश		1631.58	1684.30
अन्य निवेश		9322.86	6652.25
	योग	17922.83	13631.08

अनुसूची V
वस्तु सूचियां

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2008 को	31.03.2007 को
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री		689.14	335.86
अध्ययन सामग्री और प्रकाशन के लिए कागज		2.34	20.79
उपभोज्य भंडार		27.04	28.83
	योग	718.52	385.48

अनुसूची VI
नकद और बैंक अतिशेष

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2008 को	31.03.2007 को
हाथ में नकदी		9.64	9.64
बैंक में नकदी		1377.49	1503.73
	योग	1387.13	1513.37

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची VII
ऋण और अग्रिम (सुविचारित माल)

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2008 को	31.03.2007 को
ऋण और अग्रिम - कर्मचारिवृंद		251.51	243.99
कर्मचारिवृंद ऋण से वसूलनीय ब्याज		105.47	97.94
प्रतिभूति जमा		64.16	32.73
आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान		565.20	599.78
प्राप्य लेखे		231.28	202.73
अन्य - अग्रिम और पूर्व भुगतान		429.98	232.90
	योग	1647.58	1410.07

अनुसूची VIII
चालू दायित्व

लाख रुपए में

		रकम		रकम
		31.03.2008 को		31.03.2007 को
अग्रिम में प्राप्त फीसें				
परीक्षा फीसें	870.54		1312.17	
पत्रिका अभिदाय	73.80		49.98	
सदस्यता फीस	422.93		426.02	
दूरस्थ-शिक्षा फीस	3887.95		1779.52	
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम फीस	98.92		95.70	
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	4.80		10.23	
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यू टी ओ पाठ्यक्रम	4.56		7.05	
संगोष्ठी फीसें और अन्य संग्रहण (सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण सहित)	656.12	6019.62	106.17	3786.84
खर्चों के लिए क्रेडिटर्स		929.11		997.35
अन्य दायित्व		473.30		388.90
योग		7422.03		5173.09

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची IX
फीस

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	31/3/2008 को समाप्त वर्ष	31/3/2007 को समाप्त वर्ष
दूरस्थ - शिक्षा	6954.03	5966.64
परीक्षा	3317.35	2739.92
सदस्यता	1480.76	1425.07
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम	167.13	231.77
सामान्य प्रबंध और संचार कौशल	314.17	428.91
कोचिंग कक्षा आय (क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं)	385.99	301.90
बीमा और जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम	15.03	17.94
एसपीएस पाठ्यक्रम	105.67	-
एमएस-एनएवी पाठ्यक्रम	4.30	-
ओरेक्ल पाठ्यक्रम	2.20	-
छात्र पंजीकरण	427.76	171.57
सीएएटी पाठ्यक्रम	0.83	1.81
प्रवेश	7.65	10.50
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यू टीओ पाठ्यक्रम	11.61	13.30
छात्र संघ	372.10	116.00
योग	13566.60	11425.33

अनुसूची X
अन्य आय

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	31/3/2008 को समाप्त वर्ष	31/3/2007 को समाप्त वर्ष
प्रकाशन	554.15	567.03
निवेशों पर ब्याज	1,085.69	666.73
छात्र-न्यूजलेटर	11.94	6.52
पत्रिका से आय-अभिदाय	159.53	179.82
न्यूजलेटर्स	66.53	53.89
कंप्यूटर केन्द्र और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	376.63	49.12
कैंपस साक्षात्कार	529.11	355.62
विशेषज्ञ सलाहकार फीस	9.59	5.25
कर्मचारिवृंद ऋण पर ब्याज	16.43	14.80
अब अनापेक्षित प्रावधान प्रतिलिखित	18.13	1.37
आधिक्य पेंशन निधि प्रावधान प्रतिलिखित	288.46	-
अन्य	140.81	157.01
योग	3257.00	2059.16

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XI
अन्य प्रचालन व्यय

लाख रुपए में

	एकम	एकम
	3/31/2008 को समाप्त वर्ष	3/31/2007 को समाप्त वर्ष
डाक, टेलीफोन और तार	872.63	735.50
किराया दर और कर	455.13	400.37
यात्रा और वाहन - अंतर्देशीय	669.86	622.37
विदेशी संबंध		
- यात्रा	122.04	131.09
- विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	57.31	56.10
- अन्य व्यय	11.06	34.19
मरम्मत और अनुरक्षण	506.66	498.79
प्रकाशन	208.98	264.29
परीक्षकों, परामर्शियों और अन्यों को फीस और व्यय	1616.67	1115.21
सामान्य प्रबंध और संचार कौशल	204.12	253.08
कोचिंग कक्षा व्यय (क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं)	172.18	164.75
विज्ञापन	298.33	220.45
कार्यालय बैठक व्यय	82.93	48.97
कंप्यूटर केन्द्र और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	103.96	21.75
योग्यता छात्रवृत्ति	15.00	6.75
संपरीक्षा फीस		
- प्रधान कार्यालय	3.37	3.37
- अन्य कार्यालय	9.07	8.96
अन्य व्यय	317.45	299.31
योग	5728.55	4885.30

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XII

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर विवरण

I. लेखाकरण कन्वेशन

लेखा ऐतिहासिक लागत आधार पर बनाए गए हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा जब तक अन्यथा कथित न हो प्रोद्भवन आधार पर हैं ।

II. राजस्व मान्यता

क. सदस्यता फीस :-

(i) प्रवेश फीस, किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में प्रवेश के समय प्राप्त की जाती है और उसके एक तिहाई को आय के रूप में मान्यता दी गई है ।

(ii) वार्षिक सदस्यता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस को, जब वे देय हो जाएं, उसी वर्ष में मान्यता दी जाती है ।

ख. दूरस्थ-शिक्षा और अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम फीस को पाठ्यक्रम की अवधि में मान्यता दी जाती है ।

ग. परीक्षा फीस को परीक्षा संचालन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

घ. जर्नल के लिए अभिदाय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जब वह देय हो जाए ।

ङ. प्रकाशन के विक्रय से राजस्व को, विक्रय बिल तैयार किए जाने के समय मान्यता दी जाती है ।

च. निवेशों से आय-

(i) यूनिटों में निवेश पर लाभांश को प्राप्त करने की हकदारी के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

(ii) ब्याज धारित प्रतिभूतियों और सावधि जमा में ब्याज से आय को समय अनुपात आधार पर बाकी रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है ।

III. आरक्षिति और अधिशेष तथा उद्दिष्ट निधि को आबंटन/अंतरण

क. अध्येता सदस्यों से दाखिला फीस और सदस्यों के रूप में प्रविष्ट व्यक्तियों से प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग सीधे अवसंरचना आरक्षिति में चला जाता है ।

ख. भवनों और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त संदान सीधे अपने-अपने आरक्षिति लेखा में संगणित किए जाते हैं ।

ग. दूरस्थ-शिक्षा फीस का 25%, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50% से अधिक न हो, शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है ।

घ. वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता फीस का 0.75% (सहबद्ध और अध्येता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस) कर्मचारी कल्याणकारी निधि को आबंटित किया जाता है ।

ङ. निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षिती को अंतरण

(ii)	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से	लेखांकन अनुसंधान भवन से संबंधित नियत आस्तियों की लागत का 100%
(ii)	शिक्षा निधि से	अन्य नियत आस्तियों की परिवृद्धि (कटौतियों के शुद्ध) का 50% ।

घ. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों से आय, भारित औसत पद्धति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों को संबंधित उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेष पर आबंटित की जाती है ।

IV. स्थिर आस्तियां/अवक्षयण और परिशोधन

क. भूमि को छोड़कर नियत आस्तियां, अवक्षयण घटाकर ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं ।

ख. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि लागत पर वर्णित की जाती है । पट्टाकृत भूमि, पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए संदत्त प्रीमियम की रकम पर कथित होती है । इस प्रकार संदत्त प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया जाता है ।

ग. अवक्षयण, संबंधित आस्तियों के उपयोग जीवन के आधार पर परिकलित तथा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों से अवलिखित मूल्य पर प्रभारित किया जाता है :

भवन	5%
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
लिफ्ट, विद्युतीय संस्थापन, फर्नीचर और फिक्सचर	10%
वाहन	20%
कंप्यूटर	60%

घ. अभिवृद्धियों पर अवक्षयण मासिक यथानुपात आधार पर दिया जाता है ।

ङ. पुस्तकालय पुस्तकों पर क्रय वर्ष में अवक्षयण 100% की दर पर होता है ।

च. अमूर्त आस्तियां (साफ्टवेयर) तीन वर्षों में समान रूप से परिशोधित की जाती हैं ।

V. निवेश

क. दीर्घकालिक निवेश, लागत पर अवधारित किए जाते हैं और अस्थाई से भिन्न मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है ।

ख. चालू निवेश लागत या उचित मूल्य के निम्नतर पर वहन होते हैं ।

VI. वस्तु-सूचियां

कागज, उपभोज्य सामग्री, प्रकाशन और अध्ययन सामग्री की वस्तु-सूचियां लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित होती हैं । लागत का अवधारण फीफो रीति से होता है ।

VII. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क. विदेशी मुद्रा संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनमय दर की रकम पर विदेशी मुद्रा उपयोजित करके रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर अभिलिखित किए जाते हैं ।

ख. सभी आय और व्यय औसत दर पर निष्पादित होते हैं । सभी धनीय आस्तियां वर्षांत दरों पर निष्पादित होती हैं जबकि गैर-धनीय आस्तियां संव्यवहार की तारीख वाली दर पर निष्पादित होती हैं ।

ग. विनिमय दर अंतर के कारण किसी आय या व्यय को आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है ।

VIII. कर्मचारियों को फायदे

क. अल्पकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष में, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, बट्टा रहित रकम पर प्रभारित किया जाता है ।

ख. नियोजन पश्च और दीर्घकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिसमें कर्मचारी ने अपनी सेवा प्रदान की है । प्रभारित रकम को, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवधारित संदेय रकमों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है । नियोजन पश्च और अन्य दीर्घकालिक फायदों के संबंध में बीमांकिक अभिलाभ और हानियों को आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है ।

ग. संस्थान द्वारा रखे गए भविष्य निधि न्यास में अंशदान खर्च के रूप में माने जाते हैं ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटस संस्थान

अनुसूची XIII

लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 एक अवस्थान पर भवन के संबंध में संपत्ति/भवन कर के लिए विवादित रकम 35.42 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 30.79 लाख रु.) ।

1.2 संस्थान द्वारा विभिन्न पक्षकारों से दावों की बाबत 84.44 लाख रुपए जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए हैं (पूर्व वर्ष 83.24 लाख रु.) ।

2. अन्य टिप्पण

2.1 पूंजी वचनबद्धता (अग्रिमों का शुद्ध) की प्राक्कलित रकम 4985.31 लाख रुपए (पूर्व वर्ष - 951.39 लाख रुपए) ।

2.2 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में भूमि और विकास प्राधिकरण से नई दिल्ली में क्रय और अर्जित भूमि से संबंधित 6.17 लाख रुपए (पूर्व वर्ष - 6.17 लाख रुपए) जिसका रजिस्ट्रीकरण अभी कराया जाना है, सम्मिलित है।

2.3 भवन में, बड़ौदा शाखा भवन की लागत 8.77 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 8.77 लाख रुपए) शामिल हैं । शाखा परिसर का हस्तांतरण विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है क्योंकि शाखा ने स्टांप शुल्क में रियायत के लिए आवेदन किया हुआ है ।

2.4 ऋण और अग्रिमों में सम्मिलित हैं आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान को दिया गया 565.20 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 599.78 लाख रु.) का ब्याज मुक्त अग्रिम ।

2.5 भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के फायदे" संबंधी लेखांकन मानक - 15 (पुनरीक्षित) के अधीन अपेक्षित प्रकटन नीचे दिए गए हैं :-

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान को मान्यता दी जाती है अर्थात् भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान को वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है ।

परिभाषित कल्याण योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपदान निधि एक परिभाषित फायदा योजना है । बाध्यता के वर्तमान मूल्य को, अंतिम बाध्यता संगणित करने के लिए प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर अवधारित किया जाता है । छुट्टी नकदीकरण और पेंशन की बाध्यता को भी उसी आधार पर मान्यता दी जाती है, जो आधार उपदान के लिए है ।

संक्रमणकालीन प्रावधान

इस विवरण को अपनाए जाने के प्रथम दिवस, अर्थात् 01.04.2007 को संक्रमणकालीन दायित्व और ऐसे दायित्व के, जिसे उस तारीख को मान्यता दी जानी थी, बीच अंतर को पुनरीक्षण पूर्व लेखांकन मानक - 15 के अनुसार साधारण आरक्षिती और अधिशेष के अतिशेष के प्रति समायोजित किया जाता है, जो 295.13 लाख रुपए की रकम है । पुनरीक्षित लेखांकन मानक-15 द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार परिभाषित फायदा योजना की स्थिति निम्नानुसार है :

	उपदान (निधि पोषित)		छुट्टी नकदीकरण (गैर निधि पोषित)		पेंशन (बिना वितपोषण के) (गैर निधि पोषित)	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
परिभाषित फायदा बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान						
वर्ष के आरंभ में परिभाषित फायदा बाध्यता	600.58	495.43	754.81	678.61	1,224.62	1,168.90
चालू सेवा लागत	51.52	46.95	79.88	82.79	-	-
ब्याज लागत	46.40	36.96	58.60	36.31	97.83	64.27
बीमांकिक (अभिलाभ/हानि)	(14.32)	(15.76)	(148.04)	(6.04)	(467.24)	(7.64)
संदत्त फायदे	(41.15)	37.00	(43.16)	(36.76)	(3.40)	(0.71)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदे बाध्यता	643.63	600.58	704.13	754.81	851.81	1,224.62
योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान						
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	463.71	351.66	-	-	-	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	44.66	34.56	-	-	-	-
बीमांकिक (अभिलाभ/हानि)	3.94	2.80	-	-	-	-
नियोजक का अंशदान	82.39	83.31	-	-	-	-
संदत्त फायदे	(24.31)	(16.62)	(43.15)	(36.76)	-	-
वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	559.49	463.71	-	-	-	-
आस्तियों और बाध्यताओं के उचित						

मूल्य का समाधान						
31 मार्च, 2008 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	559.49	453.71	-	-	-	-
31 मार्च, 2008 को बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य-दीर्घकालिक	643.03	600.56	704.13	754.81	851.81	1,224.62
31 मार्च, 2008 को बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य-अल्पकालिक	-	-	75.64	-	-	-
31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई रकम	83.54	146.87	779.77	754.81	851.81	1,224.62
वर्ष के दौरान माने गए व्यय						
चालू सेवा लागत	51.52	46.95	79.86	62.79	-	-
ब्याज लागत	46.40	38.96	58.66	36.31	97.83	64.27
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(44.66)	(34.56)	-	-	-	-
बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(17.36)	34.19	(146.04)	(6.04)	(467.24)	(7.84)
अल्पकालिक दायित्व	-	-	75.64	-	-	-
शुद्ध लागत	35.90	85.54	68.12	113.06	(369.41)	56.43
बीमांकिक पूर्वानुमान						
नश्वरता सारणी	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्या	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्या	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्या	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्या	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्या	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्या
संनिघर्षण दर	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक
अधिरोपित ब्याज की दर	08.00% वार्षिक	08.00% वार्षिक	08.00% वार्षिक	05.50% वार्षिक	08.00% वार्षिक	05.50% वार्षिक
वेतन में वृद्धि	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक
योजना आस्तियों से	09.25% वार्षिक	09.00% वार्षिक				

आय	वार्षिक	वार्षिक				
शेष बची कार्यावधि	17.46 वर्ष	17.56 वर्ष	17.46 वर्ष	17.56 वर्ष	17.46 वर्ष	17.56 वर्ष
निवेश के ब्यौरे	100% निवेश एलआईसी में	100% निवेश एलआईसी में	779.77 *	567.96*	851.81*	1126.32 *

* निवेश संस्थान द्वारा किए जाते हैं।

2.6 राजस्व मान्यता के लिए लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के कारण छात्रों से दूरस्थ शिक्षा फीस की प्राप्ति में 715.73 लाख रुपए की कमी हुई है।

2.7 आय-कर के संबंध में छूट आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन निर्धारण वर्ष 2005-06 तक प्रदान की गई है। इस छूट के नवीकरण का आवेदन पत्र, कर प्राधिकारियों के विचाराधीन है। संस्थान का यह दृढ़ विश्वास है कि उसे उक्त छूट प्रदान की जाएगी। परिणामतः आयकर/आस्थगित कर आस्ति, दायित्व, सीमांत फायदा कर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया।

2.8 प्रकाशन और संगोष्ठी की गतिविधियों के केवल प्रत्यक्ष रूप से लक्षणीय खर्चों को क्रमशः इन आय शीर्षों पर प्रभारित किया गया है और इन गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष व्यय, व्यय के कृत्यकारी शीर्षों पर प्रभारित किए गए हैं।

2.9 पूर्व अवधि आय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

	2007-08 लाख रुपयों में	2006-07 लाख रुपयों में
अन्य	9.85	14.22

पूर्व अवधि खर्चों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

	2007-08	2006-07
मुद्रण और/लेखन सामग्री	—	3.62
दूरस्थ शिक्षा फीस	—	7.03
प्रकाशन व्यय	0.30	—
परीक्षा फीस	2.59	—
मरम्मत और अनुरक्षण	2.44	0.08
यात्रा और वाहन	1.23	—
वेतन और भत्ते	1.03	—
अन्य	16.41	10.98
योग	24.00	21.71

2.10 संस्थान मुख्यतः भारत में और एक कारबार खंड में प्रचालन करता है, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति को बढ़ावा देने।

2.11 जहां कहीं, पूर्व वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण से करना आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनः समूहबद्ध और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

टी. कार्तिकेयन, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./104/2008]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2008

(Chartered Accountants)

No.1-CA(5)/59/2008. – In pursuance of sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2008 is hereby published for general information.

59th Annual Report

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India (hereinafter referred to as the "Council") has immense pleasure in presenting its 59th Annual Report for the year ended 31st March, 2008. While highlighting through this Report, the important activities of the Council and its various Committees for the year 2007-2008, besides the accounts of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year 2007-2008, the Council also takes this opportunity to cover in this Report major initiatives, important events, statistical profile relating to members, students, details of seminars, conference, workshop, training programmes organised during the period upto the first week of July, 2008 especially in the context of one more milestone reached i.e. entering into its 60th year of existences, popularly known as the Diamond Jubilee Year, in its service to the Nation. On the occasion of the Diamond Jubilee year which is a national event and a historic occasion – an occasion to celebrate its stupendous growth and also an occasion to bask in the glory of profession, the Council resolved on this occasion to continue serving our nation and other stakeholders in the spirit of excellence and integrity. The Council, at the outset, commends the members and students for the respect which the Chartered Accountancy Profession commands today in the Society. This has been achieved by *excellence, independence* and *integrity* displayed by the members and students all along.

Since the inception of the ICAI on 1st July, 1949, by an Act of Parliament in 1949, the accountancy profession has grown by leaps and bounds in terms of membership and student base. Founded with just about 1,700 members, the Institute has grown to cross the mark of 1,45,000 members and 2,20,000 students as of now. During its glorious journey, the accountancy profession in India has passed through many crucial phases of restructuring, upgradation, value addition, diversification and global integration. With accounting having become the language of global business, today's professional is no longer seen as a 'bean counter' but a versatile tool of modern day business. Guided by the motto *"Ya Esa Suptesu Jagarti"* (one who is awake amongst those who are asleep), a member of the profession (CA) is increasingly being seen as a total business solution provider. The ICAI has been the standard bearer of the accounting profession over the 59 years and has been vigilant in ensuring that the training of accountants matches the best in the world. In this 60th year of its existence, it is highly satisfying to note that the leaders of our nation have all along acknowledged ICAI's contributions towards nation building.

The economic liberalisation, globalisation and information technology have unleashed plethora of opportunities and the accounting profession in India is taking every effort to make use of this opportunity in its entirety. Steps are underway to display that the knowledge the Indian accounting profession possesses reflect the impact of the new waves

of technological innovation and globalisation that are sweeping across the world. The Council also firmly believes that having a strong accounting profession is a key to having a strong financial infrastructure in a country and it directly reflects to the ability of that country and of individual companies within it to raise capital at a competitive cost. Towards, this, the ICAI has developed and enabled notification of Indian accounting standards incorporating the best *Indian accounting,* auditing and assurance standards *incorporating* the best international practice.

1. THE COUNCIL

The Twentieth Council composed of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government, was constituted on 5th February, 2007 for a period of three years. The composition of the Council for the year 2007-2008 is shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 and Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 (as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006) which are in force effective from 17th November, 2006, constituted on 5th February, 2008 four Standing, and various Non-Standing Committees to deal with matters concerning the profession. A Special Purpose Committee has also been constituted for the purpose of bringing out a Vision Document 2021. During the year ended 31st March, 2008, 153 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 155 meetings held during the year ended 31st March, 2007.

3. AUDITORS.

CA. Gurmeet S. Grewal, FCA and CA. Pramod Jain, FCA were the Joint Auditors of the ICAI for the financial year 2007-08. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee is responsible for the maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission, wherever required, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including opening of new Branches, opening of new Chapters and overseas offices and those connected with employees etc.

Some of the important recommendations made by the Committee during the period under Report to the Council are on matters relating to:

- Integrated Scheme of Education and Training of Chartered Accountancy – Course for Accounting Technicians
- Setting up of computer labs
- *Framing of Guidelines for training of Articled Assistants outside India*
- Draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 relating to articled assistants
- Introduction of regular classroom teaching for CA students.

- Form No. 118 - Change of status of the Principal – Format for furnishing particulars, if salaried employee leaves the employer but does not set up practice independently and is not entitled to train articled assistant
- Form No. 119 & 120 – Form for request by the articled assistant to his Principal for issuance of service certificate in event of completion of articles and termination of articles respectively.
- Suggestions on recommendations made by the Working Group to study student related matters
- Introduction of three months' residential Modular Programme on General Management, Personality Development and Communication Skills
- Scheme of revalidation of Registration of CA Students
- Creating Endowment Fund with the Netaji Subhas Open University, Kolkata for awarding the ICAI Gold Medal for standing First in the B.Com. examination.
- Proposal on holding Common Proficiency Test (CPT) examination twice a year
- Upward revision of verification fee of answer books of the Chartered Accountants Examinations
- Proposal on holding Information Audit Systems Assessment Test two times instead of four times in a year
- Setting up of Branches of Students' Association at Nashik, Jalgaon, Thane and Vasai in Western Region and at Guntur in Southern Region
- Open-ended General Amnesty Scheme for the Members for retrospective registration of membership
- Increase in fee for preparation of Duplicate Certificate/ Fellowship/CoP Certificate
- Constitution of Alternative Dispute Resolution Cell
- Formulation of draft framework of Corporate Affairs Standards
- Opening of Decentralised Office at Thane
- Setting up of Branches at Pimpri Chinchwad area and Amravati in Western Region and Aligarh in Central Region.
- Functioning of Branches of Regional Councils
- Revival of publishing the newsletter `Corporate Communique by the Committee for Members in Industry
- Introduction of E-newsletter for foreign members.
- Guidelines on formation of Committees by the Regional Councils.
- Review of Guidelines for acceptance of contributions for building projects of Branches of Regional Councils from members/non-members and naming the hall/premises after the names of such donors
- Revised guidelines relating to Functioning of Chapters outside India
- Revised procedure in the matter of consideration of the Report/s of Representative/s of the Council on outside body/ies and development of format of report/s
- Settling of terms of reference of the newly formed Committees of the ICAI and revision in the terms of reference of some of the existing Committees.
- Revision in scale of building grant to branches of Regional Councils
- Relaxation in norms for appearance in Final Examination under new scheme of education and training.
- Form `D' relating to entities willing to form Network with Indian CA Firms
- Increase in classified advertisements rates for 'The Chartered Accountant' Journal
- Procurement of alternate land offered by Rajasthan Government at Jaipur and construction of ICAI premises thereon.
- Setting up of a Chapter of the ICAI in Muscat, Sultanate of Oman and at New York, USA.

Some of the important decisions taken by the Committee during the period under Report pertain to:

- Approval of recommendation of the Board of Studies for increasing the present level of grant given to Branches for conducting one-day seminars for students of CA Course from Rs. 5,000/- to Rs. 10,000/- per programme
- Increase in grant for conducting Regional/Sub-Regional Conference for CA Students
- Increase in the period of granting daily allowances to out-station students for participating in All India/Regional level elocution/quiz contents
- Approval for grant payable to Regional Offices/Branches/Students Association for continuous Professional learning
- Approval for increasing the honorarium payable to technical reviewers of annual reports
- Appointment of an HR agency to study existing HR Practices in the ICAI
- Appointment of a consultant for banking sector facilitation
- Supply of blazers to the members
- Award of contract for construction of building at Sector 62, Noida
- Finalisation of MOU with Tally (India) Pvt. Ltd. for supply of software and imparting of training to members
- Entered into corporate agreement with different airlines for corporate ticket booking scheme
- Introduction of dress code for employees of ICAI
- Constitution of State Level Committees in relation to the Committee on Public Finance
- Strengthening faculty of Board of Studies with subject-wise focus
- Providing Education Officer/Counsellor for rendering counselling standardisation services to students
- Formulation of publication policy of the ICAI
- Increase in the number of scholarship for students belonging to SC/ST/OBC categories
- Telecast of lectures on various subjects for different courses through Gyan Darshan Channel
- Revision in the rates of honorarium payable for ISA examinations
- Formulation of guidelines for installation of plaques/stones/slabs in the Branches and Regional Councils vis-à-vis the occasion to be specified for the purpose
- Revision of Revenue Grant payable to Regional Councils and Branches on the basis of members covered by them

4.2 Finance Committee

This Standing Committee of the Council has come into existence by virtue of amendments made through The Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. Pending approval of the amendments in the Chartered Accountants Regulations proposed to the Central Government, the Committee would primarily discharge such functions as are earlier assigned to the Central Budget and Finance Committee and any other functions that may be assigned from time to time. Once the proposed amendments in the Regulations which have already been exposed for comments are finally approved, the functions of the Committee would include maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, control of funds, investments of funds, disbursements from the fund.

4.3 Examination Committee

The Chartered Accountants Final, Professional Education - II and Professional Education – I Examinations were held in November, 2007 in 162, 172 and 128 centres respectively in 105 cities all over the country in addition to those at Abu Dhabi, Dubai and Kathmandu and in May, 2008 Chartered Accountants Final and Professional Education – II examinations were held in 173 and 175 centres respectively spread over 105 cities in addition to those at Abu Dhabi, Dubai and Kathmandu. The Professional Competence examination (PCE) was held in November, 2007 in 74 centres and in May, 2008 in 129 centres. The Common Proficiency

Test (CPT) was held in August, 2007, November, 2007, February, 2008 and subsequently in June, 2008 in 203,196, 192 and 207 centres respectively in 112 cities in first three CPT examinations in addition to those at Abu Dhabi, Dubai and Kathmandu and in June, 2008 CPT examination was held in 111 cities in addition to those at Abu Dhabi and Dubai.

The total number of candidates who appeared in the Final, Professional Education - II, Professional Education - I Examinations and Professional Competency Examination held in November, 2007 were 23976, 48306, 1323 and 180 respectively and in May, 2008 the same were 25625, 33395 and 2713 (Professional Competence Examination) respectively. The total number of candidates who appeared in CPT held in August 2007, November, 2007, February, 2008 and subsequently in June, 2008 were 77691, 74130, 56307 and 76026 respectively.

Besides the aforesaid students' examinations, during the year, Assessment Tests of the Post Qualification Course in Information Systems Audit – Assessment Test (ISA-AT) were also held in the months of September, 2007, December, 2007 and June, 2008. Further, examinations of Management Accountancy Course (Part I) were held in November, 2007 and May, 2008 apart from the Corporate Management Course (Part I) and Tax Management Course (Part I) examinations, which were also conducted along with the students' examinations in May, 2008. The Post Qualification Course examination in Insurance and Risk Management was also successfully held in November, 2007 and May, 2008. The Post Qualification Course examination in International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL & WTO) was conducted in November, 2007 and also in May, 2008.

During the year under report, for the convenience of the candidates, the following facilities were continued to be provided:

- Examination centres were opened at Bellary, Rourkela and Tuticorin for the Chartered Accountants main examinations with effect from November, 2007 examinations.
- Examination application forms in the OMR format were continued for November, 2007 and May, 2008 examinations also and the admit cards bearing the candidate's scanned photograph and specimen signature were issued to the candidates. This obviated the necessity of issuance of the identity card to the candidates separately.
- Examination application forms were continued to be made available, besides at all the Regional offices of the ICAI and branches of the Regional Councils, at different locations in the metropolis of Delhi, Kolkata and Mumbai. Candidates were extended the facility of downloading the admit card from the website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by them in the OMR application form.
- Students residing in places where the Regional/decentralised offices of the ICAI were situated i,e, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Mumbai and Pune were offered the facility of submitting their application forms with late fee at the respective offices up to the last date of submission of application form with late fee.
- The results as well as the marks were also made available on the National Informatics Centre's website. Information pertaining to Merit List was also made available on the website simultaneously with declaration of results.
- Facility of downloading of the results as well as marks by the Regional offices of the ICAI and branches of Regional Councils was made available simultaneously with the declaration of results.
- Facility of registering requests in advance for ascertaining results on declaration was continued and candidates registering for the same were provided with their results

by e-mail immediately after declaration of results.

- Admit card through e-mail query was continued to be extended to the students for November, 2007 and May, 2008 examinations.
- Results of November, 2007 and May, 2008 examinations were continued to be made available on SMS mode.

The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka successfully conducted Information Systems Audit (ISA) Assessment Tests in September, 2007 and March, 2008 with the technical expertise and support of the ICAI.

4.4 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the ICAI. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon prima facie opinion, during the year 1st April, 2007 to 31st March, 2008 this Committee held sittings on 11 occasions for a period spanning 21 days and at venues covering the various regions of the country. During the year, the Committee concluded its enquiry in 49 cases, which included cases, referred to it in previous years.

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board

Responding to the need for sound and reliable financial reporting system in a country, countries the world over have been formulating Accounting Standards to be followed in the preparation and presentation of general purpose financial statements. In India, formulation of Accounting Standards is undertaken by the ICAI, the apex accounting body of the country. The Accounting Standards Board (ASB) constituted by the ICAI in 1977 specifically works in this direction. Since its inception, ASB has been working relentlessly towards bringing an overall qualitative improvement in the financial reporting system of the country by formulating new Accounting Standards as well as revising existing Accounting Standards from time to time with the objective of bringing them in line with the International Accounting Standards (IASs)/International Financial Reporting Standards (IFRSs) issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The Board also issues various Announcements so as to provide guidance on issues pertaining to implementation of Accounting Standards for uniform application of Accounting Standards.

The Accounting Standards formulated by the ICAI were granted legal recognition in October, 1998 with the insertion of Section 211(3A), (3B) and (3C) in the Companies Act, 1956. As per Section 211(3C) of the Companies Act, Accounting Standards issued by the ICAI may be prescribed by the Central Government in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS) and as per proviso to the Section 211(3C), till the notification of the Accounting Standards by the Government, Accounting Standards issued by the ICAI are required to be followed by companies. In the year 2006, Accounting Standards 1 to 7 and 9 to 29 have been prescribed by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 vide its notification dated December 7, 2006 in the Gazette of India, to be effective in respect of accounting periods commencing on or after the publication of these Accounting Standards (i.e., December 7, 2006).

With the present times being characterised by globalisation and businesses the world over seeking to expand and diversify their operations, users of the financial statements of an entity are no longer restricted to a single country. Therefore, a call for a single set of globally accepted and high quality Accounting Standards has often been recognised. The

IASs/IFRSs being issued by the IASB are increasingly being recognised as Global Reporting Standards and many countries are either adopting or adapting IASs/IFRSs. Though the Accounting Standards issued by the ICAI are primarily based on IASs/IFRSs, in certain cases the Accounting Standards have departed from IASs/IFRSs in view of legal and regulatory requirements and economic conditions prevailing in the country. Therefore, to be in league with the current global movement towards IFRSs and India being an important emerging economy, the ICAI recognised the need for convergence with IFRSs. Convergence among other things would help Indian entities to raise capital from abroad at a low cost and enable the Chartered Accountants to be benefited due to increased opportunities abroad for Indian professionals. Accordingly, to achieve total convergence with IFRSs, ASB constituted a Task Force in the year 2006 to explore the approach for convergence with IFRSs, and laying down a road map for achieving convergence with IFRSs so as to make India IFRS-compliant. The Task Force prepared a Concept Paper, which was accepted by the ASB and the Council. The principal recommendation in the Concept Paper is convergence with IFRSs for the public interest entities such as listed entities, banks and insurance entities and large-sized entities from the accounting periods beginning on or after 1st April, 2011, subject to its confirmation by the government and other regulatory bodies. For implementation of this decision, the ASB has constituted a Group on Implementation of Convergence with IFRSs to carry out various functions for smooth transition to IFRSs from 2011.

The Group has further constituted four Sub-groups for preparing the work plan of ASB and liaising with the IASB, for approaching the government and regulatory authorities, for liaising with the Industry Associations and for providing education and training on IFRSs to get the members ready for convergence. All the Sub-groups have started functioning. Further, ASB has prepared a work plan to ensure that India becomes IFRS- compliant even before 1st April, 2011 for substantial number of IFRSs. In this regard, the ASB has identified 18 IASs/IFRSs on the basis of differences with Indian ASs and their importance in Indian environment, for issuing Indian-equivalents to above IAS/IFRS within next two years or so.

Moving in this direction, during the period, the ICAI through the ASB has issued Accounting Standard (AS) 30, *Financial Instruments: Recognition and Measurement* and *Financial Instruments: Presentation,* and consequential limited revisions to 8 Accounting Standards, viz., AS 2, AS 11 (revised 2003), AS 21, AS 23, AS 26, AS 27, AS 28 and AS 29. Both AS 30 and AS 31 are totally convergent with the corresponding IASs, viz., IAS 39 and IAS 32. Limited Revision to Accounting Standard (AS) 15, *Employee Benefits* (revised 2005), amending the Transitional Provisions of the Standard on lines of IAS 19, has also been issued during the period. Further, Revised Accounting Standard (AS) 10, *Property, Plant and Equipment* along with consequential Limited Revision to Accounting Standard (AS) 2, *Valuation of Inventories,* Revised Accounting Standard (AS) 12, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance,* and new Accounting Standard (AS) 32, *Financial Instruments: Disclosures* along with consequential Limited Revision to Accounting Standard (AS) 19, *Leases* are also to be issued shortly which will be fully converged with corresponding IFRSs. In addition to this, Limited Revision to Accounting Standard (AS) 29, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* will be issued soon.

A brief overview of other activities of the ASB during the period under report is as follows:

5.1.1 Constitution of Task Force for Accounting for Emission Rights

In the recent times, many Indian companies have started earning significant amounts from carbon trading (emission rights). However, despite its gaining importance, no authoritative pronouncement on accounting for emission rights exists at present. Keeping in view the

growing importance of the subject from the Indian *perspective*, ASB *constituted* a Task Force in November, 2007 to develop a proposed Accounting Standard. In this endeavour, ASB has offered to collaborate with the International Accounting Standards Board which has recently taken up this project on its Agenda.

5.1.2 Issuance of Announcements

The ASB has formulated the following Announcements during the period, which were issued under the authority of the Council:

- Withdrawal of the Announcement issued by the Council on 'Treatment of exchange differences under Accounting Standard (AS) 11 (revised 2003), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates vis-à-vis Schedule VI to the Companies Act, 1956'
- Option to an entity to adopt alternative treatment allowed by way of amendment to the Transitional Provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits (revised 2005)
- Withdrawal of Announcement on 'Accounting for exchange differences arising on a forward exchange contract entered into to hedge the foreign currency risk of a firm *commitment* or a highly *probable forecast* transaction'
- Harmonisation of various differences between the Accounting Standards issued by the ICAI and the Accounting Standards notified by the Central Government
- Accounting for Derivatives

5.1.3 Contribution to the International Accounting Standards Board (IASB) Activities and responding to International Developments

In order to participate in the developments taking place internationally and IASs/IFRSs forming a basis for formulation of Accounting Standards, the ASB interacts with the IASB at various levels, such as,

- Sending comments on various draft IFRSs or other draft pronouncements of IASB.
- Active participation in the meetings of the World Standard-Setters and Regional Standard-Setters with the IASB.
- *Contribution* in the discussion on *various on-going projects* of the IASB.

During the period, moving in the direction of convergence, the Chairman and the Secretary, ASB, *attended* the World *Standard-Setters* Conference, organised by the IASB on *September* 24 and 25, 2007 at London, whereat the Chairman, ASB, made a presentation on convergence with IFRS in India – Plans and Challenges, which was very well received. Countries comprising those that have already converged with IFRSs, those that have announced convergence and those that are planning to converge too shared their experience with regard to convergence.

Another meeting of National Standard-Setters meeting held on September 23, 2007 at London was attended by the Chairman and the Secretary, ASB. At the meeting, apart from other research papers, an approach paper on accounting for rate-regulated entities was presented by India and Canada.

A Regional Standard-Setters meeting with IASB team, Sir David Tweedie, Chairman (IASB) and Mr. Warren McGregor, Board Member was held on March 27, 2008, at New Delhi. The representatives of countries from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka participated. The focus was on apprising IASB about the status of convergence with IFRSs in India and to take up issues of concerns of the countries of South Asian Federation of Accountants (SAFA) Region with IASB.

A team from Accounting Standards Board of Japan including, Mr. Hiroshi Endo, Managing Director of the Financial Accounting Standards Foundation (FASF), visited ICAI in March, 2008 and the two boards shared their experiences in adoption of IFRSs and aspired to work closely for adoption of IFRSs. A team from the European Commission-Internal market led by Mr. Pierre Delsaux, Director also visited ICAI on 7th March, 2008 and discussed ICAI's plans for adoption of IFRSs. They are expected to consider the Indian ASs under their IFRS-equivalence mechanism.

5.1.4 Interaction with National Advisory Committee on Accounting Standards

The NACAS considered revised Accounting Standard (AS) 12, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance,* formulated by the ICAI during the period. Suggestions made by the NACAS were considered by the ASB and addressed in an appropriate manner to the satisfaction of the ASB.

5.1.5 Interaction with Regulatory Bodies

Being the premier accounting body, the ICAI through ASB interacts with various regulatory bodies from time to time in order to express its views on various accounting matters.

In addition to the above, during the visit of IASB team to India in March 2008, meetings were held with the officials of the Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Finance to discuss their views with regard to convergence with IFRSs.

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

Recognising the need for a single set of high quality financial reporting standards for Local Bodies in view of more and more local bodies shifting from cash basis to accrual basis of accounting, the Council constituted an independent Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) in March, 2005 with the main objective of formulating Accounting Standards for Local Bodies on accrual basis.

The composition of the CASLB is fairly broad-based and ensures participation of all interest-groups in the standard-setting process. Apart from the members of the Council, the CASLB comprises the representatives of the Ministry of Urban Development, Comptroller and Auditor General of India, Controller General of Accounts, National Institute of Urban Affairs, Ministry of Panchayati Raj, Directorates of major Local Bodies, Directorates of Local Fund Audit Departments, Academic Institutions and other eminent professionals co-opted by the ICAI.

Apart from formulation of Accounting Standards for Local Bodies, the Committee also takes steps in facilitating improvement in accounting methodology and systems of local bodies, and acts as a forum to receive feedback from Local Bodies regarding problems faced by them in the adoption of accrual accounting and in application of the Accounting Standards as set out in its Preface to the Accounting Standards for Local Bodies.

While formulating Accounting Standards for Local Bodies, the CASLB gives due consideration to the International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) prepared by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) of the International Federation of Accountants (IFAC) and tries to integrate them, to the extent possible, with a view to facilitate global harmonization.

During the period under Report, the Committee has issued the exposure drafts of two proposed Accounting Standards for Local Bodies on 'Revenue from Exchange Transactions' and 'Borrowing Costs' inviting public comments by July 31, 2008.

The draft 'Framework for the Preparation and Presentation of Financial Reports by Local Bodies' is being finalised for its public exposure on the basis of the comments received on its limited circulation among the specified outside bodies and the Council members of the ICAI. The draft Framework sets out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements and would assist the Committee in the development of future Accounting Standards for Local Bodies. The draft of the proposed Accounting Standard for Local Bodies on 'Presentation of Financial Statements' is being finalized for its limited circulation among specified outside bodies and the Council members. The CASLB has also undertaken many other projects for preparation of Accounting Standards for Local Bodies corresponding to International Public Sector Accounting Standards.

The Committee is proposing to hold the workshops/seminars for end users with a view to create awareness among them on the benefits of the reforms in financial reporting system. The Committee is also proposing to hold the workshops for Chartered Accountants for creating awareness among them on the opportunities as a result of the reforms process being followed by Local Bodies.

The ICAI is a member of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) and is also represented on its various Sub-Committees formulated from time to time by GASAB. The representatives of the ICAI participated in the meetings of GASAB held during the year and contributed to the technical activities of the Board. The CASLB prepares comments on drafts at various stages prepared by GASAB.

5.3 Auditing and Assurance Standards Board

One of the primary goals of the ICAI has always been to develop and promote high quality auditing standards. Auditing standards are framed to ensure probity, integrity and quality in the professionals' work, essential for ensuring the confidence of the society in the financial information being reported by the business enterprise. Established formally in September 1982, the Auditing and Assurance Standards Board (AASB), one of the non-standing Committees of the ICAI, is entrusted with the critical task of formulating and issuing high quality standards dealing with auditing, review, other assurance, quality control and related services, which represent a codification of the best practices in the field of auditing in the country and are, therefore, mandatory in nature. While developing these Standards, the Board takes into consideration, the requirements of the corresponding International Standards issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of IFAC as well as the applicable laws, customs, usages and business environment prevailing in India.

In addition to the Standards, the Board also formulates and issues Guidance Notes, under the authority of the Council. Guidance Notes are generally designed to address the issues faced by the auditors in implementing the auditing standards. Guidance Note may be generic in nature or may be industry specific. The Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers under its own authority for the guidance of the members. To provide guidance in implementation of Standards on Auditing (SAs) issued under the Clarity Project, the Board is also bringing out Implementation Guide to the Standards issued under the Clarity Project.

The achievements of the Board are:

Engagement & Quality Control Standards

- ***Quality Control Standards***
  Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements"

- ***Engagement Standards***
  30 Standards on Auditing, including 4 Standards under the Clarity Project and 3 General Clarifications

  - 1 Standard on Review Engagements
  - 1 Standard on Assurance Engagements
  - 2 Standards on Related Services

- ***Statements on Auditing and Guidance Notes***

  - 2 Statements
  - 32 Guidance Notes on auditing issues, as given in the Handbook of Auditing

- ***Pronouncements***

- ***Industry Specific Guidance Notes***

  - Audit of Banks (Revised 2008 edition)
  - Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges
  - Audit of Companies Carrying on General Insurance Business
  - Audit of Companies Carrying on Life Insurance Business

- ***Other Publications (Non – authoritative)***

  - A Study on Money Laundering: An Accountant's Perspective
  - Practitioner's Guide to Audit of Small Entities
  - Booklet on "What is an Audit – Understanding an Audit of Financial Statements"
  - Background Material for Training Programmes
  - Implementation Guide to SQC 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements"

5.3.1 The Year 2007-08

During the year, there were seven meetings of the Auditing and Assurance Standards Board totaling 10 days of full Board deliberation. The Board, as a top priority, has taken on the ambitious project of convergence with the International standards. As a first step towards convergence, it had, after going through its rigorous due process, in July 2007 published the "Revised Preface to Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services". The Revised Preface, applicable from April 1, 2008, is set to change the face of the auditing literature from what it is now, introducing some more fundamental concepts from the existing ones. The new Standards to be issued by the AASB in the future would be collectively known as Engagement Standards and would comprise of Standards on Auditing (SAs), Standards on Review Engagements (SREs), Standards on Assurance Engagements (SAEs) and Standards on Related Services (SRSs). The Preface also necessitates categorization of standards on the basis of the specific aspect of audit that they

dealt with and accordingly allotted the number from that category. The Preface also provides that the Standards on Auditing, issued as per the Clarity Project, would now be divided into two sections, one, the Requirements Part containing the fundamental principles of the Standard, therefore mandatory in nature and second, the Application Guidance and Appendices, detailing the implementation aspects of the principles not intended to impose a requirement. The Preface also contains Due Process detailing procedures whereby the Standards/ Statements/ Guidance Notes etc., would be issued by the Board. The aim of such formal and detailed due process is to strengthen transparency, enhance objectivity and fix accountability, and therefore more rigorous in nature. To ensure participation from all the interested groups, the new Due Process provides that apart from the elected members of the Council, the following are also represented on AASB:

- Eminent members of the profession, whether in industry or in practice, as co-opted members on the Board.
- One special invitee each from three regulatory bodies, viz., the Securities and Exchange Board of India, the Reserve Bank of India and the Insurance Regulatory and Development Authority.
- One special invitee from the Indian Institute(s) of Management, or from any other prominent academic and/or research organisation, as considered appropriate.
- One special invitee from a prominent industry association.
- One special invitee representing public interest, e.g., not for profit organization, etc.

The new Due Process also provides that the public observers can attend such part of the AASB meeting whereat the Exposure Draft of proposed Standard/ Statement and the comments thereon are to be discussed, at their own expenditure. The new Due Process also specifically requires the attendance of at least two thirds of the AASB members, in person or by simultaneous telecommunication link, at the AASB meetings whereat a Standard or Statement, at whatever stage is proposed to be considered. The documents issued by the Board during the year are as follows:

- ***Framework for Assurance Engagements***

  The Revised Framework lays down concepts for the performance of assurance engagements by applying Standards on Auditing (SAs), Standards on Review Engagements (SREs) and Standards on Assurance Engagements (SAEs). The Framework acts as a one stop reference in case of a doubt.

- ***Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements"***

  It is a mother Standard for all other Standards and is all pervasive Standard in respect of quality control. The Standard is recommendatory from April 1, 2008 and mandatory from April 1, 2009. As the name suggests, the SQC 1 contains extensive requirements in relation to establishment and maintenance of a system of quality control (QC) in the audit firms including sole practitioners. The elements of a system of quality control are Leadership Responsibilities for Quality Within the Firm; Ethical Requirements – Independence; Acceptance and Continuation of Client Relationships and Specific Engagements; Human Resources – Assignment of Engagement Team; Engagement Performance – Consultation, Differences of Opinion, Engagement Quality Control Review; Monitoring; and Documentation of the Engagement Quality Control Review – Engagement Documentation.

- ***Standard on Auditing (SA) 240, "The Auditor's Responsibility Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements"***
  The Standard adopts a risk-based approach to auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statements. It, therefore, explains how the principles enunciated in SA 315, "Identifying and Assessing Risks of Material Misstatement Through Understanding the Entity and Its Environment" and SA 330, "The Auditor's Response to Assessed Risks" would be applied in case of consideration of fraud in an audit of financial statements. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2009.

- ***Standard on Auditing (SA) 300, "Planning an Audit of Financial Statements"***
  This Standard on Auditing (SA) deals with the auditor's responsibility to plan an audit of financial statements. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2008.

- ***Standard on Auditing (SA) 315, "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement Through Understanding the Entity and Its Environment"***
  The Standard deals with the auditor's responsibility to obtain an understanding of the entity and its environment and using that understanding to identify and assess the risks of material misstatement at the financial statement level and assertion level. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2008.

- ***Standard on Auditing (SA) 330, "The Auditor's Responses to Assessed Risks"***
  The Standard deals with responses to the risks of material misstatement identified and assessed by the auditor in accordance with SA 315 at the financial statement level and assertion level. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2008.

- ***Booklet on "What is an Audit – Understanding an Audit of Financial Statements"***
  It is a compact publication explaining the genesis of audit, importance of financial reporting, myths associated with audit, inherent limitations of an audit *vis a vis* detection of frauds, etc. To create an awareness amongst the users of the audit report, the Brochure also aims to explain in a simple language the significant aspects of an audit report dealing with the responsibilities of the management and the auditor, and the various types of opinions used in an audit report. The Brochure, however, also clearly crystallizes the expectations from the users of the audit report.

- ***Practitioner's Guide to Audit of Small Entities***
  The Guide is a step-by-step approach to audit of small clients which display the peculiarities listed in the Guide. The Guide is based on "model working papers" format beginning from engagement acceptance, administration of audit, planning and control, working papers, balance sheet items, items of the profit and loss account. The Guide also contains checklists for Auditing and Assurance Standards, disclosures relating to investments, illustrative letters of confirmation of inventories held by others, confirmation of accounts receivables, and disclosures under Accounting Standards.

- ***Guidance Note on Audit of Banks (revised 2008 edition)***
  The revised 2008 edition of the Guidance note has been divided into four distinct parts. Part I contains chapters dealing with the information about the banking industry, its

legal framework, accounting and auditing framework. This Part also contains chapters on significant financial statement items, their presentation in the financial statements, relevant RBI guidelines, etc. The second part of the Guidance Note has been devoted to the basic audit considerations in branch office *vis à vis* head office, audit procedures for each of the *financial statement* item *discussed* in Part I. Part III and IV *contain* guidance on head office/ branch office LFAR and special aspects such as Ghosh and Jilani Committee requirements, SLR certification, etc., respectively.

- ***Background Material for Training Programmes***

  The Background Material follows user-friendly approach in explaining the various auditing standards and is divided into five parts. The first part, Introduction, gives a brief insight to the readers into the history and nature of auditing, importance of auditing standards, framework for assurance engagements, etc. The second part, Presentations, contain snap shots of the fundamental principles contained in the Auditing and Assurance Standards along with some notes illustrating the application of the Standards. The third part of the Background Material contains illustrative documentation requirements culled out from the various AASs. The fourth part of the Background Material contains case studies and technical posers and Part V contains the text of the new Standards on Auditing which have become effective this year.

- ***Implementation Guide to SQC 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements"***

  This Guide strengthens the technical knowledge enshrined in Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" to pave way for easier implementation and greater acceptance. It provides a set of illustrative policies that an audit firm may adopt, with or without modification. This Guide also encourages the firms to tailor their QC policies to make them relevant according to their size, composition, number and nature of employed or contracted professionals, services rendered, kind of clientele, etc.

- ***Exposure Drafts***

  The Board has also issued the Exposure Drafts of the following Standards on Auditing (SAs) under the Clarity Project for public comments:

  - Standard on Auditing (SA) 250 (Revised), "The Auditor's Responsibilities relating to Laws and Regulation in an Audit of Financial Statements"
  - Standard on Auditing (SA) 260 (Revised), "Communication with Those Charged with Governance
  - Standard on Auditing (SA) 530 (Revised), "Audit Sampling"
  - Standard on Auditing (SA) 570 (Revised), "Going Concern"
  - Standard on Auditing (SA) 580 (Revised), "Written Representations"
  - Standard on Auditing (SA) 600 (Revised), "Special Considerations – Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)"

- ***Projects under progress***

  In addition to these, the Board has also undertaken several other projects and has made significant progress on a number of projects under its current work programme.

5.3.2 Other Initiatives and Development

- ***Interaction with Regulatory Bodies***

  The Board periodically interacts with the regulators and other Government institutions such as, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Comptroller and Auditor General of India (C&AG), etc., to cull out the auditing issues. Further to this, from 2008 onwards, as per the new Preface, the composition of the Board will also include one special invitee from each of the three regulatory bodies, *viz*, SEBI, RBI, IRDA, which will facilitate the Board to present the auditing issues to these regulatory bodies more effectively.

- ***Contribution to the IAASB Activities and Responding to International Developments***

  In India, since Standards on Auditing are formulated on the basis of IAASB documents as aforementioned, the AASB interacts with the IAASB at various levels. In March 2008, the representatives of the ICAI attended the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) National Standard Setters (NSS) meeting at Paris and presented their views. The representatives apprised the developments made in India with respect to convergence with the International Standards and the challenges faced in the process.

- ***Creating Awareness and Capacity Building***

  The Board circulated the booklet "What is an Audit – Understanding an Audit of Financial Statements" to more than 5,000 organisations for highlighting the role of auditing. Apart from hosting on the website of the ICAI and publishing in the ICAI's journal about recent developments, the Board has also been regularly sending letters to the Regional Councils and the branches of the ICAI. Further, the Board has released the publication, "Background Material for Training Programmes", which can not only be used by individual members sitting in their office in obtaining an understanding of the Standards in a simple and lucid manner but can also be used in the CPE programmes of the ICAI for training purposes. In addition to this, the AASB, in co-ordination with Continuing Professional Education Committee (CPE), has organized a 'Conclave of Audit Professionals' on June 27, 2008 at New Delhi. The theme of the Conclave included the topics - Convergence of Indian Auditing and Assurance Standards with International Auditing Standards, Risk Based Audits-Recent Trends, and How to improve the quality of the firms including implementation of Standard on Quality Control (SQC) 1 within the firm.

- ***Future Strategy and Work Program***

  The Board will continue to pursue its ambitious project of convergence next year with full force. The Board has chalked out a detailed timetable for this purpose and has also constituted Group to develop a Strategy Paper on Convergence. Further, in setting its Agenda for the next year, the Board would appropriately balance the need to develop internationally benchmarked auditing standards as well as to develop technical literature for providing guidance on other emerging topics to the members. In addition to this, the Board will also prepare strategy for creating awareness about auditing standards in India amongst the members. For this purpose, the Board has made out detailed plans to organize seminars/training programs/workshops/conclave on auditing standards.

5.4 Research

Research provides a crucial foundation on which any profession may grow and prosper. The ICAI, since its inception, has been committed to research in the field of accountancy. In

order to deal with the growing complexities of the problems faced by the members of the ICAI at large and with a view to ensuring the highest of traditions and technical competence in the discharge of the duties by chartered accountants, the Council at its 17th meeting held in 1955 constituted Research Committee as a Non-Standing Committee. Since its inception, the Research Committee has been working relentlessly to provide guidance to the members of the ICAI in various areas of professional interest particularly, accounting and auditing. The objective of the Committee is to create a world-class knowledge base into the working of the accounting profession.

5.4.1 Mission and Objectives

The primary objective of the Research Committee is to conduct research in the field of accounting and other affiliated fields and to provide recommendations on generally accepted accounting principles and practices designed to enhance the value of services rendered by the profession. The Committee formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council. The Committee has also been prompt in responding to the need for accounting guidance on contemporary issues, which arise due to amendments in laws and other developments related to economic reforms in the country. It also brings out other publications in the form of research studies, technical guides on accounting and auditing in specific industries, etc., with a view to provide guidance to the members of the ICAI in discharge of their professional duties. The Committee also conducts a competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' annually, with a view to encourage improvement in the presentation of financial statements in the country.

5.4.2 Guidance Notes and other Research Publications

During the period under Report, the Committee released two publications viz., Checklist for Disclosures Under Accounting Standards and Study on Methods in Special Audits and Investigations.

The *'Checklist For Disclosures Under Accounting Standards'* provides ready reference to all the pronouncements issued by the ICAI from time to time by way of accounting standards, interpretations, announcements and guidance notes on accounting.

The *'Study on Methods in Special Audits and Investigations'* primarily focuses on unconventional methods of auditing that can be applied in special audits and investigations under various situations. Among others, one of the objectives of special audit may be detection of errors (intentional as well as unintentional) and frauds, if any. Usual and routinely followed methods may not suit such assignments. Thus, the application of unconventional methods of audit may help the auditor to accomplish his objective in a better way. This publication seeks to infuse fresh ideas in application of audit tests. It emphasises on different tests to facilitate audit sampling, data validation, sharpen and make certain conventional tests more penetrative and to effectively test internal control system. All these methods have been illustrated with the aid of case studies. The auditors of financial statements may also use such techniques wherever they consider it appropriate.

Besides the above, the Committee also took up the task of preparation of Technical Guide on Accounting for Micro-Finance Institutions (MFIs). The objective of this Technical Guide is to provide an insight into the operational aspects of MFIs as well as suggest accounting and financial reporting framework for standardizing the diverse accounting practices followed by various MFIs. The Technical Guide has been drafted and it will be released shortly.

5.4.3 Important Projects in Progress

Apart from the projects completed during the year, the Research Committee has also

undertaken a number of projects on certain new topics of relevance identified by it for the purpose. The objective is to provide guidance to the members on various emerging issues in the area of accounting, etc. The Committee has taken up the task of issuing guidance in the emerging areas like Revenue Recognition for Software, Revenue Recognition for Telecommunication Companies, Revenue Arrangements with Multiple deliverables, Accounting for Service Tax and issues not specifically covered by the Accounting Standard (AS) 14, 'Accounting for Amalgamations'. The Committee also felt that due to amendments in laws and other developments in the economy of the country there is a need to revise the existing publications. Accordingly, the Committee has commenced the process for revision of existing Guidance Notes and Studies issued in the past. It includes Revision of Guidance Note on Accounting Treatment for MODVAT/CENVAT', Revision of Guidance Note on Treatment of Expenditure during Construction Period, Revision of Technical Guide on Accounting in Not-for-Profit Organisations and issuance of the same as Guidance Note and Revision of Studies like Study on Share Valuation, Study on Project Appraisal – Requirements of Indian Financial Institutions.

5.4.4 ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting

In order to recognise and encourage excellence in presentation of the financial information, the ICAI, through its Research Committee, has been holding an annual competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting'. This prestigious Competition propagates that financial reporting should be committed to the canons of accountability, transparency, integrity, reliability, timeliness and social responsibility. The Competition for the year 2006-07 was held under seven categories based on functional classification of various industries. Category I covered Manufacturing and Trading enterprises (including processing, mining, plantations, oil and gas enterprises). Category II covered Finance sector (including NBFCs, mutual funds, investment bankers, HFCs, etc.) and Category III covered Service sector (including hotels, consultancy, transport, stock exchanges, R&D, private hospitals). Category IV and Category V covered Banking, Insurance and Financial Institutions, and Information Technology, Communication and Entertainment enterprises, respectively. Category VI covered Infrastructure & Construction sector (including power generation and supply, port trusts, roads) and Category VII is the residuary category which covered enterprises which are not covered by the other six categories like, Section 25 companies, educational institutions, NGOs, charitable hospitals, etc. For the Competition for the year 2006-2007, one hundred and one enterprises in different categories participated. The awardees were selected by a panel of judges, appointed by the Research Committee, on review of accounting practices adopted by the participating enterprises for the period ending on any day between 1st April, 2006 and 31st March, 2007 (both days inclusive), without regard to their financial condition and operating performance. Accordingly, the awards signify that the accounting practices followed by the concerned enterprise during the year are the best amongst the enterprises that participated in the Competition. One Gold Shield and one Silver Shield were awarded in each of the seven categories for the best entry and the next best entry, respectively. The Gold Shield winners were Dr. Reddy's Laboratories Limited, ICICI Bank Limited, Infosys Technologies Limited and Larsen & Toubro Limited. The Silver Shield winners were Bombay Stock Exchange Limited, HDFC Bank Limited and Tata Consultancy Services Limited. The 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2006-07 were presented in the 58th Annual Function of the ICAI held on February 4, 2008, at Hotel Le Meridien, New Delhi. Hon'ble Shri Praful Patel, Union Minister for Civil Aviation, was the Chief Guest for the function. The Hon'ble Minister gave away the awards to the awardees.

5.5 Corporate Laws

The year 2007-08 was a year of significant achievements. The Committee completed

successfully several projects undertaken by it.

5.5.1 Exercises Undertaken

The Committee had constituted 6 Study Groups to formulate the views/suggestions on:

(i) Simplification of Corporate Laws.
(ii) Simplification of Schedule VI of Companies Act, 1956, and prescribing of Saral Schedule VI for small and medium sized companies.
(iii) Changes in the Chartered Accountants Act, 1949 due to provisions of Limited Liability Partnership Bill, 2006.
(iv) Scope of professional opportunities for Chartered Accountants under the FEMA, 1999.
(v) To start a certificate course on Arbitration (including negotiation, mediation and conciliation) and to prepare a panel of Arbitrators.

5.5.2 Corporate Affairs Standards

Appreciating the need of the profession and to empower the profession in the emerging global scenario, the Committee has decided to formulate and issue Corporate Affairs Standards in relation to various areas of corporate laws. The Council approved in principle in May, 2008 issuance of Corporate Affairs Standards/Guidance Note for the guidance of the members.

In compliance, the Committee has initiated steps to formulate Corporate Affairs Standards on (i) Merger, De merger – Corporate Restructuring (ii) Valuation of Shares, (iii) Valuation of Assets, (iv) Auditor's Appointment and removal, (v) Incorporation of a Company, (vi) MCA certification, (vii) Annual General Meeting and Extra Ordinary General Meeting, (viii) Resolution of Corporate Disputes, (ix) Proxy including Role and Responsibilities and Acting as a Scrutinizer, (x) Professional Directors – Duties and Responsibilities, (xi) Audit Committee, (xii) Chief Financial Officers – Role and Responsibilities, (xiii) Acting as expert on Prospectus, (xiv) Auditors' Appointment as Tax Consultant, (xv) Certifying borrowing power and (xvi) other areas of corporate law and practices.

5.5.3 Suggestions/comments on various issues relating to Corporate Laws

The Committee has submitted its suggestions on the various matters referred to ICAI by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and other Government departments such as on (i) Presentation on Foreign Contribution Regulation Bill, 2006 before the Parliamentary Standing Committee, (ii) Presentation on Limited Liability Partnership Bill before the Parliamentary Standing Committee, (iii) Schedule VI under the Companies Act, 1956 and Saral Schedule VI for small and medium sized companies to the Ministry of Corporate Affairs, (iv) Further Views/suggestions on the draft notification issued by the Ministry of Corporate Affairs for amending Schedule VI to the Companies Act, 1956 in view of requirements of Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, (v) Views/suggestions on Concept Paper on Council of Valuation Professionals Bill issued by MCA, (vi) Views/suggestions to the Committee constituted by the Ministry of Corporate Affairs to review Regulation 17 of the Companies Regulations, 1956 (Rectification of Errors), (vii) Representation on re-opening of CFC Scheme, (viii) Representation to include the Chartered Accountants in the Certification job in Form DIN-3, (ix) Views on the Paper, circulated by SEBI, for discussion on Offshore Derivative Instrument - Participatory Notes, (x) Views on draft notification on exemption from the requirements of Section 594(1) of the Companies Act, 1956, (xi) Views on treatment of share premium as part of paid-up capital, (xii) Regulation on Competition Act, 2002 as amended in 2007, (xiii) Views/suggestions to the Working Group constituted by the Ministry of Corporate Affairs for examining the

comments received on the Concept Paper on Council of Valuation Professionals of India Bill, (xiv) Conversion of Loans into equity by ARCs under Section 81(3)(a) of the Companies Act, 1956.

5.5.4 Memorandum of Understanding with MCA

Entered into Memorandum of Understanding with the Ministry of Corporate Affairs for providing technical support to the Ministry of Corporate Affairs.

5.5.5 Post Qualification Courses

The Committee has taken initiative to start the following certificate courses:

- Certificate Course on Corporate Valuation
- Certificate Course on Protection of Creditors' Rights & Insolvency Law

5.6 Financial Markets and Investors' Protection

Despite the global economic slump, the Indian Financial Markets was the centre stage as an Investment Hub receiving copious funds from FI, FIIs and NRIs. New sources of funds such as Venture Capital, Private Equity were tapped for country infrastructure and also becoming the viable and profitable means of investment. Taking into account the global cues and culmination of events, the Committee evolved a comprehensive plan of action envisaging professional opportunities for the members and also liaisoning with the various Ministries of the Government of India and regulatory agencies. New Projects, Programmes and Publications are being targeted as the comprehensive action plan on which the Committee will be mostly working upon.

Projects

- Inculcating Awareness amongst Investors – All India Network Project
- Investors' Empowerment through Financial Literacy
- Issues related to Investor protection - A 13/26 TV Episodes Mass Media Production. The preliminary process is under consideration of the Ministry of Corporate Affairs of the Government of India.
- Insights on Initial Public Offerings (IPO) – A Research Study – The draft report is currently under discussion for forwarding to the Government.
- Introspection on Market Debacles (Early 2008) – A Presentation on the subject was forwarded to the Ministry of Corporate Affairs.
- Interface with Regulatory Authorities – SEBI & MCA – Submissions/Suggestions on Policy/Discussion Papers
- Institutional Mapping – A MOU with National Institute of Securities Market (NISM) of SEBI for spreading financial literacy and investor empowerment.
- Institutional Tie-up with National Stock Exchange of India – For launching joint ICAI - NSE Certification Course on Corporate Financial Management and Services. The draft syllabus is currently under discussion.
- Institutional Collaboration with Business Schools/Universities and others for joint research studies in financial market and investor protection. Responses have been received from various institutes of management, foreign trade and business schools.
- Certification Course on Forex and Treasury Management and Certification Course on Derivatives has been proposed on the advice of the President. A special study group has been constituted for the purpose and draft syllabus is under review. These courses are scheduled to commence by 1st and 15th September, 2008 respectively.

Programmes

- Investor Awareness Programmes – All India Basis – Observing 2008 as Investor

Awareness Year. Around 50 places have been identified.

- Road Shows for investor awareness
- Investor Summit
- National Conference: As a part of Diamond Jubilee Celebrations of the ICAI, a Diamond Jubilee National Conference on Financial Markets-cum-Investor Awareness Programme is scheduled to be held on 16th July, 2008 at Ernakulam.
- A National Conference on Capital Market is scheduled to be held on July 19th, 2008 at Kolkata.
- Workshops on new areas of financial services & practices. Seminar/Conference on Private Equity was organized at Manesar, Gurgaon on 5th & 6th April, 2008. Another programme is being scheduled on 1st and 2nd August, 2008 at Mumbai. Six more programmes have been contemplated during this year.
- Tele-Conference on Emerging Trends in Capital Market jointly with the CPE Committee
- Financial Career Counseling for school children

Publications

- CFM & IP – Glimpses: The Directory of the Committee as a PR kit is currently under printing.
- FAQ's on IPO's: The draft publication is presently under discussion.
- Revision of the existing Guidance Note on Certification of Corporate Governance (As stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement): The draft publication is presently under revision.
- FAQ's on Mutual Funds: The draft is under preparation.
- How to read and understand Offer Documents: The draft publication is presently under discussion.
- Risk Management for Investors.
- Derivatives Risk – Future and Options.
- Best Global Practices in Financial Markets.

5.7 Expert Opinions

The fast changing and immensely competitive environment often calls upon organisations to enter into complex business deals and transactions where practice norms are not yet settled with newer accounting standards developed for this purpose or where accounting for such transactions coupled with comprehensive and complex accounting standards becomes a difficult task. This gives rise to the need for authoritative guidance on such matters. The Expert Advisory Committee (EAC) fits into the role of giving authoritative guidance to the *members* of the ICAI.

The queries from members are based on concerns and difficulties faced by them in the application and implementation of various generally accepted accounting and auditing principles to peculiar and intricate situations faced by organisations during the conduct of their businesses. Since its inception, the Committee has been giving its independent opinion on diverse issues faced by the members nearly across all the businesses, services and industries.

Over a period of time, EAC's role has *become* widely *acknowledged* with *members* in practice and industry alike increasingly seeking the services of the EAC to unravel wide array of issues and complex problems while discharging their duties, such as preparation and presentation of financial statements, reconciling the views of auditors, management, various stakeholders and authorities, etc.

The queries are accepted and answered by the EAC on the basis of the Advisory Service

Rules framed by the Council. As per the Rules, the Committee deals with queries relating to accounting and/or auditing principles and allied matters and as a general rule does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments and matters involving professional misconduct. The Committee also does not deal with hypothetical cases. The EAC does not answer queries which concern a matter which is pending before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee of the ICAI, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the Government. It may also be noted that the opinions given by the EAC represent the opinions of the members comprising the EAC and not necessarily the official opinions of the Council.

Every query received is initially researched by the Technical Directorate for the opinion on the given situation, keeping in view various aspects concerning the matter on which the opinion is sought. Subsequently, the query is screened and discussed threadbare by the members of EAC at its periodic meetings.

The EAC replies to a large number of queries every year. During the period under report, the Committee finalised 52 opinions on wide ranging issues, like deferred tax liability, post-retirement benefit schemes, accounting for scheduled rent increases in case of an operating lease, creation of provision for non-fund based facilities, provision for provident fund liability on accrued encashable earned leave liability, etc.

The opinions finalised during the year are published in a volume of Compendium of Opinions. So far, EAC has released 25 volumes of the Compendium, containing opinions finalised up to January 2006. The later volumes of the Compendium, containing opinions covering the period between February 2006 and January 2008, are likely to be released shortly. A CD containing all the opinions contained in all the volumes of Compendium of Opinions with user-friendly features for easy referencing is also under preparation and will soon be released. The CD would be a strong knowledge resource for the profession.

Some of the opinions finalised by the Committee are being published in every issue of the ICAI's Journal 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also available on the website of the ICAI.

5.8 Continuing Professional Education

5.8.1 Overview

The reporting period is a landmark in the ICAI's endeavour to continue to maintain the status of Indian Chartered Accountants as a well-rounded professional comparable only with the best in the World. The ICAI has always striven for excellence in the standard of professional services rendered by its members. Every possible initiative has been taken and implemented by the CPE Committee of the ICAI to assist the members to maintain superior standards of professional services.

To enable all the members to maintain the competence demanded by their professional roles and users of their services, the requirements of CPE Credit hours have been made mandatory for members engaged otherwise than in practice also w.e.f. 1.1.2008 and they are required to earn 10 CPE Credit hours per year. In lines with the international best practices, the CPE requirements have been revised as given below:

The CPE Credit Requirements for the rolling period of three years starting from the calendar year 2008:

- All the members who are holding Certificate of Practice (except those members who are

residing abroad), unless exempted, are required to:

- Complete at least 90 CPE credit hours in each rolling three-year period of which 60 CPE credit hours should be of structured learning.
- Complete minimum 20 CPE credit hours of structured learning in each year.

- All the members who are not holding Certificate of Practice or are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not), unless exempted, are required to:

  - Complete at least 45 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each rolling three-year period
  - *Complete minimum* 10 CPE credit hours of *structured/unstructured learning* in each year.

The Council in May, 2008 decided to make the CPE hours requirements mandatory, w.e.f. 15[th] May, 2008, also for the members of the ICAI, who attain the age of 60 years during a *particular calendar* year *within* 2008-2010 or are at *present* of the age of 60 years and above. Such members could, however, complete their CPE requirements either by structured or unstructured CPE learning activities.

All the members who attain the age of 60 years during a particular calendar year within 2008-2010 or are at present of the age of 60 years and above and are holding Certificate of Practice (except those members who are residing abroad), unless exempted, are required to:

- Complete at least 70 CPE credit hours in each rolling three-year period either through structured or unstructured learning.
- Complete minimum 10 CPE Credit hours in the year 2008 and minimum 20 CPE Credit hours in 2009 and 2010.

All the members attaining the age of 60 years during a particular calendar year within 2008-2010 or are at present of the age of 60 years and above and not holding Certificate of Practice or are residing abroad, unless exempted, are required to:

- Complete at least 35 CPE credit hours in each rolling three-year period either through structured or unstructured learning.
- Complete minimum 5 CPE Credit hours in the year 2008 and minimum 10 CPE Credit hours in 2009 and 2010.

5.8.2 Documents revised and issued

- The Council has issued a new CPE Advisory on Unstructured CPE Learning Activities. This Advisory is meant as guidance and direction to the members who want to avail CPE Credits through Unstructured Learning Activities. The advisory includes the details about the unstructured learning activities and the ways in which these can be undertaken. The members are required to submit a Self-Declaration Form to the ICAI once in a year to avail the CPE Hours Credit.

- The Committee has revised the CPE Advisory on Use of Learning Technologies as the Unstructured Learning Activities have become applicable from the year 2008.

- The Committee has come out with the CPE Video Lecture Series-2008 on Audit of Bank

Branches. It is a set of 2 DVDs, one covering the Teleconference Programme held on Audit of Bank Branches and the other covers the important aspects relating to audit of Bank Branches.

- The Committee jointly with the Committee on Information Technology has also come out with a CD containing **Audio Video Lectures** on various important topics of bank branches.
- The Committee has formulated Guidelines for inviting the dignitaries (Chartered Accountants at the influential positions, Central/State level Ministers as well as officials/ bureaucrats at Central/State levels) to participate in the Seminars/Conferences organized by the Programme Organising Units of the ICAI.

5.8.3 CPE Portal

The Committee has developed an Online CPE Portal (http://www.cpeicai.org) for recording and maintaining the records of CPE hours earned by the members of the ICAI, which was made operational w.e.f. 17th October 2005. The Committee is revamping the Portal to make it more attractive and user friendly.

The system facilitates the members in keeping themselves updated with the CPE credit hours earned by them. The members can view the status of CPE hours by logging into the CPE Portal using their User ID and password. The portal also provides the information on upcoming events across India and abroad organized by various POUs such as Central Committees, Regional Councils, Chapters abroad, CPE Chapters, CPE Study Circles and CPE Study Groups.

The said CPE Portal is functioning satisfactorily all over the country.

5.8.4 Empowering the Programme organizing Units

With a dual objective of maintaining uniformity in the subjects to be covered by the CPE POUs and to enable them to determine the CPE Credit hours, without approaching the CPE Directorate of the ICAI, CPE Calendar has been released after due consultation process covering topics of practical relevance not only for the members in practice but also to the members in service. Due care was taken to address the CPE requirements of members at metros, big and small cities, moffussil and remote places. As in the early years, the CPE Calendar was divided into two parts viz., Obligatory Topics and Optional Topics. The obligatory topics for the year 2008-09 includes the following:

Accounting and Auditing

1. Accounting Standards issued by ICAI
2. Audit, Assurance and Quality Standards issued by ICAI
3. Implementing the Accounting Standards in various Sectors/Industries (Banking Sector, Real Estate Sector, Insurance Industry etc.): Technical & Managerial Issues
4. Implementation issues in Auditing Standards, Expectations, and compliance requirements in general in various sectors/Industries (Banking Sector, Real Estate Sector, Insurance Industry etc.)
5. Pronouncements and other documents of ICAI on Accounting and Auditing
6. Accounting Standards with Sector-wise / Industry-wise practical presentations
7. Accounting Standards & International Financial Reporting Standards (IFRS)
8. Transition to IFRS
9. US & UK GAAPs
10. Internal Audit Standards
11. Peer Review – Systems, Procedure and Documentation for Practice Units

12. Technical Standards under Quality Review
13. Sarbanes Oxley Act
14. Implications of Sarbanes Oxley Act on the Internal Audit
15. Accounting of the Urban Local Bodies
16. Accounts of Co-operative Societies
17. Audit of Small Entities
18. Forensic Accounting and Audit
19. Internal Audit - including Risk Based Internal Audit
20. Internal Audit and Fraud Risk
21. Internal Control – including Risk Based Perspective
22. Providing Assurance on Internal Controls
23. Service Tax Audit
24. VAT Audit
25. Issues related to Non-corporate Enterprises and their Auditors
26. Clause 49 & Role of Internal Audit
27. Compliance Aspects of Accounting Standards and other Reporting and Disclosure Requirements
28. Compliance Aspects of Generally Accepted Accounting Principles in the Preparation and Presentation of Financial Statements
29. Compliance aspects of AAS and other mandatory guidelines issued by ICAI
30. Relationship of Internal Auditor with those charged with Governance

Cost & Financial Management

31. Balanced Scorecard
32. Business Process Improvements
33. Capital Budgeting under Globalised Business Environment
34. *Financial Forecasting*
35. Cost Management
36. Financial Due-Diligence
37. Financial Instruments
38. Financial Modeling
39. Issues in Cross Border Investments
40. Corporate Financial Reporting
41. Restatements of Financial Statements under US GAAPs and IASs

Information Technology

42. Practical Workshop on:
    a. IS Audit of Banks/ Banking Application
    b. Using CAATs/ General Audit Software
    c. IS Audit of Stock Broker CTCL Facility
    d. MS-Excel - Tool for Audit
    e. Network Security Audit/ Review
    f. Windows XP Security Review
    g. Windows 2000/ 2003 Security Review
    h. MS-Excel – Tool for Financial Analysis/ Reporting
    i. MS-Excel for Financial Management
    j. Advanced Features & Facilities of MS-Excel
    k. Data Extraction/ Analysis for Accounting/ Financial Requirements
    l. Reporting/ Documentation Using MS-Word
    m. IS Audit/ Review of Core Banking Applications (CBA)
    n. Information Systems Audit
43. XBRL Financial Reporting Language

44. Certification of Internal Controls – Clause 49/ Sarbanes Oxley Act
45. Accounting Software Security Audit/ Review & Advanced Facilities/ Features
46. Digital Signatures & e-filing (Income Tax/ MCA 21)
47. Understanding ERP (2 Days)
48. ERP Implementation/ Testing/ Maintenance (8/21 Days)
49. Information Technology Act
50. Emerging IT Challenges & Opportunities
51. Emerging Opportunities in BPO/ KPO Sunrise Sectors
52. IT Best Practices – A Review
53. Computer Assisted Performance Evaluation
54. E-Commerce / E-Governance
55. Management Information Systems (MIS)
56. Technology Management
57. Information Systems- Security and Control
58. Internal Audit – Coping with Emerging IT Risks

Taxation

59. Audit under Income Tax Act – Preparation, Presentation and Documentation
60. Depreciation: Accounting, Taxation and Company Law Issues
61. Emerging Issues in Indirect Taxation
62. Issues in Business Taxation
63. Issues in International Taxation (including NRI Taxation, DTAA, Transfer Pricing & Taxation in Foreign Countries)
64. Tax Tribunals including National Tax Tribunal – Role of Chartered Accountants
65. Recent Judgment/Judgments on Direct Tax Laws
66. Service Tax – Law and Practice
67. Taxation of Non-Resident Indians – Recent Developments
68. Stay, Tax Recovery and other Related Provisions under the Tax Laws
69. Transfer Pricing
70. Corporate Taxation
71. Fringe Benefit Tax (FBT)
72. Value Added Tax (VAT) – Including State Level VAT
73. Survey, Search and Seizure – Current Developments
74. Desk Review
75. Export Import Trade / Customs Valuation Law – Rules & Compliances
76. Central Sales Tax (CST)
77. Tax Havens
78. Tax Audit u/s 44AB
79. Income Tax Assessment
80. Preparation & presentation of Appeals before the CIT & ITAT
81. Indian Tax System

Business Management

82. Conflict Management
83. Consumer and Organizational Buying Behavior
84. Contract Management – Practical Issues
85. Competitiveness: Concepts and Challenges
86. Commercial Due Diligence
87. Credit Analysis and Credit Management
88. Evaluation of Supplier Strategy: Valuation Framework
89. Management of Change
90. Managing Creativity

91. Managing Employee Redundancy
92. Implementing ABC in Manufacturing Environment
93. Industrial Relations
94. Value Based Management
95. Total Quality Management
96. Strategic Decision - Making
97. Sustainability Development
98. Motivation Techniques
99. Narrative Reporting
100. Knowledge Management
101. Operations Planning and Control
102. Performance Management
103. Effective Time Management
104. Quality Audits
105. Value Added Business Controls - The Right Way to Manage Risk
106. Management Audit
107. Decision Making Under Conditions of Risk and Uncertainty
108. Cost reduction techniques in Resource Mobilization

Corporate Laws

109. Schedule - VI
110. E-forms under MCA - 21
111. Arbitration Act, 1996
112. Valuation Techniques
113. Mergers and Amalgamations
114. Companies (Auditors' Report) Order (CARO)
115. Auditors' Report under the Companies Act – Issues on CARO, Documentation, Reporting and Disclosure Requirements
116. NCLT Law and Practice
117. MCA-21 – Challenges & Opportunities for the Profession
118. Limited Liability Partnership
119. EXIM Policy and Procedures

Code of Conduct

120. Code of Ethics of ICAI and relevant emerging issues

Finance and Capital Market

121. Derivatives: Futures and Options
122. Derivatives – Accounting and Taxation
123. OTC Derivatives – A Legal Perspective
124. Sources of Raising Funds
125. Recent Trends in Finance and Capital Market
126. International Finance
127. Role of International Funding Institutes
128. Foreign Direct Investment (FDI) Rules
129. Project Report and Appraisal
130. Project Financing
131. Listing Agreement

Corporate Governance

132. Audit Committee Charter
133. Audit Committee and Independent Directors

134. COSO, COBIT & Enterprise Resource Planning (ERP)
135. Whistle Blower Policy – Framework
136. Enterprise Governance
137. Sustainable Development and Global Reporting Index (GRI)
138. Role of CAs in Corporate Governance
139. Corporate Governance Rating
140. Corporate Governance Audit
141. Global Warming/Climate Change
142. Corporate Social Responsibility (CSR)
143. Carbon Credit
144. Improve Board Effectiveness through Good Governance
145. *Impact of Corporate Governance in Global Development*

Insurance and Risk Management

146. Insurance Survey and Loss Assessment
147. Developments in Pension Fund
148. Anti Money Laundering in Insurance Sector
149. Risk Management
150. Valuation of Insurance Companies
151. Third Party Insurance
152. AS-15 and Actuarial Sciences

Public Finance

153. Fiscal Policy and Economic Growth
154. Public Debt in India
155. External Debt and Foreign Reserves
156. Effects of Public Expenditure
157. Indian Federal Finance
158. Taxation in Agriculture Sector
159. Railway Finance
160. Incidence and Effects of Taxation
161. Public Sector Undertakings in India
162. Role of International Funding Institutions
163. Money Laundering
164. Rural Banking

Soft Skills

165. Personality Development
166. Customer Relationship Management
167. Effective representation before Income Tax Authorities
168. Stress Management
169. Presentation and Communication Skills
170. Interpersonal Skills

Others

171. Consultancy and Advisory Services
172. Business Advisory Services
173. Right to Information Act
174. Six Sigma
175. Fraud Investigation, Reporting and Prevention
176. Jurisprudence, Interpretation of Law and Evidences Act
177. Money Laundering Risk and Management – Including Prevention

178. CA Amendment Act, 2006
179. Merger, Demerger & Networking of CA Firms and Capacity Building

The optional topics include 191 topics of relevance to the members of the ICAI in practice and in industry. The Calendar in addition also includes 8 broad heads of topics, which are of relevance to the members in industry specifically.

In order to enable the members to meet the increased quantum of CPE Credit hours, the CPE Programme Organising Units (POUs) of the ICAI particularly the Regional Councils, Branches of Regional Councils, CPE Study Circles and CPE Chapters have been advised to conduct certain minimum number of CPE programmes commensurate with the members being served by such POUs.

Each Regional Council and Branch in addition to other programmes should conduct Chain Workshops on IFRS.

Each Regional Council/Branch should conduct Two Workshops on Accounting Standards/Auditing and Assurance Standards/Quality Review Standards for Practice Units.

POUs should conduct programmes on topics related to Internal Audit, which have been included in the CPE Calendar 2008-09.

POUs should organize at least one Seminar during the year on issues related to WTO.

5.8.5 Maintaining quality of CPE Programmes
The CPE Committee has re-constituted the Regional CPE Monitoring Committees, inter alia, to monitor the quality of the CPE Programmes being organised by the CPE POUs. Monitors and supervisors as required under the CPE Advisory on Monitors and Supervisors are being nominated for CPE Programme Organizing Units (POUs) for achieving the above stated objectives.

5.8.6 Other initiatives of the CPE Committee
The CPE Committee has also been working on the following strategic initiatives:

- Introduction of E-learning courses on various topics relevant to the Chartered Accountancy Profession
- Organising Programmes on International Financial Reporting Standards (IFRS) throughout the country
- Conducting Workshops/ Training Programmes on Accounting Standards/ Auditing and Assurance Standards/ Quality Review Standards so that in-depth study and orientation is imparted to members of the ICAI through the CPE mode.
- Conducting certification courses on topics such as International Financial Reporting Standards with a view to provide in-depth knowledge to improve the technical and professional skills of the members of the ICAI.
- Organising Computer Awareness Programmes throughout the country so that all members of the Chartered Accountant fraternity of 1,45,000 plus members, especially senior members, become computer savvy and hence, be able to use the latest technology to synchronize with the dynamic working methodology.
- To update/revise all the publications issued by the Committee so that it is relevant in the current context.
- Organising more In-House Executive Development Programmes for the benefit of the members in Industry.

- Organising Training for Trainers workshops for CPE Resource Persons of the ICAI in various regions.
- Implementing Smart Card Solution for Members
- To publicise the Teleconferencing Programme and to take necessary steps to increase the number of members viewing these programmes.

5.9 Professional Development Committee

An Introduction:

The Professional Development Committee was set up in the year 1962 as a Non-Standing Committee by the ICAI. The Professional Development Committee is one of the most vibrant Committees of the ICAI which has always been making vigorous efforts towards exploring, deriving, developing, and making available ample opportunities for the members of the ICAI in different sectors of the economy. It identifies and explores new avenues where there is ample scope for professional development. In order to achieve its objective, the Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members of the ICAI by exploring/pursuing new/existing areas where the professional skills of the members could be utilized in a productive and fruitful manner. The Committee has also made considerable efforts to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. As a part of this process, the Committee is continuously interacting with various regulators/empanelling authorities and users of services of the profession etc.

To accomplish its mission, Professional Development Committee took many path-breaking initiatives during the year. Among these initiatives are the meetings held with Senior Officials of various government departments, meeting with regulatory bodies etc. to have better coordination with them. The Committee, with an objective to improve upon the skills and expertise of the members, also organized Seminars and Workshops for keeping them abreast of the new rules & regulations that are coming up in the professional scenario and thus, making them competent to have a sound global standing.

The major achievements/endeavours of the Professional Development Committee during the period under report are given below:

- The process of hosting of the Multipurpose Empanelment Application Form, Preparation of the panel of eligible Chartered Accountants/firms for conducting statutory bank branch audit was successfully completed. Further, allocation list of Statutory Audit of Branches of Public Sector Banks for the year 2007-08 was successfully hosted on the website and some valid cases where eligible applicant could not get the audit were put before the RBI.
- The Reserve Bank of India, vide their Circular No.DBS.ARS.No.BC.08/08.92.001/2006-07 dated June 6, 2007 revised the remuneration payable to the statutory Central and Branch Auditors of the Public Sector Banks from the year 2006-07 onwards.
- The Committee successfully got the Audit fee and allowances revised for Statutory Auditors of RRBs.
- Meetings held with the officials of NABARD to discuss various issues of professional interest, such as revision of audit fees for Statutory Auditors, training to the auditors and facilitating quality service delivery.
- Discussions with the officials of the Reserve Bank of India on various matters of professional interest including issue of appointment of tax auditors, autonomy in appointment of statutory auditors, issues related to NBFCs, etc.
- The Portal for CA Networking and consolidation, which is available at the link

www.canet.co.in continues with its initiatives to provide a platform to Chartered Accountants to network with the people who share similar ideas, goals and visions and who complement strengths of participants of the Network.

- The Professional Development Committee Knowledge Portal www.pdicai.org continues to provide its services to the members with timely and essential information on practice development and new professional opportunities in different sectors to the members. Efforts are being made to further improve the Portal to increase its utility for members of the profession.
- Discussions with the Office of Comptroller and Auditor General of India on various issues of professional interest.
- Meeting held with the Chief Executive of Indian Banks Association in order to strengthen the professional relation and apprise him of ICAI's activities and understand the viewpoint of banks.
- A meeting was held with Secretary, Banking Department, Ministry of Finance, Government of India in order to apprise him of the various activities and initiatives and functioning of ICAI.
- A Joint Committee of National Housing Bank (NHB) and ICAI, has been constituted for *cooperating* and *promoting* the *interest* of the Housing *Sector* and *creating* new *avenues* for CAs.
- Meeting held with Hon'ble Finance Minister of Maharashtra on the issue of VAT audit.
- *Meeting* held with *Minister* for State, *Commerce Ministry*, *Government* of India on possible professional opportunities in global business for chartered accountants.
- Meeting held with Joint Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India regarding non recognition of CA qualification by Kuwait Government.
- Besides the above, meetings were also held with the following associations and authorities with an objective to create new professional avenues and to focus on the untouched areas in the pre-existing avenues:

    - Senior officials of Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Mumbai in order to forecast the new domain for CAs.
    - Controller of Certifying Authorities (CCA)
    - Senior Officials of Central Bureau of Investigation, New Delhi
    - CMD of National Housing Bank, New Delhi
    - Secretary, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance
    - Officials of Bombay Stock Exchange
    - Officials of Forward Markets Commission
    - *Executive Director (Finance & Accounts)*, Life Insurance Corporation of India
    - Senior officials of Financial Intelligence Unit – India
    - Member (Finance) and Senior Officials of National Highways Authority of India
    - *Additional Director General* of *Investigation* and *Registration*, *Ministry* of *Corporate* Affairs, Government of India.
    - Various officials of Enforcement Directorate, Department of Revenue, Ministry of Finance, Gove*rnment* of India
    - Officials of Export Credit and Guarantee Corporation of India
    - Officials of office of National Highways Authority of India (NHAI)
    - Sr. Control Officer, India Resident Mission of Asian Development Bank, New Delhi
    - Officials of Small Industries Development Bank of India ,Mumbai
    - Officials of Securities and Exchange Board of India, Mumbai

- As a result of great stride for ensuring equitable professional opportunities and to provide more and more tasks, following Authorities asked for the Panels of Chartered Accountants/Chartered Accountant Firms:

- UTI Asset Management Company Pvt. Ltd., Mumbai.
- Housing & Urban Development Corporation Ltd., Mumbai.
- CIT-II, Kanpur.
- Office of the Official Liquidator, High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad
- District Rural Development Agency, Puducherry
- Sarva Shiksha Abhiyan, Warangal
- Registrar, Co-operative Societies, Maharashtra
- Uttar Pradesh Power Corporation Limited
- Public Sector Restructuring and Internal Audit Board, Kerala
- UPSE Securities Ltd., Kanpur
- The Kerala State Civil Supplies Corporation Limited, Kochi
- National Commodity & Derivatives Exchange Limited

- In its endeavor to consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skills and talents of our members, the Committee has organized the following Conferences/Seminars/Workshops during the period:

  - National seminar on "Capacity Building In Pursuit Of Excellence" was held on 14th September, 2007 in Bhopal, hosted by Bhopal Branch.
  - An interactive meeting with Chartered Accountants serving as independent Directors on the Boards of Public Sector Banks was organized at Mumbai on 18th September 2007.
  - A series of five full day Seminars was organized jointly with the National Bank for Agriculture and Rural Development across the country.
  - Second interactive meeting with Chartered Accountants serving as Independent Directors on the Boards of Public Sector Banks was organized at Delhi on 14th November, 2007
  - A National Conference on "Opportunities...............Unlimited" on 23rd and 24th November, 2007 in Ahmedabad, hosted by Ahmedabad Branch.
  - Audit Committee Roundtable of CA and non-CA Directors of Public Sector Banks was held on 18th December, 2007 at Management Development Institute (MDI), Gurgaon.
  - Global CA Networking Summit, 2008 was organized in Delhi on 8th January, 2008.
  - 1st Interactive National Workshop for Statutory Central Auditors organized by Professional Development Committee and hosted by Northern India Regional Council of ICAI on 24th March, 2008 at New Delhi.
  - A National Workshop on `Non Banking Financial Companies (NBFC)' was organized by the Committee and hosted by Hyderabad Branch of SIRC of ICAI on 26th April 2008 at Hyderabad.
  - Training programme on Basel II for Statutory Auditors of Banks 2008, hosted by WIRC, on 27th - 28th May, 2008 at Mumbai.
  - National Seminar on Audit of NBFCs & Concurrent Audit of Banks, hosted by Trichur Branch of SIRC, on 31st May, 2008 at Thrissur.

5.10 Peer Review Board

The Peer Review Board set up by the Council in the year 2002, comprising of Members of the Council and representatives from bodies like the Ministry of Corporate Affairs, C&AG, Industry and RBI is moving forward in ensuring that the reviews are carried out as per the best global practices.

In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers,

the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the Practice Units for review. The training modules, specially developed for the purpose as a book titled "Training Modules for Peer Reviewers" provide for training curriculum for Reviewers and also guidance for the training facilitators on how to conduct reviewers' training.

During the course of training, a number of questions are raised on peer review process, obligations of the Practice Units (PUs), role of the Reviewers, Powers of the Board, insulation from disciplinary jurisdiction etc. While the Trainers tried to the best of their ability to answer the posers, the Board thought it appropriate to compile these questions in booklet form and accordingly a publication on FAQs was also published.

The Peer Review process aims to cover all firms of chartered accountants (PUs) in a phased manner in three stages. The PUs are selected on random basis, through a specially developed software. PUs covered under Stage I have been selected in 3 phases and those under Stage II have so far been selected for 4 phases. Selection of PUs under Stage III has also been made under Phase I thereof.

The Board has decided that the periodicity for undergoing reviews under various Stages namely 3, 4 & 5 years for Stage 1, II and III, PUs should commence from the date of issue of the last Peer Review Certificate to the PU. During the year, second cycle of review has been initiated in case of firms falling under Stage 1, where 3 years have lapsed, since the issuance of Peer Review Certificate and accordingly 107 firms were intimated of their second cycle of review.

During the year, the "Statement on Peer Review" was revised by the Council, "Peer Review Manual", "Training Modules for Peer Reviewers" and "FAQs" are also slated for revision.

The Peer Review Board has revised the Cost of Peer Review, including honorarium and TA/DA payable to Reviewer and his qualified assistant as under:-

Stage I

Total Revenue from Attestation service clients of practice unit	Existing Cost	Revised Cost	Existing Maximum Limit	Revised Maximum Limit
Less than Rs 10 lacs per annum	Rs 5,000/-	Rs. 7500/-	Rs 10,000/-	Rs 15,000/-
Between Rs 10 lacs to 50 Lacs p.a	Rs 10,000/-	Rs 15,000/-	Rs 15,000/-	Rs 22,500/-
Above Rs 50 Lacs p.a	Rs 15,000/-	Rs 22,500/-	Rs 20,000/-	Rs 30,000/-

Stage II & Stage III

Total Revenue from Attestation Service clients of practice unit	Existing Cost	Revised Cost	Existing Maximum Limit	Revised Maximum Limit
Less than Rs 10 lacs per annum	Rs 2500/-	Rs.3000/-	Rs 5000/-	Rs 6000/-
Between Rs 10 lacs to 50 Lacs p.a	Rs 5000/-	Rs 6000/-	Rs 7500/-	Rs.9000/-
Above Rs 50 Lacs p.a	Rs 7500/-	Rs.9000/-	Rs 10000/-	Rs 12,000/-

5.11 Committee for Members in Industry

5.11.1 Overview

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in Industries in various capacities so as to provide for them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations and agencies of the Government, so as to provide the maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

The Committee also provides assistance to members of the ICAI in finding appropriate placement opportunities in the industry. In this regard, the Committee is engaged in providing to the following categories of members and students of the ICAI:

(i) Newly qualified Chartered Accountants through the campus placement programme
(ii) Qualified Chartered Accountants – who are presently serving in industry

All the above services are being administered through the Placement Portal www.placements-icai.org. The ICAI placement portal provides an opportunity to professionals in finance and accounting and the industry to interact with the objective of building capacity for international best practice oriented finance and accounting culture and Indian industry.

5.11.2 Statistics of the Members working in Industry/Practicing

Last three years' trend

Calendar Year	Members Enrolled		Current COP Status	
		Not holding COP	Full Time	Part Time
2005	7856	5191	2333	332
2006	9954	6757	2761	436
2007	8025	5837	1845	343
Till 11.3.2008	1461	1061	364	36
Total	27296	18846	7303	1147
Percentage		**69%**	27%	4%

Current Profile of membership

	Not holding COP	Full time COP	Part time COP	Total
Members - 2008	65569	68808	9043	143420
Percentage	**46%**	48%	6%	100%

5.11.3 Campus Interviews

The Committee organizes campus placement programme twice a year, in February- March and August – September for the placement of the members qualified in November and May attempts respectively.

Campus Placement Programme - February-March 2008

In all 3781 candidates had the opportunity to avail this service. The bio-data of these professionals were classified centre-wise and they were given an opportunity to meet 243 interview boards of 109 organizations at sixteen centres. Around 32% of total available candidates were placed this time.

Executive Summary of the Campus Placement Programme

- Highest salary offered for International posting in the Campus Placement Programme was Rs. 16.17 Lacs per annum.
- Highest salary offered for domestic posting in the Campus Placement Programme was Rs. 12.00 Lacs per annum.
- Around 1500 jobs offered to the candidates who participated in Campus Placement Programme.
- The average salary offered to the newly qualified Chartered Accountants was about Rs. 6 lacs per annum.
- 109 companies participated during the Campus Placement Programme.
- 243 Interview Panels participated during the Campus Placement Programme.
- Banking sector (13.97%) was amongst the highest recruiter of all sectors, but sectors like IT Software (11.30%), Oil & Gas refining (8.87%), Financial Services (8.32%), Mining (5.65%) are the major recruiters.
- Twenty-six new recruiting entities also joined in the Campus Placement Programme for the first time.
- There is an increase of about 126%. in the number of newly qualified Chartered Accountants who have been offered salary in the range of Rs. 9 lacs and above.
- The Committee for Members in Industry brought out publication on 'Quick Review Questions' & 'How to face an Interview Board' to enable the candidates to prepare for their Interviews.
- The Committee organized Orientation Programme for candidates to sharpen their soft skills and give updates on the Technical side.

5.11.4 CPE Requirements for members engaged otherwise than in practice

CPE requirements have been made mandatory for all the members who are not in practice w.e.f. 1.1.2008, which is as given *below:*

> *'..................All the members who are not holding Certificate of Practice or are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not), unless exempted, are required to:*
>
> - *Complete at least 45 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each rolling three-year period*
> - *Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each year.'*

5.11.5 CFOs Guild (Corporate Accountants Guild)

The Committee for Members in Industry is maintaining the Guild of CFOs. The Guild is meant for the members of ICAI occupying senior positions in industry. The primary objective of setting up such a guild is to develop a platform where highly intellectual and talented pool of people from various organizations can discuss various issues concerning the profession in general and for members in industry in particular. They can plan, formulate and strategize policies for improving the image of Chartered Accountants in the eyes of the industry. Industry-specific seminars/conferences/round table meetings are also planned to discuss the matters pertaining to the industry and make them brand ambassadors of the profession. The present strength of membership in the Guild of CFOs is 2100.

5.11.6 Members in Industry Guild

In addition to the above said Guild, the Committee has developed a Guild for the Members working in industry. The Primary objective of setting up such a Guild is to develop and maintain an industry-wise database of the members of ICAI serving in industries. Further, the Guild acts as a forum where various issues concerning the profession in general and for Members in Industry in particular can be discussed.

Industry specific seminars/ Conferences/ Round Table meetings can also be organized to discuss the matters pertaining to the industry and make them the Brand Ambassadors of the profession. The Members shall also be apprised of the various happenings of the ICAI and updates in respective fields from time to time. The membership strength of the Guild is 162.

5.11.7 Questionnaire to all the Members Working In Industry

In order to understand and analyze the expectations of the Members in Industry from the ICAI and to encourage them to join the mainstream, CMII has made a questionnaire, which can be downloaded from http://www.placements-icai.org/imgs/question-email.doc or http://www.icai.org/icairoot/announcements/question-email_2june06.doc and emailed to us at placements@icai.org.

5.11.8 Programmes/Seminars/Conferences organized:

The Committee organized the following programmes/seminars/conferences for the benefit of the members in industry during 2007-08 and 2008-09 (upto 7th July, 2008):-

During 2007-08 :

Corporate Accountants Meets

S.No.	Place	Date
1.	Mumbai	14th April, 2007
2.	Indore	22nd June, 2007
3.	Jaipur	22nd September, 2007
4.	Hyderabad	29th December, 2007
5.	Kolkata	28th January, 2008
6.	Chennai	29th January, 2008
7.	Ernakulam	30th January, 2008
8.	Coimbatore	31st January, 2008
9.	Bangalore	1st February, 2008

The Committee also organized an Institute Industry Integration CFOs Meet for the senior CFOs/CEOs on the 22nd of April 2008 at Mumbai.

Industry-Specific Programmes

S.No.	Topic	Date and Venue
1.	4th Workshop on IFRS & US GAAPs	19th to 22nd April, 2007 at Mumbai
2.	National Conference for IT Industry	25th and 26th May, 2007 at Bangalore
3.	Workshop on System Audit in Banking Sector	22nd to 24th June, 2007 at Mumbai

4.	All India Residential Refresher Course on `Excellence in Corporate Practice –Modern Approach'	13th to 15th July, 2007 at Mt. Abu, Rajasthan
5.	National Conference on Internal Audit	28th to 29th July, 2007 at Mumbai
6.	All India Conference on Professional Excellence	10th to 12th August, 2007 at Goa
7.	Three day Workshop on `Sarbanes - Oxley Act and IT Act'	21st to 23rd September, 2007 at Mumbai
8.	Training Programme on `Real Estate & Construction Industry'	29th January, 2008 at Chennai

Corporate Forum

The Committee organized a mega event, `Corporate Event' comprising of four concurrent events viz:-

- **Career Ascent (17th to 19th January, 2008)** – An event providing career growth prospects for the *Chartered Accountants having* one or more years of *industry* experience. About 1195 candidates had registered themselves for the event and about 54 experienced Chartered Accountants were offered jobs in this event.

  Hon'ble Shri Ram Naik, Member of Parliament & Ex-Petroleum Minister, inaugurated the event on the 17th of January 2008.

- **Capital Advantage (17th to 19th January, 2008)** – An Event showcasing the financial and other products relevant to Chartered Accountants. About 6 well known companies had participated in the event and exhibited their products.

- **Finsummit (18th to 20th January, 2008)** – An Event, which comprised of three industry-specific summits viz., Summit on Information Technology Industry, Construction Industry and Investment Banking Industry was organized for the benefit of members in industry. Eminent faculty from various regions of the country were invited to address the participants.

  Hon'ble Shri Prithviraj Chavan, Minister of State in the Prime Minister's Office, inaugurated the Summit on Information Technology.

- **CA. Corporate Leader –"Exacct Awards"- 20th January, 2008**

  To honour the exemplary work of the members working in industry, the Committee institutionalized an award viz., CA Corporate Leader – Exacct Awards during the year. Several dignitaries from different fields were invited to be the Jury members for finalizing the able members for grant of these awards.

  Hon'ble Shri Sriprakash Jaiswal, Minister of State in the Ministry of Home Affairs, was the Guest of Honour at the CA. Corporate Leader- Exacct Awards function on the 20th January, 2008.

The following were the awardees of the CA Corporate Leader – Exacct Awards:-

CA. Nitin Agarwal	CA Young Leader	Male
CA. Asheesh Awasthy	CA Young Leader	Male

CA. Upendra Gupta	CA Young Leader	Male
CA. Pooja Gupta	CA Young Leader	Female
CA. Vishakha Mulye	CA Young Leader	Female
CA. Neetu Kashiramka	CA Young Leader	Female
CA. Nilesh Shah	CA Professional Manager	Private Sector
CA. S. K. Gupta	CA Professional Manager	Private Sector
CA. M. Ramadoss	CA Professional Manager	Public / Government Sector
CA. S. K. Garg	CA Professional Manager	Public / Government Sector
CA. C. Ramulu	CA Professional Manager	Public Sector
CA. Raman Roy	CA Business Leader	SME
CA. Raman Deep Singh Bawa	CA Business Leader	SME
CA. Dinesh Nandwana	CA Business Leader	SME
CA. Ramesh D. Chandak	CA Business Leader	Corporate
CA. Nirmal Jain	CA Business Leader	Corporate
CA. Deepak Ghaisas Keshav	CA Business Leader	Corporate
CA. R. Seshasayee	Lifetime Achievement Award	

The following were awarded in recognition for their contribution in Public Life:

- Dr. Kirit Somaiya, Ex-Member of Parliament, Founder & President, Investors Grievances Forum
- CA. Suresh Prabhu, Member of the Lok Sabha from Rajapur Consituency of Maharashtra
- CA. K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya Sabha

During 2008-09:

CFOs/Corporate Accountants Meets

- The Committee organized a CFOs Meet (especially for the senior-most Chartered Accountants working in Industry) on 22nd April, 2008 at Mumbai.
- The Committee organized a Corporate Accountants Meet (for the middle level Chartered Accountants working in Industry) on 22nd June, 2008 at Bhilai.

Industry-specific programmes

The Committee organized a National Conference on IFRS during 5th to 7th June, 2008 at Mumbai.

5.11.9 Publications of the Committee

The following publications have been released for the benefit of the members in Industry. The same were distributed free of cost to the newly qualified Chartered Accountants at the time of orientation programme:

- How to Face an Interview Board
- Quick Review Questions

5.11.10 Special Invitees/Representative(s) of the outside bodies

At the 66th meeting of the Committee, the following members were invited to attend the meeting as special invitees:

(i) CA. V. Murali, Central Council Member
(ii) CA. Subodh Kumar Agrawal, Central Council Member
(iii) CA. Mustafa Kasim

At the 67th meeting of the Committee, CA. V. Balakrishnan, CFO, Infosys Ltd. was been invited to attend the meeting as a special invitee.

CA. Sanjay Singhal had attended the 69th and the 70th meetings of the Committee as a special invitee.

The Committee is working on the following strategic initiatives:

- Marketing of Placement services to further improve the final placement of newly qualified Chartered Accountants.
- Popularization of Placement Portal.
- Popularization of the Placement Portal for the experienced Chartered Accountants amongst the members and the corporates
- Publication of material having relevance to the Members in Industry.
- Creation of database of members of eminence and those occupying key positions in industry.
- Considering ways and means to enhance the participation of the Members in Industry in the activities of the ICAI.
- Organising Industry-specific Programmes
- Organising CFO Meets in Mumbai/ Delhi/Kolkata/Chennai.
- Organising Corporate Accountants meets
- Organize Residential Refresher course – one in each region
- Organising HR Meet at various places
- Organising DCO heads meet
- Organising Award Ceremony
- Publication of CMII's e-newsletter 'Corporate Communiqué

MOU and Agreement was arrived with M/s. Irevna Research Services and M/s. Infosys Technologies Ltd. for recruiting newly qualified chartered accountants, which has led to recruitment of a very large number of candidates during the year.

5.12 Committee on Information Technology

5.12.1 Overview

Information Technology has today emerged as the business driver of choice, from a humble role of business enabler. IT enabled Services (ITeS) like Enterprise Resource Planning (ERP)/ Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO) are fast becoming the order of the day with the new WTO and the World fast transforming into a global village.

The Council constituted the Committee on Information Technology in the year 2000 to regularly map IT challenges and convert them into gainful professional opportunities for the profession through suitable education and development programmes like Post Qualification Courses/ Conferences/ Seminars/ Practical Workshops; apart from coming out with study guides, resources, e-learning/ computer based training modules.

The first initiative of the Committee was to equip CAs to offer IS Audit/ Systems & Process Audit Assurance (SPA) value added services, which are in increasing demand today, through

the Post Qualification Course (PQC) on Information Systems Audit. The Committee has started offering Practical Workshops on use of Information Technology to enhance the efficiency and effectiveness of operations. The Committee is also offering CPE Course on CAAT to provide hands-on practical training on computer assisted audit techniques/ general audit software and has also released CAAT Resources CD.

The Committee is in the process of revising Technical Guide on IS Audit and developing a Technical Guide on Audit of Stock Brokers CTCL facility.

The Committee has identified ERP Consulting as the next area for the development of the profession and has started offering courses on SAP FICO, Oracle 11i Financials and Microsoft Dynamics NAV. The Committee is launching Tally Business Assurance Practice (BAP) Workshop on July 12, 2008 which would enable CAs to offer Compliance and IT enabled audit services to their clients using Tally remotely as well as locally.

The Committee has launched e-Learning/ Computer Based Learning module on "Bank Branch Audit – An Overview" with Continuing Professional Education Committee of the ICAI and is in the process of releasing modules on "Using CAAT/ GAS – An Intro." and "Using MS-Excel as a CAAT/ GAS Tool". The Committee is actively endeavouring to develop competencies and seek professional opportunities for CAs in the IT area.

The Committee has also started offering Computer Appreciation Course for Senior Members in association with the Continuing Professional Education Committee of the ICAI as a part of the ICAI's initiative to ensure that the profession is IT equipped. Batches of this course are organized in the ITT Centres established at 100 IT centres of the ICAI.

5.12.2 Post Qualification Course on Information Systems Audit (ISA)

Considering the emergent need for IS Audit/ Systems and Process Assurance, the Committee introduced the post qualification course on Information Systems Audit for the members. The Syllabus and Background Materials were last revised in January, 2006. An exercise was once again taken up this year to re-look at the syllabus and background material for which a Faculty Meet was organized at Chennai with the theme to benchmark the course towards the best in the world and is currently in final phase of review/ consolidation.

5.12.3 IT Enabled Services (ITeS) – ERP Training Courses & Business Assurance Services

The Committee has identified ITeS as a thrust area for training and development of members, particularly ERP. As a part of this initiative, the Committee has started offering courses through OEM vendors on SAP FICO, Oracle 11i Financials and Microsoft Dynamics NAV. These courses offer twin benefits of convenient timings and discounted fees. Further details of these courses are available at www.icai.org under Members – Courses.

5.12.4 Computer Appreciation Course for Senior Members

The Committee on Information Technology along with Continuing Professional Education Committee of the ICAI has endeavoured to ensure that the CA's are Computer savvy by offering a well structured Computer Appreciation Course for Senior Members organized at the IT Centres of the ICAI. Batches have been organized at Delhi, Kolkata, Chennai, Nagpur, Ahmedabad, and Faridabad. More and more branches are being encouraged to organize these courses.

5.12.5 E-Learning/ Computer Based Training (CBT)

One of the major initiatives of the Committee this year is to make available E-Learning/ CBT modules such that CAs from across the country and abroad can learn anytime from the convenience of their office/home. The Committee has already released the e-learning module on "Bank Branch Audit – An Overview" in association with Continuing Professional Education Committee of the ICAI, as a part of the new CPE unstructured learning activity. The Committee is also in the process of releasing modules on "Using CAAT/ GAS – An Intro." and "Using MS-Excel as a CAAT/ GAS Tool" shortly.

5.12.6 IT Conferences, Seminars, Practical Workshops

The Committee organized a number of IT Conferences/ Seminars/ Practical Workshops during the report period to provide greater practical exposure to members.

National IT Conference was organized on 21st June, 2008 at Ahmedabad which was attended by more than 450 members. A Three Day Diamond Jubilee SOX Workshop is scheduled to be held on July 17-19, 2008 at Thekkady, Kerala. Number of other IT Conferences are scheduled to be organized during the year 2008-09 in major cities and metros.

5.12.7 Standards/ Guidelines/ Procedures for IS Audit

The Committee is in final stages of getting Standards/ Guidelines/ Procedures of IS Audit under license from ISACA to enable ISA Qualified CAs (IS Auditors) to have access to the broad framework to perform IS Audits as the first phase.

5.12.8 Training Resources on Computer Assisted Audit Techniques (CAAT/ General Audit Software) – CAAT Resources CD (V2.1)

There is an increasing need to use Computer Assisted Audit Techniques/ General Audit Software to deal with increasing volumes and variety of financial transactions processed electronically. Recognizing this need, the Committee has issued a *CAAT Resources CD* (V2.1) to facilitate members to develop soft skills on using Computer Assisted Audit Techniques (CAAT)/ General Audit Software (GAS). This CD contains walkthroughs (step-by-step procedures with voice explanations), user guides, presentations, case studies and working copies of a number of CAAT/ GAS tools.

5.12.9 CPE Course on "Computer Accounting & Auditing Techniques" (CAAT)

The Committee took an initiative to offer CPE Course on Computer Accounting & Auditing Techniques (CAAT). The curriculum of the course is revised time to time to keep it up-to-date with the technology developments. This course is now available for members through Regional Councils/ Offices/ Branches/ CPE Chapters of the ICAI.

5.12.10 Technical Guide on IS Audit

The Committee has published a Technical Guide on IS Audit for the use of members to provide the framework for IS Audit. The Committee is in the process of coming out with a thoroughly revised and revamped guide (V2) to enable guide and support the ISA Members in undertaking IS Audits.

5.12.11 ISA Portal

The Committee has established ISA Portal www.isaicai.org to offer services such as course information, facility for online registration, fill-up of the online ET form and details of Committee activities for the benefit of members. ISA Portal is the primary means of communication with the members pursuing the ISA & CAAT Courses.

5.12.12 ISA COM site providing twin Services of ROSM & OLPT

The Committee has established the ISA COM site to provide a unique learning and testing facility offering twin services of Online Practice Tests (OLPT) and Researched Online Study Materials (ROSM). The OLPT facility enables candidates to review their understanding/ preparation level for the examinations and ROSM facility gives one page full of details about the question asked, to enable members to have greater clarity of concepts.

5.12.13 Technical Guide and Training Programmes on Systems Audit of Stock Brokers

The Committee is in the process of finalizing Technical Guide on Systems Audit of Stock Brokers and organize practical workshops to equip ISA members to conduct Systems Audit of Stock Brokers CTCL facility, which is a mandatory requirement of NSE/ BSE.

5.12.14 Tally MOU

The ICAI entered into an MOU with M/S Tally Solutions Pvt. Ltd. As part of this initiative, M/S Tally is launching Tally Business Advisory Practice (BAP) Programme in five phases. Using Tally BAP, CAs would be able to provide statutory compliance services, MIS, and IT enabled Audit services remotely as well as locally. The Pilot launch of the first phase of Tally BAP is to be inaugurated by the President on 12th July, 2008 at Delhi.

5.13 Public Relation Activities Undertaken

The Public Relations Activities in the year 2007-08 took a leap forward as the ICAI entered its 60th year. There was a greater need to further build the brand of the profession and the ICAI globally and within the country. This year, the ICAI has attained a milestone i.e. it has entered its Diamond Jubilee Year. In this historic year, there has been an increased interaction with media. The interaction within the ICAI with its members, branches and regional offices have also increased manifold. Some of the important activities undertaken by the PR division include the following:

- A CA Logo to be used by Members/Firms on the visiting cards and other material for dissemination to world at large regarding their distinctive occupation of a Chartered Accountant, was released at the august hands of Union Minister for Corporate Affairs, Hon'ble Shri P. C. Gupta on the Chartered Accountants Day i.e. 1st July, 2007.
- An orientation programme for the press and media persons was conducted briefing them on the technical aspects of the accountancy profession so as to make the press coverage more realistic and authentic..
- A catalogue of ICAI Publications was brought out during the year.
- Empanelment of advertising agencies to strategically help position ICAI as the premier education Institute for Chartered Accountancy in India and as a regulatory body with transparent functioning.
- The media interactions increased through one-to-one interviews, constantly apprising the media of the latest developments regarding the curriculum, profession, introduction of new courses, new guidelines for CAs, visit of foreign delegations, other activities and events etc. through regular interaction.
- Promoted the potential & scope of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic economy by way of articles as well as through interactive meetings/releases issued to the press at national/regional level and through various TV Channels.
- Started a quarterly publication, compiling the prominent news coverage of ICAI in the print media, snapshots of the important activities/events/happenings of ICAI. It was brought out in the form of a booklet –"In-Touch". This is envisaged to be a medium for dissemination of information and also a brand building exercise by keeping foreign dignitaries, Ministry and other important officials informed of the developments taking

place in the Indian Chartered Accountancy profession.

- For setting up of ICAI Archives in the Diamond Jubilee Year, the initial list of proposed items to be included have been identified and segregated.
- Providing logistic support to various departments within the ICAI, to the regional Offices and Branches, to the Committees constituted by the Government of India, under the Ministry for Corporate Affairs, with a view to develop communication link between the ICAI and its offices/related organizations.
- As a part of the PR exercise, ICAI organized appropriate coverage in print and electronic media to different seminars/programmes/events/book launches of the ICAI, organised by different Committees.
- The ICAI Profile was brought out in the year 2006. In order to upgrade the same, latest information has been collected from all departments and Committees. The upgraded version would soon be brought out.
- PR was a part of the Diamond Jubilee Celebrations and the jobs related to creatives and media publicity were assigned to the PR Cell. Diamond Jubilee Logo was created which was integral to all communication pertaining to the celebrations. Specific stationery was designed which would be used along with the logo throughout the year.
- The complete communication for the Diamond Jubilee Celebrations – Invites, brochure, souvenir, posters, stickers, advertisements, newsletter cover etc were designed. The same were forwarded to all branches/regional offices to maintain uniformity in the communication.
- For an appropriate coverage of the Diamond Jubilee celebrations, a tie up was established with 3 electronic channels-CNBC, UTVi, Zee. All the 3 channels have given wide publicity to various activities organized to mark this momentous occasion. The channels have been asked to work on the TV commercials as well which would run on these channels throughout the year.
- It was decided to bring out a souvenir on the occasion of Diamond Jubilee Year. Important dignitaries like national political leaders, Chief Ministers of states and heads of International bodies were contacted and requested to send the messages on this occasion. A special Souvenir compiling all these messages and also from corporate leaders was brought out.
- Emphasis on contemporary issues in public debate concerning the profession, in the programmes organized by the ICAI, its Regional Offices and Branches with a view to develop communication link between the ICAI and members for their feedback has been laid.

5.14 Trade Laws and WTO

Over the past few years, globalization has altered the pattern of economics the world over. No economy can remain insular to the winds of change that gather around us. Service sector has become the largest and most rapidly expanding sector in most economies, accounting for well over 60% of world GDP. Services account for a large share of production and employment in most economies and are coming to dominate the economic activities of countries at virtually every stage of development, making services trade liberalization a necessity for the integration of the world economy.

Developing countries have been striving hard, often at considerable cost, to integrate more closely into the world economy. While a certain amount of adjustment and compromises are inevitable, the negotiations have to be guided by a trade-off between the issues of market access and domestic concerns so that the new world trade order does not result in deleterious consequences for less-developed nations. Behind a backdrop of pulls and pressures of tough negotiations and bargaining postures, the question naturally arises as to how our economy will respond to the rapidly evolving international trading environment.

The task ahead is difficult and would require the deliberate and conscious efforts and cooperation of all sections of Indian society. As a qualified professional, the Indian Chartered Accountant is in an advantageous position to provide the skills and services to different sections engaged in international trade. To perform this role effectively, the Chartered Accountant needs to understand the WTO regime and assess the importance and implications of various rules that could impinge on the country's trade activities and relations. The Chartered Accountant has to be aware of the consequences of implementation or non-implementation of particular trade laws on the Indian economy. It is in this wider context, the ICAI had constituted a Committee on Trade Laws and WTO as a non-standing Committee in the year 2001.

The Committee on Trade Laws and WTO had been established with the mission to establish and assure the expertise and authority of the ICAI in all matters concerning Laws of Trade including Trade in Goods and Services in particular, and the implementation of international trade regimes including the WTO regime in general, both nationally and internationally and to create and expand a base of expertise in these matters among the membership of the ICAI through such ways and means as are considered to be most effective so as to fulfill national stated and unstated aspirations, concerns, and needs in all these regards.

The Committee's composition includes members of the Council, members co-opted to the Committee from various parts of the country and other experts invited from time to time at the deliberations of the Committee. Moving ahead with its mission, the Committee continues to strive for capacity building of members in the rapidly changing world trade scenario in order to technically equip the members of the ICAI to face the challenges and derive advantages to broaden the scope of their expertise in the new world trading regime and to contribute towards the economic development of India.

5.14.1 Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation

The Committee had introduced a Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation to orient Chartered Accountants towards developing the necessary and desirable capabilities to adapt to - and respond to – the dynamic and challenging international economic environment. This Course has also been receiving good response from the members.

- After the successful launch of the Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO (ITL & WTO) in November 2004, total of 294 Members have been registered in the Course from across the country.
- Two batches of the 30 days Personal Contact Programme (PCP) for the Post Qualification Course in ITL & WTO were successfully conducted during the year at New Delhi from 15th June 2007 to 30th June 2007 & 1st August 2007 to 14th August 2007 and 3rd December 2007 to 17th December 2007 & 4th January 2008 to 14th January 2008. Further, Phase 1 of the Personal Contact Programme (PCP) for the Post Qualification Course in ITL & WTO has also been successfully completed at New Delhi from 1st July 2008 to 15th July 2008. Eminent faculty consisting of senior Government officials in different Ministries/Departments, such as Ministry of Commerce, Ministry of Finance, Ministry of Small Scale Industries, Directorate General of Safeguards, Directorate General of Foreign Trade, Competition Commission of India, Export Inspection Council of India, Copyright Board, faculty from Indian Institute of Foreign Trade, Indian Institute of Public Administration, University of Delhi, Delhi School of Economics, Confederation of Indian Industry, noted law firms, people from trade and Industry, professionals, consultants and other research based organizations in the field

of International Trade and WTO made presentations and delivered lectures during the PCPs.

- The syllabus, course structure, study material and the framework of the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO are proposed to be realigned with a view to give a focused outlook to the overall structure of the Course. The scheme is, however, pending for approval by the Government.
- The Committee has been taking efforts to popularize the Course amongst members throughout the country and also to promote the Course in the industry, Government and other potential user groups to create professional avenues for members as equipped in International Trade Laws and WTO field.
- Interactions were held in different cities with the members registered for the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO with regard to various aspects of the Course.
- Interactions were held with various experts in the field of International Trade Laws and WTO on 5th May, 2008 at ICAI, New Delhi seeking their views with regard to the possible road map for Chartered Accountants in this field.

5.14.2 Seminars/ Conferences/ Awareness Programmes/ Workshops

During the period under report, the Committee on Trade Laws & WTO organised the following programs:-

- National Workshop on Professional Opportunities in the WTO on August 11, 2007 at Mumbai hosted by the WIRC of the ICAI.
- National Seminar on Foreign Direct Investments at Bangalore on August 25, 2007 hosted by Bangalore Branch of SIRC of the ICAI.
- Seminar on Emerging Professional Opportunities in the WTO Regime on September 8, 2007 at Indore hosted by Indore Branch of CIRC of the ICAI.
- Interactive Workshop on Competition Laws and PTAs/FTAs on 29th February, 2008 at ICAI, New Delhi.
- Interaction with the Trade Counsellors of various Embassies in India on 26th March, 2008 at New Delhi.
- Seminar on International Trade Laws & Foreign Trade Policy jointly organized by the Committee on Trade Laws & WTO and Committee on Economic & Commercial Laws on 17th May, 2008 at Mumbai hosted by WIRC of the ICAI.

The Committee has also brought out Background Material on International Trade Laws & WTO.

5.14.3 Research Activities

With the basic objective of providing guidance to the Chartered Accountants in practice and in service and others concerned to have an insight in various fields and on issues of relevance to International Trade Laws and WTO, the Committee has released the publication titled 'Canadian Advantage: A Research Study on Canadian Business Opportunities' during the period.

The Committee on Trade Laws and WTO has also undertaken country specific research studies for the following countries. The basic objective of these research studies is to provide guidance to the Chartered Accountants and others concerned on the trade laws/rules applicable in major trading partners for (a) setting-up businesses in such countries and (b) operating as professional accountants in such countries.

- UAE
- USA
- Australia
- Singapore
- France
- Italy
- Oman

With the basic objective of providing guidance to the Chartered Accountants in practice and in service and others concerned to have an insight in various fields and on issues of relevance to International Trade Laws and WTO, the Committee has also undertaken research activities in the following fields to bring focused research publications:-

- Professional Opportunities in International Trade Laws and WTO
- Foreign Trade Policy
- International Commercial Arbitration
- Cross –border Mergers & Acquisitions
- Benefits of Preferential Trade Agreements

5.14.4 Knowledge Sharing

The Knowledge sharing page developed by the Committee and displayed at the website of the ICAI continued to provide useful and relevant information on the basic understanding of WTO. The page intends to keep the members abreast of latest development in the ever-changing global trading environment. Further, the Committee has also initiated development of a separate comprehensive portal on WTO to meet the emerging needs of the members.

5.15 Committee on Insurance and Pension

5.15.1 Developing Professional Opportunities for CAs

- Representation letters were sent to all Public Sector Insurance Companies (Non Life) for upward revision in the remuneration payable to the Central Statutory Auditors/ Statutory Divisional Auditors/ Statutory Branch Auditors.

- Representation letters were sent to the companies carrying on insurance business requesting them to enroll ICAI with their organization for imparting industrial training to the students undergoing Chartered Accountancy (CA) course.

5.15.2 Developing Domain Expertise amongst CAs in the areas of Insurance and Risk Management and Pension

Publications

- A book titled "Insurance Broking" has been released. The book contains the various aspects of the insurance business and the opportunities available for the Chartered Accountants in this sector in general and insurance broking in particular.
- Suggested Answers to DIRM Technical Examinations held in November 2006 and May, 2007 have been published for the benefits of the DIRM pursing members of ICAI.

The Committee has identified the following areas to bring out publications for the benefit of the members and others concerned:

1. Guidance Note on Audit of Companies carrying on Life Insurance business (Revision)
2. Guidance Note on Audit of Companies carrying on General Insurance Business (Revision)

3. Accounting Issues for Entities involved in Life Insurance Business
4. Accounting Issues for Entities involved in General Insurance Business
5. Technical Guide on Investment Function of Insurance Companies (Revision)
6. *A Study on Insurance Surveyors* and Loss Assessors (Revision)
7. Insurance Industry – A Rising Era of Professional Opportunities Covering Chartered Accountants Role as an Advisor in General Insurance and Life Insurance
8. Management Audit of *Insurance Companies*
9. Issues and Perspectives on Bank Assurance [covering basics, accounting, auditing and other compliance issues]
10. Agriculture Insurance
11. Detection and Prevention of Insurance Fraud Terror
12. Terrorism Risk Insurance
13. BPO in Insurance Business in general insurance
14. Reinsurance [covering Reinsurance Market, Special Areas of Reinsurance, Inward Reinsurance, Reinsurance Practice and Reinsurance Administration]
15. Insurance Arbitration
16. Third Party Claims Management
17. Insurance Manual for Enterprises
18. Valuation of Insurance Companies
19. Urban Insurance Issues
20. *Information Technology in Insurance Business*
21. Total Quality Management (TQM) in Insurance Industry
22. Third Party Assurance Services
23. Financial Risk Management
24. Exchange Control in Insurance Business
25. Assets Liability Management in Insurance Business
26. Taxation Issues in Insurance Companies
27. Terrorism Risk Insurance

As an endeavour to achieve its objectives, the Committee has started hosting an electronic newsletter containing the daily news updates in the area of Insurance & Pension, which is uploaded on its portal [www.insuranceicai.org] on daily basis, except for Saturdays, Sundays and other Gazetted holidays. The newsletter focuses on topics related to:

- Life Insurance: *covering* news from various life *insurance companies.*
- Non life Insurance: covering news from various general insurance companies.
- Developments relating to health Insurance
- *Developments relating to Reinsurance*
- Developments relating to Pension/PFS
- Developments relating to IRDA
- Excerpts from interviews with CEOs, CFOs and CMDs of Insurance companies.
- News involving global players such as Lloyd's, Swiss Re and Munich Re (related to India)

The Newsletter is available at hyperlink: http://www.insuranceicai.org/ pressclippings.aspx

The Committee has prepared an Article "Emerging as an Insurance Professional: A Suggestive Approach" to motivate the Chartered Accountancy Course pursuing students to reap career in Insurance sector. The said Article has been published in June 2008 issue of "*The Chartered Accountant Student*".

Programmes

- *A Roundtable Meeting on Compliance Aspects of Accounting, Auditing and Regulatory*

Requirements of Insurance Companies was organized jointly with IRDA on 6th November, 2007 at Hyderabad. The Roundtable Meeting was attended by the CEOs, CFOs, CIOs, CMDs and other senior officials of the companies involved in life, general and reinsurance business alongwith the members of the ICAI associated with organization of General /Life Insurance sector as Statutory/ Internal Auditors. Senior officials from the IRDA and ICAI (including President, Chairman of the Committee on Insurance and Pension, Central Council Members of ICAI) were also present in this Roundtable Meeting.

- A Programme on AS-15 (Revised) on Employee Benefits with inputs on Actuarial Sciences for Chartered Accountants was organized at Mumbai on 21st June, 2008. The programme was hosted by Western India Regional Council of ICAI.
- A Workshop on Insurance Survey and Loss Assessment with special reference to Loss of Profit Policies was organized on 23rd June, 2008 at New Delhi and hosted by Northern India Regional Council of ICAI.
- Special financial assistance of Rs. 20,000/- had been provided to Regional Councils and selected Branches of the ICAI for organizing programmes on Insurance, Pension and Risk Management for developing and maintaining the core competencies of the members in these areas. The details of the programmes organised by the RCs/Branches is as under:

Name of the POUs	Date and Place	Topics covered
Hyderabad Branch of SIRC	7th July, 2007 at Hyderabad	• Detariff regime: Challenges before Insurance Sector - Panel Discussion • Accounting and Auditing Issues in Insurance Sector • Consultancy services in survey and loss assessment of insurance claims – A new professional avenue for Chartered Accountants • Insurance, Risk Management and personal financial planning - Opportunities for Chartered Accountants
EIRC of ICAI	28th July, 2007 at Kolkata	• Insurance Broking • Accounting and Auditing Issues relating to Insurance Sector • Accounts and Audit • Financial Risk Management • BPO and General Insurance Business • Opportunities for Chartered Accountants in the Insurance Sector
Thane Branch of WIRC	8th September, 2007 at Thane	• Panel Discussion on Challenges in the Detariff Regime • Accounting and Auditing Issues relating to Insurance Sector • Role of Chartered Accountants in survey and loss assessment and insurance consultancy areas in respect of stock loss / money / liability policies • Opportunities for Chartered Accountants in the insurance sector (risk management- to

		manage the risk at the optimum costs – and personal financial planning and insured)
Trivandrum Branch of SIRC of ICAI	8th September, 2007 at Trivandrum	• Insurance and Taxation • Opportunities for Chartered Accountants in Insurance Sector • Survey and Loss Assessment
[illegible] SIRC of ICAI	22 September, 2007 at [illegible]	• Panel Discussion on Challenges in the Detariff Regime • Accounting and auditing issues relating to • Insurance sector- Non life • Role of Chartered Accountants in survey and loss assessment and Insurance consultancy areas in respect of stock loss / money / liability policies • Investment Inspections of Insurance • Companies and Other Opportunities in • Insurance Sector – A CAs perspective
Nagpur Branch of WIRC of ICAI	6th October, 2007 at Nagpur	• Panel Discussion on challenges for insurance sector in the *Detariff regime* • Accounting and Auditing Issues relating to Insurance Sector • Role of Chartered Accountants in survey & • loss assessment and Insurance Consultancy • areas in respect of stock loss/ money / • liability policies • Opportunities for Chartered Accountants in the Insurance sector (risk management - to manage the risk at the optimum costs and personal financial planning and insured)
Ahmedabad Branch of WIRC of ICAI	8th December, 2007 at Ahmedabad	• Risk Management • Loss of Profit Insurance • Life Insurance & Role of Chartered Accountants • Chartered Accountants as Insurance Broker • Panel discussion on Detariff • Liability Insurance • Survivorship from Chartered Accountants

➤ **As in the year 2007-08, the Committee has been providing the Financial Support (with extended sphere in terms of number of Branches covered) of Rs. 50,000/- to the Regional Councils and three largest Branches of each Regional Council and Rs. 20,000/- to the Branches other than already covered for conducting programmes on Insurance, Pension and Risk Management for the benefit of the members of our ICAI. The initiative of the Committee for developing and maintaining the core competencies of our members in Insurance and Pension got a big boost. Satisfying with the help of Financial Support being provided by the Committee, as evidenced by the programmes organized by the Regional Councils/Branches:**

S.No.	Name of the organizing unit	Date & Place	Topics covered
1.	Saharanpur Branch of CIRC of ICAI	28th May, 2008 at Saharanpur	• Insurance Survey and Loss Assessment • AS-15 on employee benefit.
2.	CIRC of ICAI	31st May, 2008 at Kanpur	• Insurance Survey and Loss Assessment • Risk Management - Its essentials and Process • Third party Insurance • Insurance Broking
3.	Bhopal Branch of CIRC of ICAI	31st May, 2008 at Bhopal	• Insurance Survey and Loss Assessment
4.	Alwar Branch of CIRC of ICAI	1st June, 2008 at Alwar	• Insurance survey and loss assessment • Risk management in insurance • Insurance of professional liabilities • Developments in pension fund • Information technology and life insurance business • Professional opportunities in insurance sector
5.	Asansol Branch of EIRC of ICAI	22nd June, 2008 at Asansol	• Risk Management. • Audit of Insurance Companies • Anti Money Laundering
6.	Faridabad Branch of NIRC of ICAI	14th June, 2008 at Faridabad	• AS-15 (Revised) • Insurance Sector and Role of Chartered Accountants
7.	Gorakhpur Branch of CIRC of ICAI	6th July, 2008 at Gorakhpur	• Risk Management • AS-15 (Revised) • Anti Money Laundering

To encourage research in the areas of insurance and risk management with the financial support of Accounting Research Foundation of the ICAI, letters have been sent to the Directors of all IITs and IIMs and to the senior academicians serving in various universities, requesting them to motivate the faculty members of their respective Institutions for taking up the research work in the areas of insurance and pension.

The office has prepared a paper on **'Pension Fund Investment in Hedge funds'** to be submitted to the Pension Fund Regulatory and Development Authority. The paper has been circulated to the members of the Committee including the special invitees for giving their comments on the same.

Concept Paper on **'Increasing the Insurance Penetration in the Rural India'** has been prepared by the office of the Committee for onward submission to IRDA.

An Article **'Emerging as an Insurance Professional: A Suggestive Approach'** has been sent for covering in the Students' Newsletter of ICAI to motivate the CA students towards reaping Insurance Industry as a career.

An Expert Study Group (Separate for Life Insurance Business as well as Non Life Insurance

Business) has been constituted under the auspices of the Committee.

The focus areas of the Study Groups are:

- Giving suggestions for the harmonization of accounting practices and reporting in insurance industry either suo motu or with appropriate inputs from the industry.
- To offer suggestions of the reporting requirements for different segments of insurance business (Life – Traditional, Life-ULIPs, Non-Life, Re-insurance, Health).
- To bring out appropriate publications/guidance notes on various functional aspects of insurance industry including inspection of investments of Insurance Companies.
- To provide suggestions for synchronising the internal reporting requirements with the changing needs of Insurance Industry.
- To focus on the Development of Systems and Procedures and to strengthen the auditing procedure in the insurance industry.
- To interact with IRDA on a regular basis so that ICAI could make all possible contributions for the regulatory endeavours of the IRDA
- To suggest methods to equip ICAI to build its internal capacity in the area of Insurance and Risk Management to enable the members of the ICAI to make focussed contribution for the development of the insurance sector in India
- To become central nodal point for formulating suggestions for various Committees for ICAI and IRDA.

List of topics related to Insurance and Risk Management has been provided to CPE Committee to include in the CPE Calendar for the year 2008-2009. The CPE POUs have been requested to conduct programmes on insurance and pension sectors.

The Committee has finalized its Action Plan 2008-09. The salient features of the Action Plan 2008-09 are as under:

Enhancing capacity of the profession

- To use Insurance Portal to disseminate the details of members specializing in insurance and risk management as well as to enable others to explore the possibility of networking with them.
- To bring all statutory auditors of various insurance companies in a common platform for providing intensive and focused training programmes.

Establishing convergence with International Standards and promoting compliance

- To conduct programmes on IFRS 4 on insurance contracts
- To conduct a meeting of members of Audit Committees of the companies carrying on insurance business for inviting comments / suggestions on the compliance of IFRS-4 on "Insurance Contracts".
- To provide technical inputs to the President while participating in all the meetings of IRDA and other Committees / Councils of IRDA
- To work closely with PFRDA to maintain the role of the profession in the pension sector
- To work jointly with ASB and AASB on the accounting and auditing issues respectively relating to insurance and pension industry
- To continue to organise Round Table Meetings on Compliance Aspects of Accounting, Auditing and Regulatory Requirements of Insurance Companies jointly with IRDA

Greater integration of the profession with global imperatives

- To go in for strategic collaboration with leading international professional institutions

focusing on risk management.

Planning for growth in profession while maintaining quality

- National level advertisement campaign to popularise the DIRM Course and the expertise of the members who got the DIRM qualification (including CA Journal and Regional and Branch newsletters)
- To pursue with the government to revise the Schedule G of the CA Regulations
- To conduct chair seminar programmes on audit of insurance companies on divisional companies audit.
- Budgetary support to Regional Councils and Branches for organising programmes on Insurance, Pensions and AS – 15.
- To Organise a Global Conference on Risk Management at Mumbai during the month of November, 2008 with participation of international risk management organizations.

Strengthening educational and other services

- To go in for a e-learning module for DIRM candidates
- Insurance Portal to gear up to maintain the competencies of the members in the area of insurance and risk management.

Positioning ICAI and the profession for a greater role in nation building

- A Concept Paper on **Financial literacy on insurance penetration in the rural areas of India** be prepared and be forwarded to the IRDA for their consideration which would include organizing programmes on insurance awareness (in due coordination with IRDA and the ICAI's organs across the country) for educating the people towards insurance awareness.
- To join hands with Committee on Financial Markets' and Investors Protection to conduct investor awareness programmes including a few topics on insurance and pension products.

Greater involvement of members in industry in work programmes of the ICAI

- To conduct programmes jointly with select IIMs / ASCI / NIA / IAI

Giving impetus to research activities

- Invitations to:
  - DIRM completed candidates,
  - Insurance companies,
  - National Insurance Academy
  - Top management institutions,
  - Management departments of IITs,
  - Management Schools of Universities
- Taking all possible measures for encouraging research in the areas of insurance and risk management by way of providing the Financial Support (through Accounting Research Foundation) to the volunteers who are desirous to carry the research work in these areas for the benefits of the country.
- To study the annual reports of various companies involved in insurance business to identify diversities in external financial reporting with a view to bring uniformity in external financial reporting.

Creating enabling institutional and organizational framework

- Use of Satellite technology for delivery of universal CPE to members and distance education to students.
- To use Reliance Web-world classes for the benefit of members in the areas of Insurance

and Pensions.

5.15.3 Training and equipping members in insurance and pension sectors by way of offering Post Qualification Courses and other Educational Courses:

- Suggested Answers to the DIRM *Technical Examinations* held during *November*, 2006 and November, 2007 (total three exams) has been prepared and hosted on the web site of the ICAI and insurance portal of the Committee as well. The Committee has also released the printed version of the suggested answers to the DIRM Technical Examinations held during November, 2006 to May, 2007 (total two exams).
- Five Orientation Courses have been successfully held at Kolkatta, Chennai, Pune, New Delhi and Mumbai on September 3-8, 2007, September 12–17, 2007, November 17-22, 2007, December 3–8, 2007 and March, 10-15, 2008 respectively for the candidates who passed the IRM Technical Examinations.
- To popularize the DIRM course amongst the members, the Committee is consistently making efforts and taking up appropriate measures. As a result, the number of registrations has reached upto 3337 till 10th July, 2008.

5.15.4 Insurance and Risk Management Portal

Separate Web Portal of the Committee (http://www.insuranceicai.org) is being updated for dissemination of knowledge and single window clearance for the stakeholders to identify the members who wish to develop specialization in insurance and pension sectors. SMS were sent to the members of the ICAI for popularizing the portal.

5.16 Committee on Corporate Governance

The Committee on Corporate Governance (CCG) came into existance in September, 2005. Its very purpose was to encourage appropriate level of corporate governance, provide assistance in laying down benchmarks and proactively conduct research about the difficulties/problems being faced by the corporations in view of globalization. Since formation, one of its thrust areas was to organize as many training programmes on *Independent Directors*, across the *country*, as *possible*. During the year, two such *training* programmes were held.

Besides, the CCG has also continued organizing several events on various topics of Corporate Governance, be it independently or jointly with the Regional Councils or Branches of ICAI or outside bodies. The National Foundation for Corporate Governance (NFCG), set up by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, in association with the ICAI, CII and ICSI, with a vision to be a catalyst in making India the best in corporate governance practices, often sponsored the activities of the CCG, be it in the form of holding events or bringing out publications jointly. The market regulator SEBI has also supported the initiatives of the CCG and assured its association to take part in the plans of the Committee.

5.16.1 Conferences/Seminars Organized

- During the year, the Committee has conducted 2 Training Programmes on *"Independent Directors"* at Kolkata and Vadodara and a similar programme has also been held at Kolkata again on 26th-28th June, 2008.
- A Symposium on *"Corporate Governance through Audit Committee"* was held at Delhi in June, 2007 jointly with the NFCG.
- A half-day Seminar on *"Corporate Governance and Taxation"* was held at Ernakulam in August, 2007 jointly with the Ernakulam Branch.
- A symposium on *"IT & Governance"* was held at Chennai in December, 2007 jointly with SIRC, Chennai.

- A Conference on the theme, *"Role of Chartered Accountants in Corporate Governance"* was held at Chennai in January, 2008 jointly with SIRC, Chennai.

5.16.2 Initiatives/projects in progress

- Work hand-in-hand with regulators to address issues in corporate governance, launch course in corporate governance, create effective rating systems, build a hub of Independent Directors who will, in turn, guide organizations to observe good governance practices, train independent directors
- Promote CAs for Independent Directors
- Create a special purpose committee headed by an eminent personality of international repute
- Generating awareness among all businesses, both listed and unlisted, in good governance practices
- Develop a Code of Governance for NGOs
- Bring out publication on Role and Responsibility of Independent Directors and Audit Committee
- Develop a software on Corporate Governance Rating jointly with national/international rating agencies
- Organize awareness programmes on emerging areas such as: *Corporate Social Responsibility (CSR), Climate Change/Global Warming, Sustainability Reporting, Information technology (IT) & Governance, Corporate Governance Rating/Audit, Carbon Credit*
- Taking up certain issues with various legislative/regulatory authorities towards: *Consideration of CAs as best suited financially literate professionals to head the Audit Committee, Mandatory provisions for Corporate Governance Rating, Setting a suitable mechanism towards payment of reasonable remuneration to the Independent Directors*
- Holding five national and one international programme jointly with the NFCG during 2008-09

During the year 2008-09, the President has constituted following Committees for the first time, which have started functioning from 5th February, 2008 onwards, which also include the bifurcation of the erstwhile Fiscal Laws Committee and Corporate & Allied Laws Committee into Direct Taxes Committee and Indirect Taxes Committee; and Corporate Laws Committee and Committee on Economic & Commercial Laws respectively:

(i) Committee for Capacity Building of CA Firms
(ii) Committee on Economic & Commercial Laws
(iii) Committee on Government Accounting
(iv) Committee on Management Accounting
(v) Committee on Public Finance
(vi) Direct Taxes Committee
(vii) Indirect Taxes Committee
(viii) Perspective Planning Committee

5.17 Committee for Capacity Building of CA Firms

The Committee for Capacity Building of CA Firms has been constituted for the first time in February, 2008 for the purpose of providing comprehensive guidance for consolidation and capacity building of CA Firms.

The Committee would focus on the problems faced by the Chartered Accountants Firms and

address the conceptual and implementation issues at the Firms level. The Committee would encourage the concept of Merger and Networking of Firms and suggest measures including changes in the present rules and procedures for ensuring consolidation and networking happening.

The Committee has already taken initiatives in this regard and discussed at length the need to enhance the capacity of practicing firms by way of encouraging Mergers and Networking. The Committee decided to pickup a few pilot projects by identifying the firms interested for consolidation and to prepare a working paper based on the experience gained through this process and formalize it into a guidance manual for the benefit of Membership at large.

5.18 Committee on Economic and Commercial Laws

The Committee on Economic and Commercial laws (CECL) is a new Committee carved out of the erstwhile Corporate and Allied Laws Committee, with the specific objective of focusing more *clearly* on the *emerging professional opportunities* in the area of *economic* and commercial laws and to facilitate legislative process in the area of making/amending economic and commercial laws.

The following are the *significant achievements* and *exercises undertaken* by the Committee:-

Interaction with the various Government Departments/Ministries

There has been a constant interaction with the officials of the Government Departments/Ministries for the purpose of exploring professional opportunities for the members and the Committee has decided to continue this exercise.

Suggestions/Comments on various Economic and Commercial Laws

The Committee has submitted its views/suggestions on CCI draft Regulations to the Competition Commission of India, FATF recommendations to Financial Intelligence Unit-India, Ministry of Finance and FC-GPR form to Reserve Bank of India.

Seminars/Workshops Organised

The Committee has organized Seminars on Emerging Competition Regime for Industry and Role of Accountancy Profession, International Trade Laws and Foreign Trade Policy, Non Banking Financial Companies and workshop on Right to Information Act and Arbitration.

Revision of the Publications of the Committee

The Committee has undertaken the task of revising the existing publications of the Committee. The Committee has also decided to bring out some new publications on the topics covered in the Economic and Commercial Laws during the year.

Role of ICAI in facilitating Arbitration process

The Council at its 278th meeting held from 13th to 15th May, 2008 approved, in principle, the Scheme of Alternative Dispute Redressal framework as recommended by the Committee. The Committee is now in the process of revising the draft of ICAI *Guidelines* on Arbitration, Note on the Role of Chartered Accountancy profession in Arbitration, Draft Certificate Course Contents on Arbitration.

Preparation of Background Material

Steps are being taken to prepare the background material on the Acts/Bills for circulation among the delegates in the proposed Training Programmes/Workshops/Seminars

5.19 Committee on Government Accounting

Keeping in view the significance of accounting reform process initiated by the Government of India and the critical role that the ICAI can play in assisting the government, the President has set up the Committee on Government Accounting for the first time in February, 2008. The first meeting of the Committee was held on 6th May, 2008. The meeting was inaugurated by Hon'ble Member of Parliament and Member of the ICAI, CA. Suresh P. Prabhu. In the meeting, the Committee considered the Action plan for the Year 2008 and the Term of References of the Committee.

5.19.1 Action Plan

- Providing awareness of Government Accounting to the society at large, collaboration with offices of C&AG, CGA and other Government bodies.
- Pushing Reform in Government Accounting, communicating to the stakeholders the benefits of Double Entry Accounting System and why the Accounting Reform is crucial for addressing issues of transparency, good governance and for meeting challenges posed by consumer activism, citizen rights, RTI etc., to promote awareness among all stakeholders including Government employees, executives, society at large, NGOs and media.
- Undertake capacity building measures for the profession, prepare status paper of current state of Government Accounting.
- Preparation of Approach paper and Road Map for reform.
- Communicating to Government entities that the Committee is acting in this area and to explore changes that may be necessary in the legal framework for facilitating the accounting reform process.

5.19.2 Terms of Reference

- To review and on that basis, suggest improvements to the existing Government Accounting System, providing awareness of Government Accounting to the society at large and specifically to the stakeholders including inter–alia to employees of the government, C&AG, members of the profession, media, NGOs and to citizens generally.
- To provide training within the Government bodies at Central, State, District level, Local bodies and Gram Panchayat Level.
- To facilitate suitable interface with present day Information Technology and to evolve methods which would enable use of technology in assisting the accounting reform process, collaboration and coordination with C&AG, CGA and various other Ministries for development of the improvements in the framework of Government Accounting System, to assist Central Government and the State Governments in enhancing accountability and transparency in Public service delivery mechanism.
- To suggest to the Central and State Governments accounting reforms which would assist in widening the tax base & in better administration of the revenue collection and deployment machinery, assist the process of outcome measurement and improved MIS, reporting and budgetary control mechanisms.
- To encourage the study of and create awareness in regard to government accounting within the profession.
- To undertake capacity building measures for the profession to enable the profession to assist the government in the process of implementation of government accounting reforms and for this purpose undertake studies, conduct training and awareness programmes, publish background material etc.

5.20 Committee on Management Accounting

With a view to put focus on management accounting, the President constituted the Committee on Management Accounting on 5th February, 2008. The Committee is currently

engaged in revamping the post-qualifying course on Management Accounting, besides other projects. The Committee is expected to revive the Management Accounting Journal besides dealing with Issues connected with management accounting.

5.21 Committee on Public Finance

Under the Action Plan 2008 of the ICAI, the Committee on Public Finance has been constituted for the first time to use professional excellence in the area of Public Finance.

The Committee indeed is a stepping stone in ICAI's mission of partnering with the Government in Nation building. This is an initiative of ICAI to meet its social obligations by providing professional services of CAs beyond corporate sector and to the public at large. The principal objectives of the Committee inter-alia includes review, analyze, recommend measures and assist Centre and State Governments, Civic Bodies and PSU's in:

- Policy Assessment, Planning and Execution in the field of Public Finance.
- Public Finance Structure to develop a robust mechanism for channelising adequate resources towards inclusive growth and economic development.
- Technical support in fostering economic reforms.

Accordingly, the *Committee* has *functional* focus on study, *research* and *report* on fiscal policy, financial planning, revenue and expenditure, public debt management, developmental schemes, welfare schemes, industrial and agriculture sector growth, financial resources and distribution of income & wealth at Centre, State & Local Level.

The Committee also undertakes and organises training programmes, courses, seminars, workshops for Government Offices, bureaucrats and persons involved in machinery of public delivery system.

Making its approach more effective and more resultant, the Committee holds regular dialogue with the Governor, Chief Minister and Finance Minister of States and also interacts with CEOs of PSUs, Commissioners of Municipal Bodies and head of National & International Financiaries funding developmental programmes in India.

To perform at provincial and local level, 23 State Level Committees have also been constituted for States and Union Territories comprising of Central Council members, Regional Council members and other members of the profession. These State Level Committees hold their meetings as per Terms of Reference decided by the Council. The State Level Committees are assigned with similar responsibilities as of Central Committee besides holding State Level Summit, to carry out assignment offered by State Government and holding meetings with Ministers and Officials of the respective States.

Since its inception in February, 2008, the Committee has done commendable work in the area of Public Finance. On 6th March, 2008, the Committee conducted its first meeting inviting CA. K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya Sabha as the Chief Guest who well appreciated workings of the Committee and shared his experience guiding over path ahead. Further, in its second meeting held on 23rd June, 2008, the Committee invited Shri Yashwant Sinha, former Finance Minister, Govt. of India as Chief Guest. Shri Sinha appreciated the role of Chartered Accountants in development of economy and commerce and suggested the ICAI to work out the methodology, schedule of plan and proper system to ensure better transparency and accountability in accounting system in the Govt.

CA. Subodh Kumar Agrawal, Chairman of the Committee, as per Terms of Reference of the

Committee also held following meetings with the members of State Level Committee on Public Finance:

- Meeting of Hon'ble President on behalf of Committee on Public Finance with Hon'ble Governor, Karnataka on 13th March, 2008
- Meeting of Chairman and members of State Level Committee with Finance Minister, Madhya Pradesh on 20th March, 2008
- Meeting of Chairman and members of State Level Committee with Finance Minister and Industry Minister, Kerala on 26th March, 2008
- Meeting of Chairman and members of State Level Committee with Finance Commissioner, Arunachal Pradesh on 10th May, 2008
- Meeting of Hon'ble President on behalf of Committee on Public Finance with Finance Minister, West Bengal on 14th June, 2008
- Meeting of Chairman with State Insurance Department, Trivandrum on 3rd July, 2008.
- Meeting of Chairman and members of State Level Committee with Chief Minister, Assam on 5th July, 2008.

Simultaneously, State Level Committees have also commenced their activities assigned to them under Terms of Reference and have already held their meetings as under:-

- State Level Committee, Uttarakhand - 25th April, 2008
- State Level Committee, Rajasthan - 17th May, 2008
- State Level Committee, West Bengal - 20th June, 2008
- State Level Committee, Punjab - 21st June, 2008
- State Level Committee, Jharkhand - 26th June, 2008
- State Level Committee, Kerala - 3rd July, 2008
- State Level Committee, Assam - 5th July, 2008
- State Level Committee, Orissa - 7th July, 2008

Some more State Committees have scheduled their meetings by end of July 2008.

The Committee stands as one of the most active Committees of the ICAI creating a landmark history through excellence in performance.

5.22 Direct Taxes Committee

Earlier the Fiscal Laws Committee was dealing the matters relating to direct taxes and Indirect taxes. During the year, two new committees viz. Direct Taxes Committee and Indirect Taxes Committee have been formed in place of erstwhile Fiscal Laws Committee.

The Fiscal Laws Committee, prior to it getting bifurcated into Direct Taxes Committee and Indirect Taxes Committee performed the following activities:

5.22.1 Training courses for CBEC Officers

The Fiscal Laws Committee organized training programme in coordination with the National Academy of Customs, Excise and Narcotics, Faridabad in "Use of Financial and Accounting Tools in the area of Indirect Taxes" for the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) Group "A" Probationers of 58th batch. The Fiscal Laws Committee also organized training programmes on service tax for Commissioners/ Additional Commissioners/Joint Commissioners/ Dy. Commissioners at Chennai and Kolkata.

5.22.2 ICAI's suggestions accepted

During the year, the Government accepted many of the suggestions made by the Fiscal Laws Committee in respect of various issues. The Government also accepted the

suggestions of the Committee on New Income-tax Return Forms. The Committee also drafted the (a) Service Tax (Composition Scheme for Services in Execution of Works Contract) Rules, 2007, (b) General suggestions on Service Tax on Works Contract and the same was appreciated by the Government. The Committee constituted a Study Group to consider drawing up a road map for the goods and services tax tentatively to be introduced in the year 2010. Accordingly, a concept paper was prepared and forwarded to the Government. The Committee also gave inputs to CBDT regarding fees payable to chartered accountants for undertaking audit under section 142(2A) of the Income-tax Act, 1961.

5.22.3 Memoranda

During the year, the Fiscal Laws Committee submitted Pre-Budget Memorandum – 2008 and some of the suggestions were accepted and incorporated in the Finance Bill - 2008.

5.22.4 Publication

The Fiscal Laws Committee revised the publication, Guidance Note on Audit of Public Charitable Institutions under the Income-tax Act, 1961. The Committee also revised the Guidance Note on Report on International Transactions under Section 92E of the Income-tax Act, 1961 (Transfer Pricing).

5.22.5 Representations

A representation was submitted to the Hon'ble Finance Minister for extension of due date for filing of returns for all types of assessees upto 31st October, 2007 and also for extension of due dates for e-filing of income-tax returns forms upto 31st October, 2007. A detailed representation was submitted to CBDT regarding difficulties faced by chartered accountants in registering as an e-intermediary with NSDL and requested the CBDT to give appropriate directions so that NSDL will process the applications of our members. The Committee represented with CBDT requesting for omission of item no.(iii) under notes to Form No.3CA so that the same would be in conformity with the provisions of section 44AB of the Income-tax Act, 1961.

5.22.6 Certificate course on International Taxation and e-filing help centres

The Fiscal Laws Committee organized a certificate course in international taxation for members at Mumbai which was commenced on 28th July, 2007 and ended by 9th September, 2007. The response to the said certificate course was very encouraging.

5.22.7 Teleconference on e-filing of income-tax return forms and Tax Awareness Programmes

The Fiscal Laws Committee organized a teleconference on e-filing of income-tax return forms on 11th July, 2007 at IGNOU and the teleconference was addressed by senior officers of CBDT and Directorate of Income-tax (Systems). The Committee also organized Tax Awareness Programmes in various places for benefit of general public as well as for members.

5.22.8 Seminars and Conferences

A large number of seminars, symposium, workshops were held throughout the country by the various branches with the coordination of the Fiscal Laws Committee.

The activities of the Direct Taxes Committee which started functioning from 5th February, 2008 are given below.

5.22.9 Budget viewing session on 29.2.08 and articles on Budget proposals - 2008.

As a new Committee, the Committee started its first activity by organising a Budget Viewing Session jointly with Indirect Taxes Committee on 29th February, 2008. After deliberating the budget proposals in this session, the Committee requested eminent members to contribute articles on budget – 2008 for publication in the Journal.

5.22.10 Workshop on Union Budget – 2008 and Post Budget Memorandum - 2008

The Committee organized a Workshop on Union Budget – 2008 on 20th March, 2008 and after discussing the Budget proposals in the Workshop, the Committee finalized suggestions and submitted Post Budget Memorandum – 2008 to the Government.

5.22.11 Representations/Suggestions

The Committee sent one representation to CBDT requesting for extension of time for making payment of taxes through electronic mode mandatory for certain class of assessees.

The Committee submitted a memorandum containing the suggestions of ICAI on the "Authority for Advance Rulings on Central Taxes Bill, 2007". Further, on the desire of the Parliamentary Standing Committee, the views of ICAI were also presented through oral evidence.

5.22.12 Interaction with CBDT Officials

The Direct Taxes Committee along with NIRC organized a felicitation dinner for the Chairman, CBDT.

5.22.13 Certificate course on International Taxation

The Committee has organised a Certificate Course on International Taxation at Ahmedabad which commenced on 7th June, 2008 and is likely to continue upto 22nd November, 2008.

5.22.14 Publications

The Committee proposes to revise the following publications that were issued under the aegis of the then Fiscal Laws Committee:

- Guidance Note on Tax Audit under section 44AB of the Income-tax Act, 1961
- Guidance Note on Report under section 115JB of the Income-tax Act, 1961.
- Taxation of Charitable Trusts and Institutions – A Study

In addition, the Committee proposes to bring out a new publication "International Transactions under sections 92E of the Income-tax – A Study"

5.22.15 Seminars/Conferences

The Committee organized a Residential Course on Taxation jointly with Indirect Taxes Committee at Hotel Corbett Hideaway, Ramnagar on June 5-7, 2008.

5.23 Indirect Taxes Committee

Consequent to the bifurcation of Fiscal Laws Committee into Direct Taxes Committee and Indirect Taxes Committee on 5th February, 2008, the Indirect Taxes Committee performed the following activities:

5.23.1 Union Budget viewing session on 29.2.08

The Committee organised a Union Budget Viewing Session jointly with Direct Taxes Committee on 29th February, 2008.

5.23.2 Articles on Union Budget proposals, 2008

Three Articles sent by eminent members on issue dealt with Union Budget 2008 were published in April, 2008 issue of the Journal.

5.23.3 Workshop on Union Budget, 2008

The Committee organized a Workshop on Union Budget – 2008 on 5th March, 2008 which was addressed by Economic Advisor to Finance Minister, Shri S. Gangopadhyaya and Shri R. Sekar, Jt. Secretary, TRU II where participants deliberated on various clauses of Finance Bill, 2008.

5.23.4 Post Budget Memorandum

As per regular practice, Post Budget Memorandum were prepared and submitted to the Government.

5.23.5 Authority for Advance Ruling on Central Taxes Bill, 2007

The Committee submitted its written suggestions on Authority for Advance Rulings on Central Taxes Bill, 2007 and made oral presentation before the Parliamentary Standing Committee.

5.23.6 Training Course for 59th Batch I.R.S. Probationers

The Committee organised a Training course on "Use of Financial and Accounting Tools in the area of Indirect Taxes" for the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) Group "A" Probationers of 59th Batch.

5.23.7 Residential Course

The Committee organized a three days Residential Course on Taxation jointly with Direct Taxes Committee at Jim Corbett National Park, Ramnagar.

5.24 Perspective Planning Committee

The Perspective Planning Committee has been formed as a proactive measure to consider the emerging developments nationally and internationally, which may have it possible bearing on regulated area carved out for the profession and supplement further by suggesting ways and means to promote the role of Chartered Accountancy profession in non-regulated areas. The Committee would work primarily as a Research and Analysis wing and would be the brain, eyes and ears of the Council and profession and would crystallize views by putting SWOT approach in place. The Committee is to also focus on the Center of Excellence for building of member capacity. The Committee would create an information network in place so as to achieve its objectives. The Committee has had four meetings in a short span of Feb-July 2008 and has been endeavoring to further its Terms of Reference.

6. INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

6.1 Recognition of Indian Qualification by other Accounting Bodies

The process of dialogue for evaluation of the ICAI qualification by select overseas accounting bodies, being a long drawn process inter-alia involving the evaluation of qualification, training, continuing professional education, disciplinary requirements and involving domestic sensitivities; the results of the process are slow; yet at the same time the ICAI is continuing its efforts for early culmination of the process. The process of qualification recognition is at various stages of discussion with accounting bodies in the Canada, Australia, UK, Singapore etc.

6.2 ICAI's Representation at International Forums

The prominent role played by the ICAI is evidenced in the form of nomination it enjoys in the governing boards of International accounting bodies, namely, the International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and South Asian Federation of Accountants (SAFA) in addition to their various functional Committees. Its nominees are currently represented on the following:

Committees of IFAC

- Small and Medium Practices Committee,
- Developing Nations Committee
- IFAC Compliance Advisory Panel

CAPA

- As President
- As Board Member

SAFA

- Committee on Education, Training & CPD
- Committee on Accounting and Auditing Standards
- Committee on Professional Ethics and Independence
- Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance
- Committee on professional Accountants in Business
- Committee on Quality Control
- Small and Medium Practitioners Committee
- Task Force on Harmonization of Fiscal and Tariff Regime
- Secretary, ICAI as Permanent Secretary, SAFA

6.3 MOUs/MRAs

The Memorandum of Understanding (MOU) with College of Banking and Financial Studies was signed by the ICAI on 13-14 January, 2008. The MOU inter alia focuses on infrastructure development and institution building for Oman.

The dialogue for MRA with the Institute of Chartered Accountants in England & Wales and CPA Australia is under advanced stage of negotiation.

6.4 Opening up of Chapters Abroad

The ICAI's Chapter in Muscat being 19th of its series was opened in March, 2008 to undertake professional developmental activities for accountants of all nationalities, conducting training programs for the benefit of accountants of all nationalities domiciled or residing in the Sultanate of Oman.

The ICAI opened its 20th Chapter at New York, USA. The same is scheduled to be inaugurated on 24th July, 2008.

The ICAI is in the process of formation of its 21st Chapter at Singapore which is likely to be operationalized soon.

6.5 Inbound Delegation

Delegation from National Accountants Certification Centre (NACC)

Delegation from National Accountants Certification Centre (NACC) visited ICAI on 29th November, 2007. The meeting focussed to facilitate bilateral cooperation by identifying areas of common interest to work together and enhance the relationship. The delegation

also visited Kolkata office of ICAI and had interaction with EIRC of ICAI.

Visit of delegation from Shanghai National Accounting Institute

The delegation comprising Li Kouqing, Vice-President, Shanghai National Accounting Institute, Ge Zhihao, Personnel & Education Department, Ministry of Finance of China, Xue Xuhong, Teacher, Shanghai National Accounting Institute, Wang Shuangyan, Teacher Shanghai National Accounting Institute, Wang Xin, Teacher, Shanghai National Accounting Institute, Yao Fan, Teacher, Shanghai National Accounting Institute visited ICAI on 18th December, 2007. Their visit was focused on understanding the educational system of accounting and auditing at either end.

Visit of Mr. Steve Vieweg, CEO, CMA Canada

Mr. Steve Vieweg visited the ICAI on 11th January, 2008 to carry forward the dialogue of recognition to ICAI members in Canada and had taken inputs from ICAI as regards the course curriculum and had agreed to share the inputs of the technical evaluation.

Delegation from Afghanistan

Delegation led by the Deputy Auditor General of the Republic of Afghanistan visited the ICAI on 23rd January, 2008 for ICAI's possible role in technical cooperation for building up an Accounting Institute there and providing training to stakeholders. In furtherance, another delegation comprising Prof. Mohammad Sharif Sharifi, Auditor General, Control and Audit Office Afghanistan visited ICAI on 1st February, 2008 and sought support from ICAI for institutionalization of accounting profession. He was accompanied by Shri S. Sathyamoorthy, Past Government Nominee from C&AG on the Council.

Delegation from France

A delegation of French accounting profession lead by Mr. Jean Pierre ALIX and Mr. Vincent Baillot President(s) of CSOEC & CNCC, France had detailed interaction with the ICAI to discuss measures required to facilitate movement of accountants and accountancy services in the wake of globalization between the two countries and also to adopt a joint stand on emerging issues in regard to international standards on accounting and auditing during their visit to New Delhi on 11th-12th February, 2008. The delegation also included Mr. Jacques Potdevin, President of FEE, a regional accounting body in the Europe and Mr. Rene Ricol, Past President of IFAC and President French Investment Group. The delegation had interactive meetings with Reserve Bank of India, Stock Exchange Board of India, Comptroller & Auditor General of India, Controller General of Accounts and Competition Commission of India.

Delegation from Denmark- The Institute of State Authorised Public Accountants in Denmark (FSR)

Mr. Jens Roder, President, The Institute of State Authorised Public Accountants in Denmark (FSR) visited ICAI on 13th February, 2008. During the course of interaction, they exchanged their views on standards of professionalism and the recent developments in the area of the accounting and auditing profession in India and Denmark and how the members of two Institutes can come closer.

Delegation from Financial Accounting Standards Foundation (FASF) and Accounting Standards Board of Japan

A delegation led by Mr. Hiroshi Endo, Managing Director of the Financial Accounting Standards Foundation (FASF) along with Mr. Takehiro Arai, Board Member of the Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) and Mr. Kazuhiro Shimada, Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) visited the ICAI on 5th March, 2008 to exchange their views and discuss on

the joint approach to be adopted by India and Japan as both countries have agreed for Convergence of their Accounting Standards to IFRS by 2011.

Delegation from European Commission Internal market

A delegation from the European Commission Internal market led by Mr. Pierre Delsaux, Director along with Mr. Jeroen Hooijer, Head of Accounting Unit and Mr. Jurgen Tiedje, Head of Auditing Unit visited ICAI on 7th March, 2008 to discuss on the recent developments in Auditing and Accounting in India and European Union. Mr. Jitesh Khosla, Joint Secretary, MCA also participated in the meeting. Mr. Alexander Spachin, Deputy Head of Delegation and Ms. Sanchita Chatterjee, Economic Advisor from Trade & Economic Affairs Section, European Union, Delegation of the European Commission to India, Bhutan and Nepal, New Delhi also attended the meeting. During the course of the meeting, the detailed plan of European Commission in relation to the steps taken by them for the full convergence to IFRS including the new standards were highlighted.

Delegation led by Sir David Tweedie, Chairman, International Accounting Standards Board

A delegation led by Sir David Tweedie, Chairman, International Accounting Standards Board (IASB) along with Mr. Warren McGregor, Board Member visited the ICAI on 26th – 27th March, 2008. During their visit, they interacted with the Press and discussed the IFRS convergence programme being followed by various countries worldwide. They also interacted with the members of Chambers of Industry from CII, ASSOCHAM, FICCI and PHD Chambers on the convergence issues. On 27th March, 2008, during the Regional Standard Setters meeting at New Delhi, the delegates from SAFA member bodies i.e Nepal, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka interacted with the IASB Chairman and Board member on the challenges being faced by these countries while convergence with IFRS. Sir Tweedie and Mr. McGregor also met Mr. Tarun Bajaj, Joint Secretary (Banking and Insurance), Ministry of Finance to discuss the government and regulatory framework for the adoption of IFRS in India.

Delegation from AMF France

A delegation led by Mr. Hubert Reynier, Managing Director of the Regulatory Policy and International Affairs Division, AMF along with Mr. Patrice Aguesse, Head of Regulation of Financial Disclosures and Corporate Financing, AMF and Mr. Patrick Parent, Deputy Head of Corporate Accounting and Auditing Division, AMF visited the ICAI on 2nd April, 2008 to interact on the enforcement of accounting standards and auditors oversight in India. Along with Mr. Jitesh Khosla, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Ms. Neelam Bhardwaj, General Manager, Division of Issues and Listing, Securities and Exchange Board of India, Mr. Parag Basu, General Manager, Division of Issues and Listing, SEBI and Mr. Nitesh Bhati, Manager, Division of issues and Listing, SEBI also attended the meeting. Information was sought about the terms of reference being signed between AMF and SEBI in February, 2008 with an objective to ensure better co-operation and fair and transparent market. Stress was on the common understanding of both economies in relation to the equivalence process with IFRS and IAS.

Visit of Mongolian Accountants

The ICAI and the CPA Mongolia had signed a Memorandum of Discussion on Bilateral Cooperation on 11th September, 2006, for promoting mutual interest and co-operation between the two Institutes. Since then, CPA Mongolia has been in touch with ICAI for organizing training program(s) for their accountants. On the request of the CPA Mongolia, a second session of training in IFRS was provided by ICAI to their 10 delegates on 3rd & 4th April 2008. Previously, a delegation from CPA Mongolia consisting of eight people visited

ICAI on 12th & 13th November, 2007 and had exposure to the accounting issues in implementation of IFRS.

Visit of Djibouti students

Republic of Djibouti through their Consul General Office, Mumbai had requested the ICAI to train their students in Accounting and English speaking. The six-month training is being given to the students in Chandigarh. The arrangement with Djibouti is a step further for the popularizing of Indian Chartered Accountancy profession among Djibouti students and to get a foothold in Djibouti for establishing an Accountancy Institution there. It is on no cost basis to ICAI.

Visit of Lord Mayor of the City of London

A delegation led by Mr. Alderman David Lewis MA, the Hon Rt. Mayor of the city of London, along with Ian Luder, Sheriff of the city of London, Mr. Martin Hagen, Vice President, ICAEW, Ms. Jane Owen, Director, UK Trade and Investment, Mr. Jeff Glekin, Deputy Head of Mission Mumbai, & Mr. Graham Ward, Chairman, UK side of the Indo UK Accountancy Task Force visited the ICAI on 21st April, 2008. The meeting focused on fostering bilateral relations between Indian and UK Accounting profession. The current status of on-going exercise for MRA between ICAI & ICAEW was discussed. It may be mentioned that earlier also, Lord Mayor had visited the ICAI on 22nd May, 2007. The meeting was also attended by Mr. Graham Ward, Past President, IFAC from UK and a couple of officials from British High Commission, Delhi.

Visit of delegation from Samara Region, Russia

A delegation from the Institute of Professional Accountants Samara Region (SIPA), Russia consisting of Mr. Dmitry Yakovenko, President of the Institute of Professional Accountants of Samara Region, Mr. Yury Bodrov, Member of the Board and Mr. Alexander Shestakov, Assistant to the President visited ICAI on 22nd May, 2008. The possibility of reciprocal recognition agreement of professional qualification was also discussed in detail.

6.6 Outbound Delegation/Study Tours

The President and Secretary, ICAI, along with the office bearers of SAFA attended the SAARC Summit held on 3rd April, 2007 at New Delhi. It was for the first time that SAFA Office bearers along with Head of host body were invited to attend the SAARC Ministerial.

The agreement with Government Finance Officers Association was signed on 12th June, 2007. The agreement focuses to promote exchange of information about public financial management practices and to render support to ICAI in its ongoing work programme in the field of Municipal Accounting and Finance.

The ICAI delegation headed by the then President, CA. Sunil Talati, visited France to augment and strengthen the bilateral relationship between French & Indian Accounting profession. The Indian delegation had gone along with 14 Chartered Accountants from all across the country and this tour lasted from 9th till 11th July, 2007. The visit was highly hopeful, since it brought two professions together and is likely to pave way to further strengthen the dialogue.

A meeting of the Indo-UK Taskforce constituted by the Government of India on Corporate Governance was held on 7th February, 2008 in London. CA. Ved Jain, President, ICAI and Dr. Ashok Haldia, Secretary, ICAI attended the meeting alongwith Shri Anurag Goel, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Shri Jitesh Khosla, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs, and the representatives of the Institute of Company

Secretaries of India, Indian Bank Association and ASSOCHAM. The taskforce discussed various issues for cooperation and collaboration on Government-to-Government basis and on institution-to-institution basis in the areas of corporate governance, corporate social responsibility, standards in financial and related professions, insolvency related issues etc.

President, ICAI along with the Vice President and Secretary, ICAI addressed the BRIC Forum (Seminar) on 19th May, 2008 at New York, with a participation of more than 20 senior government officials and leaders of the accountancy profession and regulatory bodies to discuss developments in adopting IFAC's international standards and the challenges. Shri Shankar Narayan, Principal Accountant General (Civil Audit), from the office of Comptroller & Auditor General of India also attended the BRIC Forum.

The ICAI's representatives attended the National Standard Setters' Meeting of the International Auditing and Assurance Standards Board held on March 27 and 28, 2008 at Paris, France. Representatives from 13 countries attended the meeting including standard-setters and regulators from Japan, UK, Australia and United States.

6.7 Conferences

- The ICAI hosted the first meeting of SAFA (South Asian Federation of Accountants) Board on 3rd April, 2007 at New Delhi. Coinciding with the SAFA Board meeting, a Round Table Conference on the theme 'Making SAFA a Centre of Excellence of IFAC & SAARC – Issues & Perspectives' was also organized on 4th April, 2007. Apart from the SAFA Board members, many of the Central Council Members, Regional Council Members and Past Presidents of ICAI and ICWAI were present on the occasion.

- The International Conference on "Transition from Accounting: Towards Value Creation" was held from 13th – 15th, December, 2007 under the aegis of the Committee. The Conference was attended by nearly 1075 delegates and was a success. It was inaugurated by Hon'ble Mr. Ashwani Kumar, Union Minister of State for Industry. The Conference was addressed by prominent Speakers from Corporate World in addition to regulators namely Member IRDA, Dy. C&AG, Member SEBI. Along with the conference, the SAFA Board meeting and the meetings of the Centre of Excellence of SAFA also took place.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

To propel the organization into the next orbit of growth, it is essential for an organization to have sincere, dedicated and competent human resources at its command. Towards this, the Council not only continued to focus on retaining its high performance work force, but also initiated steps to attract the best and the brightest talent. Recognizing also the fact that training is the backbone for enhancement in the level of competence and personality development, continued emphasis was laid on participation in training programmes, courses organized within and outside the premises of the ICAI.

Aiming at further sharpening the skills and knowledge and also bringing attitudinal changes for providing quality services to members, students and others concerned, following structured training programmes were organized in the headquarters in Delhi and other regional offices:

- Regular Training Programmes/Workshops for Officers and staff of the Institute covering areas on How to improve work efficiency, Managing Human Relations in Organizations,

How to Control Ego, Programme on Science of Healthy Living, Time Management & Money Management, Managing Stress, Understanding Self for Managerial Excellence, Attitude of the Organization with Customer Services, Personal Growth Through Self Exploration, Quality of Life, Programme on Decision Making Skills, Situational Leadership, Positive attitude & Working in Teams.

- Regular Residential Training Programme at various prestigious institutes on Building Organizational Culture for Performance, Developing Management & Counselling Skills, Team Work
- Specially designed series of Managerial Effectiveness/Executive Development Programmes for middle, senior and top level Executives
- Periodic/continued sessions on sharing of knowledge, experience and identification of areas of concern/priority aiming Secretaries to Non-Standing Committees.
- Awareness and Interactive Sessions for New Entrants
- Periodic Interactive Orientation Courses for Officers and Interactive Sessions for Staff at various levels
- Series of Computer Training Programmes

The regular HR training programmes organized during the period under report span more than 10800 man hours.

In its quest to attract the best and the brightest talent, time-scheduled recruitment drives with focus on faculty/academics were successfully undertaken during the last six months of the period under report. The initiatives so undertaken have yielded the desired results in the form of employing 120 more human resources, out of which 40 are meant for technical/academic positions in the different areas of the ICAI. Some more talents are to join shortly.

Further HR initiatives aiming at grievance redressal, timely conselling, enhanced facility management etc. taken during the period under report include, better and quality work environment, weekly departmental meetings, periodic employee counseling, open the month with grievance seeking and hardship mitigating steps.

7.2 Audit Committee

7.2.1 Significant Achievements

- Implementation of revised criterion with regard to appointment of statutory and internal auditors of various Branches, Regional Offices, Decentralized Offices and Head Office.
- Discussions held with Statutory & Internal Auditors before finalization of accounts.
- Review of the reports received from various regions and observations of Internal Auditors noted for adherence to the laid down policies of the ICAI.
- Thorough review of the significant accounting policies as mentioned in the last ten years' Annual Reports of the ICAI made to ensure consistency and updation.
- Review of the scope of work of the Internal Auditors for various departments/non-standing committees and their reporting structure.
- Preparing of guidelines to strengthen the Internal Control Mechanism.
- Steps are underway to further strengthen the security of the IT system in the context of present day IT environment.

7.2.2 Initiatives

- To further streamline and strengthen the Internal Control Mechanism of the ICAI, a Discussion document prepared and circulated to all the user Departments/Non-Standing Committees, Regional Offices and Decentralized Offices eliciting their comments/views.
- Initiative has been taken to provide training on Accounts module to employee of

branches.

- Physical verification of fixed assets is being carried out.
- Process to identify the major departments is being done for the purpose of proper Delegation of Authority.
- Process of issuing guidelines regarding the scope of Audit to all Regional Councils is being carried out.

7.3 Financial Reporting Review Board

The ICAI, continuing with its endeavours to improve the financial reporting practices in the country, has constituted the Financial Reporting Review Board (FRRB). The FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of certain enterprises and the auditors' report thereon either suo motu or on a reference made to it by any regulatory body(ies) or where serious accounting irregularities have been highlighted by the media reports with a view to determine, to the extent possible:

(a) Compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of the financial statements;
(b) Compliance with the disclosure requirements prescribed by the regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and
(c) Compliance with the reporting obligation of the enterprise as well as the auditors.

As per the Operating Procedures of the FRRB, the Board is assisted by Technical Reviewers and Financial Reporting Review Groups in review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon. The preliminary review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon selected for review is conducted by the Technical Reviewers selected from the panel maintained by the Board. Preliminary review reports of Technical Reviewers on review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon are considered and finalised by Financial Reporting Review Groups before the same are finally examined by the Board.

7.3.1 Review of General Purpose Financial Statements and the Auditor's Report thereon

- The Board has selected General Purpose Financial Statements and auditors' reports thereon of 50 companies for review during the Council Year 2008-09 and review process of the same have been commenced.
- The Board has selected General Purpose Financial Statements and auditors' reports thereon of 60 companies for review during the Council Year 2007-08 and out of these 60 companies, the Board has considered 4 reports and review of 56 companies is in progress.
- The Board has selected the General Purpose Financial Statements and auditors' reports thereon of 53 companies for review during the Council Year 2006-07. Out of these 53 companies, 20 reports have been considered by the Board and review of 32 companies is in progress.
- Regarding the review of General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon of Public Sector Undertakings (PSUs), appropriate coordination has been made with the Office of the CAG and the review process of General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon of Public Sector Undertaking has also been commenced.
- The Board has decided to constitute twenty Financial Reporting Review Groups during the Council Year 2008-09 for consideration and finalisation of the preliminary review reports submitted by the Technical Reviewers on General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon selected during the Council Year 2006-07, 2007-08 and

2008-09.

The Criteria and Form for Empanelment of Technical Reviewers has been revised to enable the empanelment of members of the ICAI working in *industry* also as *Technical Reviewers* who are involved in the finalisation of accounts of enterprises that are under the purview of the Board.

With a view to apprise the members of the ICAI and others concerned about the major non-compliances observed during the review, the Board compiles such non-compliances from time to time and publishes the same in the Journal of the ICAI. *Continuing* with the same practice, a note on such non-compliances is being compiled for publishing the same in the CA Journal.

7.3.2 Conduct of Programmes

- Two batches of National Workshop on Compliance Aspects of Accounting Standards and Other Reporting Requirements were held on 25th – 27th July, 2007 and 2nd – 4th November, 2007 at Mumbai and Kolkata respectively. Statutory auditors of the companies, members and other senior executives involved in the finalisation of the General Purpose Financial Statements participated in these Workshops.
- Two batches of the Training Programmes for the Technical Reviewers for further developing General Purpose Financial Statements' review competencies amongst the members of the ICAI who have been empanelled with the ICAI, were held on September 21, 2007 and January 19, 2008 at Chennai and Mumbai respectively.

7.4 Committee on Internal Audit

Internal audit is an important professional assignment being undertaken both by practicing members of the ICAI and those in the industries. Internal Audit is performed by professionals with an in-depth understanding of the business culture, systems, and processes. The internal audit activity provides assurance that internal controls in place are adequate to mitigate the risks, governance processes are effective and efficient, and organizational goals and objectives are met. The internal auditing has undergone a change, in responses to the changes occurring within the profession and in the organisation it served, shifting from strict internal control appraisal and analysis to a broader spectrum of activities that added continuous value to organisations and helped in improving the operations. As the pace of change accelerated, internal auditors needed to visualize and seize emerging opportunities for meeting the organizational needs. As a result, a new description was needed that more accurately reflected the profession's direction. The ICAI, therefore, sought to describe the profession and its goals in a way that would help members. Accordingly, the ICAI had constituted a non-standing Committee, Committee on Internal Audit on 5th February 2004. The objective of the Committee is to review the existing internal audit practices in India and to develop Standards on Internal Audit, to develop Guidance Notes and to undertake the research in the field of the internal audit.

7.4.1 Standards on Internal Audit

During the year, the Committee on Internal Audit has issued two Standards on Internal Audit ***Basic Principles Governing Internal Audit*** and ***Documentation*** codifying the best practices in the area of internal audit.

In addition, the Committee also issued the Exposure Drafts of four more proposed Standards on Internal Audit *viz*., ***Quality Assurance in Internal Audit, Sampling, Analytical Procedures,*** and ***Reporting***. The Committee is also planning to formulate the Standards on Internal Audit in the areas such as:

- Communication with management
- Coordination with external auditors
- Coordination with functional heads
- Risk Management
- Responsibility for detection of frauds
- Evidence
- Internal Control Evaluation
- Terms of Reference/ Engagement

In addition, the ***Framework for the Standards on Internal Audit*** is also being formulated by the Committee.

7.4.2 Technical Guides

In addition to bringing out Standards, the Committee is also working aggressively on formulating industry specific guidelines on internal audit.

During the year, the Committee on Internal Audit has issued *Technical Guide on Internal Audit in Upstream Oil & Gas Companies* to provide comprehensive information about the upstream industry in addition to provide guidance to members and others working in the oil & gas industries to understand the peculiarities in the internal audit of the industry. The *Technical Guide on Internal Audit in Telecommunications Industry* has also been issued by the Committee to provide an in-depth understanding of the business culture, systems, and processes in the Telecommunications industry. It would help the readers in understanding the various technicalities arising during the internal audit in a telecom company.

Other Projects undertaken by the Committee relating to formulation of the Technical Guides on Internal Audit are:-

- Guide on Internal Audit in Automobile Industry
- Guide on Internal Audit of Non-Profit Organisations
- Guide on Internal Audit of Industrial Infrastructure Activity
- Guide on Internal Audit in Sugar Industry
- Guide on Internal Audit in Manufacturing Companies
- Guide on Internal Audit in Power Industry
- Guide on Internal Audit in Shipping Industry
- Guide on Internal Audit in Retail Sector
- Guide on Internal Audit of Insurance Companies
- Guide on Internal Audit in Aviation Industry
- Guide on Internal Audit in Lottery Industry
- Guide on Internal Audit of Municipalities and Local Bodies
- Guide on Internal Audit in Electricity Generation and Distribution Companies
- Guide on Internal Audit of Non-Banking Financial Companies

7.4.3 General Guides

In today's era of globalization, the emergence of a subtle shift towards controls and strategic decision-making, identification and assessment of risk has become one focal point. Keeping this in mind, the Committee has issued during the year *Guide on Risk-based Internal Audit* as well as *Guide to Internal Controls over Financial Reporting* to provide the guidance for the process of internal control over financial reporting that assumed significance in the light of the governance practices put forward by the

regulators in Clause 49 in the recent past. *The Background Material on Due Diligence* was issued by the Committee during the last year. The Committee is planning to formulate the general Guides in the following areas:

- Manual on Concurrent Audit of Banks
- Modules for the Training Programmes on Internal Audit
- Enterprise Risk Management
- Using CAATs in Internal Audit
- Impact of IT on Internal Audit
- Developing a Fraud Detection & Prevention Framework
- Internal Control Assessment
- Internal Audit *vis a vis* Compliance Function
- Internal Audit Self Assessment

7.4.4 Conferences and Other Programmes

With a view to create awareness about the latest developments in the field of internal audit, the Committee envisages organizing several seminars, conferences, workshops, etc. For this purpose, the Committee provides technical support by providing uniform background material to ensure consistency in training programs.

The Committee organised the following CPE Programmes in association with the Regional Councils and their branches:

- Conclave on Internal Audit at New Delhi
- Conclave on Internal Audit at Mumbai
- All India Conference on Internal Audit "Control Environment and Good Governance- Keys to *Economic Growth*" at Kolkata
- Conference on Internal Audit at Patna
- Seminar on Internal Audit at Pune
- Seminar on Internal Audit at Nagpur
- Conference on Internal Audit – A Paradigm Change - Tool for Management to Enhance Efficiency at Mumbai

7.4.5 Courses

The Committee is also planning to launch the course on internal audit as well as training programmes on due diligence and concurrent audit as an integral part of its strategy to help members keep abreast with the changing need and expectations of their clientele.

7.5 Vision Committee

The Special Purpose Committee on Vision Document-2021 is actively engaged on a study on Vision for restructuring of the profession to make it more vibrant and focused in the regime of convergence and new paradigm economy. The selection of the year '2021' is in line with the trend of similar exercises done by WHO, UNDP, Govt. of India, etc and it would cover a time frame over which the Indian economy is expected to transit from a developing economy into a developed economy, bringing in a sea change in the challenges before the *profession*/ICAI.

Vision 2021 will focus on the future of the Accountancy profession in the light of the changing expectations of stakeholders, challenges of a competitive environment and emerging business models. This exercise is focused to transform the Indian CA profession with global insights and strategies and to reinforce its platform. In this study, the role of Chartered Accountants will be assessed in the growth phase of the Indian economy and also

the range and quality of services that may be required to cope up with the changing dynamics in the business.

Research is in progress for studying and analyzing the current scenario, expectation gap, adjustment with the world economic order and formulating strategies for achieving the long term vision. The research work planned by the Committee includes assessing the key performance indicators for the ICAI in light of the critical success factors suggested to them via the Vision Document-2021 and to tune the action strategies of the profession as well as the ICAI with the emerging and expected trends in the world economic order.

7.5.1 Research Activities Undertaken

With a view to come out with a comprehensive Vision Document -2021 relevant to all the stakeholder segments of the profession, various mini projects have been undertaken to mobilize and galvanize these stakeholder groups and elicit their distinct and indispensable inputs:

- With a view to reach to the maximum possible numbers of the target groups, the Committee, for the year 2007-08, operated through six Task Forces towards its pursuit accordingly.
- The views/opinion/input information were elicited, inter-alia, through tailor made and structured questionnaires designed for the members in practice and members in service, that were made available to the target segments through the ICAI's website, ICAI's journal, student's newsletter and at various seminars and conferences organized by the ICAI.
- Opinion survey was conducted by the Committee in the form of interactive sessions and meetings with various industry experts and business delegates, leading different segments of business and various eminent academicians.

Extensive in-house desk research is continuously in progress to reach to the best possible literature and the world's best practices in the field of accountancy, in tune with the subject line of research. The data collected from the varied and diverse resources, was further refined and adjusted with the statistical facts and figures available, and the Vision Statement, "Vision-2021" for the ICAI as well as the Accountancy profession was drafted and presented before the Council in February, 2008 for its consideration. The Council considered the Draft Vision Statement and authorised the Chairman of the Committee to finalise the same and also gave a go-ahead for the vision exercise to develop a comprehensive Vision Document in due course appropriately. The exercise is on.

8. OTHER MATTERS

8.1 Annual Function of the ICAI

The 58th Annual Function of the ICAI was held on 4th February, 2008 at New Delhi. Shri Praful Patel, Hon'ble Union Minister for Civil Aviation was the Chief Guest. The 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2006-07, Prizes and Medals to the meritorious students in the examinations conducted by the ICAI, Shields and Certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branches of the ICAI, were awarded. The Function was attended by a record number of invitees which included, among others, Senior Government Officers, Members, Students, Officers and Staff of the ICAI. The Chief Guest showered flowers of appreciation on the profession of Chartered Accountants.

8.2 Diamond Jubilee Celebrations -cum- Chartered Accountants' Day

On the occasion of entering into the Diamond Jubilee year, the President constituted the Diamond Jubilee Committee on 5th February, 2008, with a view to celebrate the same in a

befitting manner. The Committee at its three sittings held till June, 2008 has outlined the manner in which the celebrations will be held on the Chartered Accountants Day on 1st July, 2008 and throughout the year.

In commemoration of the Chartered Accountants Day and being the Diamond Jubilee Year commencing from 1st July, 2008, a chain of events and conferences were organised across the nation to mark the day and beginning up of Diamond Jubilee year. A comprehensive programme spanning over 5 days was planned to start the Diamond Jubilee Celebrations in New Delhi. The event kicked off with Marathon Race on Rajpath on 29th June, 2008 from Vijay Chowk to India Gate, New Delhi. Smt. Sheila Dikshit, Chief Minister of Govt. of NCT of Delhi, inaugurated the event at Vijay Chowk and balloons were flown. Thereafter she addressed the huge gathering of Members and Students at Vijay Chowk. Subsequently, the race was started by hoisting the flag.

On 29th June, 2008, a Yoga Lecture was held for the benefit of Members, Students and their family by revolutionary and renowned saint Swami Ramdev ji at Hotel Ashok, New Delhi preceded by Bhajan Sandhya performed by Sharma sisters. On that occasion, the Diamond Jubilee Logo of the ICAI was unveiled by Swami Ramdev ji. Those who were present on the occasion were highly benefited by his spiritual and unique lecture on meditation. He also guided the gathering on importance of yoga in our day-to-day life to remain healthy. The event was a memorable one in the history of the ICAI.

On 30th June, 2008 a workshop on Motivation was organised at Pearey Lal Bhawan, New Delhi in which Shri Shiv Kheda was invited for a lecture on 'Key to Success'. On the same day at its said camp, a large number of Members and Students donated blood to the nation.

On 1st July, 2008, a flag hoisting ceremony was held at the Headquarters of the ICAI. CA. Ved Jain, President of the ICAI, hoisted the flag of the ICAI.

The main function was organised on 1st July, 2008 in Vigyan Bhawan, New Delhi. The Diamond Jubilee Celebrations of the ICAI was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. Members were highly benefited by his guidance and his vision to the profession. Hon'ble Finance Minister of India, Shri P. Chidambaram, also joined the celebrations. Hon'ble Minister of Corporate Affairs, Shri Prem Chand Gupta and Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri K. Rahman Khan also addressed the audience. On the occasion, the Chief Post Master General released a Special Cover to commemorate the Diamond Jubilee Year of ICAI.

In the evening of 1st July, 2008, a tree was sapled by the hands of Ms. Arti Mehra, Mayor of Municipal Corporation of Delhi in the premises of the ICAI at New Delhi as a mark of growing the profession and role of a Chartered Accountant in Finance & Budget like how the trees are imperative and important in human lives.

A spiritual dance on Lord Shiva and Devi Parvati was performed by Ms. Hema Malini, noted film actress, recipient of Padam Bhushan and renowned classical dancer on 1st July, 2008 at Sirifort Auditorium, New Delhi.

On 2nd July, 2008 a Diamond Jubilee Conference on the theme "Chartered Accountancy Profession in Retrospect & Prospect" was organised in the Convention Hall of the Hotel Ashok, New Delhi. The Conference was attended by over 1,000 members of Indian Chartered Accountants community including 50 members from SAFA Countries, regulators and representatives of multi-lateral agencies, international standard setters bodies and

accounting bodies from SAARC Region.

In the evening of 2nd July, 2008, a performance was presented by renowned Bollywood singer, Ms. Shreya Ghosal and her troupe at Sirifort Auditorium, New Delhi. Some recreation and happy moments were provided by her in the busy and hard life of Members and studious life of Students.

The Diamond Jubilee Conference – Chartered Accountancy Profession in Retrospect & Prospect - was continued on 3rd July, 2008 in Hotel Ashok. The gathering was addressed by eminent speakers and renowned personalities including Shri Montek Singh Ahluwalia, Hon'ble Deputy Chairman, Planning Commission, Shri Vinod Rai, Comptroller & Auditor General of India, Shri Anurag Goel, Secretary to the Govt. of India, Ministry of Corporate Affairs and other stalwarts of the profession. A book titled 'The Accountancy Profession and Economic Development in India' was released by Shri Montek Singh Ahluwalia, Hon'ble Deputy Chairman, Planning Commission.

The Diamond Jubilee Celebrations of the ICAI were captured by leading press and electronic media like Doordarshan, CNBC, NDTV, Astha Channel etc.

Besides the above, the Regional Councils and their Branches organised functions/programmes to commemorate CA Day and kick started Diamond Jubilee Celebrations in a befitting manner.

8.3 Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949 and The Chartered Accountants Regulations, 1988

8.3.1 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949

(i) The Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 was notified by the Central Government after the assent of the President of India in the Gazette of India (Extra-Ordinary) dated 23rd March, 2006.

(ii) In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, the Central Government constituted a Quality Review Board consisting of a Chairperson and ten other members vide Notification No. G.S.R.448(E) dated 28th June, 2007 published in Part II Section 3 – Sub Section (i) of Gazette of India (Extraordinary) dated 28th June, 2007.

(iii) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, the Council established the Disciplinary Directorate with a Director (Discipline) for making investigations in respect of any information or complaint received by it. A notification no. 1-CA(7)/104/2007 dated 8th October, 2007 to this effect was published in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 8th October, 2007.

(iv) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, the Council determined that with effect from the 1st day of April, 2008, the fee payable by every person eligible to have his name entered in the Register under Section 4 of the said Act shall be rupees one thousand only. A Notification No. 1-CA(7)/109/2008 dated 4th March, 2008 to this effect was published in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 5th March, 2008.

(v) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5 of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, the Council determined that with effect from the 1st day of April, 2008, the fee payable by every person for entry in the Register as a fellow of the ICAI shall be rupees one thousand five hundred only. A Notification No. 1-CA(7)/110/2008 dated 4th March, 2008 to this effect was published in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 5th March, 2008.

(vi) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, the Council determined that with effect from the 1st day of April, 2008, the annual fee payable by a member for his certificate of practice shall be rupees one thousand six hundred only:

Provided that such fee for a member, who has attained the age of 65 years as on the 1st day of April of the relevant year, shall be rupees one thousand two hundred only.

A Notification No. 1-CA(7)/111/2008 dated 4th March, 2008 to this effect was published in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 5th March, 2008.

(vii) In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 19 of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, the Council determined that with effect from the 1st day of April, 2008, the annual membership fee payable by a member shall be as under:

Associate Member	Rupees six hundred only
Fellow Member	Rupees one thousand eight hundred only

Provided that a member, who has attained the age of 65 years as on the 1st day of April of the relevant year, shall pay such fee as under :

Associate Member	Rupees four hundred fifty only
Fellow Member	Rupees one thousand three hundred only

A Notification No. 1-CA(7)/112/2008 dated 4th March, 2008 to this effect was published in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 5th March, 2008.

(viii) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, the Council determined that with effect from the 1st day of April, 2008, the additional fee, for entering again the name of a member in the Register, which shall be payable along with arrears of annual fee and entrance fee by such member, shall be rupees one thousand only. A Notification No. 1-CA(7)/113/2008 dated 4th March, 2008 to this effect was published in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 5th March, 2008.

(ix) Constitution of Board of Discipline and Disciplinary Committee by the Council (in accordance with Sections 21A and 21B).

8.3.2 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

(i) During the year, the Central Government has accorded its final approval for

amendments in the following Regulations of the Chartered Accountants Regulations, 1988 :-

Regulation 43	Engagement of Articled Assistants
Regulation 44	Members not to engage articled assistants under the bye-laws of any of the accountancy institutions or bodies outside India
Regulation 45 (a)	Admission to Articleship
Regulation 48(1)	Stipend to Articled Assistants
Regulation 53(1)	Exemption to persons of Indian origin migrating permanently to India
Regulation 54A	Practical Training under eligible members of Accountancy Institutions or Bodies outside India
Regulation 55	Change of status of Principal
Regulation 56(1)	Termination or assignment of articles
Regulation 57(4)	Fresh Articles
Regulation 59(2), (4) & Explanation (1)	Leave to an Articled Assistant
Regulation 60	Working hours of an Articled Assistant
Regulation 64 (1)	Report to the Council
Regulation 66(1)	Enquiries against Articled Assistant
Regulation 74(2), (4) & Explanation	Leave to an Audit Assistant
Regulation 79(1)	Enquiries against Audit Assistants

The said amendments have been published in the Gazette of India vide Notification No. I-CA(7)/102/2007(E) dated 17th August, 2007 in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 17th August, 2007. The same has also been published in the September, 2007 issue of the ICAI's Journal and hosted on the Website of the ICAI.

(ii) The draft amendments in the following Regulations of the Chartered Accountants Regulations, 1988 were proposed to the Central Government. The Central Government accorded its in-principle approval on the same. A draft notification no. 1-CA(7)/116/2008 dated 5nd May, 2008 to this effect was published in the Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 8th May, 2008 for inviting comments :

Regulation 3A	List of Members
Regulation 5(1)	Application for Membership
Regulation 6	Fees
Regulation 10	Cancellation of a Certificate of Practice
Regulation 11	Restoration of Certificate of Practice
Regulations 12, 13, 14, 15, 16 and 17	Only additions after the headings of the concerned Regulations
Regulation 17 A	Fee and Procedure for investigation of a complaint or information to be followed by the Director (Discipline), Disciplinary Directorate and Procedure for inquiry by the Disciplinary Committee – applicable to a complaint or information received on or after 17.11.2006.
Regulation 19	Restoration to Membership

Regulation 53A	Other Professional Bodies
Regulation 53B	Membership of Professional Bodies for Partnership
Regulations 82 to 126	Chapter VI – Elections – for deletion
Regulation 137(9)	Office-bearers and Committees
Regulation 174A	Committees of the Council
Regulation 175	Executive Committee
Regulation 176A	Finance Committee
Regulation 194	Maintenance of Accounts
Regulation 197	Comparison of actuals with budget estimates.

The objections/comments, if any, received within the stipulated period will be considered by the Council and the same will be thereafter submitted to the Central Government for final approval followed by its publication.

8.4 Central Council Library

Central Council Library is globally connected through Internet, fully computerized & operational. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. This record is available on Internet Online Services **www.icai.org** under **"Know your Institute – Central Council Library"**. Reference service is also provided to the Researchers & Scholars from different Universities and those pursuing CPT of the ICAI as a special case. The ICAI's offices at NOIDA and Vishwas Nagar have also been provided with library facilities by the Central Council Library, along with nucleus Libraries provided to each Directorate of the ICAI.

Central Council Library provides Links for various Library-Web services through **www.icai.org** under **"Know your Institute – Central Council Library".** The services are self-explanatory. Some of these links such as list of online Journals, E-books, Articles from Chartered Accountants Journals and online database of Books, Journals and Articles in the Library, provide further search in the above online databases. One can even suggest new Books/Journals under "**Suggest Books/Journal columns**" for consideration by the ICAI. One may note that The **"Accountant's Browser"** is an index of important/Professional Articles with archives for the last 9 years.

Besides above, Library has installed a number of the ICAI's databases in the Central Council Library premises and at various Departments to facilitate the search for required material by the students, Members, Faculties and the Research Scholars.

8.4.1 Webservices:

The Web Services available on **www.icai.org** are as follows:-

- List of Online Journals
- e-Books Links
- Articles from Chartered Accountant Journal (1951 - 2000)
- Articles from Chartered Accountant Journal (2001 - 2007)
- Central Council Library – A complete Online Search for Database the Books, Journals & Articles in the Central Council Library.
- List of Books on WTO available in the Central Council Library
- Accountant's Browser, an Archive of Professional Articles
- Central Council Library - New Delhi - Conference / Seminar
- CDs Available in The Library
- The Chartered Accountant Index July 2002 - June 2007

- List of Recommended Books
- Library Security Deposit Rules
- Library News and Views
- List of Journals subscribed by Central Council Library
- Library Services - Membership Form for Members
- Library Services – Membership Form for Students
- Photographs available In The Library
- Recent Additions – Books added in Central Council Library
- SAFA Books/ Publications available in the library
- Suggest Books/ Journals

The online Database installed in the Library are as follows:-

- Library Software – Alice
- Prowess (CMIE)
- CTR Online
- ITR Online
- Manupatralaw.com
- Excus Online
- E- Jurix
- Indlaw.com
- Delnet
- Indiastat.com
- Taxman

The online journals which are subscribed in library are:-

Sl. No.	Name of journals	Website
1.	IASB Comprehensive Package	www.iasb.org.uk http://elfrs.isab.org
2.	Indiastat.com	www.indiastat.com
3.	Chartered Accountant Practice Journal (CAPJ)	www.manupatralawreports.in
4.	Service Tax Journal (STJ)	www.manupatralawreports.in
5.	Indlaw.com	www.indlaw.com www.arbitration.indlaw.com www.b&nking.indlaw.com www.companylawonline.com www.consumer.indlaw.com www.crimes.indlaw.com www.employment.indlaw.com www.incometax.indlaw.com www.indirecttax.indlaw.com www.ipr.indlaw.com www.salestax.indlaw.com www.indialaws.info www.scjudgments.com www.tradelawonline.com www.humanrights.indlaw.com www.delhi.indlaw.com www.maharashtra.indlaw.com

		www.kerala.indlaw.com www.tamilnadu.indlaw.com
5.	Delnet	www.delnet.nic.in
6.	Taxman	www.taxmann.net
7.	Global Journal of Flexible Systems Management	www.indianjournals.com (go to Publication list – Subscribed Publications only – go)
8.	Indian Journal of Finance & Research	www.indianjournals.com (go to Publication list – Subscribed Publications only – go)
9.	Journal of Management Research	www.indianjournals.com (go to Publication list – Subscribed Publications only – go)
10.	LBS Journal of Management & Research	www.indianjournals.com (go to Publication list – Subscribed Publications only – go)
12.	Management & Change	www.indianjournals.com (go to Publication list – Subscribed Publications only – go)
13.	Pranjana : The Journal of Management Awareness	www.indianjournals.com (go to Publication list – Subscribed Publications only – go)
14.	Intl. Journal of Regulation & Governance	www.indianjournals.com (go to Publication list – Subscribed Publications only – go)
15.	Accounting & Business	www.accaglobal.com/Members/Publications
16.	British Accounting Review	www.sciencedirect.com/science/journal
17.	CFO Asia	www.cfoasia.com
18.	Harvard Business Review	www.hbr.org
19.	Insurance Times	www.insurancetimes.com.uk
20.	Global Reinsurance	www.globalreinsurance.com
21.	The Insurance Insider & Insider week	www.insuranceinsider.com
22.	Journal of Accountancy	www.aicpa.org
23.	R.B.I. Bulletin	www.bulletin.rbi.org.in
24.	In the Black(CPA Australia)	www.cpaaustralia.com.au
25.	The Economist	www.economist.com
26.	Time	www.time.com
27.	Journal of Business Communication	http://JOB.sagepub.com
28.	Business Communication Quarterly	http://BCQ.sagepub.com
29.	Wista : Environment Audit	www.witts.org
30.	Journal of Accounting & Public Policy	www.sciencedirect.com
31.	Accountants Today (Malaysian Institute Of Accountants	www.mia.org.my
32.	E-Jurix	www.ejurix.com
33.	Dalal Street Journal	www.dalalstreetjournal.com

8.5 Editorial Board

Surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of The Chartered Accountant Journal up to date on various subjects, emerging areas, aspects and challenges of the profession in today's fast- paced age of globalisation, the Editorial Board has established many landmarks during the period of this report (between April 2007 and May 2008).

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the ICAI's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals, be it content quality, in-depth topical coverage, interactive features, international standard layout/design, paper quality, overall look and feel or greater reach. It is increasingly being recognized as one of the most reliable and reader-friendly tools of professional knowledge update, not only for the members but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad, if our readers' feedback is any indication.

With ever-widening reach and readership base, the total circulation of the Journal stands at more than **1,85,000** today.

Contents and e-Journal

- During 1.4.2007 - 31.5.2008, in total 2160 pages and 112 articles on various topics were printed.
- Five new features – 'Latest At a Glance', 'Do's and Don'ts', 'National Update', 'Disciplinary Cases' and 'Practice Update' were started in the Journal to keep our members and readers better informed.
- Introducing the e-magazine concept, the online Journal was overhauled to make it truly e-journal and was hosted on ICA[illegible] website with a unique URL www.ejournal.icai.org. The e-journal is more dynamic and user-friendly with faster and easier browsing with search facility without any requirement of available specific software. Every issue of the Journal was made available online well in advance. The Journal page and the Editorial Board page on the ICAI website were also comprehensively upgraded and updated.
- A number of correspondents, preferably Chartered Accountants having journalistic flavour and passion, were appointed on honorary basis to broaden the coverage and enrich the overall content.
- A practice of blind review of the articles received for publication was adopted to ensure the publication of only high-quality contents.

Layout and Design

- The layout and design of the Journal was further upgraded besides improving the quality of the caricatures for better overall look and feel.
- The Masthead and basic template of the Cover page were further improved.

Other Initiatives

- The timely delivery of the Journal in the first three days of every relevant month was ensured by way of strictly adhering to the system of despatching the relevant issues of the Journal on the last three days of preceding month.
- In view of considerable enhancement in the quality of the Journal and consequent increase in cost, the Editorial Board decided to upwardly revise the subscription rates for all categories of subscribers w.e.f. April, 2007 issue.
- Increased number of reputed business houses released their advertisements to take advantage of the enhanced appeal of the Journal. ICAI has earned substantial revenue out of publication of advertisements. Special efforts were made by the Editorial Board to

attract reputed companies, banks, mutual funds, insurance companies etc. towards the Journal in this regard.

- To further improve the overall quality of the Journal, a readership survey was conducted resulting into a very positive feedback from the readers.
- With a view to encourage and increase the use of CA logo, the Board got printed and dispatched two sheets of the logo stickers to all the members of ICAI.
- To ensure hassle free and uninterrupted dispatch and delivery of the Journal, the License to post at concessional rates under registered newspaper category and the *License to post without pre-payment number* were got renewed.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2008, 7,507 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 1,45,481 as on 1st April, 2008, inclusive of 82 members restored under General Amnesty Scheme upto 20th June, 2008.

During the year ended 31st March 2008, 2,936 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 2001 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2008

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of *Columns* (1) and (2)
In Full Time Practice	49,525	19,454	68,979
In Part-time Practice	3,222	5,813	9,035
Not in Practice	8,541	58,926	67,467
	61,288	**84,193**	**1,45,481**

9.2 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the ICAI and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical needs etc. The financial and other particulars of the fund are as follows:

Details of Membership

1. Total Life Members as on 31.03.2007 = 79,984
2. Total Life Members as on 31.03.2008 = 87,029
3. Total Additions of New life Members = 7,045
(As on 31.03.2008)
4. Total Financial Assistance given upto 31.03.2008 = 135

Details of Financial Particulars

	During the year Ended 31.03.2007	During the year Ended 31.03.2008
	Rs.	Rs.
1. Total Assistance provided	46,31,500.00	1,64,16,000.00
2. Administrative Expenses	50,497.00	11,235.00

3. Surplus (Deficit) of the Fund	29,18,577.00	(72,46,236.40)
4. Balance of the Fund	2,39,37,416.00	1,66,91,180.00
5. Balance of Corpus	6,65,20,000.00	7,35,97,300.00

10. STUDENTS

10.1 Students' Statistics

The new scheme of education and training was introduced on 13th September, 2006 and consequently the registration of students for Professional Education (Course-I) and Professional Education (Course-II) was discontinued from 13th September, 2006. The registration of students for Common Proficiency Test Course and Professional Competence Course commenced from 13th September, 2006. The details in respect of students registered during the previous five years from 2003-04 to 2007-2008 and from 1st April, 2007 to 31st May, 2008 are also indicated.

Year	PE (Course-I)	PE (Course-II)	Final	CPT from 13/9/2006	PCC from 13/9/2006
2003-04	38,188	34,232	11,390		
2004-05	39,000	34,190	11,061		
2005-06	38,901	39,467	13,010		
2006-07	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041
2007-08			19,558	1,42,612	61,186
1/4/2008 to 31/5/2008			1,610	16,079	2,383
Total	**1,61,706**	**1,40,228**	**68,467**	**2,87,801**	**87,610**

During the period 1st April, 2008 to 31st May, 2008 161 students of Professional Education (Course-I) opted for switch over to Common Proficiency Test Course (against 8,517 students in 2007-2008).

10.2 Accreditation Scheme

During the year ended 31st March, 2008 the names of 10 more accredited institutions for conducting CPT oral coaching classes totaling to 127 (117+10) and 2 more for conducting PCC oral coaching classes totaling to 73 (71+2) were added. The number of accredited institutions for Professional Education (Course - II), remains same, which is 96 and also there is no change in the number of existing 10 institutions for Final Course.

10.3 Study materials for the new course

After launch of the new scheme of education & training on 13th September, 2006, study materials of Common Proficiency Test (CPT) Course, Professional Competence Course (PCC) and Final (New) Course were released. Self-assessment CD for Common Proficiency Test (CPT) Course, CDs of Professional Competence Course (PCC) and Final (New) Course study material have also been released. Subsequently Hindi version of the study materials in respect of Common Proficiency Test (CPT) Course and Professional Competence Course (PCC) have also been made available to students. Hindi study material for Final (New) Course is under preparation.

The following publications have also been released for the benefit of students of Professional Education (Course-I) / CPT, Professional Education (Course-II) / PCC and Final Courses:

(i) Compilations of questions set in the previous examination with answers.

(ii) Select cases in Direct & Indirect Taxes.

(iii) CPT & PCC Model Test Papers
(iv) AS: 28 Impairment of Assets under Professional Development Series
(v) Risk based Audit and Guide to Internal Audit (Professional Development Series Booklet-2)

10.4 Revision of Study Materials

As a part of continuous process of updating the knowledge of students on an annual basis, the contents of various study materials have been updated and appropriate changes have also been incorporated.

10.5 100 Hours Information Technology Training

100 Hours Information Technology Course was launched from 1st December, 2006 in lieu of 250 Hours Compulsory Computer Training. To encourage regional/ branch offices to conduct 100 Hours Information Technology Training, the Board of Studies decided to withdraw initially accreditation of 30 private institutions where branches of the ICAI were conducting the 100 Hours Information Technology Training Programme in 13 cities. Subsequently accreditation from private institutions was completely withdrawn on 1st December, 2007 and upto 31st May, 2008, 86 Information Technology Centres have started functioning across the country under the jurisdiction of various regional and branch offices.

During the period from 1st April, 2007 to 31st March, 2008 and from 1st April, 2008 to 31st May, 2008 the following number of students have undergone 100 Hours Information Technology Training:

REGION	100 Hours Information Technology Training	100 Hours Information Technology Training
	1st April, 2007 to 31st March, 2008	1st April, 2008 to 31st May, 2008
WESTERN	16,251	694
SOUTHERN	8,821	852
EASTERN	7,546	421
CENTRAL	13,783	864
NORTHERN	14,497	694
TOTAL	**60,898**	**3,525**

10.6 Course on General Management and Communication Skills

During the period from 1st April, 2007 to 31st March, 2008, 211 batches of the 15 days' Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their Branches at 45 Centres across the country (inclusive of Dubai Centre) and 7851 students participated in these programmes (10431 students participated during 2006-2007).

During the period from 1/4/2008 to 31/5/2008, 22 batches of the 15 days' Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their Branches at 15 Centres and 936 students participated during this period.

10.7 Scholarships

During the period from 1st April, 2007 upto 31st May, 2008, Merit Scholarships were granted to 37 students, Merit-cum-Need based scholarships to 33 students, Need-based scholarships

to 111 students and 28 Scholarships through endowment funds.

10.8 Students' Newsletter

The monthly C.A. students' newsletter – *'The Chartered Accountant Student'* containing useful articles, academic updates, write-ups and other relevant announcements continued to be popular and proved useful to the students. The publication proved to be popular among the members too. 12,96,800 copies were delivered to students and others during the year 2007-2008.

During the period from 1st April, 2008 to 31st May, 2008, 2,85,300 copies of students' newsletters were delivered to students.

10.9 Best Article Award

Ist Prize Award of Rs.2,000 was awarded to Mr. Ravi Mansaka for his article on "Making Accounting FBT Compliant" published in May, 2007 issue of Students' Newsletter and 2nd Prize Award was awarded to Mr. D. Siva Kishore for his article on "Mutual Funds – A change in Indian Investment Perspective" published in February, 2007 issue of the Students' Newsletter – The Chartered Accountant Student.

10.10 Students Exchange Programme

8 students of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN), 12 Students of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) came to India and participated in SAFA students exchange programme in Ahmedabad on 23-24 June, 2007. 10 students of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) came to India and participated in SAFA students exchange programme in Baroda on 6-7 July, 2007.

10.11 Recognition of CA Course for Ph.D. Programme

Due to constant follow up with various universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 79 universities besides the 4 Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of Ph.D. /Fellow Programme.

10.12 One Day Seminars

During the year, the Board continued its policy of promoting organisation of One Day Seminars, Elocution/Quiz Contests, Regional/State Level Conferences and other Educational events. 50 One day seminars were organized by 35 branches. Branch Level Elocution/Quiz Contests were organized by 55 Branches including 5 Regional Councils which conducted Branch Level Elocution/Quiz Contests. Final Elocution/Quiz Contests was held at Nagpur on 15th & 16th January, 2008. During the period from 1/4/2007 to 31/5/2008, 26 Lecture Meeting/ Half Day Seminar were organised at 8 branches and 10 crash courses were held at 2 branches.

10.13 All India CA Students' Conference and National Convention for CA Students.

The 20th All India CA Students' Conference was organized on 23rd and 24th June, 2007 in Ahmedabad and the 4th National Convention was organized on 6th and 7th July, 2007 in Baroda. Regional/Sub-Regional/State Level Conferences were held at 11 places during this year.

10.14　Joint Seminars with Universities

During the year 5 Joint Seminars with the coordination of various Universities were held.

10.15　Career Counseling Programmes

Career Counseling Services have been in operation in Regional Headquarters and branches to help students for getting their academic queries in various subjects of the curriculum duly clarified. During the period from 1st April, 2007 to 31st March, 2008, 112 Career Counseling Programmes were organized at 42 different locations throughout the country. 16 Career Counseling Programmes for interacting with the students community were organized at 12 places in India during the period from 1st April, 2008 to 31st May, 2008.

10.16　Writing Competition

A writing competition with the aim of creating awareness about the Chartered Accountancy Course and CA profession was conducted in March, 2008. Prizes were offered to the students in the range of Rs.2,000 to Rs.15,000.

10.17　Three months' Residential Programme

The ICAI organized the highly subsidized Three Months' Residential Programme in General Management, Personality Development and Communication Skills in association with National Institute of Financial Management, Faridabad (NIFM) for CA students particularly for those who have recently passed the Final examination or are undergoing the Final Course. The programme commenced on from 28th April, 2008 and 55 students attended the course. At the end of the course, a campus selection was organized in which several corporates participated and offered jobs to the participants with salaries ranging from 5 lakhs to 11 lakhs.

10.18　Gyan Darshan Programme for CPT students

For the benefit of students pursuing Common Proficiency Test, lectures by experts were delivered during the month of May, 2008 in collaboration with Indira Gandhi National Open University. Students from various parts of the country interacted with the faculty through the systems provided by ISRO. These lectures were conducted in May, 2008.

10.19　Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 42 branches of Students' Association have already been set up.

10.20　S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2008, 60 scholarships of the value of Rs. 500 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The number of life membership of the Fund increased from 1251 as on 31st March, 2007 to 1527 as on 31st March, 2008. The balance in the credit of the Fund was Rs. 10,29,295/- as on 31st March, 2008 as against Rs. 9,94,197/- as on 31st March, 2007.

11.　REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

11.1 The ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

11.1.1 The total number of branches of Regional Councils is 117.

11.1.2 Currently, there are 20 Chapters of the ICAI outside India.

11.1.3 Currently, there are 32 Reference libraries all over India.

11.2 Branch Building

During the period under Report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, 64 branches have their own premises.

11.3 Rotating Shield

The ICAI awards each year Rotating Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Rotating Shield is awarded to the Best Branch each year. The award is given on the basis of established norms. Rotating Shields to the Best C.A. Students' Association on all India basis and Best Branch of Students' Association on Regional Basis have been instituted from the year 1999. For the year 2007, these Shields were award' ' -t the Annual Function held on 4th February, 2008 to the following winners:-

- Best Regional Council - Western India Regional Council & Eastern India Regional Council – Jointly
- Best Branch of Regional Council :
  - Small Size Branch Category – Bhilai Branch of CIRC
  - Medium Size Branch Category – Salem Branch of SIRC
  - Big Branch Category – Ernakulam Branch of SIRC
- Best Students' Association - Western India Chartered Accountants Students' Association
- Best Branch of Students' Association:
  - Western Region - Ahmedabad Branch of WICASA
  - Southern Regio- - Ernakulam Branch of SICASA
  - Central Region 'dore & Jaipur Branch CICASA – Jointly

Considering their performance, the following branches were separately awarded Certificates for Highly Commended Performance:-

- Small Size Branch Category:
  - Hubli Branch of SIRC
  - Palghat Branch of SIRC
  - Alwar Branch of CIRC
  - Gwalior Branch of CIRC
- Medium Size Branch Category:
  - Aurangabad Branch of WIRC
  - Vijayawada Branch of SIRC
  - Ranchi Branch of CIRC
- Big Branch Category
  - Baroda Branch of WIRC

The norms for determining the said Awards are reviewed periodically with the objective of encouraging the Regional Councils Branches etc. to deliver the best services to the members and students.

11.4 New Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through

the process of decentralisation, the Council has already set up five decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi. Considering the increasing volume of work/activities at the regional level seven more decetralised offices have been set up at Nagpur, Surat, Vadodara and Thane (Western Region), Ernakulam and Coimbatore (Sourthern Region), Indore (Central Region) and Chandigarh (Northern Region).

12 FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2008 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13 APPRECIATION

13.1 The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/Committees constituted under the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 and to the non-members who assisted the Council during the year 2007 - 2008 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

13.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2007 - 2008.

13.3 The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to the Hon'ble Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, His Excellency CA. Rameshwar Thakur, the Governor of Karnataka, Hon'ble Union Finance of Minister, Shri P. Chidambaram, Hon'ble Chief Minister of Delhi, Smt. Sheela Dikshit, Hon'ble Dy. Chairman, Rajya Sabha, CA. K. Rahman Khan,, Hon'ble Dy. Chairman of Planning Commission, Shri Montek Singh Ahluwalia, Comptroller & Auditor General of India, Shri Vinod Rai, Secretary to the Govt. of India, Ministry of Corporate Affairs, Shri Anurag Goel and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various *functionaries* at State level who *graced* the *programmes organised* by the organs of the ICAI.

13.4 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

13.5 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2007 - 2008 by all officers and staff of the ICAI.

MEMBERS
(From 1st April, 1998)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1st April, 1998	Associate	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	Fellow	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	Total	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1st April, 1999	Associate	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	Fellow	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	Total	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1st April, 2000	Associate	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	Fellow	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	Total	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1st April, 2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1st April, 2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1st April, 2003	Associate	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	Fellow	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	Total	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1st April, 2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1st April, 2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1st April, 2006	Associate	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1st April, 2008-	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481

MEMBERS
(From 1st April, 1950)

TABLE II

	Associate	Fellow	Total
As on 1st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1st April, 2001	51,603	44,789	96,392

As on 1st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481

STUDENTS GROWTH PROFILE

(From 31st March, 1997)

	Foundation/ PE (Course-I)	Intermediate/ PE (Course-II)	Final	CPT#	PCC##	Total
During the year 1996-97	28,209	21,354	9,275			58,838
During the year 1997-98	37,052	24,652	9,394			71,098
During the year 1998-99	43,809	28,253	12,227			84,289
During the year 1999-00	44,180	27,508	10,787			82,475
During the year 2000-01	35,999	23,405	9,026			68,430
During the year 2001-02	34,215*	29,403**	11,524			75,142
During the year 2002-03	35,524	33,283	11,102			79,909
During the year 2003-04	38,188	34,232	11,390			83,810
During the year 2004-05	39,000	34,190	11,061			84,251
During the year 2005-06	38,901	39,467	13,010			91,378
During the year 2006-07	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041	2,42,945
During the year 2007-08			19,558	1,42,612	61,186	2,23,356

* includes PE(Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 5006

** Includes PE(Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 11848

\# CPT from 13th September, 2006

\#\# PCC from 13th September, 2006

COMPOSITION OF THE COUNCIL (2008 – 2009)

President
CA. Ved Jain

Vice-President
CA. Uttam Prakash Agarwal

Period
5th February, 2008 onwards

Secretary
Dr. Ashok Haldia
(till 12th August, 2008)

Shri T. Karthikeyan
(12th August, 2008 onwards)

Auditors
CA. Gurmeet S. Grewal
CA. Pramod Jain

Members of the Council (2008-09)

Elected Members

CA. Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
CA. Akshay Kumar Gupta	Kanpur
CA. Amarjit Chopra	New Delhi
CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
CA. Atul Chunilal Bheda	Mumbai
CA. Bhavna Doshi	Mumbai
CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
CA. G. Ramaswamy	Coimbatore
CA. Harinderjit Singh	New Delhi
CA. J. Venkateswarlu	Hyderabad
CA. Jayant Gokhale	Mumbai
CA. Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
CA. K. Raghu	Bangalore
CA. K.P. Khandelwal	Kolkata
CA. Mahesh P. Sarda	Jamnagar
CA. Manoj Fadnis	Indore
CA. Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
CA. Preeti Pradip Mahatme	Goa
CA. Rajkumar S. Adukia	Mumbai
CA. S. Gopalakrishnan	Hyderabad
CA. S. Santhanakrishnan	Chennai
CA. Sanjeev Maheshwari	Mumbai
CA. Shanti Lal Daga	Hyderabad
CA. Subodh Kumar Agrawal	Kolkata
CA. Sunil H. Talati	Ahmedabad
CA. Uttam Prakash Agarwal	Mumbai
CA. V. Murali	Chennai
CA. V.C. James	Kochi
CA. Ved Jain	New Delhi
CA. Vijay Garg	Jaipur
CA. Vijay Kumar Gupta	Faridabad
CA. Vinod Jain	New Delhi

Nominated Members

Shri A.K. Awasthi	New Delhi
Shri Anil K. Agarwal	New Delhi
Shri Jitesh Khosla	New Delhi
Shri K.R. Maheshwari	Jaipur
Shri Manoj K. Sarkar	Kolkata
Shri O.P. Vaish	New Delhi
Dr. Pritam Singh	Gurgaon
Shri R. Sekar	New Delhi

AUDITOR'S REPORT

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2008 and also the annexed Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date. The accounts of the Institute's Decentralized Offices, Computer Centers, Regional Councils and their Branches audited by other auditors and that their reports have been incorporated and duly considered while preparing our report. These financial statements are the responsibility of the management of the institute. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We further report that :-

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   b) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   c) In our opinion, proper books of account are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;

   d) In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with relevant Accounting Standards.

   e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:

      i) In the case of Balance Sheet, of the state of the Institute's affairs, as at 31st March, 2008;

      ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date; and

      iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-90358

CA. GURMEET S. GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82915

Place : New Delhi
Date : 21st August 2008

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2008

Rs. in lacs

	Schedule		Amount As At 31.03.2008		Amount As At 31.03.2007
SOURCES OF FUNDS:					
Reserves and Surplus	I		17650.62		13427.49
Earmarked Funds	II		6968.39		5294.53
TOTAL			24619.01		18722.02
APPLICATION OF FUNDS:					
Fixed Assets:					
Gross Block	III	12325.29		10676.96	
Less: Depreciation and Amortisation		4247.17		3554.08	
Net Block			8078.12		7122.88
Capital Work in progress (including capital advances)			1888.06		414.05
Investments:	IV				
Earmarked Fund Investments		6968.39		5294.53	
Employee Benefit Investments		1631.58		1684.30	
Other Investments		9322.86	17922.83	6652.25	13631.08
Current Assets, Loans & Advances :					
Inventories	V	718.62		385.48	
Cash & Bank Balances	VI	1387.13		1513.37	
Loans & Advances	VII	1847.68		1410.07	
Interest Accrued on Investments		2113.91		1249.35	
Sub - Total		5867.14		4558.27	
Less: Current Liabilities & Provisions					
Current Liabilities	VIII	7422.03		5173.09	
Provision for Employee Benefits		1715.11		1831.17	
Sub - Total		9137.14		7004.26	
Net Current Assets (Liabilities)			(3270.00)		(2445.99)
TOTAL			24619.01		18722.02
Statement of significant accounting policies	XII				
Notes forming part of Accounts.	XIII				

Schedules referred to above form an Integral Part of the Balance Sheet.

SANJAY KUMAR GARG JOINT SECRETARY	CA. ASHOK HALDIA SECRETARY	CA. UTTAM PRAKASH AGARWAL VICE PRESIDENT	CA. VED KUMAR JAIN PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA. PRAMOD JAIN CHARTERED ACCOUNTANT MEMBERSHIP NUMBER- 90358	CA. GURMEET S GREWAL CHARTERED ACCOUNTANT MEMBERSHIP NUMBER- 82918

Place : New Delhi
Date: 21st August 2008

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2008

Rs.in lacs

	Schedule	Amount Year ended 31/03/2008	Amount Year ended 31/03/2007
INCOME			
Fees	IX	13566.60	11425.33
Seminars		1634.12	1179.32
Other Income	X	3257.00	2059.16
Prior Period Income		9.88	14.22
TOTAL		18467.60	14678.03
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances		2201.45	2095.93
Printing & Stationery		2777.67	2161.20
Seminar Expenses		1684.79	1075.85
Other Operating Expenses	XI	5728.56	4885.30
Election Expenses		-	193.14
Depreciation and Amortisation		706.81	616.00
Prior Period Expenses		24.00	21.71
TOTAL		13123.16	11049.13
NET SURPLUS		5344.44	3628.90
Appropriation to Funds / Reserves :			
Education Fund [Policy No. III (c)]	XII	1738.50	1491.66
Employees Benevolent Fund [Policy No.III (d)]	XII	10.83	10.58
General Reserve		3595.11	2126.66
TOTAL		5344.44	3628.90

Statement of significant accounting policies XII

Notes forming part of Accounts. XIII

Schedules referred to above form an integral Part of the Income and Expenditure Account

SANJAY KUMAR GARG
JOINT SECRETARY

CA. ASHOK HALDIA
SECRETARY

CA. UTTAM PRAKASH AGARWAL
VICE PRESIDENT

CA. VED KUMAR JAIN
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-90350

CA. GURMEET S GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82918

Place: New Delhi
Date : 21st August 2008

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008

	(Amount Rupees in Lacs)			
	2007-2008		2006-2007	
A. Cash flows from operating activities				
Net Surplus		5344.44		3628.90
Adjustments for:				
Depreciation and Amortisation	706.81		616.00	
Interest on investments	(1085.69)		(666.73)	
		(378.88)		(50.73)
Operating surplus before working capital changes		4965.56		3578.17
(Increase)/Decrease in Inventories	(333.04)		(113.59)	
(Increase)/Decrease in Interest accrued on Investments	(664.56)		(500.98)	
(Increase)/Decrease in Loans & advances	(237.51)		(135.31)	
Increase/(Decrease) in Current Liabilities	2248.94		1084.87	
Increase/(Decrease) in Provision of Employee Benefits	(116.06)		172.83	
		697.77		507.82
Net cash from operating activities		5663.33		4085.99
B. Cash flows from investing activities				
Acquisition of Fixed Assets including Capital Work in Progress (Net)	(3136.06)		(1345.69)	
Acquisition of Investments	(4291.75)		(3133.16)	
Interest on investments	1085.69		666.73	
Income from Earmarked Funds Investments (Net of payments)	466.11		293.22	
Transitional Provision	(295.13)		(118.76)	
Capital Receipts	381.57		312.39	
Net Cash from Investing Activities		(5789.57)		(3325.27)
Net Increase/Decrease in cash and cash equivalents		(126.24)		760.72
Cash and Cash equivalents at the beginning of year		1513.37		752.65
Cash and cash equivalents at the end of year-Refer Schedule No-V)		1387.13		1513.37

Note

1. The above Cash Flow Statement has been derived using the Indirect method prescribed in AS 3 issued by ICAI

2. Enclosed Schedules I to XIII form an Integral Part of the Cashflow Statement

SANJAY KUMAR GARG	CA. ASHOK HALDIA	CA. UTTAM PRAKASH AGARWAL	CA. VED KUMAR JAIN
JOINT SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA. PRAMOD JAIN	CA. GURMEET S GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT	CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-90358	MEMBERSHIP NUMBER-82918

Place: New Delhi
Date: 21st August 2008

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE I

RESERVES AND SURPLUS

Rs.in.lacs

	EDUCATION*		INFRASTRUCTURE*		GENERAL		OTHERS **		TOTAL	
	Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At	
	31/03/2008	31/03/2007	31/03/2008	31/03/2007	31/03/2008	31/03/2007	31/03/2008	31/03/2007	31/03/2008	31/03/2007
Opening Balance	5529.35	4866.09	1465.90	1311.85	6275.81	4428.33	156.43	125.50	13427.49	10731.78
Appropriation from Income & Expenditure A/C	-	-	-	-	3598.11	2126.66	-	-	3595.11	2126.66
Transitional Provision	-	-	-	-	(296.13)	(118.78)	-	-	(296.13)	(118.78)
Transfer from/(to) General Reserve,Infrastructure Reserve and Other Reserves	-	-	35.49	21.30	(71.95)	(53.02)	36.06	31.72	-	-
Transfers from/(to) Earmarked Funds	824.17	663.26	38.39	-	(88.77)	(107.40)	(0.86)	(0.39)	785.73	555.47
Admission Fees & allocated Entrance Fees	-	-	21.18	24.77	-	-	-	-	21.18	24.77
Donation received for Buildings	-	-	118.88	107.97	-	-	-	-	118.88	107.97
Net (Depletion)/Additions	-	-	-	-	-	-	5.36	(0.40)	5.36	(0.40)
Total	6353.52	5529.35	1663.84	1465.90	9436.47	6275.81	197.79	156.43	17660.82	13427.49

*Note The nomenclature of Capital Reserve - Education and Capital Reserve - General have been changed into Education Reserve and Infrastructure Reserve during the Current Year

**Note:Other Reserves are Reserves such as Library Reserves and Coaching Classes Reserves as appearing in the books of Regional Councils and Branches

THE INSTITUTE OF CHARTERED OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE 4

EARMARKED FUNDS

Rs in Lacs

	Opening Balance		Appropriation from Income & Expenditure A/c		Transfer from/(to) Reserves and Surplus		Contribution received/Addition during the year		Income during the year		Payments during the year		Adjustments		Total	
	Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At	
	01.04.2007	1.4.2006	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	31.03.2008	31.03.2007
RESEARCH FUNDS	730.99	574.85	-	-	-	1.72	177.56	106.14	72.76	48.28	-	-	-	-	981.31	730.98
ACCOUNTING RESEARCH BUILDING FUND	325.77	300.50	-	-	-	-	-	-	32.49	25.27	-	-	-	-	358.26	325.77
EDUCATION FUND	3413.79	2384.92	1739.60	1491.66	(824.17)	(663.28)	-	-	340.61	200.50	-	-	-	-	4666.62	3413.78
MEDALS AND PRIZES FUNDS	126.64	103.59	-	-	-	1.23	5.40	17.75	11.03	7.03	(5.76)	(2.68)	(0.25)	(0.38)	137.07	126.64
STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS	38.46	35.96	-	-	-	-	0.55	0.25	3.84	3.02	(0.94)	(0.77)	-	-	41.91	38.46
EMPLOYEES BENEVOLENT FUND	106.82	59.83	10.83	10.58	-	-	-	-	10.66	7.56	(7.83)	(1.25)	-	-	120.48	106.82
OTHER FUNDS(REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES)	582.07	384.74	-	-	38.44	104.84	50.54	55.91	22.04	19.88	(12.32)	(13.30)	-	-	680.77	582.07
TOTAL	5294.83	3874.49	1749.33	1502.24	(785.73)	(555.47)	244.15	180.35	492.22	311.60	(26.86)	(18.00)	(0.25)	(0.38)	6988.38	5294.93

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE 8

FIXED ASSETS

Rs in lacs

ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION AND AMORTISATION				NET BLOCK	
	Cost as at 1.4.2007	Additions during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2008	Upto 1.4.2007	For the year	Adjustments Transfers/ /Sale	Upto 31.3.2008	W.D.V as on 31.3.2008	W.D.V as on 31.3.2007
A. Tangible Assets:										
1.Land - Free Hold	591.90	98.04	-	689.94	-	-	-	-	689.94	591.90
2.Land -Lease Hold	3160.51	21.30	-	3181.81	99.28	39.52	-	138.80	3043.01	3061.23
3.Buildings	2402.15	428.79	(0.87)	2830.07	594.22	94.40	(0.16)	688.44	2141.63	1807.93
4.Electric Installations & Fittings	313.19	55.06	(1.42)	366.83	131.43	19.99	(0.66)	150.76	216.07	181.76
5.Computers	1480.11	583.92	(3.30)	2060.73	1186.18	285.04	(1.88)	1469.34	591.39	293.93
6.Air Conditioners	422.95	54.24	(4.53)	472.66	174.79	39.69	(4.01)	210.47	262.19	248.16
7.Furniture & Fixtures	873.54	240.60	(7.92)	1106.22	325.29	65.43	(4.85)	385.87	720.35	548.25
8.Lifts	101.65	6.75	-	108.40	43.52	5.98	-	49.50	58.90	58.13
9.Office Equipments	435.87	121.36	(2.91)	554.32	240.26	39.05	(2.10)	277.21	277.11	195.61
10.Vehicles	47.24	1.07	(2.51)	45.80	23.75	4.31	(0.04)	28.02	17.78	23.49
11.Library Books	397.43	44.14	-	441.57	397.43	44.14	-	441.57	-	-
B. Intangible Assets: Software	480.42	16.52	-	496.94	337.93	69.26	-	407.19	89.75	112.49
TOTAL	10676.96	1671.79	(23.46)	12325.29	3554.08	706.81	(13.72)	4247.17	8078.12	7122.88
Previous Year Figures	9350.45	1357.33	(30.82)	10676.96	2963.39	616.00	(25.31)	3554.08	7122.88	-

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IV

INVESTMENTS

		Amount As At 31/03/2008	Rs in lacs Amount As At 31/03/2007
A.LONG TERM INVESTMENTS (AT COST)			
Bonds			
(I) Government of India-8% (taxable)Bonds-2003		4750.00	4750.00
Others			
(II) Fixed Deposits with scheduled Banks		4991.37	1802.00
B.CURRENT INVESTMENTS			
Others			
Fixed Deposits with scheduled Banks		8181.46	7079.08
	Total Investments	17922.83	13631.08
ALLOCATED TO:-			
Earmarked Fund Investments		6968.39	5294.53
Employee Benefit Investments		1631.58	1684.30
Other Investments		9322.86	6652.25
	Total	17922.83	13631.08

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE V

INVENTORIES

Rs.in lacs

		Amount As At 31.03.2008	Amount As At 31.03.2007
Publications and Study Materials		689.14	335.86
Paper for Study Materials & Publications		2.34	20.79
Consumables Stores		27.04	28.83
	Total	718.52	385.48

SCHEDULE VI

CASH AND BANK BALANCES

Rs.in lacs

		Amount As At 31.03.2008	Amount As At 31.03.2007
Cash in Hand		9.64	9.64
Cash at Bank		1377.49	1503.73
	Total	1387.13	1513.37

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VII

LOANS & ADVANCES (Considered Good)

		Rs.in lacs
	Amount As At 31.03.2008	Amount As At 31.03.2007
Loans and Advances-Staff	251.51	243.99
Interest Recoverable from Staff Loans	105.47	97.94
Security Deposits	64.16	32.73
ICAI Accounting Research Foundation	565.20	599.78
Accounts Receivables	231.26	202.73
Other - Advances & Pre-payments	429.98	232.90
Total	1647.58	1410.07

SCHEDULE VIII

CURRENT LIABILITIES

				Rs.in lacs
		Amount As At 31.03.2008		Amount As At 31.03.2007
Fees Received in Advance				
Examination Fees	870.54		1312.17	
Journal Subscription	73.80		49.98	
Membership Fee	422.93		426.02	
Distant Education Fee	3887.95		1779.52	
Information System Audit Course Fee	98.92		95.70	
Insurance and Risk Management Course	4.80		10.23	
International Trade Laws & WTO Course	4.56		7.05	
Seminar Fees & Other Collections (Including Information Technology Training)	656.12	6019.62	106.17	3786.84
Creditors for Expenses		929.11		997.35
Other Liabilities		473.30		388.90
Total		7422.03		5173.09

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IX

FEES

	Amount Year ended 31/03/2008	Rs.in lacs Amount Year ended 31/03/2007
Distant Education	6954.03	5966.64
Examination	3317.35	2739.92
Membership	1480.78	1425.07
Information System Audit Course	167.13	231.77
General Management and Communication Skills	314.17	428.91
Coaching Class Income (Regional Councils and Branches)	385.99	301.90
Insurance and Risk Management Course	15.03	17.94
SAP Course	105.67	-
MS-NAV Course	4.30	-
Oracle Course	2.20	-
Students' Registration	427.76	171.57
CAAT Course	0.83	1.81
Entrance	7.65	10.50
International Trade Laws & WTO Course	11.61	13.30
Students' Association	372.10	116.00
Total	13566.60	11425.33

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE X

OTHER INCOME

		Rs.in lacs
	Amount Year ended 31/03/2008	Amount Year ended 31/03/2007
Publications	554.15	567.03
Interest on Investments	1,085.69	666.73
Students' Newsletter	11.94	8.52
Income from Journal -- Subscription	159.53	179.82
News Letters	66.53	53.89
Computer Centres and Information Technology Training	376.63	49.12
Campus Interview	529.11	355.62
Expert Advisory Fee	9.59	5.25
Interest on Staff Loans	16.43	14.80
Provisions no longer required written back	18.13	1.37
Excess Pension Fund Provision Written Back	288.46	-
Others	140.81	157.01
Total	3257.00	2059.16

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XI

OTHER OPERATING EXPENSES

	Amount Year ended 31/03/2008	Rs.in lacs Amount Year ended 31/03/2007
Postage ,Telephone & Telegrams	872.63	735.50
Rent Rates & Taxes	455.13	400.37
Travelling & Conveyance-Inland	669.66	622.37
Overseas Relations:		
-Travelling	122.04	131.09
-Membership Fee of Foreign Professional Bodies	57.31	56.10
-Other Expenses	11.06	34.19
Repairs & Maintenance	508.66	498.79
Publications	208.98	264.29
Fees & Expenses to Examiners,Consultants and Others	1616.67	1115.21
General Management and Communication Skills	204.12	253.08
Coaching Class Expenses (Regional Councils and Branches)	172.18	164.75
Advertisements	298.33	220.45
Office Meeting Expenses	82.93	48.97
Computer Centres and Information Technology Training	103.96	21.75
Merit Scholarship	15.00	6.75
Audit Fee		
- Head Office	3.37	3.37
- Other Offices	9.07	8.96
Other Expenses	317.45	299.31
Total	5728.56	4885.30

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XII

STATEMENT ON SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES.

I **ACCOUNTING CONVENTION**

These accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and are on accrual basis unless otherwise stated.

II **REVENUE RECOGNITION**

a. Membership Fee:-

(i) The Entrance Fee is collected at the time of admission of a person as a member and one third thereof is recognized as income in that year.

(ii) Annual Membership and Certificate of Practice Fee(s) are recognized in the year as and when these become due.

b. Distant Education and Post Qualification Course Fee are recognized over the duration of the course.

c. Examination Fee is recognized on the basis of conduct of examinations.

d. Subscription for Journal is recognized in the year as and when it becomes due.

e. Revenue from Sale of Publication is recognized at the time of preparing the sale bill.

f. Income from Investments

i Dividend on investments in units is recognized as income on the basis of entitlement to receive.

ii. Income on interest bearing securities and fixed deposits is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

III **ALLOCATIONS/TRANSFER TO RESERVES & SURPLUS AND EARMARKED FUND**

a. Admission Fee from Fellow Members and 2/3rd portion of the Entrance Fee from persons admitted as Members are taken to Infrastructure Reserve.

b. Donations received during the year for buildings and for Research purpose are accounted for directly under the respective Reserves Account.

c. 25% of the Distant Education Fee not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education fund.

d. 0.75% of Membership Fee (Associate and Fellow and Certificate of Practice Fee) received from the members during the year is allocated to the Employees' Benevolent Fund.

e Transfer to Education Reserve from the following earmarked funds:-

I. From Accounting Research Building Fund.	100% of the cost of Fixed Assets relating to Accounting Research Building Fund.

ii. From Education Fund — 50% of the cost of additions (net of deductions) to other Fixed Assets.

f. Income from investments of Earmarked Funds is allocated directly to Earmarked Funds on opening balances of the respective Earmarked Funds on the basis of weighted average method.

IV **FIXED ASSETS/DEPRECIATION AND AMORTISATION**

a. Fixed Assets excluding land are stated at historical cost less depreciation.

b. Free hold land is stated at cost. Leasehold land is stated at the amount of premium paid for acquiring the lease rights. The premium so paid is amortized over the period of the lease.

c. Depreciation is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Council based on the useful life of the respective assets :

Buildings	5%
Air conditioners & Office Equipments	15%
Lifts , Electrical Installations & Furniture & Fixtures	10%
Vehicles	20%
Computers	60%

d. Depreciation on additions is provided on monthly pro-rata basis.

e. Library Books are depreciated at the rate of 100% in the year of purchase.

f. Intangible Assets (Software) are amortized equally over a period of three years.

V **INVESTMENTS**

a. Long term Investments are carried at cost and diminution in value, other than temporary is provided for.

b. Current investments are carried at lower of cost or fair value.

VI **INVENTORIES**

Inventories of paper, consumables, publications and study material are valued at lower of cost or net realizable value. The cost is determined on FIFO Method.

VII **FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

a. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

b. All incomes and expenses are translated at average rate. All monetary assets/liabilities are translated at the year end rates where as non-monetary assets are carried at the rate on the date of transaction.

c. Any income or expense on account of exchange rate difference is recognized in the Income and Expenditure Account.

VIII **EMPLOYEE BENEFITS.**

a. Short term employee benefits are charged off at the undiscounted amount in the year in which the related service is rendered.

b. Post employment and other long term employee benefits are charged off in the year in which the employee has rendered services. The amount charged off is recognized at the present value of the amounts payable determined on the basis of actuarial valuation. Actuarial gain and losses in respect of post employment and other long term benefits are charged to Income & Expenditure Account.

c. Contributions to Provident Fund Trust maintained by the Institute are recognized as expense.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIII

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Rs.35.42 Lacs towards disputed amount for Property/Building Tax in respect of building at one location (Previous year Rs. 30.79 Lacs).

1.2 Rs. 84.44 Lacs in respect of claims (Previous year Rs. 83.24 Lacs) from various parties not acknowledged as debt by the Institute.

2. OTHER NOTES

2.1 Estimated amount of capital commitments (net of advances) - Rs.4985.31 Lacs (Previous Year Rs.951.39 Lacs).

2.2 Free hold Land includes Rs.6.17 lacs (Previous Year Rs.6.17 Lacs) relating to the land purchased and acquired at New Delhi from Land and Development Authority for which Registration is Pending.

2.3 Building includes Rs.8.77 Lacs (Previous Year Rs. 8.77 Lacs) being the cost of branch building at Baroda, the Conveyance Deed of the branch premises is yet to be executed since the branch has applied for concession in stamp duty.

2.4 Loans and Advances include Interest free advance for a sum of Rs.565.20 Lacs (Previous year Rs.599.78 Lacs) to ICAI Accounting Research Foundation.

2.5 The disclosures required under Accounting Standards -15 (Revised) on "Employee Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India are given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to defined contribution plan, recognized i.e. Employer's Contribution to Provident Fund is charged off for the year.

Defined Benefit Plan

The Employees Gratuity Fund Scheme managed by the Life Insurance Corporation of India is a defined Benefit Plan. The Present Value of Obligation is determined on Actuarial Valuation using the Projected Unit Credit Method to build up the final obligation. The obligation for Leave Encashment and Pension is also recognized on the same basis as Gratuity.

Transitional Provision

On the first day of adapting this statement i.e. 01/04/2007, the difference between the transitional Liability and the Liability that would have been recognized at the same date, as per the pre-revised Accounting Standards-15 is adjusted against opening balance of General Reserves & Surplus amounting to Rs. 295.13 Lacs. Status of the defined benefit plan as required by Revised Accounting Standards -15 is as follows.

Rupees in Lacs

	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Un-Funded)		Pension (Un-Funded)	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit obligation						
Defined Benefit obligation at beginning of the year	600.58	496.43	754.81	678.51	1,224.62	1,168.90
Current Service Cost	51.52	46.95	79.86	82.79	-	-
Interest Cost	46.40	38.96	58.66	36.31	97.83	64.27
Actuarial (gain)/loss	(14.32)	(18.76)	(146.04)	(6.04)	(467.24)	(7.84)
Benefits paid	(41.15)	37.00	(43.16)	(36.76)	(3.40)	(0.71)
Defined Benefits obligation at the year end	643.03	600.58	704.13	754.81	851.81	1,224.62
Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets						
Fair value of plan assets at beginning of the year	453.71	351.66	-	-	-	-
Expected return on plan assets	44.66	34.56	-	-	-	-
Actuarial gain/(loss)	3.04	2.80	-	-	-	-
Employer contribution	82.39	83.31	-	-	-	-
Benefits paid	(24.31)	(18.62)	(43.15)	(36.76)	-	-
Fair value of plan assets at the year end	559.49	453.71	-	-	-	
Reconciliation of fair value of assets and obligations						
Fair value of plan assets as at 31st March, 2008	559.49	453.71	-	-	-	-
Present value of obligation as at 31st March,2008-Long Term	643.03	600.58	704.13	754.81	851.81	1,224.62
Present value of obligation as at 31st March,2008-Short Term	-	-	75.64	-	-	-
Amount recognized in Balance Sheet as at 31st March 2008	83.54	146.87	779.77	754.81	851.81	1,224.62
Expenses recognized during the year						
Current Service Cost	51.52	46.95	79.86	82.79	-	-
Interest Cost	46.40	38.96	58.66	36.31	97.83	64.27
Expected return on plan assets	(44.66)	(34.56)	-	-	-	-
Actuarial (gain)/loss	(17.36)	34.19	(146.04)	(6.04)	(467.24)	(7.84)
Short Term Liabilities	-	-	75.64	-	-	-
Net Cost	35.90	85.54	68.12	113.06	(369.41)	56.43

Actuarial assumptions						
Mortality Table	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate
Attrition Rate	05.00% p.a	05.00% p.a.	05.00% p.a	05.00% p.a	05.00% p.a	05.00% p.a
Imputed Rate of Interest	08.00 % p.a	08.00 % p.a	08.00 % p.a	05.50 % p.a	08.00 % p.a	05.50 % p.a
Salary Rise	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a & D.A. 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a
Return on Plan Assets	08.25 % p.a	09.00 % p.a	-	-	-	-
Remaining Working Life	17.46 years	17.56 years	17.46 Years	17.56 Years	17.46 Years	17.56 Years
Investment details	100% Invested in LIC.	100% Invested in LIC.	779.77 *	557.98 *	851.81 *	1126.32 *

* Investments are maintained by the Institute.

2.6 Due to change in accounting estimates for Revenue recognition, the receipt of Distant Education Fee from the students is lower by Rs.715.73 Lacs.

2.7 Exemption in respect of Income Tax has been granted under Section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 up to the Assessment Year 2005-06. Application for renewal of exemption thereof is under consideration of the tax authorities. The Institute is of firm belief that the said exemption would be granted to it. Consequently, no provision for Income Tax/Deferred Tax Asset, Liability, Fringe Benefit Tax is considered necessary.

2.8 Only directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.

2.9 Prior period Income includes the following:-

	2007-08 Rs. in Lacs	2006-07 Rs. in Lacs
Others	9.88	14.22

Prior period expenses include the following:-

	2007-08	2006-07
Printing & Stationery	-----	3.62
Distant Education Fee	-----	7.03
Publication Expenses	0.30	----
Examination Expenses	2.59	....
Repairs & Maintenance	2.44	0.08
Travelling & Conveyance	1.23	----
Salary & Allowances	1.03	....
Others	16.41	10.98
Total	24.00	21.71

2.10 The Institute operates predominantly in India and in one business segment i.e. furtherance of the profession of Chartered Accountancy.

2.11 Previous year figures have been re-grouped and re-classified wherever considered necessary to make it comparable with those of current year.

T. KARTHIKEYAN, Acting Secy.

[ADVT III/4/Exty./104/2008]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.